

**वार्षिक प्रतिवेदन
तथा लेखा विवरण
2017-18**



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसरगढ़, जिला - पश्चिम बर्धमान (प.बं.)

विषय सूची

क्रमांक	पृष्ठ संख्या
1. प्रबंधन	1
2. बैंकर / लेखा परीक्षक / दूरदर्शी / मिशन कथन	2
3. वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
4. अध्यक्ष का कथन	7
5. निदेशकीय प्रतिवेदन	9
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	109
7. लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब	110
8. वित्तीय स्थिति	122
9. 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र	126
10. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	128
11. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ईंकिटी में परिवर्तन का विवरण	130
12. 31 मार्च, 2018 के लिए नकद प्रवाह विवरण	131
13. महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति	133
14. तुलन-पत्र का अभिन्न अंग : टिप्पणियाँ	155
15. लाभ एवं हानि विवरण का अभिन्न अंग : टिप्पणियाँ	180
16. लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	193



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2017 - 18 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री सुब्रत चक्रवर्ती

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(15.06.2017 से)

श्री राजीव रंजन मिश्र

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

(अतिरिक्त प्रभार) (14.06.2017 तक)

श्री के.एस. पात्र

निदेशक (कार्मिक)

श्री ए. एम. मराठे

निदेशक (वित्त)

श्री बी. एन. शुक्ला

निदेशक (तकनीकी) संचालन

(16.08.2017 तक)

श्री ए. के. सिंह

निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना

(25.09.2017 से)

श्री एस. के. झा

निदेशक (तकनीकी) संचालन तथा योजना एवं परियोजना

(19.12.2017 से)

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री एन. के. सुधांशु

संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (30.10.2017 से)

श्री विवेक भारद्वाज

संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

(09.06.2017 से 30.10.2017 तक)

श्री चन्दन कुमार दे

निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशकगण :

प्रो (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती

कंपनी सचिव :

श्री वी.आर. रेण्टी

9 जुलाई 2018 को प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री एस. के. झा

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा

निदेशक (तकनीकी) संचालन

श्री जयप्रकाश गुप्ता

निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना

श्री संजीव सोनी

निदेशक (वित्त)

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री एन. के. सुधांशु

संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय

श्री चन्द्र कुमार दे

निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशकगण :

प्रो (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती

कंपनी सचिव :

श्री रामबाबू पाठक



वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	एक्सिस बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कमार्स
इलाहाबाद बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	पंजाब नेशनल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	कॉर्पोरेशन बैंक	आईसीआईसीआई बैंक
केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक		

वर्ष 2017-18 के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षक

- मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068

शाखा लेखा परीक्षकगण

- मेसर्स राय एण्ड कम्पनी, 21 ए. शेक्सपियर सरणी, फ्लैट नं.- 8सी, आठवाँ तल, कोलकाता-700017
- मेसर्स सराफ एण्ड चन्द्रा, 501, अशोक हाउस, 3A, हेयर स्टीट, पाँचवा तल, कोलकाता-700001
- मेसर्स एडीडी एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर बी मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता-7000105
- मेसर्स वीरेंद्र सुराना एंड कंपनी, विवेकानंद कॉलेज के पास, श्रीपल्ली, बर्द्धवान, 713103
- मेसर्स डी झा एण्ड एसोसिएट्स, एस मधुबनी, पूर्व पल्ली, सैनिक भवन के पीछे, बड़ोनीलपुर रोड, पो:श्रीपल्ली, पूर्वी बर्द्धवान- 713103

2017-18 के दौरान लागत लेखा परीक्षक

- मेसर्स मौ बनर्जी एण्ड कम्पनी, वैकुण्ठ अपार्टमेंट, सतह तल, गोपालपुर, जी. टी. रोड (पश्चिम), आसनसोल - 713304, पश्चिम बंगाल।
- मेसर्स के के दास एण्ड एसोसिएट्स, मेह- 17, कनिष्ठ रोड, दुर्गापुर- 713204, पश्चिम बंगाल।
- मेसर्स बीसीडी एण्ड एसोसिएट्स, फ्लैट नं. 4ए, 382, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068, पश्चिम बंगाल।
- मेसर्स बी राय एण्ड एसोसिएट्स, 27 गोपाल जिउ मंदिर रोड, विराटी, कोलकाता - 700051, पश्चिम बंगाल।
- मेसर्स सुभ्रदा दत्ता एण्ड एसोसिएट्स, पुष्पक अपार्टमेंट, 5 पर्णश्री पल्ली, बनमाली नस्कर रोड, कोलकाता-700060, पश्चिम बंगाल।
- मेसर्स आशुतोष एण्ड एसोसिएट्स, प्लाट नं. एन-4/232, आई आर सी ग्राम, नथापल्ली, भुवनेश्वर - 751015, ओडिशा।

2017-18 के सचिवालयीन लेखा परीक्षक

- मेसर्स अग्रवाला दिनेश एन्ड कम्पनी, 16/1ए अब्दुल हमीद स्ट्रीट, चौथा तल, कमरा नं. 4बी, कोलकाता - 700001

2017-18 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

- मेसर्स निरूपम एन्ड एसोसिएट्स, रासखोला पाड़ा, खड़दह, जिला : 24 परगना (एन), कोलकाता - 700017
- मेसर्स डी. के. छाजेड़ एन्ड कम्पनी, नीलहट हाउस, 11 अर. एन. मुखर्जी रोड, सतह तल, कोलकाता-700001
- मेसर्स दिनेश के. यादव एन्ड एसोसिएट्स, एम-4, नारायण प्लेस, फ्रेजर रोड, पटना - 1
- मेसर्स एस. एन. मुखर्जी एन्ड कम्पनी, एमराल्ड हाउस, 1 बी ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, तृतीय तल, कोलकाता - 700001
- मेसर्स पी. के. गुट्टुटिया एन्ड कम्पनी, जे. जे. कॉम्प्लेक्स (द्वितीय तल), बैंक रोड, धनबाद - 826001, झारखंड।
- मेसर्स सेन एन्ड कंपनी, 1/13, चित्तरंजन कॉलोनी, यादवपुर, कोलकाता - 700032



7. मेसर्स आर. एन. गोयल एन्ड कम्पनी, मंगतूराम रोड, सिलीगुड़ी - 734005
8. मेसर्स आर. के. दीपक एन्ड कम्पनी, 303 बी, अपरा प्लाजा, फ्लाट नं. 28, रोड नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
9. मेसर्स डी. पी. सेन एन्ड कम्पनी, 22, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, द्वितीय तल, फ्लैट नं. 22, कोलकाता - 700019
10. मेसर्स ए. एन. चटर्जी एन्ड कंपनी, 41ए, टाउनसेंड रोड, कोलकाता - 700025
11. मेसर्स चटर्जी एन्ड कम्पनी, 21/2, गरिया हाट रोड (पश्चिम), कोलकाता - 700068
12. मेसर्स एस. मल्हिक एन्ड कंपनी, 11, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, ब्लॉक बी, द्वितीय तल, कोलकाता - 700001
13. मेसर्स चुन्दर खतूर एन्ड एसोसिएट्स, 10ए, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कोलकाता - 700069
14. मेसर्स भट्टाचार्य दास एन्ड कम्पनी, 2 गार्सटिन प्लेस (सतह तल), कोलकाता - 700001
15. मेसर्स एन. एन. दास एन्ड कम्पनी, पियाली अपार्टमेंट, 660, राजाडांगा मेन रोड, कोलकाता - 700107

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट-डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान, पिन-713333

मिशन कथन

खान सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

दूरदर्शी कथन

पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू नेतृत्व से वैश्विक खिलाड़ी प्रमुख के रूप में स्थापित करना।



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल - 713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन.-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट - www.easterncoal.gov.in



Eastern Coalfields Limited

Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O. Disergarh- 713333,
Distt. Paschim Bardhaman (W.B.)
Company Secretariat
CIN: U10101WB1975GOI030295
Website : www.easterncoal.gov.in

Telefax : 0341-2520546
E-mail: elcos17a@gmail.com

पत्रांक - ईसीएल/सीएस/15(2018)/5584

दिनांक - 06.07.2018

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 43वीं बैठक आगामी 9 जुलाई, 2018(सोमवार) को - कोल भवन लिमिटेड, परिसर - 4, एमएआर प्लांट नं. III, एक्सन एरिया - 1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता - 700156 (पश्चिम बंगाल) में सुबह 10.00 बजे से निम्नलिखित कारोबार के लिए होगी :

सामान्य कारोबार:

- 31 मार्च, 2018 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदन को प्राप्त, विचार एवं स्वीकार करना।
- निदेशक श्री चन्दन कुमार दे (डीआईएन - 03204505) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
- निदेशक श्री निरंजन कुमार सुधांशु (डीआईएन - 02682438) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

विशेष कारोबार :

- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना तथा निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना, यदि उचित लगे तो बिना संशोधन या संशोधन सहित पारित करना :
संकल्प लिया गया कि कंपनी की लागत लेखापरीक्षा के लिए निदेशक मंडली द्वारा नियुक्त किये गये लागत लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार 2017-18 की लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित पारिश्रमिक दिया जाएगा :-

क्रम सं	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2017-18 की लागत लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी	2,17,547/-
2	मेसर्स के. के. दास एन्ड एसोसिएट्स	1,24,414/-
3	मेसर्स बीसीडी एन्ड एसोसिएट्स	1,10,907/-
4	मेसर्स बी राय एन्ड एसोसिएट्स	88,867/-
5	मेसर्स सुभद्रा दत्ता एन्ड एसोसिएट्स	82,469/-
6	मेसर्स आशुतोष एन्ड एसोसिएट्स	66,828/-
	कुल रु. छ: लाख इक्यानबे हजार बत्तीस केवल	6,91,032/-



उपरोक्त फर्मों की ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियम तथा शर्तों के अनुरूप मार्गदर्शित है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(रामबाबू पाठक)

उप प्रबंधक (वित्त) / कंपनी सचिव

दिनांक- 06 जुलाई, 2018

पंजीकृत कार्यालय

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला-बर्द्धमान, (पश्चिम बंगाल), पिन- 713333

टिप्पणियाँ

- (क) कोई सदस्य जो सम्मेलन में भाग लेने एवं मत देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं एवं प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है। वार्षिक आम बैठक के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत भरा हुआ प्रॉक्सी जमा हो जाना चाहिए ताकि वह प्रॉक्सी प्रभावी हो सके।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 139 (5) के अनुसार एक सरकारी कंपनी के महालेखापरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 142(1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी के द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय की जाती है अथवा आम बैठक में कंपनी जिस प्रकार निर्धारित करे। कंपनी की 30 जुलाई, 2001 को सम्पन्न आठवीं असाधारण आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मण्डल को वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने को प्राधिकृत किया।

प्रतिलिपि :

- क) मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेस, वैधानिक लेखापरीक्षक 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068.
- ख) मेसर्स अग्रवाल दिनेश एन्ड कंपनी, कम्पनी सेक्रेटरी 16/1 ए अब्दुल हमीद स्ट्रीट, चतुर्थ तल, कमरा नं. 4 बी, कोलकाता - 69
- ग) मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी, वैकुण्ठ अपार्टमेंट, सतह तल, गोपालपुर, जी. टी. रोड (पश्चिम), आसनसोल - 713304, पश्चिम बंगाल।
- घ) समस्त निदेशकगण, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसेरगढ़,
जिला - बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल - 713333

कंपनी सचिवालय

सी.आइ.एन.-U10101WB1975GOI030295

वेबसाइट - www.easterncoal.gov.in



Eastern Coalfields Limited

Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O. Disergarh- 713333,
Distt. Burdwan (W.B.)
Company Secretariat
CIN: U10101WB1975GOI030295
Website : www.easterncoal.gov.in

Telefax : 0341-2520546
E-mail: eclcos17a@gmail.com

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के कथनानुसार

विशेष कारोबार

मद संख्या - 04

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 14 (क) (ii) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा संस्तुत तथा निदेशक मंडली द्वारा स्वीकृत लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि आगे चलकर शेयरधारकों द्वारा की जानी है।

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की लागत लेखापरीक्षा की समीक्षा के लिए निम्नलिखित लागत लेखा संस्थाओं को निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु 22 सितम्बर, 2017 को आयोजित 83वीं बैठक में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने संस्तुत किया तथा निदेशक मंडली ने 23 सितम्बर, 2017 को आयोजित अपनी 302वीं बैठक में स्वीकृत किया।

क्रम सं	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2017-18 की लागत लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी	217547/-
2	मेसर्स के. के. दास एन्ड एसोसिएट्स	124414/-
3	मेसर्स बीसीडी एन्ड एसोसिएट्स	110907/-
4	मेसर्स बी राय एन्ड एसोसिएट्स	88867/-
5	मेसर्स सुभद्रा दत्ता एन्ड एसोसिएट्स	82469/-
6	मेसर्स आशुतोष एन्ड एसोसिएट्स	66828/-
	कुल : रु. छ: लाख इक्यानवे हजार बत्तीस केवल	691032/-

वर्ष 2017-18 के वित्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्देशित होगी। इसलिए प्रस्ताव है कि वर्ष 2017-18 के लिए अंशधारियों द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि की जाय।

इस संकल्प में किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके किसी भी रिश्तेदार की कोई रुचि अथवा संबंध नहीं है। सदस्यों की स्वीकृति हेतु बोर्ड ने उक्त संकल्प को मद संख्या 04 में संस्तुत किया।



मित्रों,

अध्यक्ष का कथन

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार खुशी है। निदेशकों का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए परीक्षित लेखा के साथ-साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के महालेखापरीक्षक की समीक्षा एवं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उर्जा बड़े निवेशों में से एक है तथा भारत में कोयला उर्जा कारकों में प्रबल है, जिसका कुल बुनियादी ऊर्जा उत्पादन में 52% योगदान है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की सख्त आवश्यकता है। हमारी कंपनी गैर कोकिंग कोयले के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है। जो विभिन्न विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सीमेंट कारखानों इत्यादि की जरूरतों को पूरा करता है।

हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि यह है कि पर्यावरण एवं सामाजिक दायित्व का ख्याल रखते हुए उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रतियोगितात्मक एवं लाभदायकता के साथ खुद को त्वरित विकास के पथ पर स्थापित करने के साथ-साथ स्वयं को प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएँ एवं देश की ऊर्जागत आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

ईसीएल ने गतवर्ष की तुलना में 43.568 मिलियन टन का सर्वोच्च कोयला उत्पादन करके इस वर्ष 7.53% की वृद्धि हासिल की है। ईसीएल ने वर्ष 2017-18 के दौरान सर्वोच्च 43.629 मिलियन टन कोयला की निकासी करके गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1.42% की वृद्धि प्राप्त की है। गत वर्ष के आधार पर भूमिगत उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा गत वर्ष की तुलना में 5.86% की संतोषजनक वृद्धि प्राप्त की गई है। कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनियों में ईसीएल एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसने भूमिगत उत्पादन में गत छः वर्षों में लगातार वृद्धि हासिल करती रही है। झांझरा एवं अन्य खदानों में कन्टीन्यूअस माइनर, पीएसएलडब्लू जैसे मास प्रोडक्सन तकनीक की स्थापना से भूमिगत उत्पादन में आने वाले वर्षों में सुधार आएगा।

वर्ष 2017-18 में ईसीएल बोर्ड द्वारा 3 (तीन) पारियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई तथा ईसीएल की 1 (एक) परियोजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली।

ईसीएल की भूमिगत खदानों के आधुनिकीकरण तथा यांत्रीकरण के ऊपर बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि ईसीएल में 3 कन्टीन्यूअस माइनर पहले से ही काम कर रहे हैं। कम ऊँचाई के एक कन्टीन्यूअस माइनर को झांझरा में स्थापित किया गया है जिसे देश में पहलीबार स्थापित किए जाने का गौरव प्राप्त है। श्रीपुर तथा निमचा परियोजनाओं में हाईवाल खनन तकनीक लागू करने का प्रस्ताव है। भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास लगातार जारी है। गत 31.03.2018 को 274 एलएचडी ईसीएल के भूमिगत खदानों में कार्यरत थे।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

कोयला उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की हमारी कंपनी द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है तथा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भूमि क्षय, जंगल कटाव इत्यादि पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। ये निवारक कदम नियमित रूप से सभी मानकों, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान हमने पौधारोपण किया जिससे 130.43 हैक्टेयर भूमि आच्छादित हुई। यह पौधारोपण आंतरिक, भूधाँसान क्षेत्र तथा अधिभार के ढेर पर ही किया गया।

पेय जलापूर्ति, शैक्षणिक सुविधाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल में सुधार द्वारा ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के गाँवों में सतत विकास एवं सीएसआर गतिविधियों के लिए हम सदा प्रतिबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान, सतत विकास, कल्याणकारी एवं सीएसआर गतिविधियों पर हमारी कंपनी ने लगभग ₹ 12.69 करोड़ रूपये व्यय किये।

हमने खान सुरक्षा को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो ईसीएल में कोर उत्पादन पद्धति के एक भाग के रूप में जाना जाता है। खान सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई उपायों पर कठोरता से कदम उठाया है।

हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उद्यम (सीपीएसई) के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशा-निर्देश की शर्तों का पालन किया है। जैसा कि उपरोक्त दिशा-निर्देश के तहत आवश्यक है, निदेशकों के प्रतिवेदन में कंपनी अभिशासन पर एक अलग खंड शामिल किया गया है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाण पत्र लिया गया है।

हम वर्ष 2018-19 के दौरान, 50 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ईसीएल आगे बढ़ती रहेगी।

मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मियों, मजदूर संगठनों, उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्थान - कोलकाता
दिनांक - 9 जुलाई, 2018

(सुनील कुमार झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-08039292



निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
अंशधारकगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,

में निदेशक मंडल की ओर से, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कम्पनी की कार्य पद्धति पर 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ तथा प्रबन्धन के जवाब के साथ भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता हूँ।

विशेष उपलब्धियाँ :

- क) राजमहल क्षेत्र में भूअधिग्रहण की अत्यधिक गम्भीर समस्या के बावजूद, ईसीएल ने 43.569 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जो कि अपेक्षित वार्षिक उत्पादन का 92.7% है तथा गतवर्ष 2016-17 के आधार पर 7.53% संतोषजनक सकारात्मक वृद्धि है। ईसीएल ने 43.62 मिलियन टन निकासी करके अपेक्षित वार्षिक उत्पादन लक्ष्य का 92.81% तथा गत वर्ष की तुलना में 1.40% वृद्धि हासिल की। यह दोनों उपलब्धियाँ कम्पनी के प्रारम्भ से अब तक की सर्वोच्च उपलब्धियाँ हैं।
- ख) पिछले छ: वर्षों का लगातार वर्ष 2017-18 में भी ईसीएल ने भूमिगत कोयला उत्पादन में 5.86% की सकारात्मक वृद्धि हासिल की।
- ग) 31 मार्च, 2018 को ईसीएल ने 45 रेलवे रेको से कोयला प्रेषण किया जो कि कम्पनी के स्थापना काल से अबतक रेक द्वारा सर्वाधिक प्रेषण है।
- घ) ईसीएल ने 31 मार्च, 2018 को 2.13 लाख टन कोयला उत्पादन तथा 2.12 लाख टन कोयला प्रेषण का कार्य किया जो कि कम्पनी के निर्माण काल से अबतक एक दिन में किया गया सर्वाधिक कोयला उत्पादन तथा प्रेषण है।
- ङ) ईसीएल ने मार्च 2018 के दौरान 6.016 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जो कि कम्पनी के जन्म से अबतक का एक महीने में सर्वाधिक कोयला उत्पादन है।
- च) कम्पनी के सभी अधिकारियों के लिए आनलाइन अवकास प्रबन्धन प्रणाली कार्यरत हो गई।
- छ) कम्पनी की सभी स्थापनाओं का कार्यालयों में बायोमेट्रिक पद्धति से हाजरी की प्रणाली लागू कर दी गई।
- ज) ईसीएल ने 2017-18 के दौरान कोल इंडिया अन्तर कम्पनी क्रिकेट, फुटबॉल तथा एथलीट टूर्नामेंट में विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

1.0 उत्पादन :

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2017-18			2016-17	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	निरपेक्ष	%
1. उत्पादन :							
i) कच्चा कोयला-भूमिगत खुली खदान	मिलियन टन	8.700 38.300 47.000	8.603 34.965 43.568	98.89 91.29 92.70	8.127 32.391 40.517	0.476 2.574 3.050	5.86 7.95 7.53
कुल							
ii) कोकिंग कोयला - मिश्रित - अन्य		0.00 0.00	0.000 0.034	- 100.00	0.00 0.031	0.00 0.003	- 10.23
iii) गैर-कोकिंग कोयला		47.000	43.534	92.63	40.486	3.048	7.53
2. उपरी संस्तर निष्कासन	मि.घ.मी.	136.00	118.895	87.42	124.637	-5.742	-4.61
3. उत्पादकता (ओएमएस)							
- भूमिगत	टन	0.703	0.716	101.84	0.642	0.074	11.53
- खुली खदान		15.525	14.318	92.23	12.905	1.413	10.95
- समग्र		3.168	3.013	95.11	2.672	0.341	12.76

1.2 कोयला उत्पादन में आयी बाधाएँ :

क्र. सं.	उत्पादन में कमी का कारण	परिमाण (मिलियन टन)
1	भूगर्भीय असुविधायें	0.030
2	मशीरों का ब्रेकडाउन	0.072
3	वर्षा के कारण जल जमाव	1.160
4	औद्योगिक संबंध की समस्या	1.300
5	भूमि अधिग्रहण	2.640
6	अन्य	0.810
	कुल	6.012

1.3 पद्धति-क्षमता की उपयोगिता :

(प्रतिशत में)

विवरण	2017-18			2016-17
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक
1) भूमिगत	86.67	88.71	100.05	80.50
2) खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	73.88	71.61	96.93	68.05
3) खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	79.87	68.94	86.32	93.75
4) खुली खदान (विभागीय+भाड़े का) उत्खनन	78.69	69.47	88.29	87.02
5) कुल भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)	75.64	73.67	97.39	69.64
6) समग्र (भूमिगत+खुली खदान) (भाड़े+ विभागीय)	78.93	69.99	88.67	86.78



2.0 वित्तीय परिणाम:

2.1 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सकल विक्रय टर्न ओवर गत वर्ष के ₹ 14717.53 करोड़ की तुलना में ₹ 15250.11 करोड़ था, फलस्वरूप गत वर्ष के आधार पर 3.62% की वृद्धि हुई। आलोच्य अवधि वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष कर-पूर्व ₹ 51.90 करोड़ एवं कर-पश्चात ₹ 20.77 करोड़ के आय की तुलना में कर-पूर्व ₹ 1303.10 करोड़ तथा कर-पश्चात ₹ 824.17 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ ब्याज, मूल्यहास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व सभी व्यय चार्ज करने के पश्चात लाभ(+)/हानि(-) न्यून : पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ का प्रभाव	865.12	614.18
न्यून : बीमांकित प्रावधान	41.08	48.19
न्यून : ब्याज	1409.11	239.57
न्यून : मूल्यहास/हानि/खदान बंदी प्रावधान	443.99	323.89
यून : उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन	274.04	-49.37
ब्याज, मूल्यहास, हानि तथा उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन के पश्चात वर्ष हेतु लाभ(+)/हानि(-)	-1303.10 0.00 -1303.10	51.90 0.00 51.90
नकदी लाभ	1524.53	996.08
कर के पश्चात लाभ	-824.17	20.77

2.2 पूँजीगत व्यय :

आलोच्य वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (विनिमय उतार चढ़ाव छोड़कर) गत वर्ष 2016-17 के ₹ 827.80 करोड़ की तुलना में ₹ 959.99 करोड़ रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
क. शेयर पूँजी		
i) प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,50,00,000 इकट्ठी शेयर एवं प्रत्येक ₹ 1000 के 2,10,00,000 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर)	4600.00	4600.00
ii) प्रदत्त इकट्ठी शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
iii) 6% तक गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयरों का भुगतान, पूर्ण भुगतान (प्रत्येक ₹ 1000 के 20509700 शेयर)	855.61	855.61
ख. क्रण निधियाँ :		
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कर्नाटक	161.20	167.20
ii) कम्पाउन्ड फाइनेंशियल इस्ट्रूमेंट उत्तरदायित्व (प्रीफरेन्स शेयर 6%)	1537.15	1423.30



2.4 विदेशी ऋणों का पुनः भुगतान :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
i) कोल इंडिया के माध्यम से विदेशी ऋण का पुनःभुगतान	6.04	6.39

2.5 वर्ष के दौरान रायलटी, सेस, नौभरण उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर का भुगतान/समायोजन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17				2015-16			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केन्द्र	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केन्द्र	कुल
i) प.ब. के संबंध में जीएसटी								
क) आई जी एस टी	0.00	0.00	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) सी जी एस टी	0.00	0.00	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) एस जी एस टी	0.00	0.00	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) क्षतिपूर्ति सेस	0.00	0.00	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) झारखण्ड के संबंध में								
क) आई जी एस टी	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) सी जी एस टी	0.00	0.00	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) एस जी एस टी	0.00	0.00	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) क्षतिपूर्ति सेस	0.00	0.00	477.46	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कोयला पर रायलटी	18.87	440.88	0.00	459.75	22.39	701.12	0.00	723.51
iv) आर ई तथा पीई सेसे	1510.55	0.00	0.00	1510.55	1637.14	0.00	0.00	1637.14
v) एएमबीएच सेस	2.15	0.00	0.00	2.15	2.04	0.00	0.00	2.04
vi) पीडब्ल्यू तथा रोड सेस	2.12	0.00	0.00	2.12	1.97	0.00	0.00	1.97
vii) विक्रयकर(वैट/सीएसटी)	104.90	11.99	0.00	116.89	232.39	8.94	189.87	431.20
viii) स्टोइंग एक्साइज ड्यूटी	0.00	0.00	20.79	20.79	0.00	0.00	43.05	43.05
ix) शुद्ध ऊर्जा सेस	0.00	0.00	622.25	622.25	0.00	0.00	1681.83	1681.83
x) एक्साइज ड्यूटी कोयला पर	0.00	0.00	72.43	72.43	0.00	0.00	332.64	332.64
xi) प्रवेश कर	0.00	0.00	1.76	1.76	2.42	0.00	0.00	2.42
कुल	1638.59	452.87	2087.50	4178.96	1898.35	710.06	2247.39	4855.80

2.4 निदेशकगण के दायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :-

- क. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में सामग्री प्रेषण से संबंधित लेखा मानकों का पालन उचित व्याख्या के साथ किया गया है।
- ख. निदेशकों ने लेखांकन नीति को ऐसे चुना एवं उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और न्याय तथा आंकलन किया साथ ही मूल्यपरक एवं बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग किया कि वे एक सत्य स्पष्ट कार्यकलाप को कंपनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में उस काल के लाभ के साथ पेश करे।
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निदेशकों ने यथेष्ट लेखांकन प्रतिवेदन को सही एवं पर्याप्त सावधानी से लागू किया है जिससे कंपनी के परिसंपत्ति की रक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं से बचाव हो सके।
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखा की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्थान के रूप में किया है।



- ड. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालित किये जाने वाले उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया जो कि समुचित एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों।
- च. सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित पद्धति की योजना बनायी है एवं इस प्रकार की पद्धति समुचित थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

3.0 योजना :

3.1 परिचालन का अधिकार क्षेत्र :

ईसीएल में कुल 14 आपूर्ति क्षेत्रों में 84 कार्यरत खदान हैं जिसमें 55 भूमिगत खदानें, 19 खुली खदानें तथा 10 मिश्रित खदानें हैं।

3.2 वर्ष 2017-18 का लक्ष्य एवं वास्तविक तथा वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य :

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2016-17	2018-19
		संशोधित लक्ष्य(बीई)	वास्तविक	वास्तविक	नियोजित
1	उत्पादन (मि.टन)	47.000	43.568	40.517	50.500
2	समग्र उत्पादकता	3.168	3.013	2.672	3.60
3	योजना व्यय (₹ करोड़ में)	1050.00	959.99	827.80	1090.00

3.3 अनुसंधान एवं विकास :

3.3.1 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना:

सीआईएल मंडल के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के अंतर्गत चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण अनुलग्नक - I में संलग्न किया गया है।

3.3.2 एस एण्ड टी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक - II में संलग्न किया गया है।

3.4 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण:

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिकीकरण के स्तर को ऊपर उठाने के क्रम में, 2017-18 तक ईसीएल के 63 खदानों में एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक के नियोजन का कार्य किया गया। 31.03.2018 को ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 274 एसडीएल, 31 एलएचडी एवं 70 यूडीएम (प्रारंभिक सर्वे आफ उपकरण सहित) कार्य कर रहे थे। 2017-18 के दौरान, 274 एसडीएल से 4.24 मिलियन टन, 31 एलएचडी से 0.87 मिलियन टन तथा 02 रोड हेडर से 0.16 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया।

शटल कार सहित कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना से “बृहद उत्पादन तकनीक” झांझरा तथा सरपी परियोजना में लागू की गई है। वर्ष 2017-18 में 3 कन्टीन्यूअस माइनर से 1.72 मिलियन टन उत्पादन किया गया। झांझरा लांगवाल पैनल अगस्त 2016 में स्थापित किया गया था तथा 2017-18 में 1.48 मिलियन (रोड हेडर से छोड़कर) टन उत्पादन प्राप्त किया गया।

उपरोक्त के अलावा कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

- क) कोलबेड मिथेन (सीबीएम) : ईसीएल खनन लीज़होल्ड क्षेत्रों में सीबीएम के अन्वेषण एवं उसके दोहन हेतु पीआर की तैयारी चल रही है।
- ख) उत्खनन : एर्गोनोमिक्स के माध्यम से संचालन दक्षता में वृद्धि के लिए समस्त एचईएमएम में संचालक के लिए वातानुकूलित कक्ष होना अनिवार्य किया गया। साथ ही, रोप शोवेल को हायड्रोलिक शोवेल से हस्तानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया भी चल रही है।



ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

एचईएमएम में सुरक्षा मानकों में वृद्धि के लिए अद्यतन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तकनीकी रूप से समय खुली खदानों में सर्फेस माइनर भी स्थापित किया जा रहा है।

- ग) हाईवाल माइनिंग : निमचा एवं श्रीपुर कोलियरी में हाईवाल माइनिंग तकनीक स्थापित की जा रही है।
- घ) तीन खदानों तथा झांझरा परासिया तथा चिनाकुड़ी खान ॥। में मैन राइंडिंग प्रणाली कार्यरत है। चार अन्य खदानों यथा श्यामसुन्दरपुर, निमचा, धेमोमेन तथा बांसरा में मैन राइंडिंग प्रणाली स्थापना के अधीन है।

3.5 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न संचालन बाधाओं, अपर सीम के तरलीकरण, केर्वींग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी इत्यादि पर विचार करते हुए हटाए गए मैनुअल ऑपरेशन में टारकाजिक तकनीक सहित झांझरा कम ऊँचाई सी एस, कुमारडीह बी, खोट्टाडीह, तीलाबनी, सिदुली इत्यादि भूमिगत कई खानों में मास उत्पादन तकनीक अपनाई गई है। ड्रिलिंग गैंग की सेवानिवृति के कारण कमी एवं फेस तथा सपोर्टिंग में अधिक कोयला की उपलब्धता के दुहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यूडीएम की स्थापना के लिए भी कारबाई की गई।

3.6 वर्ष के दौरान परियोजना निरूपण का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूँजी निवेश (करोड़ रु.में)
1	नकराकोंडा-कुमारडीह-बी ओसी	3.00	विभागीय - 1184.66 बाहरी स्रोत - 351.13 आंशिक बाहरी स्रोत - 487.82
2	परासिया-वेलबाद पुनर्गठित भूमिगत	2.07	1267.36 (जोखिम लाभ) 845.15 (उपकरण भाड़ा)
3	सिदुली ओसी + यूजी	ओसी: 1.20 एमटीवाई यूजी : 1.63 एमटीवाई	907.22 (जोखिम लाभ) 552.42 (उपकरण भाड़ा)
4	तिलाबनी भूमिगत	1.86	1416.25 (जोखिम लाभ) 941.85 (उपकरण भाड़ा)
5	लखीमाता ओसीपी	1.50	विभागीय - 880.22 बाहरी स्रोत - 415.71 आंशिक बाहरी स्रोत - 516.43

3.7 वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना स्वीकृति तथा कोल इंडिया बोर्ड द्वारा स्वीकृति की मांग के लिए ईसीएल के निदेशक मंडल की अनुशंसा का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	नकराकोंडा कुमारडीह-बी ओसीपी	3.00	487.82	17.07.2017
2	सिदुली खुलीखदान+भूमिगत	ओसी: 1.20 एमटीवाई यूजी: 1.63 एमटीवाई	552.42 (उपकरण भाड़ा)	01.09.2017
3	चित्रा ओसीपी का आरसीई	2.50	513.99 (अतिरिक्त)	01.09.2017



3.8 वर्ष 2017-18 के दौरान कोल इंडिया निदेशक मंडल द्वारा पूर्ण स्वीकृत परियोजनायें :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी	1.60	140.25	02.05.2017

3.9 वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना को पूर्णता प्रतिवेदन की अंतिम स्वीकृति कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	राजमहल विस्तार ओसीपी	17.00	153.82	25.11.2017

3.10 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ :

- i) नवीन परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड) की संख्या : 01 (हुरा-सी खुली खदान).
- ii) परियोजनाओं के विस्तार/संशोधन/प्रतिबंध : 05 (झांझरा संयुक्त पीआर, आरसीई, खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी), मोहनपुर विस्तार, सोनपुर बजारी संयुक्त ओसीपी, चित्रा ईस्ट ओसीपी)
- iii) अन्य - 10 परियोजनायें।
- iv) कुल - 16 परियोजनायें।

3.11. नवी पहल एवं भविष्य के कार्यक्रम :

भूमिगत एवं खुली खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए 2017-18 में निम्नलिखित कदम उठाए गये :

- क) वर्तमान की भूमिगत खदानें जिनकी तकनीकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई है उनमें बजना, श्यामपुर बी, सिदुली, घुसिक, तथा निमचा प्रमुख है। सिदुली तथा घुसिक के लिए परियोजना प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रोजेक्ट प्रतिवेदन क्रमशः तैयार पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स आईएसएम, मेसर्स एससीसीएल तथा मेसर्स पीडब्लूसी के संयुक्त दल ने 23 भूमिगत परियोजनाओं में उत्पादन वृद्धि के अध्ययन के लिए स्वीकार किया है। यह कोयला मंत्रालय / कोल इंडिया के दिशानिर्देश के अनुसार है। प्रतिवेदन जनवरी 2018 में जमा कर दिया गया है।

- ख) मास उत्पादन तकनीक की प्रस्तुति कंटीन्यूअस माइनर (सीएम): कंटीन्यूअस माइनर की स्थापना हेतु निम्नलिखित खदानों को चिन्हित किया गया है :



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

क्रम सं	खदान/परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)
1	खोट्टाडीह सीएम	0.60	127.17
2	कुमारडीही-बी सीएम	1.02	117.90
3	झांझरा एल एच सी एम	0.72	
4	तिलाबोनी भूमिगत खदान	1.86	जोखिम लाभ- 1416.25 उपकरण भाड़ा- 941.85
5	सारपी विस्तार भूमिगत 2 नं एलएचसीएम	1.41	जोखिम लाभ- 552.97 उपकरण भाड़ा- 319.48
6	सिदुली भूमिगत खदान	खुली खदान: 1.20 एमटीवाई भूमिगत : 1.63 एमटीवाई	552.42
7	नबकाजोड़ा-माधवपुर भूमिगत खदान	खुली खदान: 1.25 एमटीवाई भूमिगत : 1.44 एमटीवाई	जोखिम लाभ- 1035.57 उपकरण भाड़ा- 573.78
8	परासीया-बेलबाद भूमिगत खदान	2.07	जोखिम लाभ- 1267.36 उपकरण भाड़ा- 845.15

ग) विदेशी सहयोग / प्रौद्योगिकी अवशोषण-अनुकूलन और नवाचार :

- i) झांझरा भूमिगत खान में 2 (दो) कम ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनर (एलएचसीएम) की स्थापता : गत 29.08.16 को भाड़ा आधार पर एलएचसीम आपूर्ति के लिए एलओए जारी किया गया। एलएचसीएम के दो सेटों का खान स्थल प्राक परिवहन किया गया तथा एक सेट को मार्च, 2018 में सतह कर एकजुट किया गया। पहला पैकेज भूमिगत खदान में उतारा जा रहा है। प्रथम एलएचसीएम को अप्रैल 2018 में स्थापित किया जाएगा तथा द्वितीय एलएचसीएम को मई 2018 में स्थापना की जाएगी।
- ii) कुमारडीह-बी भूमिगत खान में कम ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनर (एलएचसीएम) की स्थापना : भाड़ा आधार पर एलएचसीएम आपूर्ति के लिए 06.03.18 को एलओए जारी किया गया है। इसकी 2019-20 में स्थापना की उम्मीद है।
- iii) खोट्टाडीह भूमिगत खान में एक कन्टीन्यूअस माइन की स्थापना : उपरोक्त की स्थापना 2019-20 में होने की उम्मीद है।
- iv) झांझरा आर VI सीम में पार्वट सपोर्ट लांगवाल पैनल सफलता पूर्वक चलता रहा जिससे वर्ष 2017-18 में 1.48 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

3.12 वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत ओसी पैचों का विवरण :

क्रम	ओसर पैच के नाम	क्षमता (एम.टी)	कोयला (एम.टी)	ओबीआर (मिलयन घन मीटर)	स्ट्रीपिंग औसत	पूँजी (रु. करोड़ में)	स्थिति
1	बनबहाल ओसी पैच की आरसीई के लिए संशोधित योजना	0.306	0.526	4.570	1: 8.69	16.94	25.05.17 को स्वीकृत
2	निरसा ओसी पैच के लिए संशोधित योजना	0.4	2.80	10.42	1: 3.72	6.86	Approved on 25.05.17
3	इटापारा ओसी पैच के लिए योजना	1.0	2.95	3.63	1: 1.23	39.10	Approved on 25.05.17
4	बनबहाल ओसी पैच के लिए द्वितीय आरसीई की संशोधित योजना	0.36	0.6745	4.308	1: 6.39	99.95	Approved on 10.01.18



3.13 वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	माप की इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	सीएपीईएक्स ठेकों / परियोजनाओं का मूल्य का प्रतिशत के बिना वर्ष के दौरान पूर्ण / चालू सीएपीईएक्स ठेका का कुल मूल्य का प्रतिशत वर्ष के दौरान समय / लागत के आधार पर प्रगतिशील।	प्रतिशत (%)	90%	100% उपलब्ध
2.	नई कोयला सीम का प्रदर्शन	हेक्टर	228 हेक्टर	276.21 हेक्टर उपलब्ध
3.	कट्टीन्यूअस माइनर-1 संख्या की स्थापना	तिथि	07.03.2018	28.02.2018 को स्थापित
4.	सर्फेस माइनर 1 संख्या की स्थापना	तिथि	07.03.2018	28.02.2018 को स्थापित
5.	रानीगंज कोलफिल्ड में सीबीएम/सीएमएम के लिए प्रतिवेदन के प्रारूप का समर्पण	तिथि	31.01.2018	31.12.2017 को समर्पित

3.14 वर्ष 2017-18 के लिए मील का पत्थर एमओयू के अतिरिक्त प्रमुख गतिविधियाँ :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ / माइलस्टोन	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सोनपुर बाजारी विस्तार औसीपी	भूमि पर कब्जा (फेज V तथा VI) 350 हेक्टेयर रेलवे साइडिंग	मार्च, 2018	अबतक 149.38 हेक्टेयर पर कब्जा। एनएच 60 के भाग को छोड़कर सभी निर्माण तथा ट्रैक सम्पर्क का काम पूरा। लगभत 40% ओएचई कार्य पूरा तथा शेष कार्य प्रगति पर। उच्च मूल्य के कारण अगस्त 17 में एसएन्डटी के लिए निविदा निरस्त। 06.03.18 को बोली खोली गई। प्रथम भाग के लिए टीजीआर पूरा। एसएन्डटी के लिए आदेश मई 2018 में सम्भावित। आसनसोल डीआरएम तथा ईआर, कोलकाता द्वारा एसआईपी मुक्त।
2.	झांझरा संयुक्त यूजीपी	एक सेट एलएचसीएम पैकेज की स्थापना। टेनेसी भूमि के लिए कब्जा	मार्च, 2018 65 हेक्टेयर	एलएचसीएल के एक सेट की स्थापना अप्रैल 18 में सम्भावित। पूरा। वर्ष 2017-18 में 65.58 हेक्टेयर पर कब्जा
3.	कुमारहीह-बी सीएमयूजी	एलएचसीएम के एक सेट के भाड़े में लिए निविदा का अंतिम रूप।	मार्च, 2018	पूरा तथा 6.3.18 को एलओए जारी।
4.	हुरा सी ओसी	भूमि का कब्जा (80 हेक्टेयर) अप्रोच रोड के लिए निविदा का अंतिम रूप।	मार्च, 2018 मार्च, 2018	अबतक 47.75 हेक्टेयर टेनेसी भूमि पर कब्जा। 2.6 कि.मी. के लिए 09.02.18 को कार्य आदेश जारी।
5.	खोटाडीह सीएम	आर IV दे आर-V सीम (290 मीटर) के लिए ड्रिफ्ट चलाना एक सीएम की आपूर्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप	मार्च, 2018 सितम्बर, 2017	अबतक 290.00 मीटर में से 285.00 मीटर ड्राइवेज पूरा किया गया। 26.04.17 को एलओए जारी मेसर्स सीएमएटीएल-एसएक्सटीटी-सीएमएमएल कन्सोटियम से ठेका सहमति की अप्रैल 18 में उम्मीद।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

4.0 प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन:

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है। (अनुलग्नक-IV)

5.0 कोयले का विपणनः

5.1 माँग तथा निकासी :

वर्ष 2017-18 में 47.00 मिलियन टन कोयले की माँग के बदले वास्तविक निकासी 43.629 मिलियन टन थी। इस प्रकार माँग संतोष 93% रहा। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में सेक्टर क्रम से माँग तथा ऑफटेक का विवरण निम्नलिखित है।

(आँकड़े मि. टन में)

सेक्टर	ऑफ-टेक 2017-18			ऑफ-टेक 2016-17		
	माँग	वास्तविक	% संतुष्टि	माँग	वास्तविक	% संतुष्टि
विद्युत	40.756	39.768	98	40.556	40.121	99
सीमेंट	0.098	0.069	70	0.106	0.050	47
सीपीपी(ओआरएस)	0.190	0.066	35	0.221	0.056	25
सीपीपी(इस्पात)	0.490	0.121	25	0.505	0.145	29
इस्पात(ब्लेंड)	-	0.002	-	-	0.003	-
स्पांज आयरन	0.143	0.146	102	0.154	0.048	31
निर्यात	-	-	-	-	-	-
लोको	-	0.002	-	-	-	-
रक्षा (डिफेंस)	-	-	-	-	0.002	-
कोलियरी खपत	0.200	0.195	100	0.250	0.211	84
अन्य	5.123	3.260	64	5.148	2.384	46
कुल	47.000	43.629	93	46.940	43.019	92

5.2 वैगनों की औसत लोडिंग (प्रतिदिन) :

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए वैगनों की क्षेत्रवार औसत लोडिंग निम्नलिखित है :

(आँकड़े बॉक्स/प्रतिदिन)

कार्य-क्षेत्र	वैगनों की लोडिंग			
	2017-18		2016-17	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	963	934	895	855
मुगमा/सलानपुर	227	239	224	179
आद्रा	15	15	14	17
पिरपेंती	-	-	101	50
राजमहल(वार्फ वाल)	189	148	138	181
कुल	1394	1336	1372	1282



5.3 विधिवार प्रेषण:

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में विधिवार प्रेषण निम्नवत है :

(आँकड़े मि.टन में)

प्रेषण की विधि / पद्धति	2017-18	2016-17
रेल	30.430	29.155
रोड	1.814	1.464
हिंडोला (एमजीआर)	11.191	12.188
कुल	43.435	42.807

5.4 31 मार्च, 2018 को बिकाऊ कोयले का भंडार निम्नवत है :

(आँकड़े लाख टन में)

कार्य-क्षेत्र	31.3.2018 को
रानीगंज	11.416
मुगमा/सलानपुर	0.780
एस.पी. माइन्स	3.100
राजमहल	9.664
कुल	24.960

5.5 हाजिर ई-नीलामी अग्रसारण ई-नीलामी :

विधि	2017-18			2016-17		
	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत(%)	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (%)
हाजिर ई नीलामी						
रेल	15.253	136.080	27.366	8.875	40.45	14.26
रोड	15.332	238.720	48.581	12.996	138.25	32.87
कुल	30.585	374.800	37.910	21.871	178.70	25.37
अग्रसारण ई-नीलाम						
रोड	—	—	—	0.028	0.043	4.34
योग	—	—	—	0.028	0.043	4.34
सकल योग	30.585	374.800	37.910	21.899	178.74	25.24



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

5.6 विक्रय प्राप्ति: (₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
विक्रय प्राप्ति	16433.58	15558.95

5.7 एमओयू का लक्ष्य और 31 मार्च, 2018 तक की उपलब्धियाँ :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	11 अंको की कोल इंडिया योजना के अनुसार वस्तुओं का संहिताकरण।	%	80%	99.09% उपलब्धि
2	उपभोक्ता संहिताकरण	%	80%	100% उपलब्धि

6.0 उपकरणों की संख्या (एचईएमएम):

6.1 31 मार्च, 2017 की तुलना में 31 मार्च, 2018 को उपकरणों की संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है:

उपकरण	उपकरणों की संख्या	
	31.03.2018	31.03.2017
ड्रेगलाइन	1	1
डम्पर	252	254
डोजर	82	86
शॉवेल	54	48
ड्रिल	48	49

6.2 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपयोगिता एवं प्रतिशत उपलब्धता निम्नलिखित है :

उपकरण	उपलब्धता				उपयोगिता			
	सीएमपीडी आईएल मानक	2017-18	2016-17	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	सीएमपीडी आईएल मानक	2017-18	2016-17	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन
ड्रेगलाइन	85	74.08	39.83	34.25	73	57.45	38.05	19.40
डम्पर	67	83.56	80.02	3.54	50	31.83	36.69	-4.86
डोजर	70	74.47	73.25	1.22	45	23.53	24.09	-0.56
शॉवेल	80	79.16	80.68	-1.52	58	47.00	47.86	-0.86
ड्रिल	78	84.87	84.74	0.13	40	20.52	19.08	1.44



6.3 उपकरणों की उपलब्धता में बाधक कारण :

डम्पर, डोजर, तथा ड्रिल की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के मानक से अधिक है। डैग लाइन की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के मानक से कम है। डैग लाइन की प्रतिशत उपलब्धता में कमी जून, 2016 में क्रैंक साफ्ट प्रोपेल के काम न करने के कारण है। वर्तमान साल में 21 दिसम्बर, 2017 से यह मशीन कार्यरत है। शावेल की प्रतिशत उपलब्धता में सीएमपीडीआईएल के मानक तथा गतवर्ष से मामूली कमी है जिसका कारण ईंकेजी शावेल के रोक पीनियन की विफलता। अन्दर कैरेज तथा बीई 1000 शावेल के अंतिम ड्राइव में विफलता एवं डिमैग शावेल के हाइड्रालिक पम्प की विफलता है।

6.4 उपकरणों की उपयोगिता में विफलता के प्रमुख कारण :

परियोजना	बाधायें
राजमहल	भूमि की समस्या, उपकरणों की भीड़, 170 टन के डम्परों का कमजोर पुनर्वास तथा 190 टन के डम्परों एवं 20 घनमीटर के शावेल की खरीद में देरी।
सोनपुर बाजारी	जून 2016 से ड्रैगलाइन के एलएचएस प्रोपल शाफ्ट की विफलता। मशीन 21 दिसम्बर 2017 से कार्यरत है। साथ ही सर्वे आफ किए गए 10 घन मीटर शावेल की उपलब्धता में कमी।
शंकरपुर	भूमिगत गैलरियाँ, गर्मफेस, जटिल खनन परिस्थितियाँ।
मोहनपुर	भूमि की समस्या।
जामबाद	भू अधिग्रहण की समस्या तथा जलीय फेस।

6.5 सीएमपीडीआईएल के मानदण्ड के अनुसार डम्परों की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम :

नियमित अन्तराल पर परियोजनाओं के एचईएमएम के निष्पादन की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपकरणों के ब्रेकडाउन घंटों में कमी लाने के लिए मुख्यालय द्वारा सहयोग / सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6.6 वर्ष 2017-18 में ओसीपी में निम्नलिखित अनुसार नए / बदले में उपलब्ध कराए गए उपकरण :

उपकरण	संख्या	परियोजना
डंपर	16	बांसरा - 2, खोद्वाडीह - 1, बरमुरी - 1, चित्रा - 1, शंकरपुर - 5 तथा सोनपुर बाजारी - 6
डोजर	8	जामबाद - 1, खोद्वाडीह - 3, शंकरपुर - 3 तथा सोनपुर - 1,
शावेल	10	सोनपुर बाजारी - 4, शंकरपुर - 1, राजमहल - 1, वरमुरी - 3 तथा बांसरा - 1
ड्रिल	2	शंकरपुर - 1, तथा जामबाद - 1



ईस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

7.0 ऊर्जा संरक्षण:

7.1.1 विद्युत एवं इंधन की खपत :

क्रम	विवरण	इकाई	2017-18	2016-17
I	विजली खरीद			
क.	खरीदी गई यूनिट	M.KWH	868.97	871.81
ख.	आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई कुल राशि (लगभग)	₹.करोड़ में	647.22	632.63
ग.	दर / यूनिट (औसत)	₹/KWH	7.45	7.26
घ.	विजली की विशेष खपत (लगभग)	KWH/Cum	5.85	5.74
II	स्व-उत्पादन (डीजी सेट द्वारा)			
क.	उत्पादित यूनिट	लाख KWH	6.79	6.60
ख.	उत्पादित यूनिट प्रति लीटर डीजल तेल	KWH/Ltr.	7.16	6.69
ग.	उत्पादन की लागत	₹/KWH	7.94	9.15
III	विद्युत की मांग			
क.	विद्युत की औसत मांग	MVA	165.96	185.27
ख.	विद्युत की माँग	MVA	189.40	191.23
ग.	%उपलब्धता	%	87.63	96.88

7.1.2 ईसीएल के चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की प्रगति :

चिनाकुड़ी थर्मल पावर संयंत्र से 20 वर्षों के लिए लीज हेतु 10.04.2018 को निविदा जारी की गई। बिड पूर्व बैठक 14.04.2018 को हुई है। बोली (बिड) खोलने की अनुसूचित तिथि 14.05.2018 है। निविदा जून 2018 में दिए जाने की उम्मीद है। निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सफल बिडर (बोली लगाने वाले) को संयंत्र को चालू हालत में लाना होगा तथा 33 के बी का ओवर हेड लाइन लगाना होगा ताकि कन्यापुर, आसनसोल में डब्लूवीएसई टीसीएल के गृह तक पावर इवैक्यूएशन 9 महीनों में किया जा सके जिससे 20 वर्षों तथा इसके आगे भी परियोजना संचालित एवं जारी रखने का कार्य हो सके।

7.2 ऊर्जासंरक्षण तथा लेखा परीक्षण :

बंकोला क्षेत्र के श्यामसुन्दरपुर तथा श्रीपुर क्षेत्र की निंदा कोलियरी इन दो खानों के लिए मेसर्स एमसीजे एनर्जी इंजीनियर्स द्वारा ऊर्जा का लेखापरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन जमा किया जा चुका है तथा (अनुशांसा) विभिन्न चरणों में क्षेत्रों द्वारा लागू की जा रही है।



7.3 भूमिगत मशीनरी का कार्य निष्पादन:

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण निम्नलिखित है

उपकरण	2017-18		2016-17	टिप्पणी
	पंजी पर	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	
एसडीएल	274	60	60	
एलएचडी	31	101	98	
कंटीन्युअस माइनर	3	1610	1409	
रोड हेडर	1	461	284	
लॉगवाल	1	6026	5839	

7.4 सीएचपी का कार्य-निष्पादन:

31 मार्च, 2018 को प्रमुख सीएचपी द्वारा 14.50 मिलियन टन तथा छोटी सीएचपी द्वारा 2.50 मिलियन टन कोयला हैडल किया गया।

7.5 वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

- क) ईसीएल का 2017-18 के लिए औसत पावर फैक्टर 0.95 था। पावर फैक्टर छूट से शुद्ध लाभ बढ़कर 25.78% हो गया है।
- ख) कोयला के विभिन्न उपयोग में 7.31% की कमी हुई है।
- ग) नए तथा पुराने उपभोक्ता बिन्दुओं से प्रतिस्पर्धात्मक दर के उपयोग कर मेसर्स आईपीसीएल से मेसर्स डब्लूवीएसडीसीएल की ओर जाकर ईसीएल ने वर्ष के दौरान लगभग रु. 60.99 करोड़ की बचत की है।
- घ) ईसीएल सोदपुर क्षेत्र के नितुरिया ब्लॉक में स्थित घरों में वर्तमान घरेलू आपूर्ति (ईसीएल लाइन से आपूर्ति) को बंद करने की प्रक्रिया में है। डब्लूवीएसईडीसीएल धीरे धीरे ईसीएल में वर्तमान आपूर्ति नेटवर्क को बदल रही है तथा अपने आपूर्ति नेटवर्क से जोड़ रही है। ईसीएल कम्पनी के नियमानुसार उन उपभोक्ताओं के लिए मासिक बिजली बिल जमा करेगी जो कम्पनी की सेवा में है तथा कम्पनी के आवास में है। अबतक 691 सम्पर्क डब्लूवीएसईडीसीएल द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं तथा मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपाय से अवैध कनेक्सन से मुक्ति मिल रही है साथ ही ईसीएल विजली खर्च में बचत कर रही है।
- ड) कम्पनी पुराने तथा अप्रचलित स्टीम वाइन्डरों को विद्युत वाइन्डरों से बदलने की प्रक्रिया में है। ईसीएल के काजोड़ा क्षेत्र में 10 नं पिट की खास काजोड़ा कोलियरी में इस प्रकार के एक वाइन्डर को बदलने का कार्य आदेश दिया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

8.0 कल्याणगत सुख-सुविधाएँ:

क्रम	मद	31.3.2017 को संचयी स्थिति	2017-18 के दौरान उपलब्धि	31.03.2018 को संचयी स्थिति
1	सहकारी समिति (क) सहकारी क्रण समिति (ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (ग) केन्द्रीय सहकारी (घ) सहकारी समिति को क्रण एवं निवेश (₹ लाख में)	74 30 4 63.80	0 0 0 0	74 30 4 63.80
2	बैंकिंग सुविधा : कार्यरत शाखाओं की संख्या	27	0	27
3	कैंटीन	82	0	82
4	शैक्षणिक सुविधाएँ (क) डीएवी स्कूल ख.i) आवर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या ख.ii) आवर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में) ग. i) अनावर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या ग.ii) अनावर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में) घ.i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालय की संख्या घ.ii) तदर्थ अनुदान स्वीकृति की राशि (₹ लाख में) (ड) विद्यालय में लगे हुए बसों की संख्या	6 162 5275.07 387 307.04 79 69.60 156	0 0 273.06 0 0 0 0 0	6 162 5548.13 387 307.04 79 69.60 156
5	खेलकूद पर खर्च की गई राशि (₹. लाख में)	469.24	59.92	529.16
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	80.48	3.29	83.77
7	कोल इंडिया लि. छात्रवृत्ति (क) प्रदान की गई छात्रवृत्ति की संख्या (ख) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	17399 234.36	888 19.27	18287 253.63
8	वेजबोर्ड कर्मचारियों के बच्चे जो चुने गए इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए वित्तीय सहयोग हेतु कोल इंडिया लि. योजना - क) स्वीकृत वेजबोर्ड कर्मियों के बच्चों की परवरिश की संख्या ख) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	507 111.00	108 40.48	615 151.48

9.1 चिकित्सीय सुविधाएँ:

2 केंद्रीय अस्पताल, 7 क्षेत्रीय अस्पताल एवं जिनकी कुल क्षमता 822 बिस्तर है तथा 112 डिस्पेसरियों ने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी। इन अस्पताल में कुल एम्बुलेंस 110 कार्यरत थे।

9.2 कर्मियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा हेतु बाहर भेजा गया एवं उनके चिकित्सा में हुआ व्यय तथा स्वचालित डिसपेंशरी द्वारा तय इलाज किए गये ग्रामीणों की संख्या :

विवरण	2017-18	2016-17
बाहर भेजे गए मरीजों की संख्या :	2474	2024
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम :		
- शिविरों की संख्या	175	211
- लाभुकों की संख्या	19320	18118
मोबाइल डिसपेंशरी द्वारा तय किए गए गाँव :		
- शिविरों की संख्या	48	435
- लाभुकों की संख्या	4000	17776
कम्पनी के श्रमिकों का पीएमई	11888	13319
ठेका श्रमिकों का पीएमई	978	429
कम्पनी के श्रमिकों का आईएमई	769	788
ठेका श्रमिकों का आईएमई	2280	10111



कम्पनी ने गत वित्तीय वर्ष में रु. 28.19 की तुलना में कम्पनी के बाहर के चिकित्सालयों में कर्मियों की चिकित्सा हेतु भेजने पर इस वित्तीय वर्ष में रु. 34.70 करोड़ खर्च किया।

9.3 वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

- क) समस्त आधुनिक गैजेट्स के साथ दो माड्चुलर आपरेशन थिएटर का सांकेतोडिया अस्पताल में आपरेशन कक्ष का उन्नयन।
- ख) कम्पनी के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत सांकेतोडिया अस्पताल के आपरेशन कक्ष में नियमित रूप से गैर अधिकारी गरीब रोगियों का परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा।
- ग) सांकेतोडिया अस्पताल में वर्ष 2017-18 के दौरान 220 प्रमुख तथा 208 छोटे आपरेशन किए गए।
- घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची के अनुसार पल्स पोलियो कार्यक्रम वर्ष 2017-18 के दौरान नियमित रूप से चलाया गया तथा 288 लोग इसके लाभान्वित हुए।
- ङ) विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण, हृदय रोग जाँच, एड्स सचेतना कार्यक्रम, औंख जौच शिविर ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान चलाए गए।

10.0 नियमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 135(2) के अनुसार नियमित सामाजिक दायित्व पर प्रतिवेदन निदेशकीय प्रतिवेदन के अंग के रूप में अलग अनुभाग में प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक - V)

10.1 सामाजिक सुविधाएँ :

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कर्मियों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों/समुदायों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाएँ, औद्योगिक संरचना, रोड एवं रेलवे साइडिंग, जलापूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों इत्यादि के विकास के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

10.1.1 आवासीय भवन :

मुख्यालय में 24 सी टाइप क्वार्टरों का निर्माण तथा सोनपुर बाजारी में 36 सी टाइप क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है। आवासीय कॉलोनियों में में आवासीय परिस्थिति में सुधार के लिए क्वार्टरों की मरम्मत तथा उन्नयन का कार्य आरम्भ किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 7847 आवासीय क्वार्टरों की पूरी मरम्मत पूरे ईसीएल के भागों में की गई।

10.1.2 जल आपूर्ति :

ईसीएल ने अपने आवासीय घरों में रहनेवालों के साथसाथ आसपास के निवासियों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2017-18 में कुल 4 सेट प्रेसर फिल्टर तथा इलेक्ट्रोक्लोनो मीटर सतग्राम, सालानपुर, सोनपुर बाजारी तथा काजोरा क्षेत्रों में स्थापित किए गए।

खानों से निकलने वाले जल के लाभदायक उपयोग के लिए प्रत्येक 5000 लीटर प्रति घंटा के तीन आरओ फिल्टर प्लांट श्रीपुर मुगमा तथा बांकोला क्षेत्र में स्थापित गिए गए। इससे साफ किए गए जल से ईसीएल की कालोनियों के निवासियों में तथा आस पास के ग्रामीणों के पेय जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।



11.0 अवसंरचना विकास :

कोयले का प्रेषण ईसीएल की एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं तथा इसे प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जाता है। मुख्यतः सड़क एवं रेलवे द्वारा कोयले का प्रेषण किया जा रहा है। इस विषय में ईसीएल ने उचित कदम उठाया है। कुछ चल रहे एवं नए कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क) सड़कें : वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी की गई कुछ प्रमुख कोयला परिवहन सड़कों का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं	कार्य का विवरण	कार्यादेश मूल्य (₹ लाख में)
1	काजोड़ा क्षेत्र के अधीन टब लाइन जी. टी रोड (एनएच 2) से माधवपुर कोलियरी रेलवे साइंडिंग तक कोयला परिवहन के लिए मजबूतीकरण तथा कोलतार डालना (लम्बाई 3950 मीटर)	167.72
2.	काजोड़ा क्षेत्र जामबाद ओसीपी के अधीन नवकाजोड़ा डिस्पेंसरी से परासकोल (वेस्ट) रेलवे साइंडिंग तक कोयला परिवहन सड़क का मजबूतीकरण (लम्बाई - 1300 मीटर)	52.68
3.	काजोड़ा क्षेत्र में परासकोल (वेस्ट) रेल गेट से मुकुन्दपुर रेलगेट तक कोयला परिवहन सड़क का मजबूतीकरण तथा कोलटार बिछाना (सड़क की लम्बाई - 1230 मीटर)	38.08
4.	काजोड़ा क्षेत्र जामबाद ओसीपी के अधीन ओल्ड काजोड़ा आफिस मोड से नई कॉलोनी जामबाद कोलियरी तक सड़क का मजबूतीकरण (लम्बाई - 1700 मीटर)	53.75
5.	कुनुस्तोडिया क्षेत्र में अधीन परासिया कोलियरी के एक आरसीसी बाक्स कलवर्ट के निर्माण सहित सोनाछोरा ओसीपी से परासिया रेलवे साइंडिंग तक कोयला परिवहन के लिए कोलटार की पक्की सड़क का निर्माण (लम्बाई - 2260 मीटर)	394.02
6.	ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के अधीन कालीदासपुर परियोजना में रेलवे साइंडिंग से बालू वंकर तक बालू और कोयला परिवहन के लिए सड़क का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण (लम्बाई - 2100 मीटर)	102.37

ख) रेलवे साइंडिंग संरचना : वर्ष 2017-18 में पूरी की गई कुछ प्रमुख रेलवे साइंडिंग संरचना के कार्य ।

क्रम सं	कार्य का विवरण	ईसीएल द्वारा अंशदान (₹ लाख में)
1	मुगमा क्षेत्र में सेन्ट्रल पूल से रेलवे साइंडिंग तक अप्रोच रोड का निर्माण	93.17
2.	बंकोला क्षेत्र के अधीन कुमारडीही बी कोलियरी में पुरुश्यामपुर निजी साइंडिंग के पीओसीपी पर आरसीसी वार्फवाल (पाइल फाउन्डेशन) का निर्माण	152.40
3.	बंकोला क्षेत्र के अधीन बंकोला कोलियरी में 2 नं रेलवे साइंडिंग पर आरजीसी वाउन्ड्रीवाल का निर्माण ।	86.02
4.	बंकोला क्षेत्र के अधीन बंकोला कोलियरी में नंबर ॥ साइंडिंग पर वार्फवाल (लम्बाई 750 मीटर का निर्माण)	115.66
5.	मुगमा क्षेत्र के अधीन सेन्ट्रल पूल रेलवे साइंडिंग पर वर्तमान डब्लूवीएम रोड की चौड़ाई सहित पीसीसी सड़क का निर्माण	100.20



11.2 31 मार्च, 2018 तक एमओयू लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	2 लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता के एक आरओ जल आपूर्ति यंत्र का निर्माण।	लाख ली:/दिन	1.9 लाख लीटर/दिन	1.5 लाख लीटर/दिन उपलब्धि

12.0 खान सुरक्षा :-

ईसीएल में खान सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है तथा इसे उत्पादन प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ईसीएल शून्य दुर्घटना नीति की अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। खान सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए ईसीएल द्वारा वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

12.1 वर्ष 2016-17 की दुर्घटना सांख्यिकी : :

वर्ष	2017-18*	2016-17
i) प्राणघातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	09	07
ii) मृत्यु (संख्या)	09	29
iii) गंभीर चोट (संख्या)	22	40
iv) विपत्ति / मि.टन उत्पादन	0.207	0.716
v) विपत्ति / 3 लाख श्रमिक-पारी	0.187	0.574

(* डीजीएमएस से साथ सामंजस्य के अधीन)

12.2 खान सुरक्षा संबंधी उपाय :

ईसीएल के कोयला खानों में खान सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईएसओ द्वारा उठाए गए कदम :

- क) कार्पोरेट स्तर पर खान सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है जो खानों का निरीक्षण करेगी तथा प्राप्त कमियों को दूर करेगी। खानों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए इस सुरक्षा बोर्ड की मासिक बैठकें होती हैं। इस सुरक्षा बोर्ड में अन्य के अतिरिक्त कार्यरत पांचों ट्रेड यूनियनों के नामित पांच प्रतिनिधि होते हैं।
- ख) महाप्रबन्धक (खान सुरक्षा) तथा महाप्रबन्धक विद्युत तथा यांत्रिकी द्वारा खान क्रम से मानसून की तैयारी की समीक्षा की जाती है तथा खान स्तर से ईसीएल मुख्यालय तक मानीटर किया जाता है।
- ग) हाल रोड, ट्रांस्पोर्ट रोड तथा रेलवे साइडिंग को लिए सचल पानी छिड़काव टैंकर का प्रयोग किया जाता है।
- घ) भूमिगत गैलरियों में गिरे हुए कोयले की नियमित सफाई की जाती है। सेक्सनलाइजेशन स्टापिंग का निर्माण भी किया जाता है। बंद किए क्षेत्रों से हवा के नमूने की सैपलिंग और जाँच नियमित रूप से की जाती है, माइन रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर में एक गैस क्रोमैटोग्राफ स्थापित किया गया है तथा चार अन्य खरीदे जा रहे हैं। फायर सीलेंट का उपयोग भी किया जा रहा है। एक पोर्टवाल नाइट्रोजेन संयंत्र की खरीद की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। काजोड़ा क्षेत्र में थर्मल इमेज कैमरा का प्रदर्शन किया गया है। कालीदासपुर नरसामुदा तथा सोदपुर कोलियरी में ईटीएमएस की स्थापना हो चुकी है तथा चार अन्य की खरीद प्रक्रियाधीन है। केन्द्र क्षेत्र में एनडीआरएफ के साथ नकली अभ्यास किया गया। पीएचएमपी (प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान) तथा टीआरएपी (ट्रिगर एक्सन रिस्पोन्स प्लान) प्रत्येक खान के लिए तैयार किया गया है। एएफएसएस (आटोमैटिक फायर सप्रसन सिस्टम)



एचईएमएम के लिए खरीदे जाने की प्रक्रिया में है। झांझरा तथा खोट्टाडीह भूमिगत खान में केबिंग डिस्ट्रिक्ट में नाइट्रोजेन फ्लस करने के लिए व्यवस्था की गई है।

- ड) कार्पोरेट हेडकार्टर में दो भूविज्ञानियों के साथ जिओ तकनीकी अनुभाग बनाया गया है। खुली खान परियोजनाओं के सभी डम्पयार्ड की समिति द्वारा जाँच की गई है तथा संभावित डम्पों के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन प्रगतिपर है। ईसीएल मुख्यालय में सिम्फर द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई है। चार स्लोप स्टैबिलिटी मानीटरिंग राडार की खरीद के लिए कारवाई प्रगति पर है। कुल केन्द्रों द्वारा वर्तमान समय में मानीटरिंग की जाती है।
- च) वर्ष 2018-19 तक सभी मैनुअल लोडिंग खानों को यांत्रीकृत लोडिंग खानों से आच्छादित कर दिया जाएगा। नकराकोंडा को खुले खान में परिवर्तित किया जा रहा है तथा उच्च ग्रिडिंगेंट के कारण बेजडीह कोलियरी का यांत्रीकरण सम्भव नहीं है। यह 1 में 5 से अधिक है।
- छ) मानवीय ड्रिलिंग से यांत्रीकृत ड्रिलिंग में परिवर्तन : अभी 70 यूडीएम का उपयोग हो रहा है।
- ज) कोल्ड रोल्ड थ्रेडेड रूफवोल्ट मशीन : 13 बोल्ट मशीन की स्थापना हो चुकी है तथा इनका उपयोग हो रहा है। 2018-19 में 13 अन्य की स्थापना का प्रस्ताव है।
- झ) स्टीम से इलेक्ट्रिकवाइन्डर में परिवर्तन : काजोरा क्षेत्र के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया के अधीन है।
- ञ) स्ट्रक्चरल स्टैविलिटी हेड गियर : कुमारडिही ए, सीएल जामबाद तथा नकराजोड़ा कोलियरी के लिए सीएमपीडीआई, रांची को काम पर लगाया गया है। जिसके लिए रिपोर्ट जमा किया गया है लेकिन डीजीएमएस के अवलोकन के अनुसार सीएमपीडीआई थर्ड पार्टी नहीं मानी जाएगी इसलिए अन्य उपयुक्त एजेन्सी की खोज की जा रही है।
- ट) भूमिगत खानों का विशेष निर्जलीकरण : चिनाकुड़ी माइन नं. 1 के लिए 400 मीटर हेड के दो पंप सेट पुराने अक्षम पम्पों के बदले में उपलब्ध कराए गए हैं। निंदा आर कोलियरी के लिए एक नया 400 मीटर हेड पम्प सेट निर्जलीकरण के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- ठ) नवीनीकरण / नए कदम : झांझरा और खोट्टाडीह में शाफ्ट औसत संचार के ट्रायल के लिए प्रस्ताव किया गया है। झांझरा कोलियरी के लिए फाइबर आप्टिक आधारित भूमिगत संचार खरीदा जाने वाला है। यह संचार प्रणाली डीजीएमएस द्वारा स्वीकृत है तथा आस्ट्रेलिया में उपयोग में लाया जा रहा है।
- ड) खान सुरक्षा की दिशा में अन्य कदम :
- सुरक्षा चर्चा जारी
 - “कार्य के लिए अनुमति” चालू
 - खान नियमावली के अनुसार पीएससी बैठक लागू
 - सभी कैटगरी के श्रमिकों के लिए हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में सीधीपी/एसओपी दिए गए।
 - सांस विश्लेषक को उपयोग लागू।
 - परिवार को सलाह जारी।
 - बंकोला, पांडवेश्वर, सतग्राम, सालानपुर तथा काजोड़ा में फ्रंट लाइन पर्यवेक्षकों के लिए सेन्सेटाइनेशन कार्यक्रम किया गया।
- ढ) सामान्य तथा विशिष्ट खान के लिए विविध गतिविधियाँ सेफ ॲपरेटिंग प्रोसीज्योर (एसओपी) की डिवाइमिंग तथा लागू किए जाने का काम प्रगति पर।

**12.3 खान सुरक्षा की जांच (लेखा परीक्षा) :**

बहु अनुशासनिक अन्तर अनुषंगी दलों द्वारा सुरक्षा जांच (लेखा परीक्षण) संचालित तथा पूरे किए गए। हमलोग बाहरी एजेन्सियों से भी खान सुरक्षा जांच (लेखा परीक्षण) कराने में लगे हुए हैं।

12.4 मानसून की तैयारी :

वर्ष 2017-18 के दौरान नियमित अन्तराल पर नोडल अधिकारी। खान सुरक्षा विभाग के क्षेत्रों में प्रभारी के साथ कार्यान्वयन की स्थिति कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए जून 2017 से ही मानसून की तैयारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ईसीएल मुख्यालय में 10.06.2017 से 15.10.2017 तक 24 x 7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया जिसमें सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क रखने एवं आवागमन के लिए वाहनों एवं टेलीफोन के साथ अधिकारियों की व्यवस्था की गई। बाढ़ चेतावनी संदेश प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईड्रल) के साथ नजदीकी संपर्क रखा गया, जब कभी पंचेत एवं मैथन डेम से पानी छोड़ा जाता है। निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर कोलकाता से मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट टेलीफोन एवं फैक्स द्वारा प्राप्ति हेतु नजदीकी संपर्क रखा गया ताकि भारी वर्षा/गर्जन/शोवर की चेतावनी क्षेत्रों को दी जा सके।

12.5 सुरक्षा प्रशिक्षण

वर्ष	दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण			
	फ्रंटलाईन पर्यवेक्षक के लिए		श्रमिकों के निरीक्षक के लिए	
	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2017-18	4	86	3	84
2016-17	4	73	3	46

12.6 वैधानिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षण:

परीक्षा का प्रकार	प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	प्रशिक्षण संस्थान
क. ... में उपस्थित होने के लिए		
प्रथम श्रेणी कोयला	0	एमटीएस, धधका
द्वितीय श्रेणी कोयला	07	
माइनिंग सरदार	10	
सर्वेक्षक	0	
बिजली सर्वेक्षक	51	
वाइंडिंग इंजन ड्राईवर	11	एमटीआई, रतिबाटी
गैस टेस्टिंग	13	एमटीएस, धधका
ख. व्यवसाय पाठ्यक्रम		
सर्वेक्षक	26	एमटीएस, धधका
माइनिंग सरदार	52	
ग. डिप्लोमा इन माइनिंग (अंशकालीन)	154	रानीगंज माइनिंग इंस्टीच्यूट



12.8 व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी पर वैधानिक) 2017-18 :

प्रशिक्षण के प्रकार	2017	2016
आधारभूत (बेसिक)	723	954
पुनर्शर्चया (रीफ्रेशर)	10234	10220
विशेष प्रशिक्षण	9232	9809
आई.ओ.डी.	40	42
ठेका श्रमिक	4892	2450

12.9 ईसीएल में खान सुरक्षा सेवाएँ :

खान बचाव स्टेशन, सीतारामपुर ; पुनर्शर्चया प्रशिक्षण के साथ खान बचाव कक्ष (आरआरआरटी) केंद्र तथा झांझरा, मुगमा और कालीदासपुर में संचालित खान बचाव कक्षों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरी, बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र, ईस्को की रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकरण (आवश्यक होने पर) को खान बचाव सेवाएँ प्रदान किया गया हैं।

12.9.1 वर्ष के दौरान खान बचाव सेवाएँ द्वारा निम्नलिखित खदानों में आग/लगातार गर्म होने की घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटारण किया गया :

क्रम	कोलियरी/घटना का स्थल	क्षेत्र	दिनांक	घटना/कार्य की प्रकृति
1	श्यामसुन्दरपुर	बांकोला	13.07.2017 से 24.07.2017	स्वतः प्रज्वलन
2	कुआरडीह कोलियरी	सतग्राम	25.07.2017 से 26.07.2017	सतह से अचानक पानी घुसने से एक गायब व्यक्ति को बचाने के लिए
3	गोपीनाथपुर ओसीपी	मुगमा	16.08.2017	एक्सकैवेटर में खुली आग
4	बड़का स्याल इन्कलाइन	सीसीएल	17.08.2017 से 23.08.2017	जल भराव
5	मोयरा कोलियरी	बंकोला	31.01.2018 से 22.02.2018	स्वतः प्रज्वलन
6	श्यामसुन्दरपुर	बंकोला	21.02.2018 से 01.03.2018	आग को बुझाना
7	परासकोल (वेस्ट)	काजोड़ा	20.03.2018 से 27.03.2018	स्वतः प्रज्वलन

12.9.2 प्रशिक्षण :

खान बचाव केंद्र में पुनर्शर्चया (रीफ्रेशर) के साथ-साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण निरंतर प्रदान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

विवरण	2017-18	2016-17
प्रशिक्षित सुरक्षा बचाव कर्मियों की संख्या	595	614
हाल में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	48 (एनईजी आसाम से 9 सदस्य) (आईएमएफए उड़िसा से 7 सदस्य)	32 (यूसीआईएल से 7 सदस्य)
पुनर्शर्चया प्रथाओं की संख्या	5209	5622
आपातकालीनों की संख्या	07	04



12.9.3 खरीदे गए नए उपकरण :

क्रम.सं.	विवरण	संख्या
1	मल्टी गैस डिटेक्टर	04
2	विद्युत चालिक आक्सीजन बूस्टर पम्प	03
3	हाइड्रोलिक कटर तथा स्प्रेडर	01
4	आधुनिक एससीबीए	24
5	125 केवीए का डीजल जेनरेटर सेट	01

12.9.4 आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता :

वर्ष 2017-18 के लिए आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल दिनांक 14 तथा 15 नवम्बर, 2017 को आयोजित हुआ जिसमें 10 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया।

12.9.5 अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) :

अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) का 48 वाँ आयोजन जामाडोबा कोलियरी (टिस्को) 12 से 15 दिसम्बर 2017 तक आयोजित किया गया। इसमें ईसीएल के दो टीमों ने भाग लिया तथा एयर बेस इवेन्ट में पुरस्कार जीता।

12.9.6 खान बचाव स्टेशन के लिए बजट प्रावधान :-

विवरण	पूँजीगत बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
स्वीकृत	341.56	204.80	1678.38	1667.42
व्यय	86.32	132.73	1602.83	1714.86

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

13.1 बजन स्थिति :

विगत वर्ष की तुलना में 2017-18 में बिजली घरों की आपूर्ति एवं अन्य खाते के लिए ईपीएस की मात्रा तौल निम्नलिखित है :

विवरण	2017-18			2016-17		
	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल
प्रेषित मात्रा (लाख/टन)	39.768	3.666	43.434	40.121	2.687	42.808
ईपीएस के तहत मात्रा तौल (लाख/टन में)	38.905	3.666	42.571	39.234	2.687	41.921
ईपीएस के तहत तौल %	97.83	100	98.01	97.79	100.00	97.93

13.2 साइंजिंग स्थिति :

वर्ष 2017-18 के दौरान कोयला का कुल प्रेषण 43.434 मिलियन टन था जिसमें से पावर सेक्टर को 39.768 मिलियन टन प्रेषित किया गया। सीएचपी/एफवी सुविधा के अतिरिक्त साइंडिंग से प्रेषण में डोजर से साइंजिंग की गई तथा इस प्रकार बिजली केन्द्रों को आपूर्ति की गई कोयला 100% क्रश की हुई थी। अन्य तरीकों से भी 100% साइंड कोयला की ही आपूर्ति की गई। विवरण निम्नलिखित है :



ईस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

कोयले की साइजिंग	2017-18			2016-17		
	पावर	अन्य	कुल	पावर	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में साइज्ड मात्रा (लाख /टन)	39.768	3.666	43.434	40.121	2.687	42.808
%	100	100	100	100	100	100
कुल	100	100	100	100	100	100

100% क्रश किया हुआ 100 मि.मी. आकार का कोयला ईसीएल द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ:

ईसीएल में प्रवन्धन की कार्यस्थिति में पारदर्शिता, निष्पक्षता, दायित्वबोध तथा दक्षता सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग सहायता करता है। संस्थान की कार्यप्रणाली की छवि को “पारदर्शी तथा उचित” दिखने के लिए विभिन्न सतर्कता गतिविधियाँ वर्ष भर जारी रहीं। विभिन्न स्टाक धारकों के बीच विश्वास जगाने के लिए पिछले वर्ष कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। काफी संख्या में प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग ईसीएल द्वारा वर्षभर की गई जिसके फलस्वरूप विभिन्न कमियों / अनियमिताओं की ओर ध्यान दिलाया गया। इस कमियों / अनियमिताओं को दूर करने के लिए काफी संख्या में पिछली कार्यप्रणाली में सुधार लागू किया गया। साथ ही कम्पनी में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए जो मामले जानपूछ कर गलत नीयत से अनियमिता। कमी लाने के लिए दिए गए उन्हें गम्भीर माना गया तथा कई मामले संबंधित अधिकारियों को सजा देकर समाप्त किए गए। यदि कुछ हो तो, कमी की जांच के लिए कर्मविभागों में काफी संख्या में गहन जांच किया गया तथा कई मामलों में यह “प्रणाली सुधार” के रूप में समाप्त हुआ। आधुनिक आईटी प्रत्यक्ष तथा ई गवर्नेंस के सतर्कता विभाग द्वारा मानीटिंग तथा नियमित जांच के लिए ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लागू किया गया।

14.1 निवारक सतर्कता :

वर्ष 2017-18 के दौरान, सतर्कता विभाग ईसीएल की विभिन्न इकाइयों तथा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण काफी संख्या में आयोजित किए गए ताकि कम्पनी की कार्यपद्धति पर संपूर्ण रूप से नजर रखी जा सके। हालांकि इसके अलावा काफी लाभुकों को कवर करते हुए विभिन्न स्टेक होल्डरों के लिए सतर्कता जागरूकता सह प्रेरणात्मक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए। कई मामलों में पिछले कार्यक्रमों का गहराई से अध्ययन किया गया तथा आवश्यकतानुसार पद्धति में सुधार के बदले को लागू किया गया ताकि वर्तमान प्रणाली में सुधार हो तथा वर्तमान प्रणाली की कमी को निवारक सतर्कता के रूप को खत्म किया जाय। इन प्रयासों का कम्पनी की कार्यसंस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ा एवं इसके प्रदर्शन में सर्वतोमुखी सुधार आया है।

क्रम	विषय	2017-18	2016-17
i	आकस्मिक जांच/निरीक्षण आयोजित	65	64
ii	सतर्कता जागरूकता सह प्रेरणात्मक कार्यक्रम :		
	क. आंतरिक संकाय सदस्यों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	21	19
	ख. अंशधारकों की बैठक	02	01
	ग. निबंध/वाद-विवाद/चित्रकला प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि	07	06
	घ. बाह्य संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठी/कार्यशाला	01	01
	ड. ग्रामसभा की जागरूकता	02	00
	च. मोटर साइक्लैथान रैली	01	00
iii	गहन जांच	08	11

**14.2 सुधार के लिए उठाये गए कदम :**

- वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित सुव्यवस्थित सुधारात्मक उपाय किए गए :
- क) एसओपी में डीजल वितरण इकाई में प्राप्त करने, जारी करने तथा उपभोग के सम्बन्ध में प्रणाली में सुधार।
 - ख) डीओपी (अधिकार का प्रति निधान) में गड़बड़ी तथा निविदा को टुकड़े में बाँटने से संबंधित प्रणाली में सुधार।
 - ग) सिविल विभाग में समान प्रकृति के कार्य के लिए प्रणाली में सुधार।
 - घ) एलएलटीसी की स्वीकृति के दुरुपयोग तथा अनियमितता की रोकथाम के लिए प्रणाली में सुधार।

14.3 दंडात्मक सतर्कता :

संस्थान की कार्यपद्धति की छवि पारदर्शी तथा स्वच्छ रखने के लिए जानबूझकर कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओं से सख्ती से निपटा गया तथा संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, कुल 14 लोगों को विभिन्न प्रकार की सज्जा दी गयी।

14.4 उत्तोलन तकनीक :

संस्था की पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा उत्तोलन तकनीक के क्षेत्र में अधोलिखित कदम उठाए गए :

क्रम सं	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	31.03.18 को स्थिति	टिप्पणी
1	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित ब्हेकिल ट्रैकिंग पद्धति	1479	कुल 1479 उपकरणों में 1458 जीपीएस उपकरण उपलब्ध ट्रॉकों में लगा दिए गए। मुख्यालय तथा सभी 14 क्षेत्रों में नियंत्रण कार्यरत है। वाहनों की ट्रैकिंग जारी है।
2	सीसीटीवी के द्वारा इलेक्ट्रोनिक निगरानी	1167	ईसीएल में 1167 स्थलों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं।
3	आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एवं रीडर्स	77	आपूर्ति 77, स्थापित (यांत्रिक भाग)-77, सतग्राम, काजोड़ा, बंकोला, सोनपुर बजारी क्षेत्र (स्वचालित प्रणाली) में 26 आरएफआईडी प्रणाली स्थापित शेष की स्थापना प्रगति पर।
4	वे ब्रीज की स्थिति	सड़क 96 एवं रेल 11	स्थापना कार्य पूरा। पारवेलिया में एक रेलवे बजनघर सर्वे ऑफ किया गया।
5	वाइड एरिया नेटवर्किंग (डबल्यूएन)	118 स्थलों पर लिंक स्थापित	स्थापना कार्य पूरा। नए 5 सड़क बजन घरों के लिए रेल टेल नेटवर्किंग के लिए मेसर्से रेलगेट को कार्य आदेश दिया गया। कार्य प्रगति पर है।
6	कोल नेट एप्लिकेशन	आनलाईन मैटेरियल मैनेजमेंट प्रणाली	एस पी माइन्स और रागमहल को छोड़कर सभी भंडारों में लागू।
		वित्तीय सूचना प्रणाली	ईसीएल मुख्यालय कोलकाता विक्रय कार्यालय, सोदपुर तथा सोनपुर बजारी क्षेत्रों में लागू।
		कार्मिक सूचना प्रणाली	ईसीएल मुख्यालय में लागू।
		पेरोल	ईसीएल मुख्यालय, कोलकाता विक्रय कार्यालय, कुनुस्तोड़िया तथा सोनपुर बजारी में लागू।
		विक्रय	ईसीएल मुख्यालय, कोलकाता विक्रय कार्यालय सोदपुर क्षेत्र सोनपुर क्षेत्र, सोनपुर बजारी क्षेत्र, कुनुस्तोड़िया, श्रीपुर, सतग्राम तथा संथाल परगना समूह में स्थापित।



ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

क्रम सं	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	31.03.18 को स्थिति	टिप्पणी
		वीवीआईपी संदर्भ	ईसीएल मुख्यालय में लागू
7	ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम	लागू	सभी क्षेत्र में अधिकारियों के लिए लागू
8	मोबाइल एप्लिकेशन 1) बिल ट्रैकिंग प्रणाली 2) आनलाइन शिकायत निवारण (निदान) 3) स्वच्छ विद्यालय 4) रोड सेल्स (ग्राहक सड़क कोयला वितरण)	लागू	लागू
9	खानों की चहारदीवारी की जियो फेसिंग	लागू	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू
10	अन्तर क्षेत्रीय नेटवर्क (एलएएन)	लागू	ईसीएल के सभी क्षेत्रों तथा कोलकाता विक्रय कार्यक्रम एक साथ जुड़े।
11	वायोमैट्रिक उपस्थिति	लागू करने की प्रक्रियाधीन	कम्पनी के कर्मचारियों के लिए ईसीएल मुख्यालय में वेतन पर्ची से लिंक स्थापित। हालांकि इसके अतिरिक्त सात क्षेत्रों में वायोमैट्रिक हाजरी तथा बजन पर्ची के लिंक स्थापित। अन्य क्षेत्रों के लिए हार्डवेयर स्थापित लेकिन लागू करना अभी बाकी।
12	ईएमडी का स्वतः वापसी	लागू	लागू
13	रिवर्स आक्सन	लागू	एक करोड़ से अधिक तक के आकस्मित ठेका के लिए लागू।
14	3डी टीएलएस	लागू तथा सामग्री उपलब्ध	लागू

सोनपुर बजारी क्षेत्र में एक नए पाइलट प्रोजेट को आरंभ किया गया है। उसके अंतर्गत 87 सीसीटीवी विभिन्न अतिसंवेदनशील (कोयला की ढेर, साइडिंग, तथा अन्य संवेदनशील स्थलों) पर स्थापित किए जाएँगे तथा 87 कैमरों से प्राप्त सूचना संग्रहित की जाएगी तथा वाईफाई सम्पर्क संजाल के द्वारा क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी।

14.5 एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया गया एवं यह प्रभाव में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ईसीएल में 30 अक्टूबर, से 4 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह पालन का नीतिवाक्य मेरी दृष्टि - भ्रष्टाचार मुक्त भारत ("माई विजन - करप्सन फ्री इंडिया")



था। जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार निवारण के लिए प्रचुरता से कार्य करने तथा सभी गतिविधियों में पारदर्शिता तथा निष्ठा लाने के लिए निष्ठा की शपथ दिलाई गई। सभी क्षेत्रीय स्थापनाओं / परियोजनाओं तथा इकाइयों में संवहंधित महाप्रबन्धकों / विभागीय प्रधानों द्वारा सभी स्तर पर 30.10.2017 को शपथ दिलाई गई। ईसीएल मुख्यालय में निम्ना डीएवी के छात्रों द्वारा एक नुक़ड़ नाटक का आयोजित किया गया। ईसीएल मुख्यालय में 31.10.17 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 वें जन्म वर्ष की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सप्ताह व्यापी आयोजन में बैनर, पोस्टर तथा भ्रष्टाचार निवारण के प्रचार वाक्य ईसीएल मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रों / इकाइयों / स्थापनाओं में प्रदर्शित किए गए।

31.10.2017 को एक मोटर रैली भी निकाली गई। यह रैली आसनसोल मुख्य बस अड्डे से आरम्भ होकर स्टेट बैंक आफ इंडिया के आसनसोल स्थित मुख्य ब्रांच तक आई तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संदर्भ को रास्ते के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों तथा सड़कों पर प्रचार किया।

01.11.2017 को सोनपुर बजारी क्षेत्र में निम्ना के डीएवी स्कूल के छात्रों द्वारा ग्राम पंचायतों (भालुका तथा आसनसोल एवं कुचिबेरा) में नागरिकों को सचेत करने तथा भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव को दिखाने के लिए एक नुक़ड़ नाटक का आयोजन किया गया। 02.11.2017 को ईसीएल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक सेमीनार आयोजित किया गया जिसका विषय “मेरी दृष्टि-भ्रष्टाचार मुक्त भारत” था। मुख्यालय आयोग (सीवीसी) के तकनीकी परीक्षक श्री बिजेन्द्र कुमार अतिथि प्रवक्ता थे। सेमीनार में इस विषय पर सार्थक विचार तथा सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2017 के सतर्कता समाचार पत्रिका सचेतना का विमोचन किया गया। 01.01.2017 से 03.11.2017 को निवन्ध प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्किट इत्यादि विभिन्न कॉलेजों तथा विद्यालयों में ईसीएल के सतर्कता विभाग तथा विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आयोजित किया गया।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

- क) गत वर्ष आरम्भ किए गए कई आई टी प्रयोग तथा ई-गवर्नेंस डिस्काउन्ट बिंडिंग लागू करने में अग्रणी बने।
- ख) सामान्य प्रबन्धन कार्यप्रणाली सहित इंटीग्रेटिंग विजिलेंस एक्टिविटीज के द्वारा लगातार सचेतना सहित प्रेरक कार्यक्रमों में चर्चा से कम्पनी के कर्मियों तथा स्टेक होल्डरों का मनोबल ऊँचा हुआ है तथा यह कम्पनी के उत्पादन तथा उत्पादकता में परिलक्षित होता है।
- ग) सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से मानीटिंग से ओवर रिपोर्टिंग को रोकने में मदद मिली है तथा दोषियों से पेनालटी के रूप में अर्थ वसूली में काफी मात्रा में वृद्धि हुई है।

14.8 विशेष उपलब्धियाँ :

आईआईएम हैदराबाद द्वारा सीवीसी के इंटिग्रिटी इंडेक्स डबलपर्मेंट परियोजना आरम्भ की गई है। प्रारम्भ में अद्वितीय व्यापारिक पद्धति, खरीद की विविध प्रणाली, विक्रय का विवरण, प्रणाली में सुधार, आई टी प्राथमिकतायें, प्रतिरक्षण सतर्कता, भागीदारी सतर्कता, दण्डात्मक सतर्कता इत्यादि से सम्पन्न एक प्रश्नावली का सेट वितरित किया गया। मेसर्स ईसीएल तथा मेसर्स डब्लूजीएल कोल इंडिया लिमिटेड से हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के सेट विभिन्न समूहों जैसे कर्मचारी, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों, सतर्कता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बोर्ड स्तर के अधिकारियों, अंशधारकों, कोयला क्षेत्र में तथा समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि को वितरित किए गए। आईआईएम के प्राध्यापकों के साथ 28.02.2018 को सम्पन्न सीवीसी की बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि ईसीएल की रैंकिंग प्रथम दस में आई है।



14.9 31 मार्च 2018 तक उपलब्धियों को साथ साथ एमओयू :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	वरिष्ठ अधिकारियों (क्षेत्रीय महा प्रबन्धकों तथा उसके ऊपर) के आनलाइन तिमाही विजिलेंस क्लीयरेंस	वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत (%)	100%	100% उपलब्ध

15.0 कर्मियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के अंतर्गत कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक किसी भी कर्मी ने प्राप्त नहीं किया है।

01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान ईसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियाँ

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र भाषायी क्षेत्र ग (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं जहाँ हमारे 86% कर्मचारी पदस्थापित हैं। केवल 03 क्षेत्र क क्षेत्र (झारखंड) में स्थित हैं। आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत उठाए गए कदमों पर आधारित हमारी निम्नलिखित विशेष उपलब्धियाँ रही हैं :

1. मुख्यालय के शत-प्रतिशत कंप्यूटरों में यूनीकोड सक्रिय करके हिंदी में काम करने योग्य बना दिया गया है। क्षेत्रों में भी प्रायः 100 प्रतिशत कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय किया जा चुका है।
2. ई.सी.एल. कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर प्रबंधन की ओर से उनके नाम, पदनाम, सेवा-अवधि इत्यादि के विवरण सहित उन्हें दिया जाने वाला स्मृति-चिह्न हिंदी में बनवाकर दिया जाता है।
3. प्रत्येक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करने के लिए सक्षम हो सकें। यह प्रशिक्षण वर्तमान समय में भी नए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लगातार जारी है।
4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाने वाली राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की परंपरा निरंतर जारी है।
5. 01.09.2017 से 14.09.2017 तक मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन जिसमें हिंदी व हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए अलगअलग वर्गों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा इनमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही, राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रावधानों को कंपनी परिसर में बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया।
6. गत 21.09.2017 को कंपनी स्तर पर हिंदी पखवाड़ा समापन व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर चर्चा परिचर्चा की गयी तथा जिसे मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती अल्पना नायक, सहायक प्राध्यापिका, श्री शिक्षायतन महाविद्यालय, कोलकाता ने संबोधित किया। इस विशिष्ट अवसर पर अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ कंपनी के अधक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक श्री सुब्रत चक्रवर्ती, निदेशक (कार्मिक) श्री के. एस. पात्र, निदेशक (वित्त) श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (तकनीकी) श्री ए. के. सिंह, की गरिमामय उपस्थिति रही।
7. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों एवं मुख्यालय के विभागों को भी सम्मानित किया गया।
8. मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष के दौरान कुल 11 हिंदी कार्यशालाओं (06.05.2017, 16.06.2017, 05.07.2017, 11.09.2017, 14.09.2017, 15.09.2017, 13.12.2017, 11.01.2018, 30.01.2018, 03.02.2018 तथा 16.02.2018 का आयोजन किया गया।
9. गत 18.11.2017 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें काव्य-पाठ हेतु श्री सूर्यकुमार पाण्डेय, डॉ कीर्ति काले, डॉ विष्णु सक्सेना, श्री प्रख्यात मिश्र व श्री सुशील साहिल जैसे ख्याति प्राप्त कवियों का आगमन हुआ।
10. गत 24.11.2017 को कंपनी में राजभाषा क्रियान्वयन से संबंधित निरीक्षण किया गया। निरीक्षक के रूप में श्री निर्मल कुमार दुबे, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) एवं कार्यालय अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (पूर्वी क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,



- भारत सरकार उपस्थित रहे। श्री दुबे ने निरीक्षण के पश्चात कंपनी में चल रही राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की सराहना की तथा इसमें गति लाने हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये।
11. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों (30.08.2017 तथा 26.03.2017) में ईसीएल की उपस्थिति रही।
12. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पटना में आयोजित राजभाषा सम्मेलन (10.03.2018) में भी कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति रही।
13. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत 10.11.2017 को गुवाहाटी में आयोजित राजभाषा संबंधी तकनीकी संगोष्ठी में भी कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति रही।
14. गत 17.08.2017 को निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों/अस्पताल में कार्यरत राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों एवं राजभाषा अधिकारी/हिंदी नोडल अधिकारियों संग राजभाषा कार्यान्वयन पर आधारित एक संपर्क बैठक का आयोजन किया गया।
15. आलोच्य अवधि में ईसीएल की प्रतिनिधि अर्ध वार्षिक हिंदी गृह-पत्रिका ज्योत्स्ना के दो अंकों का प्रकाशन हुआ।
16. हिंदी में प्रकाशित होने वाला वाल पोस्टर ईसीएल समाचार का प्रकाशन निरंतर जारी है जिसमें ईसीएल के सचिव समाचार, कर्मियों की उपलब्धियाँ आदि फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं।
17. साथ ही, ईसीएल की बुलेटिन के रूप में प्रकाशित होने वाला ईसीएल दर्पण (द्वैमासिक) का हिंदी एवं बांग्ला में प्रकाशन निरंतर जारी है तथा आलोच्य अवधि में इसके छह अंक प्रकाशित हो चुके हैं।
18. इनके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित चेतना, सचेतना, जागृति आदि पत्रिकाओं में हिंदी के लेख तथा अन्य सामग्री को स्थान दिया गया।
19. नराकास अध्यक्षीय कार्यालय द्वारा सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कुल 39 टीमों के बीच ईसीएल की टीम को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
20. ईसीएल मुख्यालय में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसे मुख्यवक्ता के रूप में सहायक निदेशक (राजभाषा), बीएसएनएल व वरिष्ठ विद्वान् श्री संजय मिश्र ने संबोधित किया।
21. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रवीण व प्राज्ञ की कक्षाओं का नियमित संचालन किया जा रहा है।
22. मई दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्थापना दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक द्वारा प्रेषित संदेश हिंदी में मुक्रित व संबोधित होता है।
23. कंपनी परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस में आज का शब्द शीर्षक के अंतर्गत एक अंग्रेजी शब्द उसके हिंदी पर्याय के साथ प्रदर्शित किया जाता है।
24. कंपनी परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस में अनमोल विचार शीर्षक के अंतर्गत महान विचारकों की प्रेरक उक्तियों को हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है।
- 17.0 कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी से लैश सेवाएँ :**
- 17.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :**
- क) वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 4672 निविदाएँ ईसीएल / सीआईएल ई-टेंडरिंग पोर्टल : <http://ecltenders.gov.in> में प्रकाशित किए गए जिनमें 2812 टेंडरों को पूरा किया गया 649 को निरस्त किया गया तथा शेष पर विभिन्न चरणों पर कारवाई की जा रही है।
- ख) ई टेंडरिंग में शामिल हैंग आउट / टीम व्यूर, एम्सी एडमिन, एनी डेस्क इत्यादि आधुनिक साफ्टवेयर का प्रयोग करके सभी क्षेत्रों कर्मशालाओं में घर वैठे तथा दूर से प्रशिक्षण / सहायता उपलब्ध कराया गया।
- ग) ईसीएल मुख्यालय में 96 नोडल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- घ) वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्यालय सहित क्षेत्रों / कर्मशालाओं के 142 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था की गई।



ड) ई-टेंडरिंग द्वारा टेंडर पूर्णता अवधि औसतन 50 रही। ई-टेंडरिंग के द्वारा टेंडर पूर्णता अवधि का पूर्ण चक्र न्यूनतम 15 दिन है।

17.2 विशेष उपलब्धियाँ :

- क) जीपीएस आधारित वीटीएस: ईसीएल में जीपीएस आधारित ट्रकों की मानीटरिंग सफलतापूर्वक की जाती है।
- ख) ई ऑफिस, ईसीएल मुख्यालय के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी नियमित रूप से लागू इन किए जाते हैं तथा 100% लागू इन स्थिति उपलब्ध है।
- ग) मोबाइल एप : कोयला ग्राहक सेवा एप विकसित किया गया है और सभी इसका उपयोग करते हैं।
- घ) कोलनेट : कोलनेट साफ्टवेयर ईसीएल के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। सेल्फ माड्चूल ईसीएल में पूरी तरह लागू है। वे ब्रिज से जीएसटी सहित सेनसविल बनाए जाते हैं। ईसीएल के सभी क्षेत्रों में आनलाइन सामग्री प्रबंधन माड्चूल लागू है। सभी क्षेत्रों के अधिकारियों का वेतन कोलनेट से किया जाता है। कोल नेट का वित्तीय लेखांकन माड्चूल नो क्षेत्रों। मुख्यालय तथा कोलकाता विक्रय कार्यक्रम में लागू है।
- ड) बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति, ईसीएल मुख्यालय में आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली लागू है। ईसीएल के सभी क्षेत्रों में बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने की पद्धति लागू हो चूकी है।
- च) सम्पत्ति का पोर्टल : डब्लूसीएल द्वारा विकसित सीआईचल एसेट पोर्टल में ईसीएल की परिसम्पत्ति के आकड़े दर्ज किए जा चुके हैं।

17.3 31 मार्च 2018 तक उपलब्धियों को साथ साथ एमओयू :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	फरवरी 2018 में मुख्यालय में ई ऑफिस लागइन	% प्रतिशत	70%	69.79%

18.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार:

वर्ष 2017-2018 में संचार तथा सूचना प्रोद्योगिकी के साथ अग्रगति तालमेल रखने के लिए निम्नलिखित उपाय गिए गए :

- क) एमपीएलएस वाइड एरिया नेटवर्क मुख्यालय में फैला है (बैंड विथ - 100 एमबीपीएस) सभी क्षेत्रों में (बैंड विथ - 10 एमबीपीएस) कोलकाता विक्रम कार्यालय (बैंड विथ - 10 एमबीपीएस) तथा सभी वजन घरों (बैंड विथ - 2 एमबीपीएस) कुल 122 स्थलों में लागू है।
- ख) लीज आधारित इंटरनेट लाइन मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कोर्यालयों में क्रमशः 55 एमबीपीएस तथा 10 एमबीपीएस बैंड विडथ के साथ उलब्ध है।
- ग) भूमिगत खानों में आटो वह मैनुअल डायल संचार प्रणाली तथा सेन्ट्रल डिस्पैच सिस्टम के द्वारा संचार अध्ययन उपलब्ध है।
- घ) खुली खानों में वीएचएफ रेडियों संचार प्रणाली उपलब्ध है।
- ड) न्यू रोडवेब्रिज में 5 नए अतिरिक्त वाइड एरिया नेटवर्क सम्पर्क शामिल किए गए हैं।



19.0 भूमि अधिग्रहण एवं भू-सूचना की स्थिति :

19.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2017-18 के लिए मोड वार, परियोजना वार भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिगृहित (हेक्टर में)	कब्जा (हेक्टर में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	98.02	98.02
सीबीए अधिनियम	16.7	173.28
सरकारी भूमि का स्थानांतरण	12.46	5.44
कुल	127.18	276.74

19.2 सरकारी भूमि का स्थानांतरण :

पश्चिम बंगाल :

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास लिए निम्नलिखित मामले सरकारी भूमि स्थानांतरण के लिए विचाराधीन हैं :

- क) नार्थ सियारसोल ओसीपी कुनुस्तोड़िया क्षेत्र, मौजा बीजपुर 4.41 एकड़ - कुल 1.25 एक के लिए 30 नवम्बर 2016 को एडीएम (एलआर) बर्द्धवान कार्यक्रम में रु. 244,91,447 जमा किया गया एवं 2.76 एकड़ भूमि को पट्टा भूमि रिकार्ड किया गया। पट्टा निरस्त करने तथा पट्टा भूमि के अधिग्रहण की कारवाई राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई।
- ख) खोट्टाडीह ओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र, मौजा बीजपुर एवं बलानपुर 17.35 एकड़। राज्य सरकार की स्वीकृति सरकारी भूमि 7.02 हेक्टर हस्तांतरण के लिए प्राप्त हुई तथा रु. 10,49,32,800 की राशि राज्य सरकार की मांग के अनुसार 29 दिसम्बर 2016 को जमा की गई।
- ग) न्यू केन्दा मौजा केन्दा 2.81 एकड़ - डीएल तथा एआरओ के पास सरकारी भूमि के लांग टर्म सेटलमेंट के लिए आवेदन जमा दिया गया।

झारखण्ड :

एस. पी. माइन्स, चित्रा के लिए सरकारी भूमि 61.79 हेक्टेयर हस्तांतरित के लिए - 61.79 हेक्टेयर जमीन के हस्तांतरण के लिए 2010 में आवेदन दिया गया। डीजी (देवघर) ने 77.75 एकड़ (31.48 हेक्टेयर के बराबर) के लिए रु. 15.83 करोड़ जमा करने का अनुरोध किया है जिसके सारठ ब्लॉक का 72.07 एकड़ तथा पालाजोड़ी ब्लॉक का 5.68 एकड़ शामिल है। जाँच करने पर पाया गया कि सारठ ब्लॉक में 72.07 एकड़ में काफी जमीन (लगभग 34 एकड़ से अधिक) विभिन्न रैयती मालिकों से पहले ही सेटल किया जा चुका है। अक्टूबर 2016 में डीसी देवघर के साथ सम्पन्न बैठक में महाप्रबन्धक एसपी माइन्स ने कुल 61.79 हेक्टेयर भूमि के मालिकाना के विवरण के लिए अनुरोध किया जिसके स्थानांतरण के लिए ईसीएल ने अनुरोध किया है तथा ईसीएल इसके अधिग्रहण के तरीके पर निर्णय ले सके। ईसीएल ने 2 मार्च, 2017 को इसे कुल मूल्य का 80% रु. 11,13,40,574 जमा कर चुकी है जबकि राज्य सरकार से अबतक 28.05 एकड़ अविवादित सरकारी भूमि ही प्राप्त हुई है। निदेशक (खनन, उद्योग तथा भूगर्भ) की अध्यक्षता में राँची में एक बैठक 20 फरवरी 2018 को हुई थी जिसमें इस मामले में विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि यथाशीघ्र मामले के निपटार के लिए राज्य प्रशासन द्वारा तत्काल जिला प्रशासन को जारी किया जाएगा।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

19.3 सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के तहत प्रगति :

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्थिति
1	ललमटिया कोल ब्लॉक फेज-X	24 मार्च 2017 को एस.ओ. सं. 750 के द्वारा भारत के गजट में अधिसूचना सेक्सन 11(1) के अधीन जारी।
2	ललमटिया कोल ब्लॉक फेज-IX	19 सितम्बर, 2017 को एस.ओ. सं. 2213 के द्वारा भारत के गजट में अधिसूचना सेक्सन 11(1) के अधीन जारी।
3	झांशरा संयुक्त परियोजना	(क) 19 मई, 2017 को एस.ओ. सं. 1254 के द्वारा भारत के गजट में अधिसूचना सेक्सन 4(1) के अधीन जारी। (ख) 9 मार्च 2018 को एस.ओ. सं. 1103 (ई) के द्वारा सेक्सन 7(1) के अधीन अधिसूचना जारी।

19.4 पुनर्वास की स्थिति :

वर्ष 2017-18 के अंतर्गत पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये : -

क्षेत्र का नाम	दिये गये प्लॉट	मौद्रिक मुआवजा	कुल पीएपी/हाउसहोल्ड जिनके लिए पुनर्वास की सुविधा दी गयी	वास्तविक रूप में शिफ्ट किए गए हाउसहोल्ड
सलानपुर	31	0	0	0
झांशरा	0	1	1	1
राजमहल	0	96	96	683
कुल	31	97	97	684

19.5 विशेष उपलब्धियाँ :

- i) सिद्धावाड़ी मौजा में 18.44 एकड़ भूमि के लिए भूमि रिकार्ड का संग्रह – गाँव में गहराई से खोज के बाद ग्रामीणों से भूमि रिकार्ड संग्रहित तथा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से संबंधित कोलकाता गजट नोटिफिकेशन प्राप्त।
- ii) नेकराजुरिया मौजा में सलानपुर रिजनल हास्पीटल के 17.90 एकड़ भूमि के रिकार्ड का संग्रह – इसी पद्धति से भूमि रिकार्ड संग्रहित।
- iii) आसनसोल मौजा में सेन्ट्रल हास्पीटल कार्यालय के 23.55 एकड़ भूमि का भूमि आंकड़ा संग्रह, हालांकि इसी पद्धति से भूमि के रिकार्ड का संग्रह।

20.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं परियोजनाओं की सुरक्षा है तथा कोयला चोरी एवं अवैध खनन गतिविधियों को रोकना है। कम्पनी में सुरक्षा के तीन प्रकार हैं।

1. ईसीएल सुरक्षा – 1323 कर्मचारी
2. सीआईएसएफ – 1250 कर्मचारी
3. होम गार्ड – 170 कर्मचारी



ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा प्रबन्धन की आवश्यकता अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करना है। भरे हुए रेलवे रेकों, ट्रिपिंग ट्रकों, डम्परों की कोयला डिपो, साइडिंग से वजन घरों तक रक्षाकरण जब तक कि उनका वजन न हो जाय।

वर्ष भर हमारे सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की जाती है तथा इस प्रकार जब्त किए गए कोयला, ट्रक / वाहन तथा अपराधियों का पीछा करके पकड़ के पुलिस स्टेशन / प्रबन्धन को सौंप दिया जाता है। ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को हड़ताल / घेराव / प्रदर्शन / भूख हड़ताल इत्यादि के समय तथा क्षेत्रों में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने पर काम पर लगाया जाता है।

ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा ईसीएल की सभी क्षेत्रों / इकाइयों में तकनीकी सुरक्षा की मानीटरिंग सीसीटीवी, जीपीएस से जांच, वेहिकल ट्रेनिंग मानीटरिंग (वीटीएमएस) से करती है।

सीआईएसएफ :

सीआईएसएफ को ईसीएल की राजमहल, सोनपुर बजारी एवं एसपी माइस्स में स्थायी ड्यूटी के लिए लगाया जाता है तथा ईसीएल के अन्य क्षेत्रों में सीआईएसएफ के छापा मारने / निगरानी रखने के लिए कैम्प है। वे अवैध खनन, अवैध कोयला परिवहन तथा अवैध कोयला डिपों की छापामारी के लिए सचल रहते हैं तथा कोलियरी / क्षेत्रों में हड़ताल घेराव के समय भी तैनात किए जाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 210 अतिरिक्त सीआईएसएफ की तैनाती की स्वीकृति मिली है जिन्हें बारूद घरों की सुरक्षा में लगाया गया है।

सुरक्षा की मूल समस्या :

- क. बराबर सुरक्षा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्य सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा अधिकारियों तथा अन्य रैकों के सुरक्षा कर्मियों की आई कमी। मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के गठन के लिए अधिक जन शक्ति की आवश्यकता।
- ख. क्यूआरटी / सुरक्षा जांच वाहन का पीटीटी मोटोरोला संचार सेट जैसे सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए। ईसीएल के सभी क्षेत्रों में बराबर पेट्रोलिंग तथा छापा मारने के लिए साइरन / अम्बर लाइट की आवश्यकता है।

ईसीएल में सुरक्षा विभाग के पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदम :

- क. ईसीएल के बारूद घरों, केन्द्रीय भंडार, रेलवे साइडिंग तथा अन्य संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी तथा अन्य तकनीकी उपकरण लगाने का काम प्रगति पर है।
- ख. ईसीएल के जिन सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल के शास्त्र लाइसेंस में गन रिटेनर की सूची में नाम दर्ज कराकर तैनात किया जायगा उन्हें सीआईएसएफ द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाय।
- ग. सुरक्षा प्रहरी (एसजी) महिला सुरक्षा प्रहरी (एलएसजी) के रूप में प्रशिक्षण के बाद तैनात किए जाने वाले सभी पुरुष तथा महिला सुरक्षा कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

- घ. कोयला चोरी / बर्बादी तथा अवैध खनन रोकने के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी तथा जीपीएस आधारित वाहन ट्रेनिंग मानीटरिंग प्रणाली (वीटीएमएस) जैसे तकनीकी उपकरण का उपयोग आरम्भ किया गया।
अवैध खनन / कोयला परिवहन को रोकने / जाँच करने के लिए उठाए गए कदम।
- क) गुप्त रूप से सूचना संग्रह
- ख) विभागीय पे लोडर/डोजर एवं कभी-कभी संविदा पर लेकर अवैध खनन स्थलों तथा धसान प्रभावित स्थलों की डोजिंग/सीलिंग इत्यादि।
- ग) सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा, पुलिस द्वारा औचक जाँच की जाती है तथा अवैध कोयला, कोल लोडेड ट्रक जब्त करके असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं।
- घ) अवैध खनन पर केन्द्रीय स्तर पर नियमित बैठकें, पं. बंगाल तथा झारखण्ड राज्य के अधिकारी स्तर पर बैठकें वर्दमान, बाँकुड़ा, पुरुलिया तथा वीरभूम जिला स्तर पर प. बंगाल एवं झारखण्ड राज्य के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की जाती है।
- ङ) प्रभावित स्थलों की क्षेत्रीय टीम जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ द्वारा नियमित जाँच की जाती है। तदनुसार कमांडेंट सीआईएसएफ के साथ नियमित बैठक की जाती है।
- च) अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा हेतु आसनसोल अनुमंडल के लिए सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया है।
- छ) न्यायालय में लंबित मामलों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए ईसीएल ने वकील नियुक्त किया है।

कोयले चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

- क. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ कर्मी/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा आकस्मिक जाँच/छापे किये गए। जाँच/छापे के दौरान, कोयले की जब्ती, शारारती तत्वों की गिरफ्तारी तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करायी गई।
- ख. साईंडिंग से रेलवे धर्मकाँटा तक कोयला से भरे रेक का अनुरक्षण सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाता है।
- ग. 01 सितम्बर 2011 से आगे आसनसोल-दुर्गापुर में कमीशन दर लागू करने के बाद कोयला चोरी की गतिविधियों को रोकने में सुधार आया है। सीआईएसएफ एवं ईसीएल सुरक्षाकर्मियों के साथ कमीशन रेट अधिकारियों ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कोयला चोरी की गतिविधियाँ कम हुई हैं।
- घ. जीपीएस आधारित वाहन जाँच प्रणाली सभी क्षेत्रों में लागू किए जाने से कोयला चोरी में कमी की ओर सफल कदम है।
- ङ. जीपीएस आधारित वाहन जाँच प्रणाली (वीटीएमएस) ईसीएल के सभी क्षेत्रों स्थापित की जा चुकी है तथा सफलता पूर्वक काम कर रही है।



क) ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध कोयला तस्करी एवं अवैध कोयला खनन से जब्ती का विवरण :

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	दायर किये गये एफआईआर
अवैध तस्करी से कोयला जब्ती						
2017-18	पश्चिम बंगाल झारखण्ड	1042 422	8667.24 2346.53	47 02	35 01	153 22
	कुल	1464	11013.77	49	36	175
2016-17	कुल अंतर	1669 -205	11305.42 -291.65	56 -7	76 -40	276 -101
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2017-18	पश्चिम बंगाल झारखण्ड	629 58	115.29 —	— —	3 —	72 12
	कुल	687	115.29	—	3	84
2016-17	कुल अंतर	680 7	1259.40 -1144.11	7 -7	— 3	14 70

उपरोक्त आंकड़ा सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा तथा पुलिस द्वारा कोलियरी परिसर के बाहर जब्त की गई सामग्री से संबंधित है। उपरोक्त कोयला अवैध खनन स्थल से अथवा अवैध तरीके से / अवैध कोयला भंडार से ट्रकों द्वारा परिवहन किया जा रहा था। डोजिंग / सीलिंग / अवैध खनन स्थलों की भराई के दौरान ईसीएल के लीज होल्ड एवं लीज होल्ड के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल के सुरक्षाकर्मी के साथ सीआईएसएफ और स्थानीय पुलित को भी तैनात किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए 642 स्थलों की डोजिंग / भराई की गई। कोयला चोरी तथा अवैध कोयला खनन की हानिकारक गतिविधि के नियंत्रण के लिए राज्य प्रशासन भी सक्रिय है।

ग) अन्य सामग्रियों की चोरी/वसूली :

वर्ष	2017-18	2016-17	अंतर (वृद्धि/कमी)
घटनाओं की संख्या	107	73	34
एफआईआर/सूचना की संख्या	61	24	37
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	16,94,808.18	7,09,423.44	9,85,384.74
वसूली की गई संपत्ति (₹ में)	1,43,540.20	281300	-1,37,759.80
पकड़े गए अपराधी	07	2	05



21.0 बाह्य स्रोत के खुली खदान पैच :

वर्ष 2017-18 में कंपनी ने 32 बाह्य स्रोत की खुली खदान पैचों से 251.99 लाख टन कोयला उत्पादन किया एवं 898.45 लाख घनमीटर अधिभार हटाया। जिसमें 5.71 की वृद्धि कोयला उत्पादन के तथा 11.93% की वृद्धि अधिभार हटाने में गतवर्ष के आधार पर हुई जबकि गत वर्ष 40 बाहरी स्रोत के खुली खान पैचों से 238.38 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया था तथा 1005.62 लाख घनमीटर ओवरवर्डन निकला गया था।

22.0 कंपनी अभिशासन :

कंपनी अभिशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जिसके तहत शेयरधारकों के मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपने विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। कंपनी अभिशासन एक ऐसा अनुशासन है जो बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को अंशधारकों के हितों में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन करता है। इसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच एवं गतिविधि शामिल है जो विभिन्न अंशधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, सभी अंशधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी सामग्रियों की सूचना समय पर देने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि के कानून के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है। हमारी कंपनी में कंपनी अभिशासन की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कंपनी अभिशासन की अहम भूमिका है। इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। यह धारणा निम्नलिखित है :

एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सादगी, निष्पक्ष, व्यवसायिकता तथा विभिन्न अंशधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपकी कंपनी के कंपनी अधिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्न-VI में रखा गया है तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अभिशासन के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणीकरण भी अनुलग्न-VII में दिया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी का वार्षिक विवरण हमारे वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर उपलब्ध है। (संलग्नक - IX)

23.0 अभिस्वीकृति :

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में सुधार ला सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा



दिए गए सहयोग और निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।
- ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा दिये गए फॉर्म सं एमआर-3 में सचिवालयीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुलग्नक-VIII)।
- iii) विदेशी मुद्रा में आय एवं खर्च (अनुलग्नक-X)
- iv) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (अनुलग्नक - XI)
- v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3)(एफ) के तहत निदेशक के प्रतिवेदन का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

सांकेतिक,

दिनांक : 6th July, 2018

निदेशक मंडल की ओर से तथा के लिए

(सुनील कुमार झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08039292



3.3.1. 31.03.2018 को गतिमान अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की स्थिति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिवर्य (लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितण (लाख में)	विवरण
1	भूमिगत खनन में फैसले खनिकों की जौच प्रणाली परियोजना कोड- CIL/R&D/1/35/10 कार्यान्वयन एंजेंसी: टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीआईएल (एमई), राँची	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च, 2015	447.86	ईसीएल के जांझरा भूमिगत खनन में एमएफ प्रणाली का सफल फैलू द्रायल पूरा किया गया। आर एन्ड डी आधार पर जनवरी 2016 के अंतिम समाह में कम्पोजिट प्रणाली के फैलू द्रायल के लिए डीजीएमएस को आवेदन पर अनुमति मिली। डीजीएमएस ने पांच एस - 29023 / 481 / 2016 / एस तथा टी (एचक्यू) / 894 दिनांक 25.8.2017 के द्वारा इच्छा व्यक्त की है कि टीसीएस, सीएमसी कोलकाता द्वारा उपरोक्त परियोजना के लिए विकसित कम्पोजिट प्रणाली के द्रायल के पहले विस्तृत विचार विमर्श परियोजना काम्पोनेट के बारे में की जाय। सीएमसीडीआई ने टीसीएस / सीएमसी कोलकाता से आवश्यक तकनीक दस्तावेज तैयार करने का अनुरोध किया है तथा उपयुक्त सुविधा जनक तिथि डीजीएमएस धनबाद से विस्तृत विचार विमर्श। प्रस्तुतिकरण के लिए जानना चाहा है जिससे उपरोक्त परियोजना के अधीन विकसित काम्पोजिट प्रणाली की बाद द्रायल की अनुमति प्राप्त की जा सके।
2	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रैटिंग केबलों के लिए रबर कम्पाउन्ड एवं मरम्मत तकनीक का विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/54/2013 कार्यान्वयन एंजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल	204.07	मार्च, 2013	फरवरी, 2016	202.65	परियोजना पूरी हो चुकी है एवं रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है तथा परियोजना के तहत, अब तक, ईसीएल की पटमोहना कोलियरी से संग्रहित 25 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 70 मीटर लंबाई के एक अनुगामी तार की आईआईटी, खड़गपुर द्वारा विकसित रबड़ कम्पाउन्ड से मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया तथा तार को कोलियरी में वापस आपूर्ति करने के पहले विभिन्न प्रकार के आवश्यक जाँच कर लिए गए। जे के रोपवेज से संग्रहित 55 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 125 मीटर लंबाई के एक अन्य क्षतिग्रस्त



क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संचितण (लाख में)	विवरण
						अनुगामी तार की भी मरम्मत नव-विकासित रबड़ से की गयी। तार का उच्च बोल्टेज परीक्षण किया गया तथा कमज़ोर एवं दाष्ठूर्ण हिस्सों को हटा दिया गया और मजबूत हिस्सों को जोड़ दिया गया। जनवरी, 2015 में आईआईटी, खड़गपुर को ईसीएल से 561 मीटर क्षतिग्रस्त अनुगामी तार प्राप्त हुआ जिनकी मरम्मत कर उनके जमीनी परीक्षण के लिए ईसीएल को वापस भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत के पश्चात आईआईटी, खड़गपुर ने इनके जमीनी परीक्षण के लिए इन्हें ईसीएल के खदानों में भेज दिया है। इन तारों के प्रदर्शन पर नियारनी रखी जा रही है एवं तभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा।
3	रानींज कोयलांचल के मोटे सीमों में सुरक्षित परिसमाप्त की पद्धति खोजने के लिए : ईसीएल की खोटाडीह कोलियरी में डिजाइन और विकास तथा प्रदर्शन प्रबंधनात्मक परीक्षण परियोजना कोड सीआईएल / ओएण्ड डी / 1 / 58 / 2014 क्रियान्वयन एजेंसी, सिम्र धनबाद और ईसीएल ।	41.066	जुलाई, 2014	जून, 2016	30.00 सीआईएमफआर -10.00 ईसीएल- 20.00	परियोजना पूरी कर ली गई तथा अंतिम रिपोर्ट सीआईएमफआर धनबाद के निर्माणधन है।



क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यव (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधन/अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
4	हाई एस कोल गैसीफिकेशन तथा एमोसिटेड अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम प्रणाली (कोलाला से रसायन सीटीसी) प्रोजेक्ट कोड सीआईएल /आर एड डी / 03/03/2076 कार्यात्वन एजेन्सी आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुक्की के लिए 131.804 की सीएमपीडीआईटी, रुक्की के लिए एमसीएल सन्बलपुर, ईसीएल सांकेतोड़िया तथा सीसीएल, रुक्की 156.910 तकनीकी सहयोग आईआईटी-आईएसएम धनबाद तथा अमेट्रिलिया युनिवार्सिटी (i) कर्टेन युनिवार्सिटी बेस्टर्न आस्ट्रेलिया पर्थ 6102 (ii) द यूनिवार्सिटी आफ मेलबार्न, विक्टोरिया 3010, अस्ट्रेलिया तथा (iii) गोनास युजिकमिटी क्लेटन विक्टोरिया 3800 आस्ट्रेलिया	2160.721 आईआईटी-आईएसएम के लिए 1872.007 आईआईटी रुक्की के लिए 131.804 सीएमपीडीआईटी, रुक्की के लिए एमसीएल सन्बलपुर, ईसीएल सांकेतोड़िया तथा ईसीएल की खाने सीमों से करना था।	- -	- -	लिटोचर सर्वेक्षण पूरा। परियोजना के लिए आवश्यक सभी उपकरणों के विवरण प्राप्ति पर। इसके अतिरिक्त उपकरण का स्वदेशी डिजाइन विभर्ष प्राप्ति पर है। सीएमपीडीआई रुक्की में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें आईआईटी, आईएसएम, धनबाद, सीएमपीडीआई, सीसीएल एमसीएल तथा सीआईएल मुख्यालय कोलकाता शामिल था जिसका उद्देश्य इस परियोजना के लिए आवश्यक उच्च ऐश% के कोषले का संग्रह एमसीएल, सीसीएल तथा ईसीएल की खाने सीमों से करना था।	
5.	उपयोगिता का आकलन तथा ग्राउन्ड आधारित इंटरफ़ेरोमेट्री सिंथेटिक एफचर राडार (जीसीएलएन एसएआर) माइनिंग स्लोप सफ्टस कार्यात्मक्यन एजेन्सी आईआईटी खड़गापुर तथा ईसीएल सांकेतोड़िया प्रोजेक्ट कोड नं. सीआईएल/आरएडटी/ 01/65/2017	478.27 आईआईटी खड़गापुर के लिए 478.27	1 अगस्त, 2017 आईआईटी खड़गापुर के लिए ईसीएल के लिए शून्य	31 जुलाई, 2019	430.00	प्राथमिक लिटोचर सर्वेक्षण पूरा। उपकरणों की खरीद प्राप्ति पर है। आईआईटी खड़गापुर ने डब्लूपीसी को रडार की अनुमति के लिए आवेदन किया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।



क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिवर्त्य (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/अनुमूलित तिथि	प्राप्तिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
6	आदिकल फाइबर आधारित सोलर इन्हिमेनेशन पिट वाटन तथा भूमिगत खदानों में रोडब्रेज तथा वर्किंग फेर्स कार्यान्वयन एजेंसी आईआईटी खड़गपुर तथा ईस्टीएल संकातोड़िया प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आरएनडी/01/66/2017	155.53 आईआईटी के लिए 155.53	1 अगस्त 2017	31 जुलाई, 2020	120.00	प्रिलिमिनरी लिटरेचर सर्वेक्षण पूरा। उपकरण की खरीद प्राप्ति पर।
7	मास प्रोडक्सन टेक्नालजी के लिए खानों में हवा की आवश्यकता प्रोजेक्ट कोड : सीआईएल/आरएनडी/01/63/2016 कार्यान्वयन एजेंसी: यूएमडी, सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची	491.27	1 नवम्बर 2016	31 अक्टूबर, 2019	-	लिटरेचर सर्वेक्षण पूरा। परियोजना के लिए आवश्यक सभी उपकरणों का वाणिकरण पूरा।
8	रिक्स एसेसमेंट द्वारा एक्सप्लोजन हजार्ड को समाप्त करने तथा रोकने के लिए दिशानिर्देश का विकास तथा रिएन्ट्रीप्रोटोकल एवं खतरा अधिकारिक माइन इमरजेंसी को लागू करते भारतीय कोयला की विस्फ़क्षोटकता का निधरण प्रोजेक्ट कोड : सीआईएल/आरएनडी/01/60/2016 कार्यान्वयन एजेंसी: सिएफ़क्स,	1629.71 आईआईटी आईएसएम के लिए 833.57 सीआईएमएफ आर 796.14	15 अगस्त 2016	14 अगस्त, 2019	1167.76 आईएसएम 410.00 सीआईएमएफआर 757.76	सिएफ़र, धनबाद : इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीब्र सेकर प्रोशाम योग्य फर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बन्ज कैलोरीमीटर, प्रेगाम योग्य एयर ऑवन 2000 सेटिंग्ड तक, पार्टिकल साइन एनलाइजर की खरीद की गई। सिएफ़र धनबाद में कुछ अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ 20 लीटर के एक्सप्लोजन चोम्बर की खरीद की प्रक्रिया जारी है। वीसीसीएल एमसीएल तथा सीसीएल की 25 खानों से सैपल संग्रह का काम पूरा। अन्य खानों से सैपल संग्रह का काम प्रगति पर। वीसीसीएल एक्सप्लोजन विशेषण के लिए नमूना संग्रह पूरा। सिएफ़र, धनबाद में 20 लीटर एक्सप्लोजन चोम्बर के लिए सीएफ़डी सिमुलेशन कार्य मालिनि के डिसपर्सल के लिए प्राप्ति पर।



क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यवच चालू होने की तिथि (₹ लाख में)	समाप्ति की संशोधित/अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
	एसएन्डआर डिविशन, सीआईएल (मुख्यालय) कॉलकाता तथा एसआईएमटीएआरएस, आस्ट्रेलिया				आईआईटी - आईएसएफ धनबाद : एसआईएमटीआरएस की सलाह से प्रयोगीक सेट अपने डिजाइन की जांच कर रही है। आईआईटी, धनबाद में उपकरण खरीद प्राप्ति पर है। उपकरण की खरीद संबंधित सभी दस्तावेज तैयार है तथा शायि ही आईआईटी बोर्ड के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे। आईआईटी धनबाद से स्वीकृति मिलने पर उपकरण की खरीद के लिए आदेश जारी किया जाएगा।



3.3.2 31 मार्च 2018 तक ईसीएल के कर्मक्षेत्र में कार्यान्वित तथा कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कोयला एवं तथा टी परियोजना की स्थिति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
1	भूमिगत कोयला खदानों के लिए, टेलि-रोबोटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास-ए-प्रमोटर (ईआईआई) / 162. कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमईआरआई, दुर्गापुर; सीएमईएफआर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, रोंची	440.12 सीएमईआरआई हेतु 251.57 सीआईएमएफआर हेतु 125.55 सीएमपीडीआईएल हेतु 63.00	सितम्बर, 2012	जून, 2018	373.00 सीएमईआरआई - 235.00 सीआईएमएफआर - 75.00 सीएमपीडीआईएल - 63.00	परियोजना के अंतर्गत टेलि-रोबोट विकासित किया गया तथा ईसीएल के खोड़डीह खदान में इसका परीक्षण किया गया। यह विकासित रोबोट परिवर्णन के पारमाणिक जैसे कार्बन डाइ अक्साइड (CO_2), मिथेन (CH_4), ऑक्सीजन (O_2) का प्रतिशत तथा हवाका तापक्रम एवं नमी को मानीटर करने में सक्षम है। ऐयलटाइम मैफिकल यूजर इंटरफ़ेस (जीयूआई) आधारित नवीगेशनल कैमरा सेसम डाटा से भूग्राहण खानों में परिस्थिति बताने में सक्षम है। माल्टीप्लत वायरलेस राउटर के द्वारा लाईबी रेंज का संचार स्थापित किया गया। एसएसआरसी की तकनीकी ऊ समिति द्वारा 22.12.2017 को 17 वीं बैठक में परियोजना की पूरी रिपोर्ट पर बातचीत हुई। उपरोक्त विकासित रोबोट की डीजीएमएस से स्वीकृति मिलने पर फ़िल्ड द्रायल पर समिति ने बातचीत के बाद सहमति प्रकट की। समिति के फ़िल्ड द्रायल पूरा करने के लिए परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा जून 2018 तक बढ़ाने की सिफारिस की।
2	विस्फोट प्रारूपण एवं विखंडन नियंत्रण उत्पादकता की - चार्मी भि.ट/164. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी: सीआईएफआर, धनबाद	303.86	जनवरी, 2013	जून, 2016	250.00	सिफार द्वारा प्रोजेक्ट पूर्णता रिपोर्ट जमा किया गया : ■ ब्लास्टिंग द्वारा राक फ्रैगमेंटेशन पर पारामीटर का ब्लास्टर डिजाइन का विशेष प्रभाव है। घटते हुए आर तथा स्पेसिसा सहित औसत फ्रैगमेंटेशन का लगातार चार्ड स्पेसिंग सहित प्रयोगिक द्रायल में भिन्न है। ■ पायोगिक द्रायल लगातार आर तथा स्पेसिंग सहित तथा मिक्ता साथ और फ्रैगमेंट आकार में कमी है। ■ डिले डिटोनेटर में स्कैटरिंग ब्लास्ट होल के क्रम में फायरिंग को प्रभावित करते हैं तथा बाद में विस्फोट को क्रम परविलम्ब परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन मुख्यतः डेटोनेटर के गलत कार्य करने से होता है तथा अधिकत फ्रैगमेंटेशन को प्रभावित



क्रम. सं.	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यवहार (इलाख में)	समसि की संशोधित/ अनुसूचित तिथि की तिथि	प्रगतिशील संवितरण (इलाख में)	विवरण
					<p>करता है, जो ब्लास्ट भिक्ता के स्तर में भिक्ता लाता है। इस प्रकार टाइमिंग में देरी तथा राक फ्रैगमेंटेशन पर फार्यार्ग सिंकेंस का विशेष प्रभाव होता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ यह पाया गया कि स्टिफेनस औसत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन आउटपुट तथा सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य सामने आता है। 3 ओर में परिवर्तन या स्पेसिंग विशेष रूप से प्रभाव डालता है। लेकिन दूसरी ओर ब्लास्ट होल डेविएट्स, संबंधित समस्या हो सकती है। इस प्रकार बेहतर परिणाम के लिए स्टिफेनस अनुपात 2 से अधिक होना चाहिए। ■ परियोजना के परिणाम पर विचार विमर्श एसएसआरसी की 22.12.2017 को आयोजित तकनीकी उपसमिति की 17वीं बैठक में हुई। कमिटी की विस्तृत विचार विमर्श के बाद सिफ्ट, धनबाद का सलाह दी कि माइन मैनेजमेंट से लेकर प्रमाणपत्र जमा करे जहाँ इस परियोजना का फ़ील्ड ट्रायल किया गया है। संबंधित खान से प्रमाण पत्र सिम्फर द्वारा जमा किया जाना अभी बाकी है।
3	दमोदर बेसिन ऑफ इंडिया के शेल गैस की क्षमता जाँच सीईईओआई/30 कार्यान्वयन एजेंसी:	2038.09	दिसंबर, 2012	1166.87 - एनजीआरआई - 660.00 - सीआईएमएफआर - 140.00 - सीएमपीडीआईएल - 366.87	<ul style="list-style-type: none"> ■ इस परियोजना के अंतर्गत सभी उपकरण खरीद लिए गए। रानीगंज कोलफिल्ड में रांगमाटी बी ब्लाक तथा झारिया कोलफिल्ड में राधानगर पिपाटांड ब्लाक के 3डी सिस्टिक सर्वे के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चुना गया है। पेट्रोग्राफिक एनालिसिस एवंजार्पेसन आइसोथर्म जॉच प्रोक्रिस्मेंट एनालिजिक इल्यादि सिम्फर, धनबाद तथा एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा किए गए जो रांगमाटी बी ब्लाक में 3.2 बर्ग कि.मी के ख्यान पर 2.4 बर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किए गए। उपलब्ध अंकड़े का विश्लेषण किया जा रहा है। ■ राधानगर पिपाटांड ब्लाक, झारिया कोयला क्षेत्र में 3डी सिस्टिक सर्वे प्रगति पर है।



3.14 परियोजना मॉनीटरिंग एवं ऑनगोइंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की अनुमोदित अवधि	कार्यान्वयन की स्थिति
1	सोनपुर बजारी संयुक्त ओसी	8.00	1055.05	आगस्त 2012	मार्च 2018	मार्च 2020	प्राप्त उत्पादन : 2016-17 : 8.92 मि.टन 2017-18 : 9.72 मि.टन रेलवे साइडिंग का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजपथ का विपथन प्रगति पर है।
2	हुगा सी खुली खान	3.00	359.69	अक्टूबर 2015	मार्च 2022	मार्च 2022	बन विभाग की सहमति स्टेज-II तथा भूमि पर कब्जा का काम प्रगति पर है।
3	झांझरा संयुक्त पीआर	3.50	602.86	नवम्बर 2015	मार्च 2022	मार्च 2022	प्राप्त उत्पादन : 2016-17 : 2.44 मि.टन 2017-18 : 3.17 मि.टन रेलवे साइडिंग का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजपथ का विपथन प्रगति पर है।
4	न्यू केन्दा ओसीपी	1.20	127.72	नवम्बर 2014	मार्च 2019	मार्च 2020	भूमि पर कब्जा तथा पुनर्वास प्रगति पर है। 22 नवम्बर 2016 में ओवरबर्डन हटाने का काम आरम्भ हुआ।
5	कुमारडीह बी सीएम भूमिगत	1.02	117.91	मई 2014	मार्च 2023	मार्च 2023	क) इन्क्लाइन ने । तथा ॥ के लिए ड्राइवेज का काम 317.00 मीटर में से 213.80 मीटर पूरा। ख) सी एम पैकेज के लिए टेण्डर 24.11.2016 को खोला गया। जाँच प्रगति पर है।
6	चित्रा ईस्ट खुली खान	2.50	112.69	अगस्त 2007	मार्च 2013	मार्च 2020	2016-17 : 1.18 मि.टन 2017-18 : 1.56 मि.टन बन विभाग की सहमति स्टेज-II, भूमि पर कब्जा तथा आर एण्ड आर प्रगति पर। आरसीई निर्माणाधीन है।
7	मोहनपुर विस्तार खुली खान	1.00	14.23	जून 2008	जून 2013	जून 2018	प्राप्त उत्पादन : 2016-17 : 0.999 मि.टन 2017-18 : 0.999 मि.टन भूमि पर कब्जा तथा आर एण्ड आर गतिविधियाँ प्रगति पर है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	पूर्णता की अनुसन्धित तिथि	पूर्णता की अनुमोदित अवधि	कार्यान्वयन की स्थिति
8	खोड़ाडीह कन्टीन्युअस माइनर भूमिगत	0.60	127.17	मई 2015	मार्च 2016	दिसम्बर 2019	इन्क्लाइन चलाने का काम पूरा हुआ। खनन विकास के अन्य कार्य प्रगति पर है। सीएम पैकेज के लिए टीसीआर स्वीकृति के अधीन है। समझौता अप्रैल 2018 में हो जाने की उम्मीद है।
9	खोड़ाडीह विस्तर ओसीपी माइनर भूमिगत	1.60	140.25	मई 2017	मार्च 2020	मार्च 2020	2017-18 में प्राप्त उत्पादन : 1.28 मि.टन भूमिपर कब्जा और आर तथा आर प्रगति पर है।
10	नारायणकुड़ी भूमिगत	0.54	149.06	फरवरी 2009	मार्च 2015	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
11	सिंदुली भूमिगत	0.30	54.99	दिसम्बर 2006	मार्च 2015	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन 09.09.2017 ~ 09.09.2017 01.09.2017 को स्वीकृत किया गया। इसे सीआईएल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
12	नवकाजोड़ा माधवपुर भूमिगत	0.30	56.14	दिसम्बर 2006	मार्च 2014	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
13	खाद्रा एन के जे	0.285	18.81	जुलाई 2003	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
14	परासिया दोबराना भूमिगत	0.16	11.89	फरवरी 2004	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
15	बेलबाद भूमिगत	0.36	69.01	फरवरी 2009	मार्च 2014	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
16	बंकोला आर VI	0.24	19.14	मार्च 2003	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में



प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2017-2018

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन :

समान विद्युत क्रय शक्ति के आधार पर, अनुमानित जीडीपी के साथ संयुक्त राष्ट्र और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि के साथ गुणवत्ता उत्थान के लगातार प्रयास खान सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा प्रभावशाली खान सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा प्रभावशाली खनन द्वारा खानों की संभाव्यता में सुधार के द्वारा लागत प्रभावशालिता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय कोयला क्षेत्र पर, दबाव बनाए हुए हैं। कोयला भारत के एक प्रमुख इंधनों में से एक है तथा भविष्य में भी भारत के उर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख इंधन बना रहेगा।

भारतीय कोयला उद्योग और भंडार :

अप्रैल, 2017 को, भारतीय कोयले का अनुमानित भूगर्भीय स्रोत 1200 मीटर की गहराई तक 315.14 बिलियन टन था (स्रोत : जीएसआई, भारत सरकार). भारत में, कोयले की उपलब्धता एवं सस्ता होने के कारण, यह ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

कोल इंडिया के एक सहायक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शुरूआत 01 नवंबर, 1975 को हुई थी जिसके अन्तर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन की शुरूआत कर दी। इसका परिचालन पश्चिम बंगाल व झारखण्ड राज्य में होता है। वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कुल 14 परिचालन क्षेत्र, 84 चालू खदान हैं जिनमें से 55 भूमिगत खदान, 19 खुली खदान तथा 10 मिश्रित खदान हैं। 01.04.2017 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 31.64 बिलियन टन तथा झारखण्ड में 18.55 बिलियन टन (कुल 50.19 बिलियन टन) कोयले के रिज़र्व के साथ ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणात्मकता वाला कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है।

मजबूती और कमज़ोरी :

प्रतिस्पर्धात्मक बल :

- क. ईसीएल कमान क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत कुल 31.64 बिलियन टन कोयले का भूगर्भीय भंडार है जिसमें से 13.72 बिलियन टन सिद्ध श्रेणी में आता है। ईसीएल में रामीगंज में 20% से कम ऐशा कंटेनर सहित प्रीमियम श्रेणी के ग्रेड का कोयला है। इस कोयले का मिश्रण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख वाले कोयले के साथ किया जा सकता है।
- ख. झारखण्ड राज्य में 01.04.2017 (जीएसआई के अनुसार) तक 600 मीटर नीचे से लगभग 18.55 बिलियन टन निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन आरक्षित था जिसमें कि खुले खदान बनाकर आसानी से कोयला निकालने का स्कोप है।
- ग. कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं।
- घ. ईसीएल के खदान राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे कॉरिडोर के आसपास स्थित हैं जिससे कोयले के निकास में सुविधा होती है।
- ड. ईसीएल के खदानों का कोयला 6700 किलो कैलरी प्रति किलो ग्राम / से 3401 किलो कैलरी प्रति किलो ग्राम का सकल ताप मूल्य (जी 3-जी 13) तक के रेंज का होता है जिससे इसके उपभोक्ता मिलने में आसानी होती है।



कमजोरियाँ :

- क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरूआत लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी छोटे खदानों के पुराने लिंगेसी, पुरानी वाष्प चक्की, जो कि अपनी क्षमता से काफी कम करती है, के साथ चल रही है।
- ख. जैविक खदान की परिस्थिति काफी कठिन है।
- ग. जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण भूमि की कमी है।
- घ. कोयला क्षेत्र के आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।
- ड. बड़ी पम्पिंग व रेत का क्षेत्र।
- च. निचली सीमों में व्यापक उत्पादन तकनीक को प्रस्तुत करने में ऊपरी वाटर-लॉग्ड सीम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अवसर और चुनौतियाँ :

अवसर :

- क. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले का मूल्य बढ़ाना।
- ख. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों में कार्यरत संसाधन।
- ग. केन्द्रीय व्यापार संगठन से उत्पादन व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।
- घ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।
- ड. ईसीएल में प्रथम बार हाइवाल माइनिंग तकनीक की प्रस्तुति।
- च. अतिरिक्त राजस्व उत्पादन के लिए ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में पहलीबार कोलवे बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण तथा निष्कासन।

चुनौतियाँ :

- क. गाँववालों की ओर से ज़मीन अधिग्रहण का विरोध एवं कंपनी नियमों के अतिरिक्त माँगों की प्रस्तुति।
- ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।
- ग. ऊपरी सतह में पानी भरा होते से मास उत्पादन तकनीक तथा खुली खानों के विस्तार को लागू करने में भूमि की बाधा।

व्यवसाय रणनीति :

- क. उत्पादन को निरंतर बढ़ाते रहना, उत्पादन क्षमता और भारतवर्ष में कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करना।
- ख. उच्च श्रेणी को कोयले और ई-एक्यूशन कोयले की विक्रय को सुधारने का प्रयास करना।
- ग. परिचालन क्षमता को सुधार कर और नियंत्रित करके लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।
- घ. विस्तृत अन्वेषण के बाद आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने को जारी रखना।
- ड. पर्यावरणपरक और समाजपरक परिचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
- च. सक्रिय विचार-विमर्श के तहत कोल बेड मीथेन का अन्वेषण एवं उसका दोहन।



उत्पादन :

विवरण	2017-18	2016-17
ओसीपी-कोयला(एमटी)	34.965	32.391
भूमिगत कोयला(एमटी)	8.603	8.127
कुल	43.568	40.517
वृद्धि %	7.53	0.77
ओबीआर-(एमसीयूएम)	118.895	124.637
वृद्धि %	-4.61	4.45

विभागवार या उत्पादनवार कार्यनिष्पादन :

(मिलियन टन में)

विवरण	2017-18	%	2016-17	%	वृद्धि (%)
एफएसए के अन्तर्गत बाहर से वितरण	30.093	89.60	38.283	88.99	2.12
ई-नीलामी	3.059	7.01	2.190	5.09	39.66
एमओयू-प्रीमियम मूल्य के अन्तर्गत प्रेषण	1.192	2.73	2.264	5.26	-47.35
अन्य	0.090	0.21	0.071	0.17	26.76
स्वयं खपत	0.195	0.45	0.211	0.49	-7.58
कुल ऑफ टेक	43.629	100.00	43.019	100.00	1.42

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को ताप विद्युत संयन्त्रों को आपूर्ति की जाती है। इसके साथ विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्टील, सिमेंट, स्पोर्ज आयरन, सुरक्षा व अन्य विभिन्न उद्योगों में भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक :

खदान से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक वेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण तक कोयले का वितरण रेलमार्ग, सड़कमार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

समस्त वितरण ईसीएल के पास उपलब्ध अपने मालवाहक या रेलवे के मालवाहक के द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक रेलमार्ग या सड़कमार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से वितरण स्थान यदि तीन किलोमीटर की दूरी पर हो तो खदान से निर्दिष्ट वितरण स्थान तक कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन ईसीएल के द्वारा किया जाएगा। यदि वितरण स्थान हमारे खदान से तीन किलोमीटर से अधिक तथा 20 किलोमीटर तक की दूरी पर हो तो कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन, समय-समय पर सीआईएल द्वारा निर्धारित दर के आधार पर, ग्राहक को ही करना पड़ेगा।

हमारे खदानों से कच्चे कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न परिवहन मार्गों से संबंधित विवरण निम्नसारणी में दर्शाया जा रहा है :



(मिलियन टन में)

प्रेषण का माध्यम	2017-18	2016-17
रेल	30.430	29.155
सड़क	1.814	1.464
एमजीआर	11.191	12.188
कुल	43.435	42.807

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कूर्किंग के लिए प्रयोग न किए जाने वाले कोयले का मूल्य 01.01.2012 से प्रभावी उसके सकल कैलोरिक मूल्य पर निर्भर करता है और कूर्किंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोयला और वाशरी श्रेणी के कोयले का मूल्य निर्धारण स्तर पर किया जाता है। अर्ध-कूर्किंग कोल का मूल्य निर्धारण छाई और नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, इनफिलेशन और आयात कोयले को रखबाने के खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तथ किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्चों (उपकर, रॉयलटीज, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल करके किया जाता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन वितरण समझौते(एफएसएस) के अन्तर्गत लगभग 90% कोयले का वितरण विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई नीलामी योजना के अन्तर्गत भी कोयले का विक्रय किया जाता है।

वितरण व बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ग्राहकों, दीर्घावधि व अल्पावधि दोनों, से प्राप्त कोयले की माँग को पूरा करने के लिए 18 अक्टूबर 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई-नीलामी योजना :

एनसीडीपी के अन्तर्गत संस्थागत तंत्र में उपलब्ध कोयले के माध्यम से जो ग्राहक अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत की गई है। कोयला मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के अन्तर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना से ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला उपलब्धता का भी एक विकल्प तैयार होता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी विधिक एफएसए में प्रवेश किया है जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था करती है। हमारी एफएसए को वृहद रूप से निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :-

- विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्रों जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएस) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ एफएसए।
- गैर विधिक उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयंत्र को शामिल करके) ग्राहक के साथ एफएसए।
- राज्य के नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।
- लिंकेज नीलामी मार्ग द्वारा एफएसए।

अनुसंधान व विकास :

अनुसंधान व विकास के लिए ईसीएल को सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ने की आवश्यकता हुई, जो कि सीआईएल की एक प्रमुख सहयोगी है। अनुसंधान कार्य को करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, राशि वितरित करती है तथा साथ ही



साथ हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के समझौते का ज्ञापन :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भौतिक व वित्तीय कार्यनिष्पादन करने के लिए ईसीएल विभिन्न आयामों को सेट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2016-17 के लिए ईसीएल को सर्वोत्तम ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता :

व्यवसाय के सक्षम विकास के साथ-साथ, विभिन्न नियमों और विनियामकों के दैनंदिन अनुपालन में, एक कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में, ईसीएल के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति बहुत ठोस है।

सुचारू रूप से इसके संचालन के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की नियम पुस्तिकाएँ (पर्चेज, सिविल, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आदि) संचालन में हैं जिनमें उन सभी दिशानिर्देशों एवं विस्तृत प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख है जिनकी आवश्यकता दैनंदिन कार्य-प्रणाली में पड़ती है। इनके साथ-साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियम-पुस्तिकाओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के परिपत्र भी जारी किए जाते हैं। साथ ही, पद्धति में किसी प्रकार की चूक को दूर करने के लिए इन दिशानिर्देशों/पुस्तिकाओं में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक जाँच तथा तुलन का भी उल्लेख है।

कोलियरी/यूनिट स्तर पर डेलीगेशन ऑफ पावर बिल्कुल व्यापक/विषद है जो सुनिश्चित करता है कि वस्तुस्थिति एवं महत्व पर निर्भर डेलीगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ठीक ढंग से निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार, यहाँ निर्णय लेने की एक सहज प्रक्रिया है जो सभी महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न स्तरों पर समय से निर्णय लेना सुनिश्चित करता है।

यह सुनिश्चित करने के दौरान कि आवश्यक जाँच एवं तुलन यथास्थान हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ काम कर रही हैं। नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किये गये कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय से चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउटेंट्स के अनुभवी फर्मों द्वारा साल भर निरंतर आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों/स्थापनाओं में वर्ष भर लेनदेन की लेखापरीक्षा करते हैं जिनमें व्यय के समर्थन में समुचित तथ्यों के प्रस्तुत किये जाने की भी, आंतरिक नियंत्रण के रूप में, गहराई से जाँच की जाती है। यदि किसी प्रकार का असंतुलन देखने को मिलता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जाँच रिपोर्ट में उसका उल्लेख कर दिया जाता है ताकि प्रबंधन द्वारा उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उसमें सुधार किया जा सके।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों के अनुपालन पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति विशेष ध्यान रखती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के महत्वपूर्ण पर्यवेक्षणों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वहाँ चर्चा के पश्चात लेखापरीक्षा समिति अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करती है।

खास मुद्दों पर, प्रबंधन के चाहने पर, कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विशेष लेखापरीक्षा/जाँच की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की विशेष लेखापरीक्षा/जाँच के संचालन के दौरान, कंपनी में कार्यरत आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की गहन जाँच की जाती है और यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्टिंग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाती है।

कम्पनी के संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है तथा नए नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा अक्टूबर 2017 से तथा आगामी वर्षों के लिए की जा रही है।

2017-18 के दौरान, ईसीएल में आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे विभिन्न लेखापरीक्षा संस्थाओं द्वारा कंपनी के परिचालन की आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा संस्थाओं ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर संतोष जताया है।

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि कंपनी के आकार एवं इसके कार्य-निष्पादन की प्रकृति के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति ठोस एवं प्रभावी है।



लागत लेखा परीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(6) तथा कंपनी नियमावली, 2011 (लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य किया गया। वित्त-वर्ष 2016-17 हेतु, 21 अक्टूबर, 2017 को लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन फॉर्म सी आर ए – 4 में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संचालन कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

संचालन के परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017 – 18	2016 – 17	वृद्धि (%)
कुल विक्रय	15250.11	14717.53	3.62%
उगाही में कमी	4624.10	4576.35	1.04%
शुद्ध विक्रय	10626.01	10141.18	4.78%
अन्य आय	841.65	787.13	6.92%
	11467.66	10928.31	4.94%

कोयले के विक्रय से आय :

कोयले के विक्रय से होने वाली आय मुख्यतः कोयले के मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करता है। विक्रय के अंतर्गत रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नौभरण उत्पाद शुल्क समेत विविध वैधानिक लेविश तथा विक्रय कर शामिल है।

व्यय :

मुख्य शीर्षों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	वृद्धि	
			विशुद्ध	प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/कमी	33.53	157.37	-123.84	-78.69%
भंडार एवं पुर्जे	656.99	693.25	-36.26	-5.23%
वेतन एवं पारिश्रमिक	146.14	626.06	-479.92	-76.66%
बिजली एवं ईंधन	8415.89	6436.58	1979.31	30.75%
सामाजिक ओवरहेड	506.06	503.17	2.89	-0.06%
संविदा व्यय/मरम्मत	12.69	21.62	-8.93	-41.30%
अन्य व्यय	1587.39	1591.80	-4.41	-0.28%
ओबीआर समायोजन	153.41	156.94	-3.53	-2.25%
अवमूल्यन/हानि	551.12	454.08	97.04	9.49%
प्रावधान	274.04	-49.37	323.41	655.07%
कर के पहले लाभ	443.99	323.89	120.10	37.08%
कर के बाद लाभ	-1.24	-144.91	143.67	99.14%
	-1303.10	51.90	-1355.00	-2610.79%
	-824.17	20.77	-844.94	-4068.08%



नकद-प्रवाह :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
शुरुआती नकद एवं नकद समानांतरण	737.44	591.08
क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	1328.76	485.73
निवेशात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	-1276.77	-332.98
वित्तीय क्रियाकलापों में इस्तेमाल शुद्ध नकद	-6.04	-6.39
नकद एवं नकद समानांतरण में अंतर	45.95	146.36
समाप्त नकद एवं नकद समानांतरण	793.39	737.44

17.3 31 मार्च 2018 तक एमओयू लक्ष्य के साथ साथ उपलब्धियाँ :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	संचालन से राजस्व	रु. करोड़	रु. 10488.02 करोड़	रु. 10795.11 करोड़
2	संचालन से राजस्व का प्रतिशत संचालन लाभ के रूप में (शुद्ध)	प्रतिशत (%)	-9%	1.15%
3	पीएटी / नेटवर्क का औसत	प्रतिशत (%)	-67.72%	42.12%
4	संचालन से राजस्व के लिए तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य की सूची (शुद्ध)	दिनों की संख्या	15 दिन	11.29 दिन
5	संचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संस्थान व्यापारिक प्राप्तियों (शुद्ध) के रूप में	दिनों की संख्या	43 दिन	27.05 दिन
6	सीपीएसई तथा अन्य में क्रृषि के रूप में कम्पनी के विरुद्ध दावों में कमी	प्रतिशत (%)	4%	प्राप्त 1.84%

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

श्रेणी	जनशक्ति		वृद्धि (+) / ह्रास (-)
	31.3.2018	31.3.2017	
आधिशासी	2217	2276	59
पर्यवेक्षक	4197	4425	-228
मंत्रालयी/लिपिकीय	2559	2776	-217
उच्चतम दक्ष/दक्ष	21090	21879	-789
अर्ध-दक्ष/दक्षताविहीन	30978	32126	-1148
प्रशिक्षु	755	547	208
कुल	61796	64029	-2233



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

जनशक्ति में अंतर के कारण :

विवरण	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नव-नियुक्ति	120	57	177
चिकित्सा की दृष्टि से अनफिट मामलों में नियुक्ति	0	11	11
मृत्यु मामलों में नियुक्ति	0	373	373
पुनः-पदभार-ग्रहण	0	4	4
दूसरी कंपनियों से स्थानांतरण	82	10	92
भूमि के बदले नियुक्ति	0	422	422
स्पेशल फ़िमेल वीआरएस के तहत नियुक्ति	0	0	0
कुल वृद्धि (क)	202	877	1079
हास			
सेवानिवृत्ति	147	2252	2397
मेडिकल अनफिट	0	0	0
मृत्यु	8	632	640
त्यागपत्र	13	28	41
अन्य कंपनियों में स्थानांतरण	92	27	119
निलंबन	1	48	49
जीएचएस/ईवीआरएस के अंतर्गत वीआर	0	66	66
स्पेशल फ़िमेल वीआरएस	0	0	0
कुल हास (ख)	261	3051	3312
अंतर (क-ख)	-59	-2174	-2233

औद्योगिक संबंध :

प्रबंधन की सहभागिता शैली सौहार्दपूर्ण ढंग से गहन विचार-विमर्श द्वारा विवादों/शिकायतों के निपटारण की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप 2017-18 के दौरान कंपनी में आद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा। औद्योगिक संबंध तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी सांख्यिकी निम्नलिखित है -

क्रम सं	विषय	2017-18	2016-17
1	हड्डतालों की संख्या	0	1
2	नष्ट श्रम दिन (लाख में)	0	0.08
3	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0	0.45

कानून एवं आदेश :

विषय	2017-18	2016-17
कानून एवं आदेश (उल्लंघन)	24	33
उत्पादन हानि(लाख टन में)	0.02	1.58



प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

ईसीएल के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अपनी कंपनी के प्रत्येक आयाम में पूर्ण रूप से कार्यरत है। कॉर्पोरेट के साथ-साथ परियोजना / इकाइयों स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्यरत है। जेसीसी की बैठक निरंतर होती रहती है जहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, लागत, कल्याण इत्यादि पर विचार-विवरण किया जाता है अन्य समिति/बोर्ड जैसे सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड, स्वास्थ्य सलाहकार मंडल, गृह आवंटन समिति, कैटिन समिति इत्यादि भी अपनी कंपनी में कार्यरत हैं। इस तरह के समितियों में श्रमिक संघ की सक्रिय भागीदारी है। प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने इन सीमितियों में भाग लिया तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के साथ कर्मचारियाँ तथा प्रबन्धन के बीच सौहार्द एवं परस्पर विश्वास को मजबूत बनाने का काम किया।

बैठकें	2017-18	2016-17
मुख्यालय स्तर पर संपन्न जेसीसी बैठकों की संख्या	04	04
मुख्यालय स्तर पर संपन्न संरचनात्मक बैठकों की संख्या	26	19

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के अंतर्गत दिया गया रोजगार :

....के तहत रोजगार दिया गया	2017-18	2016-17
एनसीडब्ल्यूए	369	555
लैंड लूजर योजना	298	375
प्रत्यक्ष नियोजन	177	471

भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति(अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण :

ईसीएल में अनुसूचित जाति(अ.जा.), अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निदेशों को क्रियान्वित किया गया है। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है -

दिनांक को	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी		अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
31.03.2018	61796	16987	27.48	8065	13.05
31.03.2017	64029	17775	27.76	8231	12.85

2017-18 के दौरान जहाँ अनुसूचित जाति के 205 एवं अनुसूचित जनजाति के 115 कर्मचारी पदोन्नत हुए; वहाँ 2016-17 के दौरान पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 308 एवं 144 रही। 31.03.2018 तक कंपनी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 16407 कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि 2016-17 में यह संख्या 16733 थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2018 के तहत रहस्योद्धाटन :

महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-2 (एच) के अंतर्गत 23.05.2014 को ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। अब तक, ईसीएल में दो यौन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए हैं जिनकी जाँच की जा रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली। वर्ष 2016-17 के दौरान एक शिकायत मिली थी जिसकी जाँच की गई और निपटारा कर दिया गया।



31 मार्च, 2018 तक एमओयू का लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	निर्धारित अवधि में एसीआर/एपीएआर लिखने सहित सभी अधिकारियों (ई0 से ऊपर) के संबंध में एसीआर/एपीएआर का ऑनलाइन समर्पण।	अधिकारियों की संख्यां का प्रतिशत	95%	96.11% उपलब्ध

श्रमिक संघ :

अधिकांश अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न संगठनों, जैसे आईएनटीयूसी, आईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीआईटीयू, के सदस्य होते हैं। जेबीसीसीआई के द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोल मजदूरी समझौता के द्वारा अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी के वेतन संशोधन व सेवा के अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हमारे कार्यपालक श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, पर्क्स और भत्तों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 01 जनवरी, 2017 से कार्यपालकगण के वर्तमान वेतन में सुधार किया गया है।

प्रशिक्षण :

हमारा उद्देश्य हमारे सभी कर्मचारी को लगातार प्रशिक्षण देना है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1994 में स्थापित इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट अग्रिम प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता के विकास, सामान्य प्रबंधन, अग्रिम रख-रखाव के तरीके, प्रबंधन विकास, प्रशिक्षण और कोचिंग, कैरियर विकास और सम्प्रेषण कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त, हमारी कंपनी ने वाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिशासियों की व्यवस्था की है तथा हमारे कर्मचारियों (निवेशकों, वरिष्ठ अधिशासियों एवं गैर-अधिशासी कर्मचारियों सहित) को भारत के बाहर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए भेजा। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में भी अच्छे एचआरडी केन्द्र, बीटीसी हैं, जो कि हमारे कर्मचारियों और अधिशासियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षकों के लिए समय-समय पर प्रवेश प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

2017-18 में कंपनी ने 1278 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जबकि वर्ष 2016-17 में यह संख्या 488 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. कार्य योजना :

वर्ष	पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या								
		लक्ष्य					वास्तविक			
		लक्ष्य	वास्तविक	कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी	कुल	कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी
2017-18	227	229	643	607	1538	2788	851	853	1501	3215
2016-17	143	210	712	587	1740	3039	1075	777	2010	3862



2. 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए विविध प्रशिक्षण का विवरण :

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2017-18				2016-17			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
1	सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :								
1.i	3 दिन या उससे अधिक	251	667	1034	1952	968	764	2000	3732
1.ii	3 दिनों से कम	610	186	467	1263	107	13	10	130
2	बाह्य प्रशिक्षण (भारत में) :								
2.i	आईआईसीएस में:								
2.i.a	3 दिन या उससे अधिक	343	0	0	343	480	0	0	480
2.i.b	सेमिनार/अल्पकालीन पाठ्यक्रम	130	0	0	130	59	0	0	59
2.ii	बाह्य कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएस के अलावा) :								
2.ii.a	अल्पकालीन	77	18	0	95	193	11	5	209
2.ii.b	दीर्घकालीन	113	03	07	123	150	4	6	160
2.ii.c	3 दिन या उससे अधिक	95	0	0	95	84	15	0	99
3	बाहरी विदेश में	02	0	0	02	12	0	0	12
	कुल	1621	874	1508	4003	2053	807	2021	4881
4	अन्य प्रतिशत तथा सेमीनार								
a	प्रशिक्षण								
	व्यक्तिगत	0	0	1278	1278	0	0	438	438
	पीडीपीटी	0	302	0	302	0	0	197	197
	पीजीपीटी	0	35	0	35	0	0	0	0
	प्रशिक्षण (दक्षता विकास)	0	0	68	68	0	0	0	0
b	सेमीनार/कार्यशाला कम्पनी के भीतर रहित	55	06	0	61	100	7	5	112
c	सिमुलेटर प्रशिक्षण	0	0	47	47	0	0	0	0
	कुल	1676	1217	2901	5794	2153	814	2661	5628

3. निपुण जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचालित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण :

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
1	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरों के लिए कोचिंग क्लास	52
2	माइनिंग सरदार के लिए कोचिंग क्लास	62 (10 छोटी अवधि तथा 52 लम्बी अवधि)
3	राडार द्वारा स्लोप स्थिरता विश्लेषण तथा खुली खानों में सुरक्षा	13
4	आईएसओ प्रमाणन के लिए इंटरनेट आडिटिंग स्कूल पर कार्यक्रम	32
5	एनसीएल में डम्पर आपरेटरों के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण	49
6	आईआईसीएम में प्रबंधन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (इंडक्सन तथा एमएसडीपी/टीएसडीपी)	183
	कुल	391



4. 31 मार्च, 2018 तक एमओयू का लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई, आईआईसीएम, एससीआई इत्यादि जैसे उत्कृष्टता, केन्द्रों में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभा प्रबन्धन तथा वृत्ति विकास	अधिकारियों का प्रतिशत	4.5%	उपलब्धि 9.40%

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

कंपनी द्वारा कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाता है एवं पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के नियमों एवं धाराओं के अनुसार वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भू-अवनति, जंगलों की कटाई आदि पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं।

बेहतर पर्यावरण क्लीयरेंस तथा फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कम्पनी ने पोषणीय विकास के अंतर्गत प्राकृतिक हरित पहल की है जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट, वर्षा जल का उपयोग इत्यादि। इसके कम्पनी व्यापक प्रमाणन में आईएसओ 9001:2015, आएसओ 14001 : 2015 तथा ओएसएसएस 18001 : 2007 में परिणत हुई है।

2017-18 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

क) पर्यावरण क्लीयरेस :

क्लस्टर 1 के पर्यावरण क्लीयरेंस में संशोधन किया गया जिससे मुगमा क्षेत्र के बजना भूमिगत तथा श्यामपुर ए ओसी, कपासरा भूमिगत तथा ओपन कास्ट, निरसा ओपन कास्ट तथा लखीमाता भूमिगत एवं ओपन कास्ट में उत्पादन में सुधार आएगा।

क्रम सं	खान का नाम	पिछला ईसी क्षमता (एमटीपीए)	ईसी में संभोधित क्षमता (एमटीपीए) मिलि रु. प्रति वर्ष
1.	निरसा खुली खान तथा भूमिगत	0.5	0.95
2.	निरसा खुली खान	0.1	0.4
3.	कपासरा भूमिगत तथा खुली खान	0.38	0.4
4.	शामपुर ए खुली खान	0.12	0.2
5.	बजना भूमिगत	0.10	0.15
	कुल	1.2	2.1

ख) फारेस्ट क्लीयरेस :

वर्तमान वित्त वर्ष में फारेस्ट क्लीयरेंस में निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं।

i) स्टेज-। फारेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव :

कम्पनी चुपरविटा ओसीपी के लिए स्टेज । फारेस्ट क्लीयरेंस उपलब्ध करने की प्रक्रिया में है। एफ.ए.जी. ने खुली खान के लिए सहमति प्रकट की है।

ii) स्टेज-॥ फारेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव :

चित्रा (पूर्वी) ओसीपी तथा हुरा सी ओसीपी के स्टेज-॥ फारेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव के लिए एमओईएफ एण्ड सीसी में अवलोकन का पालन किया गया। हुरा सी ओसीपी के मामले में प्रस्ताव का अनुपालन डीएफओ गोड्डा से सीएफ दुमका को भेजा गया है। चित्रा (पूर्वी) ओसीपी के मामले में प्रस्ताव एफएसी में विचार किया गया तथा एफएसी की सिफारिस लागू की जा रही है।



iii) दामिन-ई-कोह जंगल भूमि :

डिविजन, सर्किल तथा राज्य के वन्य क्षेत्र विभाग के स्तर पर कम्पनी में विशिष्ट प्रगति हुई है, स्टेज 1) फोरेस्ट क्लीयरेंस में हुरा सी खुली खान तथा स्टेज-1 फारेस्ट क्लीयरेंस में सिमलांग ओसी तथा चुपरविटा ओसी के झारखंड राज्य सरकार में विचाराधीन मामले प्रगति पर है तथा इन प्रस्तावों को दामिन-ई-कोह जंगल में शामिल किया गया है।

iv) जंगलभूमि के स्थलों की हैंडिंग ओवर सोनपुर बजारी ओसीपी के सम्बन्ध में 32.65 हेक्टेयर जंगलभूमि का साइट हैंड ओवर पूरा हो गया है।

ग) पौधारोपण तथा भूमि सुधार :

ईसीएल ने 130.43 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम बाहरी ओवरवर्डन डम्प, बैकफील्ड क्षेत्र तथा कोयला परिवहन सड़क किनारे अन्य समतल भूमि पर आरम्भ किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान पौधारोपण किए गए कार्य का विवरण निम्नलिखित है।

क्षेत्र	खान	पौधारोपण क्षेत्र	विवरण
झांझरा	झांझरा भूमिगत	14.43 हेक्टेयर	मिलेजुले पौधों का रोपण 5 हेक्टेयर में आर्किड पौधे 7 हेक्टेयर में समतल भूमि में तथा 2.43 हेक्टेयर इको पार्क के विकास में।
सोनपुर बाजारी	सोनपुर बाजारी ओसीपी	45 हेक्टेयर	34 हेक्टेयर में मिलेजुले पौधे 09 हेक्टेयर में समतल भूमि में तथा 2 हेक्टेयर माइन साइट भूमि सुधार में आईआईटी खड़गपुर द्वारा।
	परासकोल वेस्ट खुलीखान	5.5 हेक्टेयर	बैकफील्ड क्षेत्र में मिलेजुले पौधों का रोपण।
	माधवपुर खुली खान	7 हेक्टेयर	समतल सतह में मिले जुले पौधों का रोपण
	मधुसूदनपुर खुली खान	13 हेक्टेयर	बैकफील्ड क्षेत्र में मिले जुले पौधों का रोपण।
पाण्डवेश्वर	खोट्टाडीह ओसी	16 हेक्टेयर	बैकफील्ड क्षेत्र में मिलेजुले पौधों का रोपण।
मुगमा	हरियाजाम ओसी	4.5 हेक्टेयर	
	राजपुरा ओसी	5 हेक्टेयर	
राजमहल	बराहाट से पीरपेंती	20 हेक्टेयर	कोयला परिवहन सड़क 10 कि.मी दोनों ओर एकेन्यु पौधा रोपण।

घ) आईएसओ प्रमाणन :

ईसीएल को पूर्ण रूप से आईएसओ 9001 : 2008, आईएसओ 14001 : 2004 तथा ओएचएसएस 18001 : 2007 का प्रमाणपत्र 15.07.2017 से प्राप्त हो गया है। अपग्रेटेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रणाली (आईएमएस) मैनुअल (जो कि मैनेजमेंट मैनुअल, आपरेशनल मैनुअल तथा मेनेजरेंस मैनुअल आईएसओ 9001 : 2015 आईएसओ 14001 : 2015 तथा ओएचएसएस की आवश्यकतानुसार सीएमडी, ईसीएल द्वारा हस्ताक्षरित तथा जारी किए गए हैं।

आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ 14001 : 2015 तथा ओएचएसएस 18001 : 2007 के आधुनिकतम मानदण्ड के अनुसार प्रमाणपत्र उत्तरा किए गए हैं।



ड) पर्यावरण की लेखा परीक्षा :

इसी अनुपालन के लिए राजमहल ओसीपी तथा सोनपुर बाजारी ओसीपी की आईसीएफआरई द्वारा 30.06.2017 से 10.07.2017 तक थर्ड पार्टी आडिट सफलता पूर्वक पूरी की गई। ड्राफ्ट आडिट रिपोर्ट जमा किया गया है तथा अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

च) धूल दमन के उपाय :

- केन्द्र क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में स्थायी प्रकृति के 21 स्प्रिंकलर की स्थापना का कार्य आदेश किया गया है तथा सोदपुर क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में 10 स्थायी स्प्रिंकलर लगाने का आदेश दिया गया है।
- धूल दमन के लिए चित्रा ओसीपी में दो अतिरिक्त सचल टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं।
- मुगमा क्षेत्र में टिप्पलर प्वाइंट पर 5 स्थाई प्रकृति के स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए गए हैं।

छ) ईसीएल में सोलर पावर प्रोजेक्ट :

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में 141 के डल्भूपी के छत के ऊपर सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है :

क्रमांक	क्षेत्र	स्थापित क्षमता (केडब्लूपी)
1	झांझरा क्षेत्र	45
2	जे. के. रोपवेज	30
3	केन्द्र	20
4	पांडवेश्वर	16
5	बंकोला	30
	कुल	141

ज) वैज्ञानिक अध्ययन :

एनईईआरआई, कोलकाता केन्द्र को सोनपुर बजारी ओसीपी के कार्बन तथा जल फुट प्रिंट के अध्ययन के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है। इस कार्य में सोनपुर बजारी ओसीपी में 100 हेक्टेयर में किए गए पौधारोपण पर कार्बन सीक्रेस्ट्रेसन की माप शामिल है।

i) मुगमा क्षेत्र में डम्प से प्राकृतिक जंगल :

स्थानीय आवादी के जमीन वापस करने के लिए प्राकृतिक बन उपलब्ध कराना संपोषणीय तरीका है। ईसीएल ने खनन पश्चात परिदृश्य में स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं। मुगमा क्षेत्र में पौधा रोपण इस प्रकार के प्रयास का प्रशंसनीय उदाहरण है।

2) 31 मार्च, 2018 तक एमओयू तथा उबलब्धियाँ का विवरण :

क्र.	मानदण्ड	ईकाई	के लिए लक्ष्य 2017-18	वास्तविक उपलब्धि
1	वायोलजिकल भूमि सुधार	हेक्टेयर	143 हेक्टेयर	130.43 हेक्टेयर उपलब्धि



सीएसआर गतिविधियाँ 2017-18

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी है तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति तैयार की है जो ईसीएल सहित इसकी सभी अनुषंगी कम्पनियों पर लागू होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधन के साथ संशोधित सीआईएल सीएसआर नीति को ही ईसीएल में स्वीकार किया गया है एवं उसका कार्यान्वयन किया गया। 01.04.2014 से प्रभावी, पत्रांक : 15(13)/2013 -डीपीई(जीएम), दिनांक 21.10.2014 के माध्यम से जारी सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों को भी अपनाया गया। यह सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यापार बढ़ाने पर ज़ोर देती है; खास तौर पर 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहकर। सीआईएल सीएसआर नीति के अंतर्गत आने वाले प्रावधान के अनुसार, 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए 20% राशि का उपयोग किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का गरीब एवं पिछड़े हिस्से को सतत विकास के पर्याप्त अवसर मिलते रहें। ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया।

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. दक्षता विभाग
3. जल आपूर्ति सुविधा
4. महिला सशक्तिकरण
5. शिक्षा में उन्नति
6. स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य
7. सामुदायिक केंद्रों, रात्रि विश्राम स्थलों, वृद्धाश्रमों के निर्माण / मरम्मत, सड़कों, रास्तों एवं पुलों के निर्माण जैसे आधारभूत विकासात्मक कार्य
8. खेलों की उन्नति
9. सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को पूरा करना
10. पर्यावरण तथा इकोलॉजिकल संतुलन सुनिश्चित करना।

सीएसआर समिति का गठन :

कंपनी के सीएसआर एवं सतत विकास के मामले के परिचालन के क्रम में द्विस्तरीय संरचना गठित की गयी, जिसमें अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर की समिति एवं उप महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता में सीएसआर तथा सतत विकास की योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल है। सीएसआर गतिविधियों के समन्वय के लिए ईसीएल मुख्यालय में एक सीएसआर समिति का गठन किया गया जैसा कि सीआईएल सीएसआर नीति में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बहु-अनुशासनात्मक अधिशासियों की एक सीएसआर समिति का भी गठन किया गया।

परियोजना का विवरण स्वीकृत। वर्ष 2017-18 में कुल 70 परियोजनायें लागू की गईं। इनमें से 18 परियोजनायें सीएसआर पर बोर्ड की उपसमिति की अनुशंसा पर ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत हैं तथा 52 परियोजनायें सीएसआर पर बोर्ड से निम्नस्तर की समिति की अनुशंसा पर ईसीएल के निदेशक कार्मिक / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकृत हैं।

गत तीन वर्षों के वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत व्यय :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ/कर पूर्व लाभ की 2% राशि का निर्धारण इस प्रकार है :



ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15
कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)	178241.00	130004.00	1532.00
न्यून: संपदा के विक्रय पर लाभ (₹ करोड़ में)	110.00	31.00	2.00
धारा 198 के तहत लाभ (₹ करोड़ में)	178131.00	129973.00	1530.00
पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)		103211.00	

अतः औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ 2064.00 लाख ठहरता है।

निर्धारित सीएसआर व्यय :

ईसीएल द्वारा निधि निर्धारण कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति पर आधारित है जो औसत शुद्ध लाभ का 2% अथवा पिछले वर्ष हुए कोयला उत्पादन के ₹ 2/- प्रति टन के हिसाब से, जो अधिक हो, तय होता है। 2016-17 में कोयला उत्पादन 40.52 मिलियन टन था। अतः ₹ 2/- प्रति टन के हिसाब से सीएसआर राशि का निर्धारण ₹ 8.10 करोड़ होता जबकि औसत शुद्ध लाभ का 2% के हिसाब से यह राशि ₹ 20.64 करोड़ तय हुई। इसलिए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित सीएसआर में ₹. 2064 लाख का 2% तथा व्यय से बची हुई ₹. 757 लाख की राशि मिल कर ₹. 2821 लाख हुई।

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरण :

- क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल खर्च की गई राशि : ₹ 1268.81 लाख
- ख) खर्च से बची हुई राशि : ₹ 1552.19 लाख
- ग) संलग्न 'क' पर ईसीएल द्वारा सीएसआर के अधीन की गई गतिविधियों की सूची संलग्न है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च नहीं की गई राशि का कारण :

अनुपातिक योजनावद्ध कारबाई नए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आरम्भ की गई थी लेकिन 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से सीएसआर से संबंधित बहुत से कार्य में कई समस्यायें आई, पहले के सेवा कर नियमावली में छूट थी लेकिन सीएसआर मामलों में इनमें स्पष्टता में कमी की (सीएसआर के अधिकांश मामले ठेका / सेवा की प्रकृति के हैं इसलिए ठेका देने में काफी विलम्ब हुआ) इससे अनुसूची के अनुसार सीएसआर की गतिविधियाँ विपरीत रूप से प्रभावित हुई। इसके साथ ही विभिन्न स्टेक होल्डरों से क्लीयरेंस मिलने में समय लगा। जैसे पंचायत, जिला तथा राज्य प्रशासन इत्यादि जिसने कार्य की गति धीमी कर दी। सीएसटी से संबंधित मामले कैलेन्डर वर्ष के अंत में सुलझाए गए। इसके बावजूद सीएसआर के कमी ₹. 30 करोड़ के कार्य 2017-18 में जारी हैं जो अगामी वर्ष में पूरे हो जाएंगे।

एततद्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईसीएल में सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा उसकी मॉनीटरिंग 01.04.2014 से की जा रही है।

(सुनील कुमार झा)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

(डॉ इंदिरा चक्रवर्ती)

अध्यक्ष

सीएसआर समिति, ईसीएल

दिनांक 02.07.2018

स्थान : सांकेतोडिया



वित्त-वर्ष 2017-18 हेतु सीएसआर गतिविधियाँ

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	लागत राशि (बजट)	व्यय की गयी राशि	31.03.2018 तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष रूप से या कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से खर्च की गयी राशि
1	स्वाभिमान परियोजना	दक्षता विकास	1.94	1.94	1.94	दुर्गापुर सुन्दररम वेलफेर सोसाइटी
2	नवग्राम पंचायत में संपर्क सङ्करण तथा बड़े हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	19.73	16.84	16.84	साधे
3	उन्नति - सीएआर के अधीन महिलाओं द्वारा संचालित हैंडीक्राफ्ट का एक माइक्रो इंटरप्राइज	महिला सशक्तिकरण	24.91	12.23	12.23	श्रेयसी, दुर्गापुर
4	जामताड़ा रामकृष्ण मठ में 50 आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यशाला का जीर्णोद्धार	शिक्षा	19.26	19.26	19.26	रामकृष्ण मठ, जामताड़ा
5	आईटीआई गोड्डा के संपूर्ण अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण के लिए सलाहकार की सेवा हेड आईआईटी (आईएसएम) धनबाद को लगाया	शिक्षा	9.20	9.20	9.20	आईआईटी (आईएसएम), धनबाद
6	ब्रह्मचारी ज्योतिर्मय सरस्वती शिशु मंदिर द्वार हड्डा, हरिपाल, हुगली के स्कूल में 4 कमरों, चार मूत्रालय तथा एक प्रयोगशाला का द्वितीय तल पर निर्माण	शिक्षा	22.20	22.20	22.20	ब्रह्मचारी ज्योतिर्मय सरस्वती शिशु मंदिर
7	पूर्णदृष्टि आई एन्ड जेनरल हास्पीटल आसनसोल में एक स्कैन प्रो, स्लिट लैंप की खरीद तथा स्थापना	स्वास्थ्य रक्षा	2.23	2.23	2.23	ओसनसोल प्रीवेन्टिव ब्लाइंडनेस सोसाइटी पूर्णदृष्टि आई तथा जेनरल हास्पीटल, आसनसोल
8	सवडिविशनल स्पोर्ट्स कमिटी एसआई आफिस, कुल्टी सर्किल लेवल रिसोर्स सेन्टर	खेलकूद	1.10	1.10	1.10	सवडिविशनल स्पोर्ट्स कमिटी
9	ट्रेनिंग प्रोग्राम (प्लंबिंग, वेल्डिंग तथा ओटोमोबाइल) केन्द्र क्षेत्र	दक्षता विकास	23.86	23.86	23.86	सम्भव फाउन्डेशन



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

10	आसनसोल स्युनिसिपल कार्पोरेशन के माध्यम से कचरा प्रबन्धन के लिए 10 मिनी ट्रिपर की खरीद	सफाई	45.83	41.25	41.25	आसनसोल नगर निगम
11	डिसरगढ़ एसी इंस्टीट्यूशन में दक्षता विकास ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	दक्षता विकास	0.15	0.15	0.15	सीधे
12	सांकतोड़िया गाँव में 22 सोलर स्ट्रीट लैंप की स्थापना	पर्यावरण	0.70	0.70	0.70	सांकतोड़िया ग्राम समिति
13	जार्ज टेलीग्राफ ट्रेनिंग द्वारा दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	दक्षता विकास	9.73	5.44	5.44	जार्ज टेलीग्राफ
14	वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में सीएसआर के अंतर्गत वेस्ट बंगाल के एससीएसटी, ओवीसी, सामान्य तथा माइनारिटी युवकों के लिए ब्लास्टिंग इंजीनियरिंग तथा टेक्नालोजी में आवासीय नियोजन योग्य 4 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्नवीकरण	दक्षता विकास	24.40	24.40	24.40	सीआईपीईटी मुवनेश्वर
15	रानी हीरामणि बालिका होम में महिला तथा पुरुष शौचालय निर्माण	शिक्षा	6.48	6.48	6.48	मदरचक, नवोदय किसलय संघ पश्चिम मेदिनीपुर
16	आसनसोल रेलवे डिविजन में 7 यूवी जल उपचार की स्थापना द्वारा पेय जल आपूर्ति में सुधार	जल आपूर्ति	58.67	58.67	58.67	आसनसोल रेलवे डिविजन
17	केन्द्र क्षेत्र में आईआईटी खड़गपुर द्वारा आर्गेनिक फार्मिंग शिक्षा तथा प्रदर्शन द्वारा इकोनामिक डिवलपमेंट तथा न्यूट्रीशिनल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सामुदायिक भागीदारी की आदर्श परियोजना	दक्षता विभाग	7.44	7.44	7.44	आईआईटी, खड़गपुर
18	तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल में ठोस कचरा प्रबन्धन की परियोजना के अधीन आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर (ओडब्लूसी) की स्थापना	पर्यावरण	1.47	1.47	1.47	एसएसआरडीपी
19	सीएसआर के अंतर्गत वीटीसी सालानपुर में इलेक्ट्रिक स्किल ट्रैनिंग का दो वर्षों के लिए विस्तार	दक्षता विकास	3.47	3.47	3.47	एसएसआरडीपी



20	बीटीसी सालानपुर में एयर कंडीशनिंग तथा ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण	दक्षता विकास	2.92	2.92	2.92	एसएसआरडीपी
21	सेवा संघ द्वारा हास्पीटेलिटी ट्रेवेल ट्रॉरिजम तथा हेल्थ केयर ट्रेड की दक्षता का प्रशिक्षण	दक्षता विकास	23.65	7.10	7.10	सेवा संघ
22	एएलआईएमसीओ द्वारा ईसीएल के आसपास के गाँव में दिव्यांगों को सहायता उपकरण का वितरण	स्वास्थ्य रक्षा	17.08	17.08	17.08	एलिमको
23	सालानपुर बीटी सेन्टर में इलेक्ट्रिकल स्किल के प्रशिक्षण के तृतीय वर्ष का नवीनीकरण	दक्षता विकास	17.78	14.22	14.22	एसएसआरडीपी
24	ईसीएल मुख्यालय तथा सांकेतोड़िया चिकित्सालय के आसपास के क्षेत्र में कैंसर जागरूकता कैप	हेल्थ केयर	0.19	0.19	0.19	सीधे
25	बरजोड़ा समाज कल्याण केन्द्र द्वारा 105 नं वार्ड सुपल धौड़ा सीतलपुर कोलियरी में एक तालाब के चारों ओर चहार दीवारी तथा स्नान घाट का निर्माण	ग्रामीण विकास	1.98	0.99	0.99	बरजोड़ा समाज कल्याण केन्द्र
26	सीपेट, भुवनेश्वर में प्लास्टिक तकनीकी पर पश्चिम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य तथा अल्प संख्यक बर्ग के 80 अतिरिक्त युवाओं के लिए स्वीकृति।	दक्षता विकास	48.80	24.40	24.40	सीपेट, भुवनेश्वर
27	आसनसोल आनन्दम द्वारा रेनबो परियोजना	शिक्षा	7.83	3.92	3.92	आनन्दम, आसनसोल
28	डिसरगढ़ शमशान घाट पर दो विद्युत शवदाह का निर्माण	पर्यावरण	57.75	25.76	25.76	आसनसोल नगर निगम
29	एससी, एसटी उम्मीदवारों को माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण	दक्षता विकास	7.00	7.00	7.00	सीधे
30	जामगोड़ा ग्राम में नाली सहित पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	42.22	42.22	42.22	सीधे



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

31	रांगमाटी ग्राम में पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	50.93	50.93	50.93	सीधे
32	कुलबुनी से महेशपुर ग्राम तक पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	48.34	48.34	48.34	सीधे
33	काजोड़ा ग्राम में प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन तथा लच्छीपुर में योग प्रशिक्षण	स्वास्थ्य	0.78	0.78	0.78	सीधे
34	एटीडीसी द्वारा कुनुस्तोड़िया में दक्षता विकास कार्यक्रम	दक्षता विकास	9.40	7.57	7.57	एटीडीसी, रांची
35	जवाहर नवोदय विद्यालय, बेनागोड़िया धनबाद में 4 कक्ष का निर्माण	शिक्षा	31.89	23.92	23.92	सीपीडब्लूडी, धनबाद
36	मुगमा क्षेत्र में विद्यालय भवन का निर्माण	शिक्षा	737.34	163.26	163.26	सीधे
37	सरबरी बाउरीपाड़ा में सामुदायिक हाल का निर्माण तथा नदिहा ग्राम में वसुली मेला में सामुदायिक हाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	17.13	14.52	14.52	सीधे
38	भासुरिया विवेकानन्द की मूर्ति से हीराकुंड ग्राम (2.20 कि.मी) तक कोलतार की सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	43.74	36.52	36.52	सीधे
39	पुरुलिया जिला के दीघा जी पी के अधीन बिन्दुडीह प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर सहित जल संशोधक की मरम्मत तथा देखभाल	ग्रामीण विकास	2.13	2.13	2.13	सीधे
40	लस्करबाँध ग्राम के सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति	पर्यावरण	3.38	2.73	2.73	सीधे
41	कस्बा ग्राम में उर्दू माध्यमिक विद्यालय के चारों ओर चहार दीवारी का निर्माण	ग्रामीण विकास	13.68	11.56	11.56	सीधे
42	डैकेता ग्राम में पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.50	21.52	21.52	सीधे
43	शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए आईटीआई सिकिटिया गोड्डा का संचालन तथा अनुरक्षण	शिक्षा	17.50	17.50	17.50	ओपीजेसीसी, जेपीएसएल का एक अंग



44	शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए आईटीआई सिक्टिया गोड्डा का संचालन तथा अनुरक्षण	शिक्षा	70.00	46.66	46.66	ओपीजेसीसी, जेपीएसएल का एक अंश
45	भूराडांगा ग्राम के सिंचाई के लिए वर्षा जल का संरक्षण	जल आपूर्ति	4.01	0.63	0.63	सीधे
46	सलानपुर ब्लाक में पानी के टेंकर द्वारा पेय जल की आपूर्ति	जल आपूर्ति	9.25	8.62	8.62	बीड़ीओ, सलानपुर
47	मोहनपुर पानी फिल्टर प्लांट से स्थानीय ग्रामीणों को घरेलू जल की आपूर्ति	जल आपूर्ति	12.68	12.68	12.68	सीधे
48	सलानपुर ब्लाक के 12 स्कूलों में रिगबोरवेल की स्थापना	जल आपूर्ति	11.64	11.14	11.14	बीड़ीओ, सलानपुर
49	सलानपुर क्षेत्र में सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत सलानपुर ब्लाक के 3 ग्रामों में रिगबोर वेल की स्थापना	जल आपूर्ति	14.70	14.64	14.64	बीड़ीओ, सलानपुर
50	भागरान ग्राम में दो बोर टच्यूबवेल की स्थापना	जल आपूर्ति	2.45	1.23	1.23	सीधे
51	अलकुसा ग्राम से अचड़ा तक पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	35.68	35.68	35.68	बीड़ीओ, सलानपुर
52	मोहनपुर जल सफाई संयंत्र से स्थानीय ग्रामों में घरेलू जल का विस्तार	जल आपूर्ति	1.13	1.13	1.13	सीधे
53	जेमेहारी ग्रामीण पंचायत, रतिवाटी ग्राम पंचायत में सीएसआर कार्यक्रम के अधीन 1374 घरों में शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	137.40	109.92	109.92	बीड़ीओ रानीगंज / अधिशासी अधिकारी, रानीगंज पंचायत
54	सतग्राम के सीएसआर कार्यक्रम के अधीन सोलर सड़क लाइट की स्थापना	पर्यावरण	17.25	12.00	12.00	बीड़ीओ रानीगंज / अधिशासी अधिकारी, रानीगंज पंचायत
55	छत्तीसगढ़ा से खोद्वाडीह मोड़ तक पक्की सड़क का निर्माण	संरचना	58.01	58.01	58.01	सीधे
56	सोनपुर बाजारी एरिया के अधीन न्यू एगरा ग्राम में विवेकानंद सोसाइटी के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	संरचना	7.10	6.99	6.99	सीधे



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

57	पूर्णदृष्टि आई एन्ड जेनरल हास्पीटल आसनसोल के तत्वावधान में ऊँचा आपरेशन शिविर	स्वास्थ्य	0.52	0.52	0.52	आसनसोल प्रीवेन्सन ऑफ ब्लाइण्डनेस सोसाइटी (पूर्णदृष्टि आई एन्ड जनरल हास्पीटल)
58	सिद्धूकान्हों, हाई स्कूल, वगदाहा पाला जोड़ी में सांस्कृतिक मंच, साइकिल स्टैंड तथा 4 शौचालय का निर्माण।	ग्रामीण विकास	14.52	14.52	14.52	सीधे
59	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल, खागा पालाजोड़ी में 4 कक्षा कमरा, 4 शौचालय सांस्कृतिक मंच तथा साइकिल शेड का निर्माण	शिक्षा	33.13	33.13	33.13	सीधे
60	सारठ ब्लाक के बनडीहा हाई स्कूल के भीतरी परिसर में 4 कक्षा कमरा सांस्कृतिक मंच, साइकिल शेड तथा 4 शौचालय का निर्माण	शिक्षा	39.99	39.92	39.92	सीधे
61	सारठ ब्लाक के गोपीबाँध हाई स्कूल के भीतरी परिसर में 4 कक्षा कमरा सांस्कृतिक मंच, साइकिल शेड, 4 शौचालय तथा पीसीसी सड़क का निर्माण	शिक्षा	41.25	33.56	33.56	सीधे
62	जिला प्राधिकारी देवघर को क्रिकेट बॉलिंग मशीन की आपूर्ति	खेलकूद	1.90	1.90	1.90	जिला प्रशासन, देवघर
63	श्रीपुर हाई स्कूल में फर्नीचर रिगवोर वेल से पेय जल आपूर्ति व्यवस्था तथा दो अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण	शिक्षा	18.67	1.84	1.84	सीधे
64	ईसीएल के कार्यक्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य	10.00	6.81	6.81	सीधे
65	ईसीएल की सीएसआर गतिविधियों में सहायता के लिए टीआईएसएस के कार्यक्रम अधिकारी को भुगतान	अन्य	5.70	5.70	5.70	टीआईएसएस, मुर्बई
66	30.03.2018 को सीएसआर पर सेमीनार	अन्य	4.61	4.61	4.61	सीधे
67	सीएसआर कार्य के लिए उपयुक्त फोटो कॉपियर मशीन की मरम्मत	अन्य	0.13	0.13	0.13	सीधे



68	सीएसआर के उच्च प्रभाव पर कार्यक्रम, आवश्यकता पहचान पर प्रभाव का निर्धारण।	अन्य	0.64	0.64	0.64	एप्सरीआई, हैदराबाद
69	सीएसआर पत्रिका का मुद्रण	अन्य	0.83	0.81	0.81	सीधे
70	कल्याण तथा सीएसआर विभाग के लिए एटीआर की छः प्रतियों की आपूति	शिक्षा	0.02	0.02	0.02	डिफ्यूशन एडरटीइंजिंग पब्लिसिटी इन्क.
	कुल		2064.87	1268.81	1268.81	

गत वर्ष से जारी सीएसआर की गतिविधियाँ जिसके लिए वर्ष 2017-18 मे कोई खर्च शामिल नहीं किया गया।

क्रम.	गतिविधि का नाम	क्षेत्र	परियोजना स्थल	बजट आउटले	व्यय	परियोजना की स्थिति	खर्च की गई राशि सीधे या कार्यालय एजेंसी
1.	पुरुलिया देवघर तथा साहिवगंज जिला में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन शैक्षालयों के निर्माण / मरम्मत के लिए संचालन एवं रख रखाव	स्वच्छ भारत	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल तथा देवघर, साहिवगंज झारखण्ड	₹ 377.87 लाख	—	चालू	जिला प्रशासन, पुरुलिया देवघर, साहिवगंज



कंपनी अधिशासन पर रिपोर्ट :

(1) विचारधारा :

कंपनी अधिशासन को ऐसी पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी स्टेकधारकों के हित में कार्य करती है। ईसीएल को यह दृढ़ विश्वास है कि कंपनी अधिशासन एक संस्कृति है जिसके अंतर्गत एक संस्था विकसित एवं पल्लवित होती है। इस दौरान कंपनी अपने मूल्यों तथा उन उपायों का इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा यह लोकहित तथा अपने स्टेकधारकों की आशाओं को पूरा करती है। ईसीएल में, यह नियमों एवं नैतिक मानकों के अनुपालन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे व्यापार को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है।

पारदर्शिता, जबाबदेही एवं सत्यनिष्ठा अच्छे कंपनी अधिशासन के मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कंपनी अधिशासन नागरिक की तरह आपकी कंपनी अधिशासन के उच्चतम मानकों के अनुपालन में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को उचित सूचना मुहैया करवाती है।

(2) निदेशक मंडल :

(क) बोर्ड का गठन :

हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी हैं क्योंकि कोल इंडिया के पास संपूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी मौजूद है। संघ के अनुच्छेदों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संघ की धारा के अनुसार हमारे बोर्ड में 02 से कम एवं 15 से ज्यादा निदेशक नहीं रहेंगे। ये निदेशकगण पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक हो सकते हैं। निदेशकों को अंशधारी रहना जरूरी नहीं है।

31 मार्च, 2018 को बोर्ड में 07 निदेशकगण थे, जिनमें 4 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक 2 अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक तथा 1 अंशकालिक गैर कार्यालयीन निदेशक थे।

बोर्ड के निदेशकों के पास व्यापक अनुभव एवं दक्षता मौजूद है।

निदेशकगण :

वर्ष 2017-18 के दौरान, श्री आर आर मिश्रा, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक वेकोलि, ईसीएल अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर 14.06.2017 तक थे। उसके बाद श्री एस चक्रवर्ती ईसीएल के 15.06.17 से 31.03.2018 तक अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक थे।

कम्पनी के निदेशक मंडल में 2017-18 के दौरान श्री विवेक भारद्वाज (09.06.2017 से 30.10.2017) श्री एन के सुधांशु (30.10.2017 से), डा० इंदिरा चक्रवर्ती, श्री सी. के. दे, श्री के. एस. पात्र, श्री ए. एस. मराठे (31.03.2018 तक), श्री वी. एन. शुक्ला (06.08.2017 तक), श्री ए. के. सिंह (25.09.2017 तक) तथा श्री एस. के. झा (19.12.2017 से) थे।

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय संलग्न 'ख' पर संलग्न है।

सेवा करार :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की अवधि एवं शर्तों का निर्णय कंपनी के संस्था के अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सेवा शर्ते कोयला मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।



(ख) बोर्ड की बैठक :

निदेशक मंडल की बैठकें निदेशकों की सुविधा के लिए सामान्यतः सांकेतोडिया / कोलकाता में होती है। निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठक के लिए कंपनी के पास स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है ताकि सुविधा एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो।

31 मार्च, 2018 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 13 बैठकें हुईं जबकि न्यूनतम आवश्यकता 4 बैठकों की थी। बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	निदेशक मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति
17.04.2017	5	4	1	1	1	1	7	6
25.05.2017	5	5	1	1	1	1	7	7
14.07.2017	5	5	2	2	1	1	8	8
31.07.2017	5	5	2	1	1	1	8	7
01.09.2017	4	4	2	2	1	1	7	7
22.09.2017	4	4	2	1	1	1	7	6
23.09.2017								
23.10.2017	3	3	2	1	1	0	6	4
02.11.2017	3	3	2	0	1	1	6	4
08.12.2017	3	3	2	2	1	1	6	6
10.01.2018	4	4	2	1	1	1	7	6
30.01.2018	4	4	2	2	1	1	7	7
27.02.2018	4	4	2	1	1	0	7	5
22.03.2018	4	4	2	2	1	1	7	7

प्रत्येक निदेशकों द्वारा भाग लिए गए बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	निदेशक	बोर्ड बैठक		डायरेक्टरशिप की संख्या
		अन्य अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	उपस्थिति	
	कार्यकारी निदेशक :			
1	श्री राजीव रंजन मिश्र अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (14.06.2017 तक)	2	2	2
2	श्री सुब्रत चक्रवर्ती अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, ईसीएल (15.06.2017 से 31.03.2018 तक)	11	11	शून्य
3	श्री के.एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक)	13	13	शून्य
4	श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त), (31.03.2018 तक)	13	13	शून्य
5	श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) (संचालन) (16.08.2017 तके)	4	3	शून्य
6	श्री ए. के. सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना (25.09.2017 तक)	6	6	शून्य



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

7	श्री सुनील कुमार झा निदेशक (तकनीकी) संचालन तथा परियोजना (19.12.2017 से)	4	4	शून्य
	अंशकालिक सरकारी निदेशक :			
8	श्री विवेक भरद्वाज, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	5	2	शून्य
9	श्री निरंजन कुमार सुधांशु, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	6	3	1
10	श्री चंदन कुमार दे, निदेशक (वित्त) कोल इंडिया लिमिटेड	13	12	8
	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :			
11	डॉ. इन्दिरा चक्रवर्ती	13	11	शून्य

(ग) निदेशक का पारिश्रमिक :

(i) कार्यकारी निदेशक :

Name	पदनाम	के लिए पारिश्रमिक 2017-18 (राशि ₹ में)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व (वेतन, पैंशन, पीएफ, ग्रेच्यूटी इत्यादि)	अन्य लाभ	कुल
श्री एस. चक्रवर्ती	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (31.03.2018 तक)	4879863.22	-	4879863.22
श्री के एस पात्र	निदेशक (कार्मिक)	3054815.50	210507.00	3265322.50
श्री ए एम मराठे	निदेशक (वित्त) (31.3.2018 तक)	5096465.00	-	5096465.00
श्री बी. एन. शुक्ला	निदेशक (तकनीकी) (संचालन) (16.08.2017 तक)	1477814.90	41506.00	1519320.90
श्री ए. के. सिंह	निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना (25.09.2017 से)	1674120.00	9475.00	1683595.00
श्री एस. के. झा	निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना (19.12.2017 से)	1383751.00	-	1383751.00

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण –

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

(iii) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण :

सीटिंग शुल्क को छोड़कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठक में सीटिंग शुल्क का विवरण निम्नलिखित है-



क्रम	निदेशकों के नाम			कुल
1.	डॉ इंदिरा चक्रवर्ती	1,65,000/-	2,25,000/-	3,90,000/-

3. बोर्ड समिति :

[क] लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कार्यविधि, शक्तियाँ एवं भूमिका/कार्योंको कंपनी अधिनियम का पालन करना होता है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र :

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :-

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना एवं इसके वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के नियतन को बोर्ड के पास सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।
4. स्वीकृति हेतु बोर्ड के पास जमा करने, पहले लागू नियमों के साथ अनुपालन के वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा एवं सुनिश्चित करना कि :
 - क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) की शर्तों में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल होने वाले मामले ;
 - ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धति में कोई बदलाव, यदि हो;
 - ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने पर आधारित आकलन जो बड़े लेखांकन प्रविष्टियों में शामिल है ;
 - घ) लेखा परीक्षा तथ्यों से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन ;
 - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक जरूरत के साथ अनुपालन ;
 - च) किसी पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण ;
 - छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यता ।
 - ज) वित्तीय दशा का विश्लेषण तथा प्रबंधन चर्चा एवं संचालन का परिणाम।
 5. स्वीकृति हेतु बोर्ड में जमा करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा।
 6. प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा।
 7. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य के पर्याप्तता की समीक्षा यदि कोई हो जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रचना, स्टाफिंग एवं स्टाफ की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग, कवरेज एवं बारंबारता तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/निष्कासन से संबंधित सूचना।
 8. किसी महत्वपूर्ण तथ्य का आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
 9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा उन मामलों का आंतरिक अनुसंधान जहाँ किसी धोखाघड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के फेल होने के तथ्य की समीक्षा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करना।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

10. लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं स्कॉप साथ ही लेखा परीक्षा पश्चात चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श।
11. जमार्कर्ताओं, डिवेंचर होल्डरों, अंशधारियों (घोषित डिविडेंट भुगतान नहीं होने पर) एवं ऋणदाताओं के भुगतान के व्यापक गड़बड़ी के कारणों को देखना।
12. व्हीसल व्लोवर मेकानिज्म के कार्य करने के ढंग की समीक्षा करना।
13. सी एण्ड ए जी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
14. अपेक्षित सूचना के निर्धारण या गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध समेत लेखा कार्य के दौरान कोई असुविधा, संघर्ष।
15. संसदीय लोक उद्यम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

संयोजन :

लेखा परीक्षा समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक नामतः श्री एन. के. सुधांशु (02.11.2017 तक) एवं श्री सी. के. दे, 01 (एक) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ इंदिरा चक्रवर्ती एवं 02 (दो) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री सुनील कुमार झा, निदेशक (तकनीकी) संचालन एवं योजना तथा परियोजना (10.01.2018 से) तथा श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल शामिल हैं। श्री बी एन शुक्ला निदेशक तकनीकी संचालन 16.08.2017 तक आडिट कमिटि के सदस्य थे।

डा. इंदिरा चक्रवर्ती अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष के दौरान आडिट कमिटि की अध्यक्ष थी।

निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त) आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 06 (छह) बैठकें हुईं। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

दिनांक	सदस्य							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर-सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति
25.05.2017	2	2	1	1	1	1	4	4
31.07.2017	2	2	2	1	1	1	5	4
22.09.2017	1	1	2	1	1	1	4	3
02.11.2017	1	1	1	0	1	1	3	2
07.12.2017	1	1	2	2	1	1	4	4
30.01.2018	2	2	2	1	1	1	5	4



लेखापरीक्षा समिति की उपस्थिति :

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या तथा प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम	सदस्य	सदस्यों की संबंधित अवधि के दौरान बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	6	6
2	श्री सी. के. दे.	6	5
3	श्री विवेक भारद्वाज	2	0
4	श्री निरंजन कुमार सुधांशु	2	1
5	श्री के. एस. पात्र	6	6
6	श्री बी. एन. शुक्ला	2	2
7	श्री सुनील कुमार झा	1	1

[ख] परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु समिति

बोर्ड की 246 वीं बैठक में परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का गठन हुआ। परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का पुर्णगठन एक अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री विवेक भारद्वाज (14.07.17 से), श्री निरंजन कुमार सुधांशु (02.11.2017 से) वी पेद्दना (30.10.2017 तक), एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ इंदिरा चक्रबर्ती तथा तीन कार्यकारी निदेशकों – श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन (16.08.2017 तक), श्री ए. के. सिंह, निदेशक(तकनीकी) यो एवं परि (25.09.2017 से) तथा श्री ए.एम. मराठे, निदेशक (वित्त) श्री के. एस. पात्र, निदेशक कार्मिक (10.01.2018 से), श्री एस. के. झा, निदेशक तकनीकी योजना तथा परियोजना (10.01.2018 से) को शामिल करते हुए किया गया।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं तथा महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना) इस समिति हेतु नोडल अधिकारी हैं।

श्री ए.एम. मराठे निदेशक (वित्त) इस समिति के प्रथम दो बैठकों में अध्यक्ष थे जो 24.05.2017 तथा 14.07.2017 का हुई थी। इसके बाद भी विवेक भारद्वाज संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय तथा अंशकालिक सरकारी निदेशक 01.09.2017 को सम्पन्न बैठक के अध्यक्ष रहे तथा श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक) ने 22.03.2018 को सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2017-18 के दौरान मूल्यांकन मूल्य निरूपण एवं स्वीकृति हेतु गठित समिति की 4 (चार) बैठकें 24.05.2017, 14.07.2017, 01.09.2017 तथा 23.03.2018 को हुई। इसके सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :



ईस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

क्रम	सदस्य	सदस्यों की संबंधित अवधि के दौरान बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री विवेक भारद्वाज (14.7.2017 से 30.10.2017)	1	1
2	श्री निरंजन कुमार सुधांशु (02.11.2017 से)	1	0
3	श्री ए. एम. मराठे	4	4
4	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	4	3
5	श्री बी. एन. शुक्ला (16.08.2017 तक)	2	2
6	श्री ए. के. सिंह (25.09.2017 तक)	3	3
7	श्री एस. के. पात्र (10.01.2018 से)	1	1
8	श्री एस. के. झा (10.01.2018 से)	1	1

[ग] सीएसआर पर समिति

ईसीएल बोर्ड की 261 वीं बैठक में सीएसआर एवं सतत विकास पर एक समिति का गठन किया। समिति में एक अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री विवेक भारद्वाज (14.08.2017 से 30.10.2017 तक), एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ इन्दिरा चक्रबर्ती तथा चार कार्यकारी निदेशकों – श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन (16.08.2017 तक), श्री के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), श्री ए. के. सिंह, निदेशक(तकनीकी) यो एवं परि. (25.09.2017 तक), श्री एन. के. सुधांशु (02.11.2017 से). श्री एस. के. झा, निदेशक तकनीकी योजना तथा परियोजना (10.01.2018 से) रि (25.09.2017 तक) तथा श्री ए.एम.मराठे, निदेशक (वित्त) को शामिल किया गया।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं तथा महाप्रबन्धक (सीएसआर एवं कल्याण) इस समिति हेतु नोडल अधिकारी हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सीएसआर एवं सतत विकास पर 06 बैठकों का आयोजन दिनांक : 21.04.2017, 22.06.2017, 05.12.2017, 17.01.2018, 31.01.2018 एवं 21.03.2018 को किया गया। वर्ष भर डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती समिति की अध्यक्ष थीं। बैठक के सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	6	6
2	श्री विवेक भरद्वाज (14.7.2017 से 30.10.2017 तक)	0	0
3	श्री निरंजन कुमार सुधांशु (02.11.2017 से)	4	0
4	श्री के.एस.पात्र	6	6
5	श्री ए.एम.मराठे	6	5
6	श्री बी.एन.शुक्ला (16.08.2017 तक)	2	1
7	श्री ए. के. सिंह (25.09.2017 तक)	2	1
8	श्री एस. के. झा (10.01.2018 से)	3	3

**वैधानिक लेखा परीक्षक :**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी लेखा की लेखा परीक्षा लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निम्नलिखित चार्टर्ड लेखा परीक्षक, फर्म का विवरण निम्नलिखित है :

वैधानिक लेखा परीक्षक :

1. मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068

शाखा लेखा परीक्षक :

2. मेसर्स राय एंड कम्पनी, 21 ए. शेक्सपियर सरणी, फ्लैट नं.- 8सी, आठवाँ तल, कोलकाता-700017
3. मेसर्स सराफ एंड चन्द्रा, 501, अशोक हाउस, 3A, हेयर स्टीट, पाँचवा तल, कोलकाता-700001
4. मेसर्स एडीडी एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर बी मेट्रोपोलिटन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता-7000105
5. मेसर्स वर्णेंद्र सुराना एंड कंपनी, विवेकानंद कॉलेज के पास, श्रीपल्ली, बर्द्धवान, 713103
6. मेसर्स डी झा एंड एसोसिएट्स, एस मधुबनी, पूर्व पल्ली, सैनिक भवन के पीछे, बड़ोनीलपुर रोड, पो: श्रीपल्ली, पूर्वी बर्द्धवान-713103

वार्षिक सामान्य बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी के अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	दिनांक तथा समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई
2014-15	27.06.2015 11:00 पूर्वाह्न	सांकेतोड़िया	श्री सी. के. दे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल, श्री एस मुखर्जी, मुख्य प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल, एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य), श्री के एस पात्र, निदेशक (का), श्री बी आर रेण्डी, निदेशक (तकनीकी) यो-परि	
2015-16	16.07.2016 11:00 पूर्वाह्न	सांकेतोड़िया	श्री सी. के. दे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल, श्री डी. सेट, मुख्य प्रबंधक (वित्त) सीआईएल, कोल इंडिया के प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष, सीआईएल श्री के एस पात्र, निदेशक (का), ईसीएल श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल,	



2016-17	26.07.2017 11:00 पूर्वाह्न	सांकेतिका दिव्या	श्री एस. चक्रवर्ती। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीएल, श्री बी शर्मा, उप महाप्रबंधक (वित्त), सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा श्री एस. भट्टाचार्या, अध्यक्ष, कोल इंडिया के प्राकसी श्री सी. के. दे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, श्री के एस पात्र, निदेशक (का), ईसीएल (सदस्य आडिट कमिटि) श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल, श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य)	
---------	-------------------------------	---------------------	---	--

ईसीएल के 41 वें एजीएम में ईसीएल के आर्टिकल आफ एसोसिएसन के क्लाज 32 (ए) के संसाधन के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया। जिसका सारांश निम्नलिखित है

संकल्प किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएसन के क्लाज 32 (क) के संशोधन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

“उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी बोर्ड अध्यक्ष सीआईएल के एतद्वारा संबंधित निर्णय को सुरक्षित रखेगी।

- क) समय समय पर जारी सरकारी मार्गदर्शन में शामिल यदि कुछ हो तो, पूँजीगत खर्च के लिए निर्धारित खर्च की सीमा अधिक होने पर भी कोई कार्यक्रम”।
उपरोक्त तीन वर्षों में सदस्यों की किसी सामान्य बैठक में पोस्टल वेलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4. प्रकटन :

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के तहत पार्टीयों के साथ लेन-देन के क्रम में व्यापक तौर पर कंपनी के हित के विरुद्ध कोई विवाद नहीं था।

(ख) निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :

निदेशकों एवं वार्षिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता को दिनांक 15 अक्टूबर 2007 को कंपनी के निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसे निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम परिचालित कर दिया गया तथा उनसे इसकी पुष्टि प्राप्त कर ली गई। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया।



(ग) लेखांकन व्यवहार :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 में दर्शाए गए जरूरी लेखांकन मानकों एवं संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किये गए हैं।

(घ) जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी नियंत्रण तथा पहचान :

05.11.2012 को 257 वीं बैठक में ईसीएल बोर्ड द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण नीति की मंजूरी दी गई है।

(ङ) सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण :

ईसीएल की 312 वीं बोर्ड बैठक में कंपनी के महाप्रबन्धक (वित्त) श्री एस. सरकार तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ए. के. सिंह (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया जो अनुलग्नक-सी के रूप में कंपनी अधिशासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नित किया गया है।

(च) प्रयोज्य विधियों/नियमों का अनुपालन :

वित्त-वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी पर प्रयोज्य सभी विधियों/नियमों का अनुपालन किया गया।

5. संचार का माध्यम :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, संचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। वार्षिक लेखा के अलावा लेखा के छमाही समीक्षा को भी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया।

6. लेखा परीक्षा अर्हता :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वह अप्रतिबंध वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन के उत्तर को निदेशकों के प्रतिवेदन के संलग्नक के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के लेखा पर टिप्पणियों को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

अपेक्षित अनुभव के आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रधान हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा जोखिम विवरण से भलीभांति परिचित हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से सुपरिचित हैं।

8. कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न :

कंपनी का 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।



9. हीसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी अपनी सभी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक आचरण की रिपोर्टिंग की व्यवस्था दी है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पास कानून के उल्लंघन, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण की शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा किया गया। प्रबंधन के कार्मियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे उक्त रिपोर्टिंग को गोपनीय रखें।

सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन की तर्ज पर मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 मार्च 2008 को कंपनी के बोर्ड ने अपनी 218 वीं बैठक की मंजूरी दे दी।

10. 2017-18 के दौरान, लेखा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँचने से किसी को भी नहीं रोका गया।

11. पीई सर्वे के लिए पूर्ण डाटा शीट को डीपीई के पास प्रस्तुत करने की तारीख 05.09.2017 थी।



अनुलग्नक – ख

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

सभी निदेशकों, का संक्षिप्त सारांश, विशिष्ट कार्यकारी क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों का नाम जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, निदेशक, बोर्ड/समितियों के सदस्य रहे हैं, का विवरण निम्नलिखित है -

श्री सुनील कुमार झा (58), ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर हैं। उन्होंने 19 दिसम्बर, 2017 को ईसीएल के निदेशक तकनीकी का कार्यभार ग्रहण किया था। श्री झा ने 1984 में आईएसएम, धनबाद से बी टेक की परीक्षा पास की। उन्होंने 1989 में आईएसएम धनबाद से ही खुली खानों के खनन में एमटेक किया है। उन्होंने कोयला उद्योग में 1984 से सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड से अपने कैरियर की शुरूआत की। सीसीएल की विभिन्न खानों में खुली खानों के खनन तथा भूमिगत खानों में एजीएम के रूप में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। वर्ष 2001 से 2017 तक एनसीएल के निगाही तथा दुधीचुआ की विस्तृत खुली खानों में कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2007 में वे महाप्रबंधक बने तथा नार्दन कोल फ़िल्ड्स के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय महाप्रबंधक का प्रभार सम्भाला। ईसीएल में निदेशक तकनीकी कार्यभार ग्रहण करने के पहले आपने ईसीएल में महाप्रबन्धक प्रभारी के रूप में गहरा अनुभव प्राप्त किया।

श्री झा ने जर्मनी तथा स्विटजरलैंड की विदेश यात्रा की है। आपने आचेन जर्मनी में भूमित खनन में मास प्रोडक्सन टेक्नोलॉजी के सिम्पोसियम में भाग लिया है। आपने आईआईएम कोलकाता तथा प्रशासनिक कर्मी कालेज, हैदराबाद में अग्रिम प्रबन्धन कार्यक्रम में भाग लिया है। कालेज जीवन में एथ्लेटिक, वैडमिटन, हाकी तथा फुटबाल इत्यादि में आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

श्री चंदन कुमार दे, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 को कोलकाता में हुआ। 01 मार्च, 2015 को कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पहले श्री दे निदेशक (वित्त) के रूप में 01.02.2013 से 28.02.2015 तक ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। वर्तमान में, गत 01 जून, 2015 से, श्री चंदन कुमार दे ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

श्री दे 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1978 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेखा में ऑर्नर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक हुए। श्री डे चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कोस्ट अकाउंटेंट है।

श्री दे को 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है तथा लवलॉक एण्ड लीव्स, डनलप इंडिया लि., निको ग्रूप, बाल्मर लौवरी एण्ड कंपनी लि. एवं अॉयल इंडिया लिमिटेड सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएँ दी हैं।

अपने पेशेवर कैरियर के दौरान श्री दे लेखा, राजकोष, कराधान एवं आंतरिक लेखा परीक्षण कार्यों के प्रमुख रहे तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दिये। 03 वर्षों के लिए श्री डे यूनाइटेड किंगडम में बाल्मर लौवरी एण्ड कंपनी लि. के संचालन के मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में भी प्रमुख थे। वे सरकारी कार्य से भारत में तथा विदेशों में जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीजरलैंड, यूएसए, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई और सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक का व्यापक यात्रा किये हैं।

श्री दे की रूचि किताबें पढ़ने में है तथा उन्हें संगीत से प्रेम है।



श्री एन. के सुधांशु : झारखंड के हजारीबाद जिले में 1975 में जन्म लेने वाले श्री एन. के सुधांशु ने सेंट कोलंबा कालेज से 12वीं तक पढ़ाई की इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से 1997 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी-टेक किया। वे महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, हिजोली गोंदिया, गड़चिरौली तथा जलगांव के विभिन्न जिलों में आपने कार्य किया है।

आपने परिवहन क्षेत्र में पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट में पुणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अधीन महाप्रबन्धक के रूप में काम किया। महाराष्ट्र राज्य खनन निगम में प्रबन्ध निदेशक के रूप में आपने खनन क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया। आपने लगभग तीन वर्षों तक महाराष्ट्र हाउसिंग तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण मुंबई में मुख्य अधिकारी का कार्य किया। आप वर्तमान में कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत है। इसीएल तथा बीसीसीएल के निदेशक मण्डल में आप अंशकालीन निदेशक भी है। आपने इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट, बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में स्तातकोत्तर डिप्लोमा की प्राप्त किया है।

प्रोफेसर (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध विदुषी हैं तथा उनका सम्पूर्ण प्रयास लोक स्वास्थ्य में आधारभूत सुधार हेतु वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में समर्पित रहा है। **मूलतः** इनका ध्यान पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षा की ओर रहा। डॉ. चक्रवर्ती के पास अध्ययन क्षेत्र की सर्वोच्च डिग्रियों जैसे - पीएचडी एवं डी.एससी हैं। कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं साइंस कॉलेज में अध्ययन करने के पश्चात वे यू.एस. में कई प्रसिद्ध संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन फेलो के रूप में प्रशिक्षित हुईं।

प्रोफेसर इन्दिरा चक्रवर्ती को उनकी आजीवन उपलब्धियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र (1995) के 50 साल पूरे होने पर श्रीमती चक्रवर्ती को सर्वोत्कृष्ट ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध एडुआर्डो सौमा पुरस्कार, 2009 में यूएसएफ की ओर से लोक स्वास्थ्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र में प्रेसिडेंट्स ग्लोबल लीडरशीप एवार्ड, इन्दिरा गाँधी नेशनल प्रियदर्शनी एवार्ड आजीवन उपलब्धियों के लिए उदय पुरस्कार, रोटरी इंटरनेशनल एवं अन्य अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्रीमती चक्रवर्ती काफी वरिष्ठ एवं दायित्वशील पदों पर कार्य कर चुकी हैं जिनमें से स्वास्थ्य सेवाओं की अपर महानिदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, भारत सरकार की निदेशक, चित्तरंजन नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट, भारत सरकार की निदेशक, साऊथ एशिया, एमआई, आईडीआरसी (कनाडा) की क्षेत्रीय निदेशक एवं न्यूट्रीशन एक्ट, डबल्यूएचओ, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाहकार कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पद महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में वे डबल्यूएसएसओ, पीएचडी की मुख्य सलाहकार हैं। वे कोर कमिटी, डबल्यूएसएच (स्वच्छ भारत अभियान), एमडीडबल्यूएस, भारत सरकार की सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय आईआईजीएच के सलाहकार बोर्ड की सदस्य है, वाटर एंड बीभेरेज साइंटिफिक पैनेल, एफएसएसएआई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षा है, रिजनल मेडिकल सेंटर (भुवनेश्वर), आईसीएमआर, एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्टॉप डाइरिया टैग की अध्यक्षता है, सेभ द चिल्ड्रेन की अध्यक्षता है, स्केवरण इनोवेशन सेंटर की अध्यक्षा हैं, हाईजिन इंडेक्स, रेकिट बैकीजर की सलाहकार समिति की सदस्या हैं तथा इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री जयप्रकाश गुप्ता (56) ने इसीएल के निदेशक तकनीकी योजना तथा परियोजना का कार्यभार 18.06.2018 को ग्रहण किया। श्री गुप्ता 1983 के ग्रेजुएट है तथा बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी (बीएचयू / आईआईटी) से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वे एसईसीएल में 23 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम करके 2006 में भारत कोकिंग कोल में मुख्य प्रबंधक के रूप में स्थानांतरित हुए। उन्होंने परियोजना अधिकारी तथा महाप्रबन्धक के रूप में 12 वर्षों तक बीसीसीएल की सेवा की।



उन्हें वर्ष 1998 में काउन्सिल फार साइन्टिफिक एन्ड इंडीस्ट्रियल रिसर्च द्वारा मोटी सीमों में कार्य करने के समय केवल वोल्टसपोर्ट प्रणाली विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग तथा तकनीकी सम्मान प्रदान किया गया। इस विकास कार्य के लिए उन्हें एसईसीएल में सम्मानित किया गया। परियोजना अधिकारी के रूप में उन्होंने एसईसीएल के चिरमिरी की एनसीपीएच कोलियरी में कन्टीन्यूअस माइनर की आर V नई सीम में सफलता पूर्वक स्थापना की। इससे इस भूमिगत खान की उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई। बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र में तेतुलमारी परियोजना में पहला पाइलट प्रोजेक्ट इकोलाजिकल इंस्टोरेशन के लिए श्री गुप्ता द्वारा लगाया गया जिसे देहरादून के फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट की तकनीकी देखरेख में लगाया गया। इस परियोजना ने 2014 में कोल इंडिया स्थापना दिवस पर प्रथम पुरस्कार जीता था। श्री गुप्ता का सीएसआर की योजनाओं गहरी रूचि है। उनके नेतृत्व में तथा झारखण्ड सरकार के तकनीकी सहयोग में महुलीडीह की 50 से अधिक गराड़िया महिलाओं ने हैंडलूम से कपड़ा बुनाई का प्रशिक्षण किया तथा जिसे झारखण्ड सरकार की एक संस्था आरक्राफ्ट द्वारा पारिश्रमिक देकर खरीदा जाता है।

श्री गुप्ता ने वर्ष 2011 में चीन की यात्रा की तथा एडवान्स मैनेजमेंट कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें भूमिगत खानों के यांत्रीकरण तथा खुली खानों में खनन का विस्तृत अनुभव है।

श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त) ईसीएल का 18 जून 1961 को जन्म हुआ था। श्री सोनी ने 19 जून 2018 को ईसीएल के निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार सम्प्राप्ति की। श्री सोनी सेंटजेवियर कॉलेज कोलकाता के ग्रजुएट हैं तथा वे इंस्टीच्यूट आफ चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट्स एवं इंस्टीच्यूट आफ कास्ट एकाउटेन्ट्स आफ इंडिया के सदस्य हैं। श्री सोनी ने विभिन्न क्षमताओं में कोयला उद्योग में काम किया है तथा उन्हें 32 वर्षों का विस्तृत अनुभव है। श्री सोनी ने 27.05.1986 को सीएमपीआई में योगदान दिया था।

ईसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में योगदान के पहले व वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय, नागपुर में महाप्रबन्धक (वित्त) आईएडी के रूप में कार्यरत थे। अपनी पेशागत कैरियर के दौरान श्री सोनी ने सीएमपीडीआई में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। वे वित्तीय कार्य प्रणाली के प्रभारी अधिकारी थे जिनके अंतर्गत यूएनडीपी / जीईएफ / जीओआई - कोल वेड मीथेन की रिकवरी तथा उपयोग परियोजना संयुक्त रूप में सीएमपीडीआई / बीसीसीएल / जीओआई / यूएनजीपी द्वारा लागू की गई। श्री सोनी वेकोलि में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रभारी थे तब आंतरिक नियंत्रण के लिए विस्तृत उपाय लागू किए। उन्होंने विएना आस्ट्रिया की सीबीएम परियोजना लागू करके के लिए 2004 में यात्रा की।



अनुलग्नक - ग

सीईओ एवं सीएफओ सर्टीफिकेशन

सेवा में,
निदेशक मंडल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक : 26.05.2018

वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हम, ए. के. सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक तथा एस. सरकार, महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रमाणित करते हैं कि :

- क) हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण का अवलोकन किया है एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

 - i) इन विवरणों में किसी अवास्तविक विवरण को शामिल नहीं किया गया है या किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है। साथ ही इनमें ऐसा कोई तथ्य सम्मिलित नहीं है जो वास्तविकता से परे हो एवं बहकाने वाला हो।
 - ii) ये विवरण कंपनी के मामलों की स्वच्छ एवं वास्तविक छवि सामने प्रस्तुत करते हैं एवं इनमें कंपनी के वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

- ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में कंपनी द्वारा प्रवेशित कोई लेनदेन ऐसा नहीं है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।
- ग) वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा उसके रखरखाव का दायित्व हम स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के प्रारूपण अथवा संचालन की कमियों, यदि हों, को महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति के समक्ष उजागर किया जिनसे वे परिचित हैं एवं इन कमियों की सुधार के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।
- घ) हमने महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति को संकेत किया कि :

 - i) संदर्भगत वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ,
 - ii) उक्त अवधि के दौरान, लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ।
 - iii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पद्धति में ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल की जानकारी हमें नहीं है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

महाप्रबन्धक (वित्त) प्रभारी
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड



अनुलग्नक - VII

एम चौधरी एंड कंपनी

चार्टर्ड लेखापाल

162, जोधपुर पार्क,

कोलकाता - 700068

ई-मेल : jmitul@ymail.com

(033) 2429-2417, 2248-0668

..

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

के सदस्यों को

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का सामूहिक संचालन पर प्रमाण पत्र

- 1) हमलोग एम चौधरी एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (दि कम्पनी) के स्वैधानिक लेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी को सामूहिक संचालन की स्थितियों के अनुपालन की तथा जैसा कि सेबी (लिस्टिंग आविलगेसन एन्ड डिस्क्लोजर रिकार्मेंट) नियमत 2015 (दि लिस्टिंग रेगुलेशन्स) के पारा सी तथा ढी अनुसूची-V एस रेगुलेशन 17 से 27 तथा क्लाज (पी) से (i) रेगुलेशन 46(2) में वर्णित है, जाँच की है।

प्रबन्धन की जिम्मेदारी :

- 2) सामूहिक संचालन की स्थिति का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव एवं अनुपालन का तरीका सुनिश्चित करना, लिस्टिंग रेगुलेशन में दिए गए कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

- 3) हमारी जिम्मेदारी सामूहिक संचालन के लिए निर्धारित शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम्पनी द्वारा अपनाए गए तरीकों तथा क्रियान्वयन की जाँच करने तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कम्पनी वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।
- 4) हमने कम्पनी द्वारा रखे गए लेखापुस्तकों दस्तावेजों तथा अन्य संवंधित कार्डों की कम्पनी द्वारा सामूहिक संचालन की आवश्यकताओं के अनुपालन पर युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए जाँच की है।
- 5) हमने इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (दि आई सी ए आई) द्वारा जारी सामूहिक संचालन पर प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों के आलोक में कम्पनी द्वारा रखे गए संबंधित रिकार्डों की जाँच की है। यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(10) के अधीन लेखा परीक्षण का मानदण्ड है तथा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्य के लिए प्रमाणन अथवा रिपोर्ट पर दिशानिर्देश के अनुसार लागू है। यह आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता (कोड आफ इथिक्स) पर आधारित आचार के अनुपालन में आवश्यक है।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

- 6) हमने गुणवत्ता नियंत्रण स्तर (एसक्यूसी) 1 की अपेक्षित तथा लागू आवश्यकताओं तथा फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की समीक्षा तथा लेखा परीक्षा करती हैं तथा संबंधित सेवा निबंधन एवं अन्य आश्वासनों का अनुपालन किया है।

सलाह :

- 7) सम्बन्धित रिकार्डों की जाँच तथा प्रबन्धन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों तथा सूचनाओं के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लिस्टिंग रेगुलेशन की अनुसूची 5 के पारा सी तथा डी एवं रेगुलेशन 46(2) के ब्लाग (बी) से (i) एवं नियमन 17 से 27 तक 3 लिखीवत सामूहिक संचालन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- 8) हमारा कथन है कि यह अनुपालन न तो कम्पनी के भविष्य की व्यवहारिकता के प्रति आश्वासन है न ही कार्यदक्षता एवं प्रभावकारिता जिसके द्वारा कम्पनी के मामलों को पूरा करने में प्रबन्धन द्वारा किया गया व्यवहार है।

दिनांक : 26.05.2018

व्यान : धनबाद

एम चौधरी एंड कंपनी
चाटर्ड लेखापाल
एफआर संख्या : 302186 ई

डी चौधरी
सहभागी
सदस्यता संख्या : 052066



दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस व्यवसायिक कम्पनी सचिव



16/1ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिस इंडिया स्ट्रीट)
चौथा तल, कमरा नं-4बी, कोलकाता - 700069 (प.बं.)
मोबाइल : +91 9339740007 || ई-मेल : agarwaldcs@gmail.com

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक

फार्म नं. एम आर - 3

सचिवालयीन लेखा परीक्षा

31 मार्च, 2017 समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक)
नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के आधार पर

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पो० - डिसरगढ़, सांकतोड़िया,
बर्द्धमान - 713333
पश्चिम बंगाल, भारत

हमने मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआईएनयू : 10101 डब्लूबी 1975 जीओआई 030295) (आगे से कम्पनी कहा जाएगा) द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी सामूहिक कार्यप्रणाली से लगाव का सचिवालयीन लेखा परीक्षा किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा उस तरीके से किए गए जो हमें सामूहिक व्यवहार / संवैधानिक अनुपालन तथा उस पर मेरी राय को अभिव्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराए गए।

कम्पनी द्वारा रखे गए अभिलेख तथा मेरी जाँच के लिए आधारित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं फार्मों तथा जमा किए गए रिटर्नों एवं कम्पनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं, तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान व्यक्त व्यवहार तथा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार में यह रिपोर्ट करता है कि मेरी राय में कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान जो 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष में व्याप्त है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कम्पनी ने निम्नलिखित रिपोर्ट के विषय तथा तरीके में बोर्ड पद्धति तथा अनुपालन प्रक्रिया को अपनाया है।

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कम्पनी") की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवाही पुस्तिका, फार्मों तथा जमा किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है।

- i) कम्पनी अधिनियम 2013 (दि एक्ट) तथा उसके अधीन नियमावली,
- ii) सुरक्षा ठेका (नियमन) अधिनियम 1956 (एसीआरए) तथा उसके अधीन नियमावली,
- iii) डिपोजिटरी अधिनियम 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमन, उपनियम,



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

- iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धक अधिनियम 1999 तथा नियमन एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा नियमन जो फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट तथा एक्सटर्नल कार्मसिंयल वोरोइंग्स् की सीमा में है।
- v) सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 (एबी एक्ट) के अधीन विहित नियमन तथा मार्गदर्शन
- vi) कम्पनी पर लागू अन्य विशेष कानून।

टिप्पणी : सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 (सेबीएक्ट), दि सिक्युरिटीज कान्ट्राक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 (सेरा) के अधीन वर्णित नियमन तथा दिशानिर्देश तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं दि डिपाजिटरी एक्ट 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमन तथा उप नियम जो निम्नलिखित है तथा कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

मैंने निम्नलिखित के अधीन लागू अनुच्छेद तथा उनके अनुपालन की जाँच की है :

- i) दि इंस्ट्रीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयीन मानदण्ड।
सीपीएसई 2010 का कार्पोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश।
- ii) आलोच्य अवधि में कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियमों नियमावलियों, नियमनों, दिशानिर्देशों स्तरों इत्यादि का अनुपालन किया है तथा इसके होते हुए हमारी निम्नलिखित राय है :

 - उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम्पनी में उपलब्ध नहीं है।
 - उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता है कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के अंतर्गत रु. 15.52 करोड़ की राशि की कमी / बची हुई है।
 - कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार ऑडिट कमिटी का गठन किया जाना है। इसका गठन उचित रीति से नहीं किया गया है।

यह भी प्रतिवेदन करता हूँ कि :

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर गठित है। आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है।

सभी निदेशक को अनुसूचित बोर्ड बैठक, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी की पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन अग्रिम दी गई है तथा बैठक के पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर बाद में की सूचना तथा स्पष्टीकरण माँगने तथा प्राप्त करने की प्रणाली उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा की आलोच्य अवधि के दौरान बोर्ड की बैठक के सभी निर्णय एकमत से लिए गए।

मैं यह भी प्रतिवेदित करता हूँ कि कम्पनी के आकार तथा संचालन के अनुरूप कम्पनी में लागू कानूनों, नियमों, नियमनों तथा दिशानिर्देशों को उचित रीति से देखदेख तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली तथा पद्धति उपलब्ध है।



कम्पनी अपनी कम्पनी के महाप्रबन्धक (पर्यावरण तथा वन) विभाग द्वारा संदर्भ सं. ईसीएल/इएनवी/ 18/223 दिनांक 07.06.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए वचनों के अनुसार पर्यावरण के लिए लागू नियमों का अनुपालन किया है।

- जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) ने झारखण्ड राज्य में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लिमिटेड खानों में पर्वावरण क्लीयरेंस (ईसी) के उल्लंघन के आरोप में एमएमडीआर अधिनियम 1957 के दौरान नोटिस भेजे हैं। इन 11 खानों (मुगमा क्षेत्र 8 खाने, राजमहल क्षेत्र - 2 खाने तथा संथाल परगना की 1 खान) के लिए उपरोक्त अवधि के लिए रु. 2178.14 करोड़ की मांग की है। ईसीएल ने माइन्स तथा मिनरल्स (डेवलपमेंट तथा रेगुलेशन) एक्ट 1957 के अनुच्छेद 30 के अधीन 16.01.2018 को कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में सिंगल बैंच रिविजनल अथोरिटी के समक्ष पुनर्विचार याचिता दायक की है तथा 22.01.18 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। अब यह मामला विचाराधीन है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 25.06.2018

(दिनेश अग्रवाल)

कम्पनी सचिव

सीपी न. - 5881

सदस्य संख्या : 6315



इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस व्यवसायिक कम्पनी सचिव

CS

16/1ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिस इंडिया स्ट्रीट)
चौथा तल, कमरा नं-4बी, कोलकाता - 700069 (प.बं.)
मोबाइल : +91 9339740007 || ई-मेल : agarwaldcs@gmail.com

“संलग्नक – क”

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड,
पो०- डिसरगढ़, सांकतोड़िया,
बर्द्धमान – 713333
पश्चिम बंगाल, भारत

हमारे इसी तिथि के प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाय :

- 1) सचिवालयीय अभिलेख की देखरेख कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयीय अभिलेखों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर एक राय व्यक्त करना है।
- 2) हमलोगों ने पर्याप्त लेखा परीक्षा पद्धति तथा तरीका सचिवालयीय अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनाया है। सचिवालयीय अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए हमने जाँच आधार पर प्रमाणन किया है। हम विश्वास करते हैं कि पद्धति और कार्यशैली जो हमने अपनाया वह हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।
- 3) हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तकों की सत्यता तथा उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
- 4) जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों एवं घटना के घटित होने के अनुपालन से संबंध में प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) सामूहिकता अन्य अपेक्षित कानूनों, नियमों, विनियमों, स्तरों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबन्धन का दायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधार पर पद्धति की जाँच तक ही सीमित रही है।
- 6) सचिवालयीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कम्पनी की भावी व्यवहारिकता का आश्वासन है न ही क्षमता या प्रभावकारिता की जिससे प्रबन्धन ने कम्पनी के मामलों को संचालित किया है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 25.06.2018

—> *Digitized by* —

(दिनेश अग्रवाल)

कम्पनी सचिव

सीपी न.-5881

सदस्य संख्या : 6315



**ईसीएल के वर्ष 2017-18 के सचिवालयीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अवलोकन पर
प्रबन्धन का उत्तर**

क्रमांक	सचिवालयीय लेखा परीक्षकों का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
1.	प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पनी में अधिनियम की धारा 149 के अधीन आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है।	यह तथ्य सही है। ईसीएल के पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. (डा.) इंदिरा चक्रवर्ती है जिनकी नियुक्ति ईसीएल बोर्ड द्वारा 17.11.2015 को की गई थी।
2.	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार आडिट समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसका गठन उचित रीति से नहीं किया गया है।	आडिट कमिटि का गठन किया गया है परन्तु केवल एक स्वतंत्र निदेशक है जैसा कि ऊपर बताया गया है। ईसीएल में निदेशक की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
3.	उपलब्ध अभिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधि में रु. 15.52 करोड़ की राशि की कमी/खर्च नहीं गई है।	यह तथ्य सही है। इस संबंध में पर्याप्त व्याख्या बोर्ड की रिपोर्ट 2017-18 में दिया गया है।
4.	जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) ने झारखण्ड राज्य में ईस्तर्न कोलफील्ड्स की लिमिटेड खानों में पर्वावरण क्लीयरेंस (ईसी) के उल्लंघन के आरोप में एमएमडीआर अधिनियम 1957 के दौरान नोटिस भेजे हैं। इन 11 खानों (पुगमा क्षेत्र 8 खाने, राजमहल क्षेत्र - 2 खाने तथा संथाल परगना की 1 खान) के लिए उपरोक्त अवधि के लिए रु. 2178.14 करोड़ की मांग की है। ईसीएल ने माइन्स तथा मिनरल्स (डबलपर्मेट तथा रेगुलेशन) एक्ट 1957 के अनुच्छेद 30 के अधीन 16.01.2018 को कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में सिंगल बैंच रिविजनल अथोरिटी के समक्ष पुनर्विचार याचिता दायक की है तथा 22.01.18 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। अब यह मामला विचाराधीन है।	यह तथ्य सही है।



फॉर्म संख्या एमजीटी - 9

वार्षिक लेखा का सार

31.03.2016 को समाप्त वित्त-वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 12(1) का कार्यान्वयन]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

- सीआईएन :- U10101WB1975GO/030295
- पंजीकरण दिनांक : 01.11.1975
- कंपनी का नाम :- इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
- कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी :- कंपनी अधिनियम-2013 के अनुभाग 2(71) के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकेतिक, पत्रालय डिसेरगढ़, जिला बर्द्दवान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल
- क्या सूचीगत कम्पनी है? हाँ/नहीं :- नहीं
- पंजीयक (रजीस्ट्रार) तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो :- अप्रयोज्य

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल टर्नओवर का १०% या उससे अधिक के योगदान वाली समस्त व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा :-

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	कोयला	0510	100 %

III. नियंत्रक, अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनियों का विवरण :-

क्रम सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/ अनुषंगी/ संबद्ध	धारण किए शेयर का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रयोज्य अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएन-एल23109डबल्यूबी1973जीओआई028844 कोल भवन प्रैमिसेस-04 एमएआर, प्लॉट संख्या - एएफ-III एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-7000156, पश्चिम बंगाल		नियंत्रक कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयर नियंत्रण पद्धति (कुल इकिटी के प्रतिशत के अनुसार इकिटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

- श्रेणीवार शेयर नियंत्रण



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर (1) भारतीय a) व्यक्तिगत/एचयूएफ b) केंद्र सरकार c) राज्य सरकार d) कॉर्पोरेट संस्थाएँ e) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ f) कोई अन्य... कुल (क) (1): -		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
(2) विदेशी a) एनआसआई-व्यक्तिगत b) अन्य व्यक्तिगत c) कॉर्पोरेट संस्थाएँ d) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ e) कोई अन्य... कुल (ख) (2):	शून्य	22184497	22184497	99.99	शून्य	22184497	22184497	99.99	शून्य
प्रमोटर (क) के कुल धारण शेयर = (क)(1)+(क)(2)	शून्य	22184500	22184500		शून्य	22184500	22184500		
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग 1. संस्थाएँ a) म्यूचुअल फंड b) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ c) केंद्र सरकार d) राज्य सरकार e) वेचर कैपिटल फंड f) बीमा कंपनी g) एफआईआई h) विदेशी वेचर कैपिटल फंड ⁱ⁾ अन्य (उल्लेखनीय) कुल (ख) (1): -									
2. गैर-संस्थाएँ a) कॉर्पोरेट संस्थाएँ अ) भारतीय आ) ओवरसीज b) व्यक्तिगत		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रु 01 लाख तक की शेयर पूँजी									
आ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रु 01 लाख से अधिक की शेयर पूँजी									
इ) अन्य (उल्लेखनीय)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख)(2): कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारण किए गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	Nil	22184500	22184500	100	शून्य

ख. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्रम सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयर			वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तित %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज़/इनकंबर्ड शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज़/इनकंबर्ड शेयरों का %	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (कृपया चिह्नित करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो) :

वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	22184497	99.99	22184497	99.99
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इकिटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99



घ) चोटी के दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों एवं धारकों/नियंत्रकों के अलावा) :

क्रम सं	चोटी के दस शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में				
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इकिटी)			शून्य	
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)				

ङ) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग :

क्रम सं		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	2	0.01	2	0.01
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इकिटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	2	0.01	2	0.01

V. अनुगृहीता

बकाया/बढ़ते ब्याज पर भुगतान बाकी नहीं सहित कंपनी की अनुगृहीता

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित त्रण	असुरक्षित त्रण	जमा	कुल अनुगृहीता
वित्त वर्ष के आरंभ में अनुगृहीता				
i) मूल राशि		1590.50		1590.50
ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया				
iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं				
कुल (i+ii+iii)		1590.50		1590.50
वित्त वर्ष के दौरान अनुगृहीता में बदलाव				
→ जोड़		113.86		113.86
→ घटा		6.00		6.00
शुद्ध बदलाव		107.86		107.86



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल अनुगृहीता
वित्त वर्ष के अंत में अनुगृहीता				
i) मूल राशि		1698.36		1698.36
ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया				
iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं				
कुल (i+ii+iii)		1698.36		1698.36

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबन्धक की पारिश्रमिक :

(आँकड़े ₹ में))

क्रम	पारिश्रमिक का विवरण	श्री एस. चक्रवर्ती, अध्यक्ष-सह प्रबन्ध निदेशक	के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी)	श्री ए एम मराठे, निदेशक (वित्त), (डब्ल्यूटीडी),	श्री एस. के. झा, निदेशक (तक.)	श्री वी. ए. शुक्ला निदेशक (तकनीकी) संचालन (डब्ल्यूटीडी)	श्री ए. के. सिंह निदेशक (तकनीकी) (डब्ल्यूटीडी)	कुल राशि
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(2) के अंतर्गत परिलिखियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	2535116.57 344746.65	2914492.00 350830.50	2749965.00 346500.00	1190573.00 193178.00	1355784.60 163536.30	1510345.00 173250.00	12256276.17 1572041.45
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत -अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	2000000.00		2000000.00				4000000.00
6	कुल (क)	4879863.22	3265322.50	5096565.00	1383751.00	1519320.90	1683595.00	17828317.62



ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(आँकड़े ₹ में)

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि	कुल राशि
		डॉ इंदिरा चक्रवर्ती	
1	स्वतंत्र निदेशक →बोर्ड-समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क →कमीशन →अन्य, उल्लेख करें	401250.00 शून्य शून्य	401250.00 शून्य शून्य
	कुल (1)	401250.00	401250.00
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक →बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क →कमीशन →अन्य, उल्लेख करें		शून्य शून्य शून्य
3	कुल (2)		401250.00
4	कुल (ख)=(1+2)	401250.00	401250.00

ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी सचिव	कुल
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के- अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	2771935.00 410536.00 शून्य	2771935.00 410536.00 शून्य
	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
	स्वेट इकिटी	शून्य	शून्य
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	7849.00	7849.00
	कुल	3190320.00	3190320.00

Vii. जुर्माना / दंड / अपराधों की सुलह :

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुभाग	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/सुलह शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/सीओयूआरटीकी)	गयी अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					शून्य
सुलह					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					शून्य
सुलह					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					शून्य
सुलह					



अनुलग्नक - X

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

- I. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास कंपनी निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है।
- II. अर्जित एवं व्यवहार में लाए गए कुल विदेशी मुद्रा -

क्र.सं	विवरण	(रु लाख में)	
		2017-18	2016-17
क)	व्यवहार में लाई गई विदेशी मुद्रा		
1)	आयात का सीआईएफ मूल्य		
	क) कच्चा माल	0.00	0.00
	ख) पुर्जे, भंडार एवं स्पेयर्स	0.00	475.00
	ग) पूंजीगत माल	0.00	15189.00
2.	यात्रा / प्रशिक्षण खर्च	13.00	34.00
3.	तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	0.00	0.00
4.	विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
5.	अन्य	13.00	220.00
	कुल	13.00	15918.00

ख) विदेशी मुद्रा आय शून्य शून्य



अनुलग्नक - XI

तकनीकी आमेलन से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया	कंपनी के पास अपना अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित नहीं है। सीएमपीडीआईएल, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, केंद्रीय रूप से सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ	: अप्रयोज्य
3.	भविष्य की कार्य योजना	: अप्रयोज्य
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च क) पूँजी ख) आवर्ती ग) कुल	: अप्रयोज्य -- -- --
	कुल आर एण्ड डी व्यय, कुल टर्नओवर का प्रतिशत	: अप्रयोज्य

तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन

1.	तकनीकी आमेलन, अनुकूलन तथा नवप्रवर्तन में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	: शून्य
2.	परोक्त प्रयासों से प्राप्त लाभ जैसे- उत्पाद उन्नयन, लागत में कमी, उत्पाद का विकास, आपात का विकल्प इत्यादि	: शून्य
3.	आयातित तकनीक के मामले में (वित्तीय वर्ष आरंभ होने से विगत 5 वर्षों के दौरान आयात का गणना) निम्नलिखित जानकारी निम्नवत है-	: शून्य
(i)	आयातित तकनीक	: शून्य
(ii)	आयात का वर्ष	: शून्य
(iii)	क्या आयात का पूर्णतः आमेलन किया गया?	: शून्य
(iv)	यदि पूरी तरह आमेलन नहीं हुआ तो कहाँ तक हुआ, उसका कारण एवं भविष्य की कार्य योजना	: शून्य



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

गोपनीय



सत्यमेव जयते

कार्यालय, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा

बोर्ड कोलकाता

पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता – 700 020

दिनांक : 11.06.2018

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया,
पश्चिम बंगाल ।

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अग्रसारित करता हूँ।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जाय।

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि ।

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 11.06.2017

दु०भा० /Phones : 91-33-22875380/7165/2360/8838, 2281-0043/5654, फैक्स /Fax : 91-33-22800062
ई० मेल /E-mail : mabkolkata2@cag.gov.in, तार : "कोयलेखा" / Telegram : "COLADIT",



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146 (6) (बी) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में दर्शाए गए रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के तहत है जो कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह 26.05.2018 को उनके द्वारा आडिट रिपोर्ट तथा 06.06.2018 को संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किए गए विवरण पर आधारित है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (a) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर्स के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों की जाँच के प्राथमिक रूप से सीमित है एवं कुछ लेखा रिकॉर्डों की जाँच के तहत है। मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक हो अथवा उसपर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 11.06.2018



ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
1.	<p>हमने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (कम्पनी) का भारतीय लेखांकन प्रणाली सहित वित्तीय परिणाम का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2018 का तुलनपत्र, लाभ तथा हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, नगद प्रवाह का विवरण, उसी तिथि को समाप्त वर्ष को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा स्पष्ट लेखांकन नीति का सारांश तथा अन्य व्यख्यात्मक सूचनायें (यहाँ के बाद “इन्ड ए एस” “वित्तीय विवरण” कहा जाएगा) शामिल है। इनमें (क) मुख्यालय तथा 7 क्षेत्रीय / कोलियरियों का लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम 2013 (अबसे “अधिनियम”) की धारा 139 के अधीन नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों ने किया है।</p>	यह तथ्यों का बयान है।
2)	<p>इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी :</p> <p>कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए कम्पनी का प्रबन्धन जिम्मेदार है। जिससे कि कम्पनी अधिनियम की धारा 134 (5) के अनुसार इस प्रकार के वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है जिससे कि कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2017 के नियम 7 के साथ-साथ भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नगद प्रवाह की एक सच्ची एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में लेखा रिकॉर्डों का समुचित रखरखाव भी शामिल है ताकि कंपनी की सम्पत्तियों की रक्षा की जा सके एवं किसी प्रकार की धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं से बचा जा सके, समुचित लेखा नीतियों का चुनाव किया जा सके, वित्तीय विवरण को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव को शामिल करते हुए सच्चा एवं निष्पक्ष रूख अपनाया जा सके तथा सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त हो, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ।</p>	यह तथ्यों का बयान है।
3.	<p>लेखा परीक्षकों का दायित्व :</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। हमने, अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, अधिनियम के प्रावधानों, लेखापरीक्षा मानकों तथा उन सभी सामग्रियों का अनुपालन किया है जिन सबों की आवश्यकता अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार थी।</p>	यह तथ्यों का बयान है।
4.	<p>अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में हमने लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया है। इन मानकों के अनुसार हमने नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन</p>	यह तथ्यों का बयान है।



करते हुए योजना बनायी एवं लेखापरीक्षा का कार्य सम्पन्न किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी प्रकार की अस्तुनिष्ट गड़बड़ी से मुक्त हो।

5. वित्तीय विवरणों में शामिल राशि के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भी लेखापरीक्षा में शामिल है। इस प्रक्रिया का चुनाव धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी के जोखिम के आकलन को देखते हुए लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसे जोखिम के आकलन के दौरान, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करती है जो कि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के दौरान एक सही एवं निष्पक्ष राय देता है। उपयोग की जा रही लेखा नीतियों के औचित्य तथा कंपनी के निदेशकों के द्वारा तैयार लेखा अनुमानों की तार्किकता का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही, इसमें कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है।
6. हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार थे।

यह तथ्यों का बयान है।

7. हमारी राय एवं उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिये गए विवरण के अनुसार भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण के आवश्यक रूप से अधिनियम द्वारा सत्यता एवं निष्पक्ष राय के साथ 31 मार्च 2018 को कंपनी की स्थिति एवं इसके लाभ तथा नगद प्रावाह की जानकारी देता है :

यह तथ्यों का बयान है।

8. हमलोगों ने 26 मई 2018(मूल प्रतिवेदन) को धनबाद में वित्तीय स्थिति पर इसी तिथि को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत के आधार पर अपना आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। संबंधित अधिनियम के अनुच्छेद 143 (6) (ए) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अवलोकन के आधार पर उपरोक्त रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह आडिट रिपोर्ट जो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अवलोकन के अनुसार उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है उसे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट जो सलग्रक - I पर संलग्न है उसके क्रमांक 7 (बी) पर रखा गया है। यह मूल रिपोर्ट की जगह पर है। हमारी आडिट का तरीका, बाद के मूल रिपोर्ट के बाद की घटनाओं पर है जो कम्पनी आदेश (आडीटर्स रिपोर्ट) 2016 के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन को सहलग्रक - I के क्रमांक 7 (बी) तक सीमित है।

यह तथ्यों का बयान है।

- अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन
- 9.क) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2017 की आवश्यकता के अनुसार, कथित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक के में देते हैं।

यह तथ्यों का बयान है।



- ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उठाये गये कदमों एवं उसका कंपनी की लेखा तथा वित्तीय विवरणों में पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक में दिया गया है। यह तथ्यों का बयान है।
10. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) की माँग के अनुसार, हमलोग प्रतिवेदित करते हैं कि :
- (क) हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारी जानकारी में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी ; यह तथ्यों का बयान है।
- (ख) हमारी राय में कानून के तहत आवश्यक लेखा की पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो इस पुस्तिकाओं की जाँच से स्पष्ट होता है तथा हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु पर्याप्त उचित वापसी को शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है जहाँ हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया; यह तथ्यों का बयान है।
- (ग) क्षेत्रीय/यूनिट स्तर के लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (8) के तहत कंपनी के क्षेत्रों/यूनिटों की लेखा पर प्रतिवेदन तय प्रावधान के अनुसार हमें भेजा जा चुका है ताकि इस प्रतिवेदन को तैयार करते हुए इन्हें शामिल किया जा सके। यह तथ्यों का बयान है।
- (घ) इस प्रतिवेदन के साथ निपटारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बही तथा उन क्षेत्रों/यूनिटों से प्राप्त रिटर्न जहाँ हमने दौरा नहीं किया है; के साथ करार में है। यह तथ्यों का बयान है।
- (ङ) हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन करती है। यह तथ्यों का बयान है।
- (च) वित्तीय लेनदेन अथवा ऐसे किसी मामले जिससे कि कंपनी की कार्य-प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो; पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है। यह तथ्यों का बयान है।
- (छ) कंपनी के निदेशक से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। यह तथ्यों का बयान है।
- (ज) लेखा की देखरेख एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई अर्हता, आरक्षण अथवा विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है। यह तथ्यों का बयान है।



- (झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित हमारे आंतरिक लेखा नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभाव का विवरण अनुलग्नक-II में दिया जा रहा है। यह तथ्यों का बयान है।

कम्पनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकगण) नियमावली 2014 के नियम 11 के साथ लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल अन्य मामलों तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टकरणों के आधार पर हमारी राय है कि -

1. कंपनी ने टिप्पणी संख्या 38 में मद संख्या 4(क) में दायित्वों को प्रस्तुत किया है। हमने ऐसा कोई अन्य दायित्व नहीं देखा है जिसका वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। यह तथ्यों का बयान है।
2. कंपनी को दीघावधि संविदाओं में वास्तविक हानि हेतु प्रयोज्य विधि अथवा लेखा मानकों के तहत प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। यह तथ्यों का बयान है।
3. कंपनी में इन्वेस्टर एज्युकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में राशि का स्थानांतरण प्रयोज्य नहीं है। यह तथ्यों का बयान है।



**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन
का संलग्नक 'I'**

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 9 (क) में वर्णित है)

क्रम	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
1.क)	कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों समेत समस्त विवरणों को दर्शाता समुचित रिकॉर्ड रखा गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
ख)	सभी स्थिर परिसम्पत्तियों की भौतिक जाँच वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा की गई तथा कोई गम्भीर विसंगति नहीं पाई गई।	यह तथ्यों का बयान है।
ग)	कम्पनी के नाम की अचल संपत्तियों के टाइटल डीड की स्थिति निम्नलिखित है :	

भूमि का विवरण	कम्पनी के कब्जे में कुल भूमि हेक्टेयर क्षेत्रफल में	भूमि जिनके लिए दस्तावेज रखे गए हैं हेक्टेयर क्षेत्रफल में	टिप्पणी
कोल माइन्स राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अधीन भूमि	8711.00	8711.00	यह जमीन अब कम्पनी के नाम से समाहित (बेर्स्टेड) हो गई है।
भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन भूमि	2802.84	2802.84	कम्पनी के सभी संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है
सीबीए (ए तथा डी) अधिनियम 1957	3772.23	3772.23	कम्पनी के सभी संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में संबंधित विवरण उपलब्ध है।
सीधी खरीद के द्वारा ली गई जमीन	5432.83	4704.69	728.14 हेक्टेयर भूमि का दस्तावेज डीड के मिलान तथा एकत्रीकरण का काम प्रगति पर है
स्थानांतरित सरकारी भूमि	311.25	311.25	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है।
बनभूमि कोल वियारिंग एक्ट के अधीन	275.77	275.77	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में संबंधित विवरण उपलब्ध है।
बनभूमि स्तर को एक एक्ट वियारिंग एक्ट (के अधीन)	100.62	100.62	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में स्टेज-। तथा स्टेज-॥ के दिखाई उपलब्ध है।
कुल	21406.54	20678.40	

यह तथ्यों का बयान है।



2. प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर बस्तुसूची की वास्तविक जाँच की जाती है तथा वास्तविक जाँच के दौरान किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी। यह तथ्यों का बयान है।
3. कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत कंपनी रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा सुरक्षित या असुरक्षित किसी प्रकार के ऋण का अनुदान नहीं दिया गया है। यह तथ्यों का बयान है।
4. कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है। यह तथ्यों का बयान है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत तैयार नियमों के आलोक में कंपनी ने किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड अथवा नेशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रीबुनल द्वारा अनुपालन की अपेक्षा में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। यह तथ्यों का बयान है।
6. अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित लागत रेकॉर्ड के संदर्भ में कंपनी ने इस प्रकार की लेखा एवं रेकॉर्ड तैयार किए हैं तथा उनकी देखरेख की है। यह तथ्यों का बयान है।
- 7.क) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर (सेस) एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया की नियमित रूप से उचित अधिकारी के पास जमा किया गया है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन में किसी प्रकार के वैधानिक बकाया शेष नहीं था। यह तथ्यों का बयान है।
- (ख) कंपनी द्वारा आयकर अथवा विक्रय कर अथवा संपत्ति कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा वैट अथवा उपकर (सेस) जो जमा नहीं कराया गया है उनका विवरण नीचे की सारणी में दिया जा रहा है। यह तथ्यों का बयान है।
8. ऋणों के पुनः भुगतान अथवा संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिवेंचर धारकों को दिये गए ऋण में कमी कंपनी पर लागू नहीं होते। यह तथ्यों का बयान है।
9. प्राथमिक लोक प्रस्ताव अथवा इसके अतिरिक्त लोक प्रस्ताव (ऋण उपकरण संबंधि) के माध्यम से जारी राशि कंपनी पर लागू नहीं थे। सावधि ऋण जिस उद्देश्य से लिया गये थे उन्हें उसी उद्देश्य में उपयोग किया गया। यह तथ्यों का बयान है।
10. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी का मामला नहीं रहा। यह तथ्यों का बयान है।



11. अधिनियम की धारा 197 एवं अनुच्छेद (V) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधकीय वेतन का भुगतान किया गया। यह तथ्यों का बयान है।
12. चूंकि यह निधि कंपनी नहीं है अतः यह खंड कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता। यह तथ्यों का बयान है।
13. अधिनियम की धारा 177 एवं 178 के अनुपालन में सभी संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन किया गया एवं आवश्यकतानुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में इसका खुलासा किया गया। यह तथ्यों का बयान है।
14. कंपनी ने अपने शेयरों पर न तो पूर्ण रूप से और न ही आंशिक रूप से प्राथमिक आवंटन/निजी स्थापन किया। यह तथ्यों का बयान है।
15. कंपनी के निदेशकों एवं उनसे संबंधित लोगों के साथ किसी भी प्रकार का गैर नगद लेन-देन नहीं किया। यह तथ्यों का बयान है।
16. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934, की धारा 45-1ए के अंतर्गत आवश्यक नहीं था। यह तथ्यों का बयान है।

संलग्नक - 'क'

एक लाख या उससे अधिक का विचाराधीन विवाद जो जमा नहीं किया गया।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	संबंधित राशि की अवधि	रु. करोड़ में	मंच जहाँ मामला लंबित है
1.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 1997-98	142.03	जेसीसीटी, आसनसोल
2.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 1998-99 to F.Y. 2000-01	149.78	डब्लू.बी.टी.टी
3.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 2001-02 to F.Y. 2008-09	117.60	स्पेशल कमांडेट पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर
4.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 2009-10 to 2012-13	294.84	सीनियर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल
5.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 1997-98	27.04	जेसीसीटी, आसनसोल
6.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 1998-99 to FT 2000-01	82.92	डब्ल्यूबीटीटी
7.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 2001-02 to FT 2008-09	29.40	स्पेशल कमांडेट डब्ल्यूबीकाम टैक्स
8.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 2009-10 to FT 2012-13	55.63	सीनीयर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल

यह तथ्यों का बयान है। हलांकि इन विवादित बकायों से जो आकस्मिक देयता (ऋण के रूप में अस्वीकृत कम्पनी के विरुद्ध दावे) में लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी क्लास 4(क) अस्वीकृत के अधीन दिखाया गया है।



9.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	F.Y. 2004-05	14.13	सीनीयर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल
10.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	FY 2010-11 , FY 2011-12 एवं FY 2013-14	09.05	डब्ल्यूसीटी अपीलीप तथा रिविजनल बोर्ड
11.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	FY 2012-13	25.55	डब्ल्यूटीटी
12.	वित्त अधिनियम 1994	साइर्टिंग प्रभार पर सेवाकर की मांग	FY 2006-07 से 2010-11	760.84	सीईएसटीएटी, कोलकाता
13.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च 2011 से मार्च 2015	51.47	सीईएसटीएटी, कोलकाता
14.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	जनवारी 2012 से मार्च 2015	0.16	सीसीई (अपील) आसनसोल
15.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	AY 1993-94 AT 2005-06 से AY 2009-10	219.18	आईटीएटी, कोलकाता
16.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	AY 2010-11 से AY 2013-14	320.26	सीआईटी (अपील) आसनसोल
17.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	वित्त वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06	264.75	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
18.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	अप्रैल 1986 से मार्च 1996 सीतम्बर' 03	5.92	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
19.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	2005-06	0.17	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, रांची
20.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	24.09.03 से 31.12.05	0.76	डीसीसीटी, देवघर
21.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY1989-90 से FY1995 -96 FT 2002-03	20.94	झारखण्ड टैक्सेसन ट्रिव्युनल
22.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY1997-98 से 2003-04 एवं 2008-09 से 2010-11	09.62	एसीसीटी, देवघर
23.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY 2004-05 से FY 2007-08	9.03	सीसीटी, रांची
24.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY 2011-12 एवं FY 2012-13	03.37	डीसीसीटी, देवघर
25.	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम 1944	उत्पाद अधिनियम	FY 2016-17	01.15	सीसीई (अपील) धनबाद
26.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	वित्त वर्ष 1999-00	0.40	जिला खानि अधिकारी
27.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 1989-90 से 1991-92 एवं FY 1997-98 से 2006-07	17.43	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
28.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2007-08 से fy 2013-14	19.49	उन सीवीटी, चिरकुडा सर्किल
29.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2001-02	01.96	सीसीटी, रांची



31.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2008-09 एवं 2015-16	37.07	एसीसीटी, गोड्डा
32.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2008-09 एवं 2015-16	0.92	डीसीसीटी, गोड्डा
33.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च' 11 से फेब्रुरी' 13	2.52	सीसीई (अपील), रांची
34.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	FY 2010-11 से 2014-15	7.69	सीसीई (अपील), धनबाद
35.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	FY 2014-15 से 2015-16	5.19	लेखापरीक्षा के प्रमुख निदेशक का कार्यलय रांची
36.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 1990-94, 1996-97, 1997-98, 2007-08 से 2011-12	11.71	प्रमाणपत्र अधिकारी दुमका
37.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 1997-98	29.76	माननीय उच्च न्यायालय, रांची
38.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 2006-07 से 2015-16	0.14	जिला खनन अधिकारी, गोड्डा

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित संवैधानिक बकाया प्रतिवाद सहित जमा कराया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रतिवाद सहित जमा बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1.	आयकर	37.01
2.	वेल्यूएडेड टैक्स	0.50
3.	केन्द्रीय विक्रय कर	6.86
4.	झारखण्ड विक्रय कर	0.18
5.	केन्द्रीय उत्पादकर	41.64
	कुल	86.19



**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर
लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक
(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(b) में वर्णित है)**

अनुलग्नक – क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अधीन संशोधित निर्देश

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबन्धन का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड एवं लीज़होल्ड की क्रमशः कोई स्पष्ट टाइटल/लीज़ डीइस हैं? यदि नहीं, तो कृपया उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जहाँ की भूमि के फ्रीहोल्ड एवं लीज़होल्ड भूमि के टाइटल/लीज़ डीइस उपलब्ध नहीं हैं।	संबंधित विवरण संलग्नक 'ख' स्तर पर दिया हुआ है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	कृपया यह बताएँ कि क्या नामे/ऋण/व्याज के बेवर/राइट ऑफ का कोई मामला है।	वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई ऋण बढ़े खाते नहीं डाला है।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	थर्ड पार्टी के साथ वस्तुसूची तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति हेतु समुचित रेकॉर्ड का रखवाखाव किया गया हो।	वर्ष के दौरान सतरह का कोई मामला सामने नहीं आया	यह तथ्यों का बयान है।



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक – ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

अनुलग्नक – ख

क्रम.	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	<p>क्या रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्टॉक माप का कार्य पूरा किया गया ?</p> <p>क्या समस्त मामलों में रूपरेखा द्वारा वास्तविक स्टॉक मापन रिपोर्ट संलग्न किया गया ?</p> <p>क्या वर्ष के दौरान किसी नये संचय, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई है?</p>	<p>स्टॉक मापन का कार्य मूलभूत रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ही किया गया।</p> <p>सामान्यतः रूपरेखा द्वारा ही वास्तविक स्टॉक मापन संलग्न होता है।</p> <p>नये संचय, जब भी तैयार किए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही किए जाते हैं।</p>	यह तथ्यों का बयान है।
2.	किसी क्षेत्र की पुनः संरचना के दौरान क्या कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों एवं सम्पत्तियों की वास्तविक जाँच की गई?	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	<p>क्या कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रत्येक खान के लिए इस्को एकाउन्ट अलग रखा गया है।</p> <p>इसके अलावा इस खाते में निधि के उपयोग की जाँच</p>	<p>प्रत्येक खान के लिए अलग इस्को एकाउन्ट नामित बैंक में रखा जाता है जैसे – यूनियन बैंक आफ इंडिया, आसनसोल शाखा।</p> <p>नामित अधिकारी यथा कोयला नियंत्रक द्वारा 31.3.2018 तक कोई राशि खर्च नहीं की गई</p>	यह तथ्यों का बयान है।
4.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन एन्ड अर्थ दण्ड के प्रभाव पर लेखा में विचार किया गया है।	<p>थी तथा इससे वर्ष के दौरान स्थिति के उपयोग की बात लागू नहीं है।</p> <p>हमलोगों द्वारा रिकार्डों की पूर्ण जाँच तथा हमें प्राप्त कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार राजमहल, मुगमा तथा एसपी माइन्स के सम्बन्ध में उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए झारखंड सरकार ने रु. 2178.74 की माँग की सूचना भेजी है। हालांकि इस माँग की सूचना निष्पादन पर रोक (स्टेट) लगा दिया गया है।</p>	यह तथ्यों का बयान है।



भूमि के लिए डीड़ :

अनुलग्नक - ख

भूमि का विवरण	कम्पनी के कबजे में कुल जमीन (हेक्टर में)	जमीन जिसके लिए दस्तावेज है (हेक्टर) में	आयुक्ति	प्रबन्धन का उत्तर
कोल माइन्स राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अधीन भूमि	8711.00	8711.00	यह जमीन कम्पनी के नाम में शामिल (वेस्टेड) है।	यह तथ्यों का बयान है।
भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन भूमि	2802.84	2802.84	जिला एलए प्राधिकारी तथा कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
सीबीए (ए तथा डी) अधिनियम 1957 के अधीन प्राप्त जमीन	3772.23	3772.23	संबंधित विवरण कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
सीधी खरीद से प्राप्त जमीन)	5432.83	4704.69	शेष 1672.94 हेक्टेयर भूमि के दस्तावेजों के मिलान तथा इकट्ठा करने का काम प्रगति पर है।	यह तथ्यों का बयान है।
सरकार द्वारा स्थानांतरित भूमि	311.25	311.25	कब्जा प्रमाण पत्र कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
कोल वियरिंग एक्ट के अधीन वन भूमि	275.77	275.77	संबंधित विवरण कम्पनी के क्षेत्रीय कम्पनियों के अधीन कोलियरी कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
गैर कोल वियरिंग एक्ट के अधीन वन भूमि	100.62	100.62	स्टेज-। तथा स्टेज-॥ क्लीयरेंस के रिकार्ड कम्पनी के क्षेत्रों की संबंधित को --- कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
कुल	21406.54	20678.40		



31 मार्च को तुलनपत्र

इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण निधियों का श्रोतः

अंश पूजी
क्रुण का इकिटी में परिवर्तन
रिजर्व एवं सरलस.
प्रोद्भूत व्याज एवं बकाया.
क्रुण निधि
अन्य गैर चालू देयताएं
दौरधीवाधि प्रवधान

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8567.40)	(8234.00)	(8127.43)	(7155.30)	(4677.05)	(3804.82)	(2716.00)	(1072.92)	(1052.15)	(1876.32)	(1876.32)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639.26	665.52	656.24	670.18	674.17	681.29	164.33	1485.87	1584.31	1692.17	1692.17
11.20	11.20	5.51	17.95	17.95	18.92	28.42	25.91	25.91	18.11	18.11
3342.90	3634.76	4136.04	4731.93	4670.27	4042.55	3135.23	2948.25	2789.92	3705.31	3705.31
-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2903.79	3155.46	4871.90	5608.07	5566.44	5757.72	5757.72

निधियों की प्रयोज्यता

स्थिर परिसम्पत्तियाँ
संकलन ब्लाक
त्रूप: मूल्यहास
शुद्ध ब्लाक
122 प्रजागत चालू कार्य
विकासाधीन अमृत परिसंपत्तियाँ
गैर चालू निवेश
आस्थगत कर परिसम्पत्तियाँ
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ
अन्य दीर्घावधि क्रुण एवं अग्रिम

चालू परिसंपत्तियाँ, क्रुण एवं अग्रिम:

चालू निवेश	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
वस्तुसूची	568.72	622.93	442.33	450.52	551.02	764.21	603.30	544.53	544.53	544.53
विवरध देनदार	959.20	2459.37	3582.13	1720.01	1426.88	1955.53	1607.49	1154.47	1154.47	1154.47
नकद एवं बैंक शेष	940.99	1248.74	1949.53	3852.00	4563.88	591.08	737.44	783.39	783.39	783.39
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	65.83	83.28	182.14	270.65	345.73	4022.62	4079.92	5396.11	5396.11	5396.11
क्रुण एवं अग्रिम	146.82	77.59	176.23	188.98	205.25	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्ण योग	2328.50	2612.36	4590.58	6345.14	6498.46	7265.35	7333.44	7028.15	7878.50	7878.50
त्रूप: चालू देयताएं	5301.42	4999.97	5548.98	5710.36	5491.33	4587.05	4930.45	5273.88	7066.68	7066.68
निवेश चालू परिसंपत्तियाँ	-2972.92	-2387.61	-958.40	634.78	1007.13	2678.30	2402.99	1754.27	811.82	811.82
अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल :	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2903.79	3155.46	4871.90	5608.07	5566.44	5757.72



लाभ एवं हानि

	विवरण	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)					
2008-09	विक्रय (लेवी का निवल)	3837.40	5227.78	5882.60	8262.09	9191.91	8887.79	10,018.54	10219.45	10,141.18	10,626.01	841.65	841.65	
अन्य आय	207.77	348.76	354.37	298.62	548.56	712.91	894.25	787.66	787.13	-	-	(33.33)	(33.33)	
वरदू / हास	-11.90	123.26	112.35	44.32	(168.92)	(5.64)	84.84	186.24	(157.34)	-	-	-	-	
निजी उद्देश्य हेतु कर्मशाला कार्य	44.51	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
ब्याज में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
शार्षिंग एयर में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
विद्युत शुल्क में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
विविध उद्देश्यों के लिए जारी कोयला	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
4077.94	5750.29	6349.32	8605.03	9571.55	9395.06	10,997.63	11,193.35	10,770.97	11,434.13					
कर्मचारी, पारिश्रमिक एवं लाभ	3803.75	3364.35	4042.04	5217.06	5329.99	5495.74	5,850.50	5,709.95	6,436.58	8,415.89	-	-	-	
बकाया बेतन एवं मजदूरी	504.89	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
उत्पाद का-														
भुदार एवं सेवर्स की खपत	466.61	490.96	539.95	574.22	649.95	735.36	797.82	738.60	693.25	656.99	-	-	-	
विद्युत एवं इधन	259.25	304.79	376.11	382.42	433.97	463.77	475.78	507.48	503.17	506.06	-	-	-	
मरम्मत	70.95	82.82	57.02	61.76	60.23	76.47	101.22	134.41	156.94	153.41	-	-	-	
सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च	268.09	296.40	180.52	179.33	117.12	92.98	24.85	62.61	21.62	12.69	-	-	-	
ठेका व्यय	254.87	342.00	410.98	481.42	672.36	742.15	930.65	1,367.92	1,591.80	1,587.39	-	-	-	
विविध व्यय	148.51	160.16	176.44	208.45	261.29	265.34	444.37	414.72	454.08	551.12	-	-	-	
मूल्यहास	206.86	146.69	184.72	200.90	203.20	213.50	226.36	278.42	294.90	380.27	-	-	-	
हानि	20.96	9.51	0.01	0.16	8.48	0.98	19.66	39.73	28.99	63.72	-	-	-	
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	155.86	170.35	164.08	248.19	(324.59)	210.00	174.42	128.54	142.54	154.38	-	-	-	
अधिकारी निकासन	17.43	-13.55	87.27	188.99	260.92	(131.57)	98.35	(11.71)	(49.37)	274.04	(144.91)	(1.24)	-	
प्रावधान	2.76	1.97	22.61	0.00	0.00	127.70	73.42	42.21	-	-	-	-	-	
बढ़े खाता	6118.86	5415.27	6242.75	7642.90	7672.92	8292.42	9,217.40	9,217.40	10,070.16	10,755.65	12,900.86			
पीपीए पूर्व नर्त के लिए लाभ (+) / हानि (-)	-2102.92	335.02	106.57	962.13	1898.63	1302.64	1,780.23	1,123.19	15.32	(1466.73)	-	-	-	
पूर्वावधि समयावजन	-2.78	-1.62	0.00	0.00	(1.45)	(3.36)	2.18	-	-	-	-	-	-	
अनुषंगी हितलाभ कर	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
कर व्यय	-	-	-	-	-	273.13	73.84	398.59	497.93	45.58	(12.96)	-	-	
- चाल वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	(174.62)	(38.71)	(8.66)	0.00	-	-	
- मैट ब्रॉडिट हक्कदार	-	-	-	-	-	-	-	419.04	(57.52)	(24.30)	(523.06)	0.46	-	
- आस्थागत कर	-	-	-	-	-	(31.49)	353.21	-	(4.12)	(3.43)	-	-	-	
- पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	725.61	6.13	(931.17)	-	-	
सीपीआरए प्रश्नात लाभ (+) / हानि (-)	-2109.09	333.40	106.57	962.13	1655.54	872.23	1,139.40	-	99.50	36.58	163.63	-	-	
अन्य सकलित आय पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-	34.44	21.94	56.63	-	-	
अन्य सकलित आय कर का शुद्ध रूप	-	-	-	-	-	-	-	-	65.06	14.64	107.00	-	-	
कुल सकलित आय पर कर का शुद्ध रूप	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-5509.76	(4637.53)	-	790.67	20.77	(824.17)	(2761.24)	(2740.47)	-
विवाह वर्ष पर लाभ एवं हानि	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
परामनीय प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
शेष जो तुलनपत्र में लाया गया	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-5509.76	-4637.53	(3548.71)	(2761.24)	(2740.47)	(3564.64)	-	-	-	



प्रयुक्त पूँजी, निवल एवं वित्तीय अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रयुक्त पूँजी	-3526.75	-3135.66	-1320.30	171.10	1971.14	2528.15	4589.75	5027.76	4876.79	4397.19
निवल मालियत	-6348.95	-6015.55	-5908.98	-4946.85	-2458.60	-1586.37	1553.42	1145.53	1166.30	342.13
नकदी अनुपात :										
i) चालू अनुपात (चालू पारिसंपत्तियाँ / चालू देयताएँ)	0.30	0.44	0.52	0.83	1.11	1.18	1.58	1.49	1.33	1.11

कुल कारोबार अनुपात :

- i) पूँजीगत कुल कारोबार अनुपात (निवल विक्रय / प्रयुक्त पूँजी)
- ii) विविध दनदार यथा महीनों की संख्या
- a. सकल लिंक्री
- b. निवल लिंक्री
- iii) कोशले का स्टॉक यथा महीनों की संख्या का लिंक्री मूल्य
- iv). भंडार एवं स्पैर्स का स्टॉक यथा महीनों की संख्या में छपत

संरचनात्मक अनुपात

i). क्रण : इक्विटी	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.04	0.67	0.71	0.76
ii). क्रण : निवल मूल्य	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.27	-0.43	0.11	1.30	1.36



परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. (क) कच्चे कोशले का उत्तादन :

(मिलियन टर्म)

भूमिगत	8.39	8.23	7.37	6.83	6.85	6.87	7.29	7.33	8.13	8.60
छुली खदान	19.74	21.83	23.43	23.73	27.05	29.18	32.72	32.88	32.39	34.97
कुल :	28.13	30.06	30.80	30.56	33.90	36.05	40.01	40.21	40.52	43.57

(ख) उमी संस्कर हटाव
(मिलियन घन मीटर)

43.07	49.74	56.25	60.31	76.45	85.76	94.05	119.22	124.53	118.90
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

2. उठाव (कच्चा कोशला) :

(मिलियन टर्न)

लोको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत	23.69	25.22	26.21	24.27	30.02	31.05	35.10	35.80	40.12	40.04
सीमेंट	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06
उर्बरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलियरी खपत	0.41	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21	0.20
अन्य	4.01	3.45	3.00	6.08	5.38	4.86	3.04	2.50	2.64	3.33
कुल	28.26	29.22	29.74	30.83	35.84	36.25	38.47	38.61	43.02	43.63

3. जनशक्ति

90470	85617	81128	78009	74276	71826	68681	66238	64029	61796
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4. उत्पादकता (ओ. एम. एस.)

भूमिगत खान	0.46	0.47	0.45	0.44	0.46	0.48	0.53	0.56	0.64	0.72
छुली खान	6.42	7.29	8.14	8.64	10.17	10.96	12.12	12.42	12.90	14.32
समग्र :	1.33	1.46	1.60	1.68	1.94	2.12	2.45	2.56	2.64	3.01



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31-03-2018 को स्थिति	31-03-2017 को स्थिति
--	-------------------	-------------------------	-------------------------

परिसम्पत्तियाँ

गैर मौजूदा परिसम्पत्तियों

क. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	2,704.62	2,622.09
ख. पूँजीगत चालू कार्य	4	352.67	382.78
ग. अनुसंधान तथा मूल्यांकन परिसम्पत्तियाँ	5	528.08	117.65
घ. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-
ड. विकासशील अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
च. निवेश सम्पत्ति			
छ. वित्तीय परिसम्पत्ति			
i. निवेश	7	0.08	0.08
ii. क्रृष्ण	8	0013	0.15
iii. अन्य वृत्तीय परिसम्पत्तियाँ	9	504.30	393.30
ज. आस्थगित पर परिसम्पत्ति (शुद्ध)		696.83	173.77
झ. अन्य गैर मौजूदा परिसम्पत्ति	10	159.19	122.35
कुल गैर मौजूदा परिसम्पत्ति (क)		4,945.90	3,812.17

चालू परिसम्पत्तियाँ

a. वस्तु सूची	12	544.53	603.30
b. वित्तीय परिसम्पत्ति			
i. निवेश	7	-	-
ii. व्यापारिक प्राप्तियाँ	13	1,154.47	1,673.69
iii. नगद तथा नगद समतुल्य	14	783.39	737.44
iv. अन्य बैंक शेष	15	3,870.36	3,228.64
v. क्रृष्ण	8	-	-
vi. अन्य परिसम्पत्तियाँ (क+ख)	9	730.07	350.51
घ. चालू कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)		285.57	202.07
ड. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	510.11	298.70
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		7,878.50	7,094.35
कुल परिसम्पत्तियाँ (क + ख)		12,824.40	10,906.52

इकिटी तथा देयतायें

इक्विटी

क. इकिटी अंश पूँजी	16	2,218.45	2,218.45
--------------------	----	----------	----------



तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31-03-2018 को स्थिति	31-04-2017 को स्थिति
ख. अन्य इकिटी	17	(1,876.32)	(1,052.15)
कम्पनी के इकिटी धारकों को आकर्षणीय इकिटी		342.13	1,166.30
गैर नियंत्रित व्याज		-	-
कुल इकिटी (क)		<u>342.13</u>	<u>1,166.30</u>
देयतायें			
गैर वर्तमान देयतायें			
क. वित्तीय देयतायें			
i. उधार	18	1,692.17	1,584.31
ii. अन्य वित्तीय देयतायें	20	18.11	25.91
ख. प्रावधान	21	3,705.31	2,789.92
ग. अन्य गैर वर्तमान देयतायें	22	-	-
कुल गैर वर्तमान देयतायें (ख)		<u>5,415.59</u>	<u>4,400.14</u>
वर्तमान देयतायें			
क. वित्तीय देयतायें			
i. उधार	18	-	-
ii. व्यापारिक देनदारी	19	91.17	105.07
iii. अन्य वित्तीय देयतायें	20	653.45	538.94
ख. अन्य वर्तमान देयतायें	23	3,994.01	3,267.77
ग. प्रावधान	21	2,328.05	1,428.30
घ. वर्तमान कर देयतायें (शुद्ध)		-	-
216.61			
कुल वर्तमान देयतायें (ग)		<u>7,066.68</u>	<u>5,340.08</u>
कुल इकिटी तथा देयतायें (क+ख+ग)		<u>12,824.40</u>	<u>10,906.52</u>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38		
(ब्ही. आर. रेड्डी)	(एस. सरकार)	(एस. के. झा)	(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
		डीआईएन - 08039292	डी.आई.एन.- 07618723

दिनांक : 26 मई, 2018

स्थान : धनबाद

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं - 302186ई

(सीएडी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं - 052066



लाभ-हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 की स्थिति	31.03.2017 की स्थिति
संचालन से प्राप्त राजस्व			
क.	विक्रय शुद्ध	24	10,626.01
ख.	अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध)	24	315.24
(I)	संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		10,941.25
(II)	अन्य आय	25	526.41
(III)	कुल आय (I + II)		11,467.66
(IV)	व्यय		10,928.31
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	656.99
	तैयार माल की वर्द्ध सूची में परिवर्तन, चालू कार्य एवं व्यापार में स्टाक	27	33.53
	उत्पाद कर		146.14
	कर्मचारी लाभ खर्च	28	8,415.89
	बिजली तथा इंधन		506.06
	सामूहिक सामाजिक दायित्व	29	12.69
	मरम्मत	30	153.41
	संविदात्मक व्यय	31	1,587.39
	वित्तीय लागत	32	154.38
	मूल्य हास / ऋण परिशोधन		443.99
	प्रावधान	33	(1.24)
	बढ़े खाते डाला गया	34	-
	अन्य खर्च	35	551.12
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन		274.04
	कुल व्यय (IV)		10,912.99
(V)	अपवाद मदों तथा कर के पूर्व लाभ (III-IV)		(1,466.73)
(VI)	अपवाद मद		-
(VII)	कर पूर्व लाभ (V - VI)		(1,466.73)
(VIII)	कर व्यय	36	(535.56)
(IX)	जारी संचालन की अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(931.17)
(X)	बाधित संचालन पर लाभ / (हानि)		-
(XI)	बाधित संचालन पर कर खर्च		-
(XII)	लाभ / (हानि) बाधित संचालन पर / कर के बाद (X - XI)		-
(XIII)	जेवी के / एसोसिएट के लाभ/(हानि) में अंश		-
(XIV)	अवधि के दौरान लाभ (IX + XII + XIII)		(931.17)
			6.13



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

लाभ-हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 की स्थिति	31.03.2017 की स्थिति
अन्य व्यापक आय	37		
i. लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने योग्य मद	163.63	36.58	
ii. लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने योग्य मदों पर आयकर	56.63	21.94	
iii. लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाने योग्य मद	-	-	
iv. लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाने योग्य मदों पर आय कर	-	-	
(XV) कुल अन्य व्यापक आय अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV)	<u>107.00</u>	<u>14.64</u>	
(XVI) अवधि के लिए अन्य व्यापक आय तथा समाविष्ट लाभ (हानि)	<u><u>(824.17)</u></u>	<u><u>20.77</u></u>	
प्रति इक्कीटी शेयर पर आय (₹ में)			
(प्रति शेयर ₹ 1000/- अंकित मूल्य)			
1. मूल्य (वेसिक)	(419.74)	2.76	
2. तनुकृत	(419.74)	2.76	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38		
उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण काफी अन्त अंग हैं			

(बही. आर. रेड्डी)

कंपनी सचिव

(एस. सरकार)

महाप्रबंधक (वित्त)

(एस. के. झा)

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08039292

(ए. के. सिंह)

अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

डी.आई.एन.- 07618723

दिनांक : 26 मई, 2018

स्थान : धनबाद

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

संस्था पंजीकरण सं - 302186ई

(सीए डी चौधरी)

भागीदार

सदस्यता सं - 052066



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

31-03-2018 को समाप्त अवधि के लिए इकिटी में परिवर्तन पर विवरण

(क) इकिटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2016 को शेष	वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2017 को शेष	01.04.2017 को शेष	वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2018 को शेष
10390000 Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid in cash	1,039.00	-	1,039.00	1,039.00	-	1,039.00
11794500 Equity Shares of ₹ 1000/- each allotted as fully paid up for consideration received other than cash	1,179.45	-	1,179.45	1,179.45	-	1,179.45
Total	2,218.45	-	2,218.45	2,218.45	-	2,218.45

(ख) अन्य इकिटी

(₹ करोड़ में)

	प्रीफेरेंस शेयर पूँजी में इकिटी अंश	पूँजीगत विमोचन आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	पोषणीय विकास आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अन्य आरक्षित	सुरक्षित आय	इकिटी धारकों को देय अन्य इकिटी का योग	अनियंत्रित व्याज	कुल
01-04-2016 को शेष लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्वावधि भूते	855.61	-	-	-	832.71	-	2826.30	(1,860.39) (3.20)	-	(1,860.39) (3.20)
01.04.2016 को पुनर्लिखित शेष वर्ष के लिए कुल व्यापक आय डिविडेंट (डिविडेंट कर सहित)	855.61	-	-	-	832.71	-	2826.30	(1,863.59)	-	(1,863.59)
सुरक्षित आय को स्थानांतरित सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित 31-03-2017 को शेष	-	-	-	-	-	-	6.13	790.67	-	790.67
31-03-2017 को शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	2820.17	(1,072.92)	-	(1,072.92)
01-04-2017 को शेष लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्वावधि भूते	855.61	-	-	-	832.71	-	2820.17	(1,072.92)	-	(1,072.92)
01.04.2016 को पुनर्लिखित शेष वर्ष के लिए कुल व्यापक आय डिविडेंट (डिविडेंट कर सहित)	-	-	-	-	-	-	(931.17)	(1,072.92)	-	(1,072.92)
सुरक्षित आय को स्थानांतरित सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित 31-03-2018 को शेष	-	-	-	-	-	-	-	20.77	-	20.77
31-03-2018 को शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	(3,751.34)	(1,876.32)	-	(1,876.32)

(ब्ही. आर. रेण्डी)

कंपनी सचिव

(एस. सरकार)

महाप्रबंधक (वित्त)

(एस. के. झा)

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08039292

(ए. के. सिंह)

अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

डी.आई.एन.- 07618723

दिनांक : 26 मई, 2018

स्थान : धनबाद

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

संस्था पंजीकरण सं - 302186ई

(सीए डी चौधरी)

भागीदार

सदस्यता सं - 052066



नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018	31.03.2017
क. संचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह		
वर्ष के लिए कुल व्यापक कार्य	(824.17)	20.77
समायोजन हेड :		
मूल्यहास तथा हानि	443.99	323.89
व्याज आय	(271.30)	(285.22)
परिसम्पत्ति के विक्रय पर आय (शुद्ध)	(0.49)	(0.02)
प्रावधान	(1.24)	(144.91)
पुनर्लिखित देयता	(99.63)	(44.15)
स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन	274.04	(49.37)
कोयला के क्लोजिंग स्टाक पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	(22.19)
छूट की अनवाइंडिंग	154.38	142.54
विनिमय दर में भिन्नता पर हानि / (लाभ)	0.04	499.79
वर्तमान / गैर वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पूर्व संचालन	<u>(324.38)</u>	<u>(59.21)</u>
लाभ के लिए समंजन :		
व्यापारिक प्राप्तियाँ	519.22	348.04
वस्तु सूची	58.77	183.10
लघु/दीर्घ अवधि देयतायें तथा प्रावधान	2,520.50	558.86
लघु/दीर्घ अवधि क्रण/अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ	(1,345.35)	1,753.14
संचालन से उत्पन्न नगदी :	<u>1,428.76</u>	<u>660.73</u>
प्रदत्त आयकर	100.00	175.00
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह (I)	<u>1,328.76</u>	<u>485.73</u>
ख. निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
स्थिर परिसम्पत्ति की खरीद	(911.09)	(827.80)
स्थिर परिसम्पत्ति के मूल्य में समंजन	4.25	6.16
परिसम्पत्ति के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)	0.49	0.02
निवेश की (खरीद)/मुनाफा	(641.72)	203.42
पावर बान्ड का विमोचन	-	0.03
निवेश से संबंधित आय	271.30	(1276.77)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह (II)	<u>(1,276.77)</u>	<u>(332.98)</u>



ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018	31.03.2017
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
उधार का पुनः भुगतान	(6.04)	(6.04)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नगद (III)	<u>(6.04)</u>	<u>(6.39)</u>
 नगद तथा बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / कमी (I + II + III)	45.95	146.36
नगद तथा नगद समतुल्य (प्रारंभिक शेष) (IV)	737.44	591.08
कोष्ठक के सभी आंकड़े आउट फ्लो दर्शाते हैं (V)	783.39	45.95
	737.44	146.36

Notes to the Cash Flow Statement:

	31-03-2018	31-03-2017
1. Cash and Cash Equivalents		
Cash on hand and balances with banks	38.44	153.65
Short-Term investments	744.95	583.79
Cash and cash equivalents	783.39	737.44
Effect of exchange rate changes	-	-
Cash and cash equivalents as restated	783.39	737.44

2. वर्ष के दौरान प्रदत्त कुल कर ₹. 100 करोड़ है। (स्रोत पर कर कटौती सहित) प्राप्त डिविडेंट

(व्ही. आर. रेण्टी)	(एस. सरकार)	(एस. के. झा)	(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
		डीआईएन - 08039292	डी.आई.एन. - 07618723

दिनांक : 26 मई, 2018

स्थान : धनबाद

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं - 302186ई

(सीएडी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं - 052066



टिप्पणी - 1 : सामूहिक सूचनायें

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (कम्पनी) गत 01 नवम्बर, 1975 को कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम) में निहित परिसम्पत्ति तथा देयताओं का अधिग्रहण करके 100% कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में गठित हुई थी। यह कम्पनी कुल रूप से कोयला के उत्पादन तथा विक्रय के व्यापार में संलग्न है।

टिप्पणी - 2 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

2.1 वित्तीय विवरण निर्माण का आधार :

कम्पनी का वित्तीय विवरण (कोल इंडिया लि. समेकित) कम्पनियों की (भारतीय लेखांकन स्तर) नियमावली 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन स्तर (इंड एएस) की सहमति में तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरण निम्नलिखित छोड़कर माप के एतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं :

- स्वच्छ मूल्य (अनुच्छेद 2.15 में लेखांकन नीति पर वित्तीय उपकरण को देखें) पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा देयतायें।
- परिभाषित सुविधा योजनायें – स्वच्छ मूल्य पर मापी गई योजना परिसम्पत्तियाँ।
- लागत पर सम्पत्ति सूची या एन आर वी जो भी कम हो, लेखांकन नीति में अनुच्छेद 2.21 को देखें।

2.2.1 राशि का लघु रूपायन :

इन वित्तीय विवरणों में संख्या को, यदि अन्यथा न कहा गया हो तो, दो दशमलव अंको तक “रूपये करोड़ में” बनाकर लघु रूपायन किया गया है।

2.2 वर्तमान तथा अवर्तमान वर्गीकरण :

कम्पनी ने तुलनपत्र में परिसम्पत्ति तथा देयताओं को वर्तमान / अवर्तमान वर्गीकरण में प्रस्तुत किया है। कोई परिसम्पत्ति वर्तमान के रूप में कम्पनी द्वारा मानी गई है जब :

- क) अपने सामान्य संचालन तरीके में जब परिसम्पत्ति को वसूल करना चाहती है, या बेचना या उपभोग करना चाहती है।
 - ख) सामान्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य से रखती है।
 - ग) प्रतिवेदन की अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसम्पत्ति को वसूल करना चाहती है, या
 - घ) परिसम्पत्ति नगद या नगद समतुल्य (इंड एएस 7 की परिभाषा के अनुसार) यदि परिसम्पत्ति प्रतिवेदन की अवधि के बाद न्यूनतम बारह महीनों के लिए अदला बदली या किसी दायित्व के निपटारे के लिए उपयोग की जाती है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्तमान के रूप में वर्गीकृत हैं।
- कम्पनी द्वारा कोई देयता वर्तमान तब मानी जाती है जब –
- क) अपने सामान्य संचालन चक्र में देयता का निपटारा करने की उम्मीद है।
 - ख) देयता को प्राथमिक रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है।
 - ग) प्रतिवेदन की अवधि के बाद बारद महीनों की भीतर दायित्व का निपटारा देय हो।
 - घ) इसके पास कोई बिना शर्त अधिकार न हो कि प्रतिवेदन की अवधि के बाद न्यूनतम बारह महीनों के लिए दायित्व निपटारे को टाल सके। प्रतिस्थानी की राय पर दायित्व की शर्तें इकट्ठी उनकरण को जारी करने में परिणामी हों तथा इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करे।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

अन्य सभी देयतायें अवर्तमान के रूप में वर्गीकृत हैं।

2.3 राजस्व की पहचान

2.3.1 सामग्री के विक्रय से राजस्व

निम्नलिखित सभी स्थितियाँ यदि पूरी होती हो तो सामग्री के विक्रय को राजस्व के रूप में मापा जायेगा।

- क) सामग्री का मालिकाना उल्लेखनीय खतरा तथा इनाम को कम्पनी ने खरीदार को स्थानांतरित कर दिया हो।
- ख) कम्पनी बेची गई सामग्री पर न तो इसके प्रभावशाली नियंत्रण न ही मालिकाना के लिए सामान्य तौर पर अपेक्षित प्रबन्धकीय संलग्नता जारी रखती है।
- ग) राजस्व की राशि को विश्वस्तरीय रूप से मापा जा सके।
- घ) यह सम्भव हो कि लेनदेन के साथ संलग्न आर्थिक सुविधायें कम्पनी की ओर प्रवाहित हों।
- ङ) लेनदेन के सम्बन्ध में सबद्ध लागत या लागत की संभावित संबद्धता को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके।

राजस्व को स्वच्छ मूल्य पर प्राप्त या प्राप्त मुआवजा के रूप में सरकार / अन्य संवैधानिक निकाय की तरफ से संग्रहित कर उगाही या शुल्क को छोड़कर केन्द्रीय रूप से परिभाषित भुगतान को शामिल कर मापा जाता है।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को ग्राहकों का जमा दिखाया गया है यदि राजस्व के पहचान की उपरोक्त शर्त पूरी नहीं होती। हालांकि दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एस 18 पर आधारित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर कम्पनी ने मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कम्पनी की अपनी लेखा में प्रवाहित है। इसका कारण यह है कि यह उत्पादन कर्ता का दायित्व है जो उत्पादन लागत का अंग है चाहे उत्पादित सामग्री बिके या नहीं। चूंकि उत्पाद कर की वसूली कम्पनी की अपनी लेखा में प्रवाहित है सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि अन्य कर, वसूली या शुल्क कम्पनी की अपनी लेखा में प्राप्त नहीं माने जाते इसलिए राजस्व में शामिल नहीं होते।

2.3.2 व्याज

प्रभावशाली व्याज तरीका का उपयोग कर व्याज आय की पहचान की जाती है।

2.3.3 लाभांश (डिविडेंट)

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.4 अन्य दावे :

अन्य दावों (ग्राहकों से बिलम्ब के कारण वसूले गए व्याज सहित) का लेखांकन वसूली की निश्चितता होने तथा मापे जाने की वास्तविकता होने पर की जाती है।

2.3.5 सेवा का प्रदान

जब किसी लेनदेन के परिणाम को जिसमें सेवा के प्रदान को वास्तविक रूप से आकलित किया जाना सम्भव हो तब लेनदेन से सम्बद्ध राजस्व की पहचान प्रतिवेदित अवधि के अंत में लेनदेन की पूर्णता के संदर्भ में की जाती है। लेनदेन परिणाम को विश्वसनीय रूप से



तब आकलित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं -

- क) जब राजस्व की रकम को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।
- ख) जब लेनदेन से संबंधित आर्थिक सुविधायें की कम्पनी की ओर प्रवाहित होने की सम्भवना हो।
- ग) जब प्रतिवेदन की अवधि के अंत में लेने देने के पूर्णता की स्तर को वास्तविक रूप से मापा जा सके।
- घ) जब लेनदेन पर हुए खर्च तथा लेनदेन को पूरा करने की लागत को वास्तविक रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कम्पनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ तथा हानि विवरण में एक प्रणाली आधार पर उस अवधि पर दी गई है। जिसे कम्पनी खर्च के रूप में मान्यता देती है तथा जिसकी क्षति पूर्ति की इच्छुक है।

परिसम्पत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान सफलता तुलनपत्र में आस्थागित आय के रूप में स्थिर कर प्रस्तुत है एवं लाभ तथा हानि के विवरण में परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई है। आय से संबंधित अनुदान (यथा परिसम्पत्ति से अतिरिक्त के लिए संबंधित अनुदान) को लाभ तथा हानि के विवरण में “अन्य आय” शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो उन खर्चों या हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही खर्च हो चुके हैं या कम्पनी को तत्काल विहीन समर्थन के लिए दिए जाने हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त है जिसके लिए वे प्राप्त होते हैं।

सरकारी अनुदान या प्रोत्साहक अंशदान की प्रकृति की हैं उन्हें सीधे पूँजीगत आरक्षण के रूप में पहचान की गई है जो कि शेयर होल्डर निधि के अंग है।

2.5 पट्टे (लीज)

वित्तीय लीज वह लीज है जो किसी सम्पत्ति के मालिकाना से संबंधित सभी खतरे तथा इनाम को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करते हैं। अंततोगत्वा टाइटल स्थानांतरित हो भी सकते हैं और नहीं भी

एक संचालन लीज वह लीज है जो वित्तीय लीज के अतिरिक्त है।

2.5.1 पट्टग्रहण कर्ता के रूप में कम्पनी एक लीज प्रारंभिक तिथि को ही वित्तीय लीज या संचालन लीज के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

2.5.1.1 वित्तीय लीज प्रारंभिक तिथि को ही पट्टेदारी सम्पत्ति के स्वच्छ मूल्य के रूप में या यदि कम हो तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में पंजीकृत की जाती है। लीज भुगतान को वित्तीय प्रभार का लीज देयता की कमी के रूप में विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष मांग पर सावधिक व्याज पर प्राप्त किया जा सके। लाभ तथा हानि लेखा के विवरण में वित्तीय प्रभार को वित्तीय लागत माना जाता है जबतक कि वह योग्य परिसम्पत्ति को सीधे आकर्षित न करे, जिसमें वह कम्पनी की उदार लागत पर सामान्य नीति की सहमति में पूँजीकृत किया जा सके। लीज परिसम्पत्ति को परिसम्पत्ति उपयोगी के जीवन के आधार पर मूल्य हास किया



जाता है। हालांकि यदि औचित्यपूर्ण निश्चितता न हो कि कम्पनी लीज अवधि के अंत तक मालिकाना प्राप्त कर ही लेगी, परिसम्पत्ति का मूल्य हास परिसम्पत्ति के आंकलित उपयोगी जीवन काल तथा लीज पदों के न्यूनतम के आधार पर किया जाता है

2.5.1.2

- संचालन लीज** – संचालन लीज आधार पर लीज भुगतान की पहचान खर्च पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है अन्यथा अथवा
- (क) अन्य व्यवस्थित आधार है समय तरीका को उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देना भले ही कम के लिए भुगतान का आधार न हो या
 - (ख) कम के लिए भुगतान बढ़ाने की लाइन जो गठित न हो यह आशा की जाती है कि सामान्य मुद्रा स्फीति लागत बढ़ाने पर कम की क्षतिपूर्ति हो सके। क्योंकि यदि अतिरिक्त कारणों से सामान्य मुद्रा स्फीति के भुगतान में भिन्नता होती है तो यह शर्त पूरी नहीं होती।

2.5.2

पट्टादाता के रूप में कम्पनी

संचालन लीज : संचालन लीज से लीज आय (इश्योरेंस तथा रखरखाव के रूप में सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) को लीज के पदों में भौतिक रेखा पद्धति पर आय के रूप में मान्यता की जाती है यदि अन्यथा

- (क) यदि अन्य व्यवस्थित आधार अधिक समय साथ के प्रतिनिधित्व पूर्ण है जिसमें लीज सम्पत्ति से प्राप्त सुविधा कम है फिर भी लीजदाता को भुगतान उप आधार पर नहीं है या
- (ख) पट्टादाता को भुगतान सीधे में अपेक्षित सामान्य मुद्रा स्फीति गुणकों के अनुसार मुद्रा स्फीति के अतिरिक्त बढ़ाने के लिए ढाचागत है तो यह शर्त पूरी नहीं होगी।

प्रारंभिक निधि लागत एक संचालन लीज में मोलभाव तथा व्यवस्था पर हुए प्रारंभिक सीधे खर्च को लीज सम्पत्ति की संवाहक राशि में जोड़ा जाता है तथा लीज आय के रूप में उसी आधार पर प्रारंभिक लीज पद में खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

वित्त पट्टा (लीज) वित्तीय लीज के अंतर्गत लीज प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त बकाया रकम लोगों में कम्पनी के शुद्ध निवेश के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज आय लेखांकन अवधि में आबंटित किया जाता है ताकि लीज के सम्बन्ध में शुद्ध बकाया निवेश पर लगातार सावधि वापसी की दर प्रतिविंवित हों।

2.6

विक्रय के लिए रखी गई गैर वर्तमान परिसम्पत्ति

कम्पनी गैर वर्तमान परिसम्पत्ति को वर्गीकृत करती है तथा (या निस्तारण समूह) विक्रय के लिए रखती है यदि लगातार उपयोग के स्थान पर विक्रय द्वारा वहन की गई राशि प्राथमिक रूप से वसूली जा सके। विक्रय को पूरा करने की कारवाई करते हैं कि यदि उल्लेखनीय परिवर्तन विक्रय में होंगे तो विक्रय के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर विक्रय के लिए अवश्य वचनबद्ध होगी।

इस उद्देश्य से, विक्रय के लेनदेन में गैर वर्तमान परिसम्पत्तियों के साथ अन्य गैर वर्तमान के साथ विनिमय शामिल होगा जबकि विनिमय व्यवसायिक सामग्री होगी। विक्रय वर्गीकरण के लिए रखी गई कसौटी पूरी तब मानी जाती है जब परिसम्पत्ति या बेचा गया समूह तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध है। केवल उन शर्तों में अपनी वर्तमान स्थिति में जो सामान्य या ग्राहकीय हो इस प्रकार के परिसम्पत्ति के विक्रय के मामले में (या विक्रय योग्य समूह) इसका विक्रय पूर्णतः सम्भव हो, तथा यह सचमुच में बेचा जाय केवल खाली न किया जाय। कम्पनी परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह को उच्च सम्भावना वाली विक्रय तक मानती है जब



- उचित स्तर पर प्रबन्धन परिसम्पत्ति या निस्तारण समूह के विक्रय की योजना के प्रति चयनबद्ध है।
- खरीदार को ढूढ़ने के लिए सक्रिय कार्यक्रम तथा योजना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ होता है।
- परिसम्पत्ति (या निस्तारण समूह) सक्रिय रूप से बाजार में वर्तमान स्वच्छ मूल्य तथा उचित मूल्य पर विक्रय के लिए आता है।
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण विक्रय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विक्रय योग्य हो।
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कारबाई सूचित करता है कि योजना में या तो वे आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा अन्यथा यह योजना वापस ले ली जाएगी।

2.7 परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

भूमि ऐतिहासिक लागत पर निष्पादित की जाती है। ऐतिहासिक लागत में शामिल है – भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे आरोपणीय खर्च यथा विस्थापित व्यक्त इत्यादि से संबंधित पुनर्वास खर्च, पुर्नस्थापन लागत तथा नियोजन के बदले में क्षतिपूर्ति।

पहचान के बाद, परिसम्पत्ति संयंत्र तथा उपकरण के अतिरिक्त कोई वस्तु लागत मॉडल के रूप में अपने लागत पर किसी प्रकार का मूल्य हास हो तो तथा कोई संचित क्षति तथा क्षतिपूर्ति। उसे घटाकर निष्पादित की जाती है। परिसम्पत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण की लागत में शामिल है।

(क) इसका खरीद मूल्य आयात मुक्त तथा वापसी विहीन क्रय कर सहित व्यापारिक कमी या छूट घटाकर।

(ख) परिसम्पत्ति को कार्यस्थल पर लाने से सीधे संबंधित कोई लागत तथा प्रबन्धन द्वारा इसके सक्षम संचालन के तरीके के संबंधित खर्च।

(ग) प्रारंभिक लागत का आकलन जो इसे अलग आलग करने तथा सामग्री को हटाने तथा जिस स्थान पर यह रखा है उसे पुनः खाली करने, जिसके लिए कम्पनी का दायित्व है तथा जब अवधि के दौरान सूची में उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि में इसे अधिग्रहण किया गया है।

परिसम्पत्ति संयंत्र तथा उपकरण का प्रत्येक भाग लागत सहित प्रत्येक मद के अलग अलग मूल्यहास के लिए, ताकि कुल लागत में शामिल महत्वपूर्ण है। हालांकि पीपीई का महत्वपूर्ण मांग समानरूप से उपयोगी आयु तथा मूल्यहास के तरीके पर मूल्य हास निर्धारण के लिए एक साथ रखा गया है।

“मरम्मत तथा रख रखाव” के लिए प्रतिदिन की सर्विसिंग के लागत की पहचान लाभ तथा हानि विवरण में संबंधित अवधि के अंतर्गत की हुई है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कुल लागत के संबंधित विशिष्ट पुरजों को बदलने की लागत को वस्तु के संलग्न मूल्य में पहचान की गई है। यदि यह सम्भव है कि वस्तु के साथ संबद्ध आर्थिक सुविधायें भविष्य में कम्पनी की ओर प्रवाहित होंगी; तथा वस्तु की लागत विश्वसनीय ढंग से भविष्य में मापी जा सकेगी। उन अंगों की संलग्न राशि को निम्नलिखित मान्यता रद्दगी नीति के अनुसार मान्यता रद्द कर बदल दिया गया है।

जब वृहद निरीक्षण पूरा किया गया है, तब परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वस्तुओं में सम्बद्ध राशि की पहचान की गई है। यदि यह सम्भव है कि वस्तु के साथ संबद्ध आर्थिक सुविधायें भविष्य में कम्पनी की ओर प्रवाहित होंगी तब वस्तु की लागत विश्वसनीय ढंग से भविष्य में मापी जा सकेगी। पिछली जांच (भौतिक अंग से विशिष्ट) की लागत राशि से संलग्न कोई शेष की मान्यता रद्द कर की गई है।



परिसम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के वस्तु की मान्यता रद्द कर दी गई है, जबकि निस्तारण या सम्पत्ति के लगातार उपयोग के बाद भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार कोई लाभ या हानि जो इस प्रकार की परिसम्पत्ति संयंत्र या उपकरण की वस्तु की मान्यता रगी से हुई हो उसे लाभ तथा हानि में मान्यता दी गई है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्य हास, फ्री होल्ड भूमि को छोड़कर, परिसम्पत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित है -

अन्यभूमि

(लीजहोल्ड भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या लीज जो भी कम हो।
भवन	:	3 - 60 वर्ष
सड़क	:	3 - 10 वर्ष
दूरसंचार	:	3 - 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	10 वर्ष
संयंत्र तथा उपकरण	:	5 - 15 वर्ष
कम्प्यूटर तथा लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 - 6 वर्ष
फर्नीचर तथा उपस्कर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 - 10 वर्ष

तकनीकी आकलन के आधार पर प्रबन्धन यह विश्वास करती है कि उपरोक्त उपयोगी जीवन उप अवधि के सबसे अच्छी तरह प्रस्तुत करता, है जो प्रबन्धन परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए उम्मीद करती है। अतएव परिसम्पत्ति की उपयोगी आयु कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 11 के पार्ट सी के अधीन वर्जित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवन के आकलन की समीक्षा की जाती है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को शेष मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5% माना जाता है परिसम्पत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिनमें कोल टब वाइंडिंग रोप, हालेम रोप, स्टोइंग पाइप तथा सुरक्षा दीप इत्यादि है क्योंकि जिसके लिए उपयोगी जीवन का तकनीकी आकलन एक वर्ष तथा शृन्य मूल्य है।

वर्ष के दौरान खरीदे अथवा बेची गई परिसंपत्ति पर मूल्य हास प्रोराटा आधार पर खरीदे / बेचे जाने के माह के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है। अन्य भूमि मूल्य में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) (सीवीए) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण 1894, भूमि अधिग्रहण में स्वच्छ क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम 2013 सरकारी भूमि की लंबी अवधि के स्थानांतरण इत्यादि शामिल है। जिसे परिसम्पत्ति की शेष आयु के आधार पर परिशोधित किया गया है, तथा लीज होल्ड भूमि के मामले में इस प्रकार का परिशोधन लीज अवधि या परियोजना की शेष अवधि जो भी कम हो पर आधारित है।

पूरी तरह मूल्य हासित परिसम्पत्ति सक्रिय उपयोग से देवा मुक्त क्रो सर्वे आफ परिसम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसकी परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का शेष मूल्य है तथा दुर्वलता के लिए जाँच की गई है।

कुछ परिसम्पत्ति के निर्माण तथा विकास पर कम्पनी द्वारा किए गए पूँजीगत खर्च जो उत्पादन सामग्री आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं या कम्पनी की वर्तमान परिसम्पत्ति से अधिक है उन्हें परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधीन सदाम परिसम्पत्ति की पहचान की



गई है।

इंड ए. एस.की ओर परिवर्तन

कम्पनी ने अपनी सभी परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के लागत मॉडल के अनुसार संवाहक मूल्य को जारी रखना चुना है जैसा कि वित्तीय विवरणों तिथि पर इंड ए एस की ओर परिवर्तन के लिए पहले के गैप (जीएएपी) के अनुसार मापा गया था।

2.8

माइन क्लोजर, स्थल पुनःस्थापन तथा सेवामुक्ति दायित्व :

भूमि संस्कार तथा संरचना सेवामुक्ति के लिए कम्पनी के उत्तरदायित्व में सतह तथा भूमिगत खानों दोनों में भारत सरकार कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च करना शामिल है। कम्पनी माइन क्लोजर, स्थल पुनःस्थापन तथा सेवामुक्ति की जिम्मेदारी का आकलन राशि के तनकीनी आकलन, तथा विस्तृत गणना के आधार पर करती है। आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए भावी नगद खर्च का समय स्वीकृत माइन क्लोजर योजना के अनुसार माइन क्लोजर खर्च उपलब्ध कराया जाता है, खर्च का आकलन मुद्रा स्फीति के लिए वृद्धि, तथा छूट की दर पर छूट दी जाती है जो कि मुद्रा के मूल्य तथा खतरों के समय वर्तमान बाजार मूल्यांकन में परिलक्षित होता है। देयता के निपटारे के लिए आवश्यक आवश्यकता सहित दायित्व तथा समतुल्य परिसम्पत्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिससे देयता नहीं है कुल स्थल पुनःस्थापन लागत (सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एन्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा आकलित) को प्रतिनिधित्व करने वाली परिसम्पत्ति की एक अलग पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती माइन क्लोजर पलन के अनुसार तथा शेष परियोजना / खान अवधि पर परिशोधन किया जाता है। प्रावधान का मूल्य समय से साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट घटता जाता है, जिसमें एक खर्च का सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पुनः एक विशिष्ट निलम्बलेख निधि खाता इस उद्देश्य से स्वीकृत माइन क्लोजर योजना के अनुसार माइन कोजर खर्च उत्तरोत्ता वर्ष दर वर्ष आधार पर के कुल माइन क्लोजर देयता का अंग है वह प्रारम्भ में निलम्ब लेख से प्राप्य है तथा उस वर्ष में देयता के साथ समेक्षित किया जाता है जिसमें प्रमाणन एजेन्सी के उत्पत्ति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9

अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति

अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति में पूंजीकृत लागत समाहित है जो कोयला तथा संबंधित स्रोत की खोज को आकर्षित करती है। इसमें तकनीकी व्यवहार्यता तथा वित्तीय संमाध्यता बकाया रखते हुए सुनिश्चित स्रोत समाहित जन निम्नलिखित के साथ गड़ित है।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ों की पुनः खोज तथा विश्लेषण।
- स्थलाकृतिक, भूगोलायनिक तथा भू भौतिक अध्ययन के द्वारा संग्रहीत अन्वेषण आंकड़े।
- अन्वेषणात्मक भू वेधन, खंडक खुदाई तथा नमूना संग्रह।
- स्रोत के ग्रेड तथा आयतन की जाँच तथा निर्धारण।
- परिवहन तथा संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण।
- बाजार तथा वित्त अध्ययन संचालन।

उपरोक्त में कर्मचारी का पारिश्रमिक सामग्री की लागत तथा प्रयुक्त इंधन, ठेकेदार को भुगतान शामिल है। चूंकि अप्रत्यक्ष उपकरण, भविष्य के अन्वेषण में होने वाले सामूहिक अपेक्षित वास्तविक लागत में से अस्पष्ट / अप्रभेदनीय मांग प्रस्तुत करते हैं, यह लागत तथा



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

अन्य पूँजीकृत अन्वेषण लागत को अन्वेषण तथा मूल्यांकन लम्बित के रूप में मान्यता दी गई है।

अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत परियोजना दर परियोजना आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं, परियोजना तकनीकी औचित्य और व्यापारिक व्यवहार्यता के बिना तथा गैर वर्तमान लागत के अधीन अलग माइन पर प्रदर्शित हैं। उन्हें बाद में संचित क्षति / प्रावधान घटाकर लागत पर मापा जाता है।

एकबार सुरक्षित भंडार निश्चित किया जाता है तथा खान परियोजना के विकास की स्वीकृति की जाती है। अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति को पूँजीगत कार्य प्रगति पर के अधीन “विकास” को स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि यदि सुरक्षित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती।

2.10 विकास खर्च

जब सुरक्षित भंडार निश्चित कर लिया जाता है तथा खान / परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, पूँजीकृत अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत को निर्माण के अधीन परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दे दी जाती है तथा विकास शीर्ष को अंतर्गत पूँजीगत कार्यप्रगति पर के अंग के रूप में पहचान मिल जाती है। बाद में सभी विकास खर्च भी पूँजीकृत कर दिए जाते हैं। विकास खर्च जो पूँजीकृत होता है वह विकास अवधि के दौरान निकाले गए कोयला के विक्रय से प्राप्तधन का शुद्ध रूप होता है।

व्यापारिक संचालन :

परियोजना / खानों को राजस्व के अंतर्गत व्याया जाता है। परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित परिसम्पत्तियों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटी पर जब किसी परियोजना / खान की उत्पादन करने की क्षमता कायम रहने के आधार पर व्यापारिक तैयारी स्तर करली जाती है तब

क) एक वर्ष के तत्काल बाद, वित्तीय वर्ष के आरम्भ से जिसमें परियोजना अपनी स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुवार वास्तविक उत्पादन का 25% दर क्षमता प्राप्त कर लेगी है।

ख) कोयला की तह के स्पर्श कर लेने के दो वर्ष बाद या

ग) वित्तीय वर्ष के आरम्भ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक हो

जो भी स्थिति पहले घटित हो

राजस्व में लाने के बाद, पूँजीगत चालू कार्य के अंतर्गत परिसम्पत्ति “अन्य खनन ढांचा” नामकरण के अधीन परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रूप में पुनः वर्गीकृत की जाती है। अन्य खनन ढांचे उस वर्ष में परिशोधित किए जाते हैं जबसे खान 20 वर्षों परियोजना की आयु जो भी कम हो, मैं राजस्व में लाए जाते हैं।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति

अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति अलग से लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मानी जाती है। अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत किसी व्यापार में अधिग्रहण की तिथि पर उसका स्वच्छ मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता का पालन करते हुए, अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति लागत पर न्यून संचित परिशोधन (उसकी उपयोगी आयु सीधी रेखा पद्धति पर परिगणित) तथा सचित अति हानि यदि कुछ हो तो, रखी गई है। अन्दरूनी रूप से उत्पन्न अप्रत्यक्ष पूँजीकृत विकास खर्च को छोड़कर, परिसम्पत्ति को पूँजीकृत नहीं किया जाता। इसके बदले में, संबंधित खर्च को लाभ तथा हानि के विवरण तथा अन्य विस्तृत आय, जिस अवधि में वह खर्च हुआ है, मैं मान्यता दी जाती है।



अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की उपयोगी आयु सीमित या असीमित आधार पर निर्धारित की जाती है। सीमित आयु की अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति को उपयोगी आर्थिक आयु पर परिशोधित की जाती है तथा क्षति के लिए निर्धारित किया जाता है जब की पृष्ठ प्रकार का कोई संकेत हो कि अभीमित परिसम्पत्ति अति ग्रस्त होगी। अवास्तविक परिसम्पत्ति के लिए परिशोधन अवधि तथा परिशोधन विधि, सीमित उपयोगी आयु के लिए को कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या भावी अर्थिक सुविधा के उपभोग के अपेक्षित तरीके को परिशोधन अवधि या तरीका जो भी उपयुक्त हो तथा लेखांकन आकलन में परिवर्तन किया जाता है। सीमित आयु सहित अवास्तविक परिसम्पत्ति परिशोधन खर्च की लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। एक अनीकित उपयोगी आयु की अवरस्तयिक परिसम्पत्ति परिशोधन नहीं की जाती क्योंकि प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर क्षति के लिए जांच जाती है। अवास्तविक परिसम्पत्ति के रूप में उपयोग करने के अधिकार हेतु विधिक अवधि या तीन वर्ष जो भी कम हो, शून्य शेष मूल्य सहित साफ्टवेयर की लागत को मान्यता दी गई है तथा सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.12 परिसम्पत्ति की दुर्बलता (वित्तीय परिसम्पत्ति के अतिरिक्त)

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कम्पनी निर्धारित करती है कि किसी परिसम्पत्ति की दुर्बलता का संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है उपपरिसम्पत्ति की वसूली योग्य कीमत का आकलन करती है। परिसम्पत्ति की वसूली योग्य मूल्य परिसम्पत्ति से अधिक है या उपयोग में आ रही नगद उत्पादन इकाई के मूल्य से अधिक है तथा विद्युत के स्वच्छ मूल्य लागत पर है, तथा एकल परिसम्पत्ति पर निर्धारित है यदि परिसम्पत्ति नगद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य परिसम्पत्ति या परिसम्पत्ति के समूह से पूरी तरह स्वतंत्र है जिसमें वसूली योग्य राशि जिस परिसम्पत्ति की है उस इकाई से नगद उत्पादन इकाई के आधार पर तय की जाती है। प्रत्येक खान को कम्पनी अति की जांच के उद्देश्य में अलग नगद उत्पादन इकाई मानती है।

यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम आकलित की जाती है तक परिसम्पत्ति की वहन राशि से कम आकलित की जाती है तब परिसम्पत्ति वहन की गई राशि को कम करके वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है तथा हानि को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता की जाती है।

2.13 निवेश सम्पत्ति

सम्पत्ति (भूमि या एक भवन या भवन का अंग या दोनों) भाड़ा कमाने या पूँजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी हुई उत्पादन में उपयोग के लिए या सामग्री आपूर्ति के लिए या सेवा या प्रशासनिक उद्देश्य से, या सामान्य मामले में व्यापार के लिए हुई हो उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश सम्पत्ति को लागत पर संबंधित लेन देन लागत तथा जहाँ लागू हो वहाँ उधार लागत सहित मापा जाता है, निवेश सम्पत्ति को उनके उपयोगी आकलित आयु पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग कर मूल हासित किया जाता है।

2.14 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक ठेका है जो एक इकाई के वित्तीय परिसम्पत्ति या अन्य इकाई की इक्विटी अकरण या एक वित्तीय देयता के कारण बनाती है।

2.14.1 वित्तीय परिसम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता तथा माप



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण में आरोपणीय संचालन लागत सहित वित्तीय परिसम्पत्ति को लाभ तथा हादि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर रिकार्ड न किए जाने के मामले में सभी वित्तीय परिसम्पत्ति की प्रारंभ में स्वच्छ मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसम्पत्ति की विक्री या खरीद परिसम्पत्ति की जिसे एक समयसीमा बाजार स्थल (विक्रय का नियमित मार्ग) में डिलीवरी अपेक्षित है वह विक्रय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कम्पनि परिसम्पत्ति को बेचने या खरीदने की प्रतिवद्ध होती है, को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 अनुगामी माप

अनुगामी माप के उद्देश्य से वित्तीय परिसम्पत्ति को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य विस्तृत आय के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर ऋण उपकरण (एकवीटीओसीआई)
- लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर ऋण उपकरण, अमौलिक तथा इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

एक “ऋण उपकरण” परिशोधित लागत पर तब मापा जाता है जब निम्नलिखित स्थितियाँ पूरी हों -

- क) परिसम्पत्ति व्यापारिक मॉडल के भीतर हो जिसका उद्देश्य ठेकेदारी नगद प्रवाह संग्रह करना हो।
- ख) परिसम्पत्ति को ठेकेदारी शर्त, विशिष्ट तिति को नगद प्रवाह का कारण हो जो कि वकाया मूल राशि पर मूल तथा व्याज (एसपीपी) के भुगतान का जिम्मेदार हो।

प्रारंभिक माप के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर माता जाता है। प्रभावशाली व्याज दर (ईआईआर) तरीका का उपयोग करके परिशोधित लागत की गणना, ईआईआर के अनिवार्य अंग कोई घूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम तथा फीस या लागत को लेखा में लेकर की जाती है। ईआईआर परीशोधित लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल की जाती है। क्षति से उत्पन्न हादि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफ वी टी ओ सी आई में ऋण उपकरण एक ऋण उपकरण को एफ वी टी ओ सी आई के रूप में निम्नलिखित दोनों मानदण्ड परा करने पर वर्गीकृत किया जाता है।

- क) व्यापारिक माडल का उद्देश्य ठेकेदारी नगद प्रवाह को संग्रह करके तथा वित्तीय परिसम्पत्ति को बेचकर दोनों तरह से प्राप्त हो जाता है।
- ख) परिसम्पत्ति का ठेकेदारी नगद प्रवाह एसपीपीआई को प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई कैटगरी के बीच शामिल ऋण उपकरण प्रारम्भ में साथ ही साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर स्वच्छ मूल्य पर मापा जाता है। स्वच्छ मूल्य गतिविधि को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि कम्पनी व्याज आय, क्षति की हानि तथा परिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या लाभ तथा हानि में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। परिसम्पत्ति की मान्यता हटा लेने पर सामूहिक लाभ या हानि जो महले ओसीआई मान्यता प्राप्त की उसे पी तथा एल की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित व्याज जबकि एफवीटीओसीआई ऋण उपकरण को इआईआर प्रणाली का उपयोग कर व्याज आय के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है।



2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफ वी टी पी एल ऋण उपकरण के लिए एक शेष कैटगरी है। कोई ऋण उपकरण, जो एफ वी टी ओ सी आई के रूप में परिशोधित आयव पर वर्गीकरण के लिए कसौटी पूरा नहीं करता उसे एफ वी टीपी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अतिरिक्त, कम्पनी ऋण उपकरण को पदनामित करने के लिए चयन कर सकती है जो अन्य रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई की कसौटी को एकबीटीपीएल के रूप में पूरा करती है।

हालांकि यह चयन तभी मान्यता है जब ऐसा करने से एक माप या मान्यता अस्थिरता के साथ (एकाउन्टिंग मिसमैच के रूप में निर्देशित) कम या खत्म हो जाती है। कम्पनी ने किसी ऋण उपकरण को एफवीटीपीएल के रूप में पदनामित नहीं किया है। एफ सी टी पी एल कैटेगरी में शामिल ऋण उपकरण को स्वच्छ मूल्य पर पी एल में सभी परिवर्तनों के हाथ मापा गया।

2.14.2.4 अनुषंगी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त बेन्चर में इकिटी का निवेश

इंड ए एस 101 (पहलीवार ईंड ए एस अंगीकृत) के अनुसार, पिछले जी ए ए पी के आधार पर परिवर्तन की तिथि को इन निवेशों की राशि को लेते हुए डीम्ड लागत मापा गया। बाद में अनुषंगी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त बेन्चर में लागत पर मापा गया।

समेजित वित्तीय विवरण के मामले में, एसोसिएट्स तथा संयुक्त बेन्चर में इकिटी निवेश का लेखांकन इंड ए एस 28 के पैरा 10 में वर्णित प्रति इकिटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया गया।

2.14.2.5 अन्य इकिटी निवेश

अन्य सभी इकिटी निवेश इंड ए एस 109 के अंतर्गत लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर मापे जाते हैं। अन्य सभी इकिटी उपकरणों के लिए कम्पनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनी चुनाव कर सकती है जो बाद में स्वच्छ मूल्य में परिवर्तन योग्य हो। कम्पनी इस प्रकार का चुनाव उपकरण दर उपकरण आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक पचहान पर की जाती है तथा अपरिवर्तनीय है। यदि कम्पनी एक इकिटी उपकरण को एफ वी टी ओ सी एल के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय करती है तो उपकरण पर सभी स्वच्छ मूल्य परिवर्तन, डिविडेंट को छोड़कर ओ सी आई के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ओसीआई से पी एण्ड एल में पुनरावर्तन के लिए कोई राशि यहाँ तक कि निवेश के विक्रय के लिए भी नहीं है। हालांकि कम्पनी संचयी लाभ या हानि को इकिटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। एफ वी टी पी एल कैटेगरी के भीतर शामिल इकिटी उपकरण पी तथा एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों सहित स्वच्छ मूल्य पर मापे जाते हैं।

2.14.2.6 मान्यता हटाया

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (या यथा लागू वित्तीय परिसम्पत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसम्पत्ति को समूह का भाग) की प्राथमिक रूप से मान्यता तब हटाई जाती है (अर्थात् तुलन पत्र से हटा देना) जब

परिसम्पत्ति नगद प्रवाह स्वीकार करने का अधिकार खत्म हो गया है।

कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नगद प्रवाह स्वीकार करने का अधिकार पास थ्रू व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी को स्थानांतरित कर दिया



होतथा या तो

- (क) कम्पनी ने मूल रूप से परिसम्पत्ति के समस्त खतरों तथा पारितोषिक का स्थानांतरित कर निया हो या
(ख) कम्पनी ने न तो मूलरूप से परिसम्पत्ति के समस्त खतरों तथा पारितोषिक को स्थानांतरित किया है न ही बनाए रखा है, लेकिन परिसम्पत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार स्थानांतरित कर दिया है या गुजरने की व्यवस्था में प्रदर्श कर गई है, यह आकलन करती है कि किस परिमाण तक मालिकाना के खतरे तथा परिसम्पत्ति पारितोषिक बनाए रखा है। मूल रूप से परिसम्पत्ति के सभी खतरों तथा पारितोषिक को जबकि न तो इसने स्थानांतरित किया है न ही बनाए रखा है। तो कम्पनी स्थानांतरित परिसम्पत्ति के साथ नियंत्रण संबंधित अपने संबंध को जारी रखती है।

इस मामले में कम्पनी संबंधित देयता को मान्यता देती है। स्थानांतरित परिसम्पत्ति तथा संबंधित देयता की माप कम्पनी द्वारा रखी गई परिसम्पत्ति के अधिकार तथा दायित्व में प्रदर्शित होती है। लगातार संबद्धता को स्थानांतरित परिसम्पत्ति पर गांटी के रूप ले लेती है उसकी माप परिसम्पत्ति की निम्नतर मूल वहन राशि पर की जाती है तथा कम्पनी मुआवजा की अधिकतम राशि जिसको पुनः भुगतान कर सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसम्पत्ति (स्वच्छ मूल्य के अतिरिक्त) की हानि

इंड ए एस 109 के अनुसार कम्पनी निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्ति तथा उधार खतरा विवरण पर दुर्बलता हानि की पहचान तथा माप के लिए अपेक्षित उधार हानि (ईसीएल) लागू करती है –

- क) वित्तीय परिसम्पत्ति जो कि ऋण उपकरण है तथा परिशोधित लागत पर मापा जाता है जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापारिक प्राप्तियाँ तथा बैंक शेष।
ख) वित्तीय परिसम्पत्ति जो कि ऋण उपकरण हैं तथा एफ वी ओ सी आई पर मापा जात है।
ग) इंड ए एस 17 के अधीन प्राप्त लीज
घ) व्यापारिक प्रगतियाँ या कोई ठेकेदारी अधिकार, नगद प्राप्ति या अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति को लेनदेन का परिणाम है जोकि इंड ए एस 11 तथा इंड ए एस 18 के अधिकार में है।
■ कम्पनी दुर्बलता हानि भत्ता की पहचान के लिए निम्नलिखित “सरलीकृत पहुँच” अपनाती है
■ व्यापारिक प्राप्तियाँ या ठेकेदारी राजस्व प्राप्तियाँ तथा
■ इंड ए एस 17 के अधीन लेनदेन के फलस्वरूप सभी लीज प्राप्तियाँ।

सरलीकृत पद्धति उपयोग से कम्पनी को उधार के खतरे में परिवर्तन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह दुर्बलता की क्षति भत्ता को आजीवन ईसीएल की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि, प्रारंभिक पहचान की सही पद्धति के आधार पर मान्य दे दी है।

2.14.3 वित्तीय देयतायें

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्य तथा माप

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देनदारी, ऋण तथा उधार सहित बैंक ओवरड्रॉफ्ट शामिल है। सभी वित्तीय देनदारी की मान्यता प्रारंभ में स्वच्छ मूल्य तथा ऋण तथा उधार एवं देनदारी के मामले में सीधे आकर्षणयोग्य लेनदेन लागत के शुद्ध रूप पर की जाती है।



2.14.3.2 अनुगमी माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जैसा कि निम्नलिखित है।

2.14.3.3 वित्तीय देयता लाभ या हादि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर

वित्तीय देयता लाभ या हादि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर में वित्तीय देयता जो व्यापार तथा वित्तीय देयता के लिए नामित है, लाभ या हानि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर शामिल है। वित्तीय देयता जैसा कि व्यापार के लिए रखा गया है उसमें वर्गीकृत है यदि वह निकट अवधि मेय पुनः क्रये उद्देश्य से है। इस श्रेणी में अमौलिक वित्तीय उपकरण शामिल है जो कम्पनी द्वारा दर्ज है तथा वाड़ लगाने के सम्बन्ध में वाड़ लगाने के उपकरण के रूप में नामित नहीं है। जैसा कि इंड ए एस 109 में परिभाषित है। पृथक्कृत सन्निहित अमौलिक की भी वर्गीकृत किया गया है तथा व्यापार के लिए रखा गया है यदि नहीं तो प्रभावशाली बाड़ उपकरण के रूप में यदि नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि की मान्यता लाभ या हानि में दी गई है। लाभ या हानि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर प्रारंभिक पहचान को वित्तीय देयताओं की मान्यता दी गई है वे पहचान की प्रारंभिक तिथि पर इस प्रकार मान्य प्राप्त हैं। तथा इस प्रकार यदि इंड ए एस 109 की कस्टॉटी पूरा करते हैं। एफबीटीपीएल के रूप में मान्य देयतायें, स्वच्छ मूल्य लाभ/हादि अपने उधार खरतों में आकर्षणीय परिवर्तन को ओसीआई में पहचान दी गई है। इसे लाभ / हानि को बाद में पी तथा एल में स्थानांतरित नहीं किया गया है। हालांकि कम्पनी सकल लाभ या हानि को इकट्ठी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। अन्य सभी परिवर्तन स्वच्छ मूल्य की इस प्रकार की देयता में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कम्पनी ने किवी वित्तीय देयता को लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य के रूप में मान्यता नहीं दी है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयता

प्रारंगिक पहचान के बाद, इन्हें बाद में परिशोधित लाग पर प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति लागू करके मापा जाता है। उपलब्धि तथा क्षति को लाभ या हानि में पहचान की जाती है जबकि देयताओं को प्रभावशाली ब्याज दर पर परिशोधित पद्धति से मान्यताविहीन कर दिया जाता है।

परिशोधित लागत की गणता अधिग्रहण तथा फीस अथसा लागत जो कि प्रभावशाली ब्याज दर के अभिन्न अंग है उन पर प्राप्त छूट या प्रीमियम को लेखा में लेकर की जाती है। प्रभावशाली ब्याज दर परिशोधित में लाभ तथा हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल है। यह श्रेणी सामान्य रूप से छधार में लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता हीनता

वित्तीय देयता को मान्यता विहीन तब किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व पूरा कर लिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या अवधि खत्म हो जाती है। जब वर्तमान वित्तीय देयता समान उधारदाता पूरी तरह भिन्न शर्तों पर बदल दिया जाता है, अथवा वर्तमान देयता की शर्तें मूल रूप से संशोधित कर दी जाती है, इस प्रकार के बदलाव या संशोधन को अमान्यीकरण माना जाता है तथा नई देयता का मान्यीकरण या मूल देयता माना जाता है।

वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के एक भाग) की वहन की गई राशि के बीच अन्तर को अन्य पार्टी को स्थानांतरित या नष्ट कर दी जाती है तथा गैर नगद परिसम्पत्ति सहित दिया गया सुझाव स्थानांतरित या देयता समझा जाता है, इसे लाभ तथा हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.4 वित्तीय परिसम्पत्ति का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयता का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

परिस्पति के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो कि इक्ट्री उपकरण तथा वित्तीय देयतायें हैं। वित्तीय परिस्पतियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं केवल उनके लिए पुनर्वर्गीकरण किया जाता है यदि व्यापार माहल में परिवर्तन तय करता है जिसके आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन के फलस्वरूप जो कि कम्पनी के संचालन में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट है। व्यापार माहल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी यातो आरम्भ होती है या कोई गतिविधि खत्म कर देती है जो कि इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिस्पति का पुनर्वर्गीकरण करती है, यह पुनर्वर्गीकरण को आगे से लागू करती है, उस पुनर्वर्गीकरण की तिथि से जो कि व्यापार माहल में परिवर्तन में प्रतिवेदन अवधि को प्रथम दिन है। कम्पनी पिछली मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (दुर्वलता प्राप्ति या हानि सहित) या ब्याज को दुहराती नहीं है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण प्रदर्शित है तथा इसे लेखांकित किया गया है।

मूल वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण	लेखांकन व्यवहार
लागत परिशोधित	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण की तिथि रपर स्वच्छ मूल्य मापा जाता है। पिछले परिशोधन लागत तथा स्वच्छ मूल्य के अंतर को पी एण्ड एल में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	लागत परिशोधित	स्वच्छ मूल्य पर पुनर्वर्गीकरण तिथि नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर स्वच्छ मूल्य की माप की जाती है। पिछले परिशोधित लागत तथा स्वच्छ मूल्य के बीच के अन्तर को ओसीआई में पहचान की जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि को स्वच्छ मूल्य नई परिशोधित लागत संवाहक राशि बन जाती है। हालांकि संचित लाभ या हानि ओसीआई में स्वच्छ मूल्य के विरुद्ध समंजित की जाती है। फलस्वरूप परिस्पति की माप इस तरह की जाती है जैसे यह हमेशा परिशोधित लागत पर की जाती रही है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर स्वच्छ मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। कोई अन्य समंजन की आवश्यकता नहीं।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिस्पतियों का मापा गया स्वच्छ मूल्य पर जारी रहता है। पुनर्वर्गीकरण तिथि को पी तथा एल में संचयी लाभ या हानि पुनर्वर्गीकृत की जाती है। पहले ओसीआई में मान्यता प्राप्त

2.14.5 वित्तीय उपकरण का प्रति संतुलन

वित्तीय परिस्पति तथा वित्तीय देयतायें बराकर हैं तथा शुद्ध राशि समेलित तुलन पत्र में प्रतिवेदन की जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशि को आफसेट कर देने का वर्तमान में आरोपित करने योग्य विधिक अधिकार है तथा शुद्ध आधार पर स्तिर करने की इच्छा है तो परिस्पति की वसूली तथा देयता को स्थिर करना साथ सम्भव है।



2.14.6 नगद तथा नगद समतुल्य :

तुलन पत्र में नगद तथा नगद समतुल्य में बैंक में नगद, पास में नगद तथा तीन महीने या उससे कम अवधि का अल्पाधि जमा शामिल है जो कि मूल्य में परिवर्तन के नगण्य स्तर पर है। नगद प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से नगद तथा नगद समतुल्य में नगद तथा अपरबर्जित कल्पावधि जमा शामिल है, जिसके बैंक ओवर ड्राफ्ट के शुद्ध वकाया को ग्रुप के नगद प्रबन्धन का अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार ग्रहण लागत

उधार ग्रहण लागत एक प्रकार का खर्च ही है जो तब लगता है जब अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के योग्य परिसम्पत्ति यथा वह परिसम्पत्ति जो आवश्यक रूप से पर्याप्त समय की अवधि को छोड़कर उपयोग के लिए तैयार होने में लगता है। जिन मामलों में उसे पूंजीकृत किया जाता है, तथा उस तिथि को जबकि अपेक्षित उपयोग के लिए योग्य परिसम्पत्ति तैयार है।

2.16 करा रोपण

स्थगित कर तथा वर्तमान में देय कर का योग ही आयकर खर्च है।

वर्तमान कर आयकी की वह राशि है जो उस अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) देय (वसूली योग्य) से सम्बन्धित है। कर योग्य लाभ “आयकर पूर्ब लाभ” ने भिन्न है जैसा कि लाभ तथा हानि विवरण तथा अन्यव्यापक आय में प्रतिवेदित है। क्योंकि आय या खर्च के मद जो करयोग्य या अन्य वर्षों में कटौती योग्य हैं वे शामिल नहीं हैं तथा जो मद कभी कर योग्य या कटौती योग्य है वे भी शामिल नहीं हैं। कम्पनी की वर्तमान कर की देयता की गणना टैक्स की पर पर जी जाती है जो लागू हैं या प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मूल रूप से लागू होंगे।

स्थगित कर देयता सामान्य रूप से सभी कर योग्य अस्थायी अन्तर के लिए मान्य है। स्थगित कर देयता सामान्य रूप से सभी कर योग्य अस्थायी अन्तर के लिए उस सीमा तक मान्य है जब तक कि यह सम्भव है कि कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता का उपयोग करके करयोग्य लाग प्राप्त होगा।

इस प्रकार की परिसम्पत्ति तथा देयता मान्य नहीं होती है यदि साख या अन्य परिसम्पत्ति की प्रारंभिक मान्यता (व्यापारिक सम्मिश्रण के अतिरिक्त) में अन्तर होता है तथा लेन देन में देयता न तो कर योग्य लाभ न ही लेखांकन मुनाफे से प्रभावित होती है।

स्थगित कर देयता की मान्य कर योग्य अस्थायी अन्तर जो अनुषंगियों तथा सहयोगियों के निवेश से जहाँ कम्पनी नियंत्रण या अस्थायी अन्तर की व्युत्क्रमण के लिए सम्भव होती है उसे छोड़कर संबंधित होती है। तथा यह सम्भव है कि अस्थायी अन्तर प्रत्याशा योग्य विषय में व्युत्क्रमित नहीं होगी। स्थगित कर परिसम्पत्ति कटौती योग्य अस्थाई अन्तर से उत्पन्न जो इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से संबद्ध है इसको उस मात्रा तक पहचान की जाती है जहाँ तक यह सम्भव है कि अस्थायी भिन्नता की सुविधा को उपयोग होगा। पर्याप्त कर योग्य लाभ जिसके विरुद्ध

स्थगित कर परिसम्पत्ति की वाहक राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है तता इसे उस सीमा तक कर दिया जाता है जहाँ तक अब पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध करता सम्भव नहीं है। इस परिसम्पत्ति को पूर्ण या किसी अंश की वसूली सम्भव नहीं है। अमान्य स्थगित कर परिसम्पत्ति को प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में पुनर्निर्धारित किया जाता है तथा उस सीमा तक मान्य दी जाती है जहाँ तक यह सम्भव है कि पूरा या स्थगित कर परिसम्पत्ति से वसूली योग्य पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

स्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की माप उस कर दर पर की जाती है जो कि अपेक्षित है उस अवधि में लागू करने के लिए, उस



तरीके पर जिसमें कम्पनी चाहती है, प्रतिवेदन की अवधि के अंत में ताकि परिसम्पत्ति तथा देयता के साथ संवाहक राशि की भुगतान या वसूली की जा सके।

वर्तमान या स्थगित कर को लाभ तथा हानि में पहचान की गई है। जब वे उप मदों से सम्बन्धित होते हैं जोकि अन्य व्यापक आय या सीधे इकिटी में, जिस मामले में, वर्तमान या स्थगित कर अन्य व्यापक आय या सीधे इकिटी में क्रमशः मान्यता प्राप्त है।

जब, एक व्यापारिक संमोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर या स्थगित कर उत्पन्न होता है तब व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव शामिल होता है।

2.17 कर्मचारी सुविधायें

2.17.1 लघु अवधि सुविधायें

सभी लघु अवधि की कर्मचारी सुविधायें जिस अवधि में घटित होती हैं उसी में स्वीकृत होती है।

2.17.2 नियोजन काल के बाद की सुविधायें तथा अन्य लम्बी अवधि की कर्मचारी सुविधायें

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना में

परिभाषित अंशदान योजना वह है जो नियोजन काल के बाद भविष्यन्धि तथा पेंशन सुविधाओं की योजना है। जिसके लिए कम्पनी धन देती है तथा जिसका रख रखाव एक अलग संवैधानिक संस्था (कोल माइन्स प्रोविडेंट फन्ड-कोयला खान भविष्य तिश्रि) द्वारा की जाती है जो अधिनियमों द्वारा कानूनी रूप से गठित है तथा कम्पनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। आगे रकम देने के लिए परिभाषित अंशदान योजना के अंशदान के लिए दायित्व एक कर्मचारी सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा लाभ तथा हानि के विवरण में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की अवधि में शामिल है।

2.17.2.2 परिभाषित सुविधा योजना

परिभाषित सुविधा योजना एक नियोजन बाद की सुविधा योजना है जो परिभाषित सुविधा योजना के अतिरिक्त है। ग्रैच्युइटी, छुट्टी मुनाफा वे परिभाषित सुविधा योजना (सुविधा की सीमा का अंतर्गत) हैं। कम्पनी को शुद्ध देयता परिभाषित योजना के बारे में कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में वर्तमान तथा पूर्वावधि अर्जन तथा भावी सुविधा को राशि का आकलन करके गणना की जाती है। यह सुविधा वर्तमान मूल्य तय करने के लिए कम कर दी जाती है तथा योजना परिसम्पत्ति यदि कुछ है तो उसके स्वच्छ मूल्य के आधार पर कम कर दी जाती है। कमी करने की दर प्रचलित बाजार उत्पाद प्रतिवेदन की तिथि पर भारत सरकार की प्रतिमूर्ति से लाभ पर आधारित है।

कम्पनी की देनदारी अनुभाषित पदों में परिपक्ता की तिथि तथा इसे सम्मान मुद्रा में जिसमें सुविधाओं का भुगतान अपेक्षित है, बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग में छूट की दर परिसम्पत्ति पर अपेक्षित दर की वापसी भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु की दर इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की लम्बी अवधि के कारण इनका आकलन अभिनिश्चितता से पूर्ण है। गणना कम्पनी के प्रत्येक तुलनपत्र के आधार पर एक बीमांकिक द्वारा प्रक्षेपित इकाई सुधार पद्धति पर की जाती है।

जब गणना का परिणाम कम्पनी के हित में होता है मान्य परिसम्पत्ति उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं के वर्तमान मूल्य पर योजना से भावी वापसी के रूप में या योजना में मानी अंशदान में कटौती के रूप में होती है।

कम्पनी को आर्थिक सुविधा उपलब्ध है यदि यह योजना की अवधि में वसूली योग्य है या योजना देयताओं के निपटारे दे संबंधित है।



शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता की पुनः माप जो बीमांकिक लाभ अथवा हानि को ध्यान में रखते हुए गठित है, योजना परिसम्पत्ति पर रिटर्न (ब्याज छोड़कर) तथा परिसम्पत्ति सीमा का प्रभाव (यदि है, तो ब्याज छोड़कर) अन्य स्थापक आय में तत्काल मान्यता की जाती है। कम्पनी शुद्ध ब्याज खर्च (आय) शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता (परिसम्पत्ति) छूट पर लागू करके तय करती है। इसमें भुगतान सुविधा तथा अवधि के दौरान अंशादान तथा शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता (परिसम्पत्ति) में कोई परिवर्तन हो तो उसे लेखा में लेकर गणना की जाती है। जब योजना की सुविधा में सुधार हो पिछली सेवा के कर्मचारियों से संबंधित बढ़ी हुई सुविधा के अंश को लाभ तथा हानि के विवरण में तत्काल खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी सुविधायें

कुछ अन्य कर्मचारी सुविधायें यथा एलटीए, एलटीसी, जीवन रक्षा योजना, ग्रुप निजी दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा योजना तथा खान दुर्घटना में भृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति इत्यादि भी उपरोक्त परिभाषित योजना के अंतर्गत समान आधार पर मान्यता प्राप्त है। इन सुविधाओं के लिए निर्धारित कोई विशिष्ट निधि नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

इसके अधिकांश संचालन के लिए भारतीय रूपया (आई एन आर) है जो आर्थिक वातावरण जिसमें यह संचालित है तथा इसकी मूल्य मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा के लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बिनिमय दर का उपयोग करते हुए कम्पनी की प्रतिवेदित मुद्रा में बदल दी जाती है। भौतिक परिसम्पत्ति तथा देयता जो विदेशी मुद्रा में हो जो प्रतिवेदन की तिथि के अंत में बकाया हो वह प्रतिवेदन की तिथि के अंत में वर्तमान बिनिमय दर पर बदल दी जाती है। परिवर्तन की भिन्नता जो मौद्रिक परिसम्पत्ति तथा देयता के मौद्रिक परिसम्पत्ति तथा देयता परिवर्तन दर पर उत्पन्न हो तो उसे पिछली वित्तीय विवरण में या प्रारंभिक मान्यता अवधि में लाभ तथा हानि विवरण में जिस अवधि से वह संबंधित है उसमें मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में गैर मौद्रिक वस्तुएँ का मूल्यांकन लेन देन की तिथि पर प्रचलित बिनिमय दर पर किया जाता है।

2.19 अनावरण (स्ट्रीपिंग) गतिविधि खर्च / समंजन

खुली खानों में खनन के मामले में, खानों की अपशिष्ट सामग्री (ओवर वर्डन) जिसमें कोयला सीम के ऊपर मिट्टी तथा पत्थर शामिल है उसे हटाने की आवश्यकता होती है, ताकि कोयला तक पहुंचा तथा इसका निष्पादन किया जा सके। इस अपशिष्ट के हटाने को स्ट्रीपिंग कहा जाता है। खुली खानों में कम्पनी को खानों की आयु (तकनीकी रूप से आकलित) के आधार पर इस प्रकार का खर्च करना पड़ता है।

इसलिए, एक नीति के अनुसार, एक मिलियन टन प्रति वर्ष या अधिक की रेटेड क्षमतावाली खानों में स्ट्रीपिंग लागत को तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (ओवी : कोयला) प्रत्येक खान में प्रभारित किया जाता है जिसमें स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा खान को राजस्व में लाए जाने के बाद लेखा में अनुपात भिन्नता के लिए समंजन होता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा तुलन पत्र की तिथि को अनुपात भिन्नता का शुद्ध शेष गैर वर्तमान प्रावधान / अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्ति जो भी स्थिति हो उस शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

ओभरवर्डन की प्रतिवेदित मात्रा ओनलेखा के अनुसार ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना में स्वीकार की जाती है जहाँ प्रतिवेदित मात्रा तथा मापी गई मात्रा में भिन्नता हो वहाँ दोनों विकल्पों में से अनुज्ञेय सीमा में निम्नलिखित के अनुसार अपनाई जाती है।



खान के ओबीआर की वार्षिक मात्रा	भिन्नताओं अनुज्ञेय सीमा	
	I %	II मात्रा (मिलि घन मीटर में)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन मीटर का बीज	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%	

हालांकि जहाँ भिन्नता अनुज्ञेय सीमा से अधिक है वहाँ मापी गई मात्रा स्वीकार की जाती है।

उन खानों में जहाँ रेटेड क्षमता एक मिलियन टन से कम है, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती तथा वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकार जाती है।

2.20 सम्पत्ति सूची

2.20.1 कोयला का स्टाक

कोयला / कोक की सूची को निम्नतर लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर रखा जाता है। सम्पत्ति की लागत की गणना पहले आओ पाले पाओ के आधार पर की जाती है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य प्रदर्शित करता है आकस्मित बिक्रय मूल्य पूर्णता के लिए समस्त आकलित लागत तथा विक्रय के लिए तैयार करने की आवश्यक लागत।

जहाँ पुस्तकीय स्टॉक तथा मापे गए स्टॉक में भिन्नता +/ -5% तक है वहाँ लेखा में पुस्तकीय स्टॉक किया जाता है तथा जहाँ भिन्नता +/- 5% से अधिक है वहाँ मापा गया स्टाक किया जाता है। इस प्रकार के स्टाक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत पर जो भी कम है। किया जाता है। कोक को कोयला के स्टाक का एक भाग माता जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी कोकिंग, वासरी का मिडलिंग तथा उपउत्पाद का मूल्यांकन वसूली योग्य शुद्ध मूल्य पर किया जाता है तथा कोयला के स्टाक का एक भाग माना जाता है।

2.20.2 भंडार तथा अतिरिक्त पुरजे

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडारों में भंडार (सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों को स्टाक को मूल्यांकित भंडार लेजर को शेष स्थिति के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा मूल्यांकन औसत वचन पद्धति के आधार पर गणना करने की जाती है। कोलियरी / उपकेन्द्र / ड्रिलिंग कैम्प / उपभोग केन्द्र पर पड़ी हुई भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों को वर्ष के अंत में भौतिक रूप से भंडार जांच के अनुसार स्वीकार तथा लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

मरम्मत विहीन, अतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त मंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों के लिए 100% की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्षों तक अचल भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों के लिए 50% की दर से प्रावधान होता है।

2.20.3 अन्य सूची

कर्मशाला कार्य चालू कार्य प्रगति पर सहित का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस कार्यों का स्टाक (चालू कार्य सहित) तथा मुद्रणालय में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय चिकित्सालय में दवाओं का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालांकि स्टेशनरी का स्टाक (मुद्रणालय में पड़ी हुई छोड़कर) ईंट, वालू, दवा (केन्द्रीय चिकित्सालय के अतिरिक्त) वायुयान के पुरजे तथा स्कैप सम्पत्ति सूची में शामिल नहीं किए जाते क्योंकि इनका मूल्य उल्लेखनीय नहीं होता।



2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब कम्पनी के पास वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) हो जो पिछली घटना के फलस्वरूप तथा यह सम्भव है कि दायित्व के निपटारे के लिए आर्थिक सुविधा का बहाव हो तथा दायित्व की रकम का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। जहाँ का समय मूल्य आर्थिक हो वर्तमान मूल्य पर खर्च के लिए प्रावधान कहा जाता है तथा दायित्व का निस्तारण की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ आकलन प्रदर्शित करने के लिए समंजित किया जाता है।

जहाँ यह सम्भव नहीं है कि आर्थिक सुविधा का बहाव आवश्यक है या राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता देयता को आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है नहीं तो आर्थिक सुविधाओं के बहाव की सम्भावना क्षीण होती है। सम्भव दायित्व जिसका अस्तित्व कम्पनी की कुछ घटनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति से पक्की की सकेगी, उन्हें भी आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है नहीं तो आर्थिक सुविधाओं के बहाव की सम्भावना क्षीण होती है।

आकस्मिक परिसम्पत्ति को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती। हालांकि जब आय की वसूली लगभग सुनिश्चित हो तो संबंधित परिसम्पत्ति आकस्मिक परिसम्पत्ति नहीं है तथा इसको पहचान उपयुक्त है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल्य आय की गणना कर पश्चात् शुद्ध लाभ को बेटेड औसत संख्या से भाग दे कर की जाती है। अवधि में इकिटी शेयरों की वकाया डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना कर पश्चात् इकिटी शेयरों की बेटेड औसत संख्या से भाग देकर की जाती है तथा मूल्य आय प्रति शेयर निकाला जाता है तथा इकिटी शेयरों की बेटेड औसत संख्या जिसे डाइलूटिभ पोटेंसियल इकिटी शेयर के बदलाव पर जारी किया जाता है।

2.23 निर्णय, आकलन तथा परिकल्पना

इंड एसस की सहमति में वित्तीय विवरण के निर्माण में प्रबन्धन द्वारा आकलन निर्णय तथा परिकल्पना की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीति को प्रमावित करती है तथा प्रतिवेदित परिसम्पत्ति एवं उत्तरदायित्व की राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक परिसम्पत्ति तथा दायित्व की घोषणा एवं प्रतिवेदन अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि जटिल तथा व्यक्तिप्रकर निर्णय निहित लेखांकन नीति का उपयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में परिकल्पना प्रकट की गई है। लेखांकन आकलन अवधि दर अवधि वदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आकलन तथा मूलभूत परिकल्पनाओं की गामी आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन आकलन के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आकलन का संशोधन किया जाता है, यदि वास्तविक है, तो इसका प्रभाव वित्तीय विवरण की टिप्पणी में प्रकट की जाती है।

2.23.1 निर्णय

कम्पनी की लेखांकन नीति को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबन्धन ने निम्नलिखित निर्णय लिया है किसकी राशि का वित्तीय विवरण की मान्यता में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव है।

2.23.1.1 लेखांकन नीति का निरूपण

लेखांकन नीति का निरूपण इस प्रकार किया जाता है कि जिसको परिणाम लेनदेन से संबंधित एवं विश्लेषणीय सूचनायें तथा वित्तीय विवरण अन्य स्थिति तथा परिसम्पत्तियों में लागू होता है। इसे नीतियों को उस समय लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब इनको लागू करने का प्रभाव अनावश्यक हो।



इंड ए एस के अभाव में जो कि विशेष रूप में एक लेनदेन अन्य कार्यक्रम या परिस्थिति में लागू होता है। प्रबन्धन ने इसके निर्णय को एक लेखांकन नीति को विकसित करने तथा लाभ करने के लिए उपयोग किया है जिसका परिणाम सूचनाओं में निम्नलिखित है :

(क) उपयोग कर्ता की आवश्यकताओं के आर्थिक निर्णय लेने से संबंधित तथा

(ख) इस वित्तीय विवरण में विश्वसनीयता -

- (i) वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पत्ति तथा कम्पनी का नगद प्रवाह विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करना
- (ii) लेनदेन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य कार्यक्रम या परिस्थिति, तथा केवल विधि तरीका स्पष्ट करना
- (iii) तटस्व है, अर्थात् पक्षपात से मुक्त
- (iv) दूरदर्शी हैं
- (x) लगातार आधार पर सभी वास्तविक पक्षों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबन्धन निर्देशित करता है तथा प्रासंगिकता पर निम्नलिखित स्रोत पर विचार करता है। नीचे घटते हुए आधार पर

(क) इंड ए एस में समान तथा संबंधित मामलों में आवश्यकता तथा

(ख) ढांचे में परिसम्पत्ति, देयता, आय तथा व्यय के लिए परिभाषा, मान्यता, मानदण्ड तथा माप की संकल्पना।

निर्णय लेने में, अंतराष्ट्रीय लेखांकन स्तर मंडल की अत्यन्त आधुनिक घोषणा पर प्रबन्धन विचार करती है तथा इस प्रकार के स्तर निर्धारकों जो लेखांकन स्तर को विकसित करने के लिए समान काल्पनिक ढांचा अपनाते हैं उन के अभाव में स्वीकृत औद्योगिक व्यवहार अपनाती है। उस सीमा तक जो उपरोक्त अनुच्छेत के स्रोत के विरुद्ध न हो।

कम्पनी खनन क्षेत्र में कार्यकरता है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास, उत्पादन के स्तर में स्थलाकृतिक तथा दर्शकों से लगातार परिवर्तन के प्रति सुझाव है) लेखांकन नीति जहाँ विशिष्ट उद्योग के आधार पर बनाई गई है तथा जो अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विभिन्न नियंत्रकों द्वारा पिछले कई दशकों के लगातार प्रयोग से स्वीकृत है।

कुछ विशेष क्षेत्रों में जो कि अभी विकास की प्रक्रिया में है, विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मागदर्शन तथा स्तर का अभाव है। कम्पनी इसी लाइन पर लेखांकन नीति विकसित करने, लेखांकन साहित्य विकसित करने तथा ऐसा विकास जिससे इंड एस 8 में विशेष रूप से या उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन में लेखांकन का किसी प्रकार विकास हो, जारी रखती है। लेखांकन के उपचायाधार को उपयोग कर वर्तमान चिन्ताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 भौतिकता (मेटेरियलिटी)

इंड ए एस उन सामग्रियों पर लागू होता है जो भौतिक है। प्रबन्धन निर्णय का उपयोग यह निश्चय करने में करती है कि एमल वस्तु या वस्तुओं का समूह वित्तीय विवरण में बास्तविक या भौतिक है या नहीं। बस्तु की प्रकृति तथा आकार के संदर्भ में उसकी भौतिकता का निर्णय किया जाता है। निर्णयात्मक गुणक यह है कि चूक या गलत वयानी आर्थिक निर्णय को खत्म या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती है प्रबन्धन इंड एस की आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भौतिकता का निर्णय लेती है। विशेष परिसम्पत्ति में चाहे वस्तु की प्रकृति हो या मात्रा या वस्तुओं का समूह वह निर्धारण तत्व है। इसके अतिरिक्त जब कानूनी आवश्यकता हो, अनावश्यक वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए कम्पनी को कहा जा सकता है।

2.23.1.3 पट्टा का संचालन

कम्पनी पट्टा के संचालन का समझौता किया है। कम्पनी ने निर्णय लिया है कि संमझौता उत्पादक स्थितियों तथा भर्तोंकि अनुसार व्ययसायिक सम्पत्ति की आर्थिक आयु तथा परिसम्पत्ति के स्वच्छ मूल्य के अधिकांश भाग से संबंधित खतरे तथा मालिकाना का लाभ



इस सम्पत्ति का रहेगा तथा ठेके पर पट्टा का संचालन होगा।

2.23.2 आकलन तथा परिकल्पना

भविष्य के लिए मुख्य परिकल्पना तथा प्रतिवेदन तिथि को आकलन अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिसमें ठोस समंजन का बहुत बड़ा खतरा हो, संवाहक परिसम्पत्ति तथा देयताओं पर अगले वित्तीय वर्ष के भीतर निम्नलिखित है।

कम्पनी ने अपने आकलन तथा परिकल्पना को उपलब्ध मानदण्डों पर आधारित किया है जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए। भावी विकास से संबंधित वर्तमान परिस्थितियाँ तथा परिकल्पनायें, हालांकि बाजार में परिवर्तन पर वदल सकते हैं या वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर जिन पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन जब होंगे तब परिकल्पना में प्रतिबिंबित होंगे।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसम्पत्ति की दुर्बलता

यदि क्षति का कोई संकेत हो परिसम्पत्ति का संवाहक मूल्य या नराद उत्पादक इकाई वसूली योग्य राशि बढ़ा देती है जो कि इसके स्वच्छ मूल्य से अधिक तथा निष्कासन लागत से कम है तथा इसके उपयोग में मूल्य है। कम्पनी प्रत्येक खान को क्षति की जाँच के उद्देश्य से पृथक नगद उत्पादन इकाई मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नगद प्रवाह आगामी पाँच वर्षों के लिए बजट से निकाला जाता है तथा पुनर्गठन गतिविधियों में शामिल नहीं है। कम्पनी अभी भी भावी निवेश या इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है ताकि परिसम्पत्ति का निष्पादन बढ़ेगा अन्य सीजीयू की जाँच होगी। वसूली योग्य राशि उपयोग की गई छूट की दर के प्रति डीएफसी मॉडल के लिए संवेदनशील है। साथ ही अपेक्षित भावी नगद प्रवाह तथा वहिवेशन उद्देश्य के लिए उपयुक्त वृद्धि दर के लिए ये आकलन अन्य खनन संरचनाओं के लिए भी अत्यन्त उपयुक्त हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि तय करने के लिए मुख्य परिकल्पना क्रमशः टिप्पणियों में आगे व्यक्त तथा प्रकट की गई हैं।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसम्पत्ति की मान्यता अनुपयोगी कर हानि के लिए उस सीमा तक की जाती है जहाँ तक यह सम्भावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए हानि का उपयोग किया जा सकेगा। विशिष्ट प्रबन्धन निर्णय की आवश्यकता आस्थगित कर परिसम्पत्ति के निर्धारण के लिए होती है जिसे स्वीकृति दी जा सकती है। भविष्य कर योजना कूटनीति सहित भावी कर योग्य लाभ के स्तर तथा उचित समय के आधार पर।

2.23.2.3 परिभाषित सुविधा योजना

परिभाषित सुविधा ग्रैन्च्युइटी योजना की लागत तथा अन्य सेवा निवृति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा ग्रैन्च्युइटी दायित्व का वर्तमान मूलाय का निर्धारण बीमांकिक भिन्नता का उपयोग करके किया जाता है। बीमांकिक भिन्नता में विभिन्न अनुमान शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें छूट की दर, भावी वेतन वृद्धि तथा मृत्युदर पर निर्धारण शामिल है।

भिन्नता में शामिल जटिलता तथा लम्बी अवधि की प्रकृति के कारण परिभाषित सुविधा दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अत्यन्त संवेदनशील हैं। प्रत्येक अनुमान की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है। छूट की दर को परिवर्तित करने में मापदण्ड की मुख्य भूमिका है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर तय करने के लिए प्रबन्धन सेवा निवृति दुविधा दायित्व की व्यापकता के लिए सरकारी बाड़ों में मुद्रा एकरूपता के व्याज की दर का ध्यान रखती है।

मृत्युदर का आधार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु सारणी है। इन मृत्यु सारणियों में जन सांख्यिकी की परिवर्तन की प्रतिक्रिया में अंतराल पर परिवर्तित होते हैं। भावी वेतन वृद्धि तथा ग्रैन्च्युइटी में वृद्धि भावी महंगाई वृद्धि दर पर अपेक्षित है।



2.23.2.4 वित्तीय उपकरणों की स्वच्छ मूल्य माप

जब तुलनपत्र में अभिलेखित वित्तीय परिसम्पत्ति तथा वित्तीय देयताओं के स्वच्छ मूल्य को सक्रिय बाजार में अवहृत मूल्य पर मापा नहीं जा सकता, उनका स्वच्छ मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीक को अपनाकर मापा सकता है। इसमाडलों का निवेश जहाँ सम्भव हो वहाँ सुस्पष्ट बाजार से लिए जाते हैं लेकिन जहाँ यह सम्भव नहीं है वहाँ स्वच्छ मूल्य की स्थापना में निर्णय की श्रेणी की आवश्यकता होती है। निर्णय में निवेश यथा तरलता खतरे, उधार का खतरा अस्थिरता तथा अन्य संबंधित निवेश / विचार शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में आकलन तथा परिकल्पना में परिवर्तन वित्तीय उपकरणों के स्वच्छ मुल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.23.2.5 विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति लेखांकन नीति की सहमति में एक परियोजना के लिए विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति को कम्पनी पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित है जोकि तकनीकी तथा आर्थिक सम्भावना की पुष्टि पर सुनिश्चित है। सामान्य तौर पर जब एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार तथा स्वीकृत किया जाता है।

2.23.2.6 खान बंदी, स्थल पुनःस्थापन तथा देयता मुक्ति के लिए प्रावधान

खान बंदी, स्थल पुनःस्थापन तथा देयता मुक्ति के लिए प्रावधान के स्वच्छ मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दर, स्थल पुनःस्थापन एवं बिनष्टीकरण के लिए अपेक्षित लागत तथा उन लागतों के लिए अपेक्षित समय के सम्बन्ध में परिकल्पना तथा आकलन किए जाते हैं। कम्पनी निम्नलिखित आधार पर परियोजना / खान की आयु पर विचार करते हुए डीसीएफ तरीका का उपयोग कर प्रावधान का आकलन करती है।

- भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर आकलित लागत।
- देयता के लिए विशिष्ट खतरे तथा मुद्रा के समय मूल्य के वर्तमान बाजार निर्धारण के प्रदर्शित छूट दर (कर पूर्व दर)

2.24 प्रयुक्त संकेताकर

- | | |
|-----------------|---|
| क) सीजीयू - | कैश जेनरेटिंग यूनिट |
| ख) डीसीएफ - | डिस्काउन्ट कैशफलो |
| ग) एफवीटीओसीएल- | फेयर वेल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेन्सिव इनकम |
| घ) एफवीटीपीएल - | फेयर वेल्यू थ्रू प्रोफिट एण्ड लॉस |
| ड) जीएपी - | जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिंग प्रिंसिपल |
| च) इंडएस- | इंडियन एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड |
| छ) ओसीआई - | अदर कम्प्रीहेन्सिव इनकम |
| ज) पी एण्ड एल - | प्रोफिट एण्ड लॉस |
| झ) पीपीई - | प्रोपर्टी प्लांट एण्ड इकिपमेंट |
| अ) एसपीपीआई- | सोलली पेमेंट आफ प्रिसिंपल एन्ड इनकम |
| ट) ईआईआर - | इफेक्टिव इंटेरेस्टरेट |



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 3 : सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

	प्री शेहद शुल्क	अन्य शुल्क	भवन (जल अनुरूप संकालन फुलासालि)	संख्या तथा उक्ताण	इंट संचार	पूरी रुपया/ स्थान संकालनकार्य तथा उक्ताण	फ्रैंसिस तथा उक्ताण	कार्बनलब उक्ताण	बाहर उक्ताण	एकाएट उक्ताण	अन्य संस्थान उक्ताण	संयंत्र यथा उपकरण परिसमाप्ति	कुल	
संबंधक गोपी	84.40	362.19	281.05	844.88	14.87	9.56	276.61	50.33	14.39	246	-	193.03	-	2,139.57
01.04.2016 को योग	32.86	153.05	65.15	503.29	3.63	9.81	50.96	33.71	0.42	0.21	-	121.91	-	1.78
कमी/संबंधन	6.07	(1.43)	-	(62.47)	(0.06)	-	-	(0.22)	-	(0.16)	-	(8.02)	-	(0.01)
31.03.2017 को	123.33	518.81	347.90	1,305.70	18.44	19.37	327.47	83.82	14.81	251	-	311.92	-	1.77
01.04.2017 को योग	123.33	518.81	347.90	1,305.70	18.44	19.37	327.47	83.82	14.81	251	-	311.92	-	1.77
कमी/संबंधन	(10.66)	10.66	31.84	(77.11)	0.34	-	-	47.37	2.52	-	-	-	(0.52)	4.44
31.03.2017 को	166.27	563.97	416.24	1,482.89	20.59	25.01	322.89	149.16	25.87	251	-	414.82	-	5.47
संविधान मूल्य हस्त तथा क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2016 को वर्ष के लिए प्रभार शुल्क	-	26.23	17.42	20.46	1.59	0.98	27.38	6.38	1.29	-	-	61.85	-	163.58
कमी/संबंधन	-	35.26	20.89	172.37	2.19	2.13	38.38	10.92	0.40	0.36	-	12.60	-	294.90
31.03.2017 को	-	61.51	37.46	154.25	3.73	3.11	65.74	17.22	1.69	0.41	-	103.95	-	33.31
01.04.2017 को वर्ष के लिए प्रभार शुल्क	-	61.51	37.46	154.25	3.73	3.11	65.74	17.22	1.69	0.41	-	103.95	-	(0.01)
कमी/संबंधन	-	46.24	22.24	211.43	3.15	1.60	39.71	15.90	2.47	0.27	-	31.53	-	1.78
31.03.2016 को	-	107.09	82.28	329.90	6.88	4.71	105.45	71.89	4.95	0.88	-	101.77	-	5.47
हुद्द संबंधक राशि	166.27	456.86	333.96	1,152.99	13.71	20.30	227.44	77.27	20.82	1.83	-	233.05	-	2,704.62
31.03.2016 को	123.33	457.30	300.32	1,151.45	14.71	16.26	261.73	66.60	13.12	2.10	-	205.97	-	2,622.09
31.03.2017 को	84.40	335.96	264.43	824.42	13.28	8.98	249.23	43.95	13.10	2.46	-	136.16	-	1,975.99
टिप्पणियाँ :														
1. कुल मालार्थ में अधिकांश की ऐपी शुल्क का दरकार दीड़ कम्पी के एक में बढ़ाया नहीं गया है तथा यदेशन भी कुल मालार्थ में किया जाना चाहिए है।														
2. भूमि कारबल आवारत शुल्क (आविधान तथा विकास) अधिकारियम 1957 तथा ऐपी अधिकारिय अधिकारियम 1984 के अधीन अधिकारिय भूमि अन्य में दायरित है।														
3. कोल माइन्स रेस्टेट आर्टी इंसेमेंट अधीन अधिकारिय परिसमाप्ति वार्षिक रेस्टेट, विकास लिंग संज्ञानकार्य अधीन अधिकारिय परिसमाप्ति वार्षिक रेस्टेट, विकास लिंग संज्ञानकार्य अधीन अधिकारिय परिसमाप्ति वार्षिक रेस्टेट तथा देवताओं से स्थानांतरण परिसमाप्ति वार्षिक रेस्टेट / सहायता प्राप्त कम्पनी के पक्ष में अभी भी किया जाना चाहिए है।														
4. रसनिकी आकलन के आधार पर उत्तराखण्ड कारबल आवारत शुल्क का ग्राहन विकास तथा देवताओं से स्थानांतरण परिसमाप्ति वार्षिक रेस्टेट है।														
5. अन्य परिसमाप्ति में 6.17 कोडू (संकलन रु. 4,86 करोड़) शामिल है जिसका विकास उत्तराखण्ड कारबल आवारत शुल्क की ओर लाया जाना गया है।														
6. संस्करण, संयंत्र तथा उपकरण - बहन में आवारत शुल्क का ग्राहन विकास तथा उत्तराखण्ड कारबल आवारत शुल्क की ओर लाया जाना गया है।														



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 4 : पूँजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

भवन (जल आपूर्ति सड़क तथा पुलिया सहित)	संघर्ष तथा उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
संवहन मूल्य					
01-04-2016 को	37.59	421.98	52.74	49.89	4.98 567.18
योग	50.51	242.67	36.12	122.73	18.27 470.30
पूँजीकरण / कमी	(67.09)	(442.03)	(8.91)	(115.60)	(20.43) (654.06)
31-03-2017 को	21.01	222.62	79.95	57.02	2.82 383.42
01-04-2017 को	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	21.01	222.62	79.96	57.02	2.82 383.42
क्षति	62.89	130.45	16.85	131.12	10.38 351.69
कमी / समंजन	(38.14)	(225.75)	(7.69)	(95.31)	(10.44) (377.33)
31-03-2018 को	45.76	127.32	89.11	92.83	2.76 357.78
प्रावधान तथा क्षति					
01-04-2016 को	(0.15)	0.96	(0.07)	5.46	(0.03) 6.17
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.04	-	-	0.04
क्षति	-	0.20	-	(4.52)	- (4.32)
कमी / समंजन	(0.02)	(0.38)	(0.83)	(0.04)	0.02 (1.25)
31-03-2017 को	(0.17)	0.82	(0.90)	0.90	(0.01) 0.64
01-04-2017 को	(0.17)	0.82	(0.90)	0.90	(0.01) 0.64
वर्ष के लिए प्रभार	0.02	-	-	-	0.02
क्षति	-	-	-	4.70	- 4.70
कमी / समंजन	-	(0.25)	-	-	- (0.25)
31-03-2018 को	(0.15)	0.57	(0.90)	5.60	(0.01) 5.11
शुद्ध संवहन राशि					
31-03-2018 को	45.91	126.75	90.01	87.23	2.77 352.67
31-03-2017 को	21.18	221.80	80.85	56.12	2.83 382.78
01-04-2016 को	37.74	421.02	52.81	44.43	5.01 561.01



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 5 : अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

		अन्वेषन तथा मूल्यांकन लागत
संवहन मूल्य		
01-04-2016 को		87.77
योग		34.25
पूँजीकरण / कमी		(4.37)
31-03-2017 को		117.65
		-
01-04-2017 को		117.65
वर्ष के लिए प्रभार		412.25
क्षति		(1.82)
कमी / समंजन		528.08
31-03-2018 को		-
प्रावधान तथा क्षति		
01-04-2016 को		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति		-
कमी / समंजन		-
31-03-2017 को		-
		-
01-04-2017 को		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति		-
कमी / समंजन		-
31-03-2018 को		-
शुद्ध संवहन राशि		
31-03-2018 को		528.08
31-03-2017 को		114.65
01-04-2016 को		87.77

टिप्पणी :

- माइनिंग लीज विहीन भूमि पर सीएमपीडीआईएल द्वारा ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान तथा भूवेधन पर ₹. 11.53 करोड़ का वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्च शामिल है।
- कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य सरकार के अंतर्गत अमराकोंडा मुगड़िंगाल, ब्राह्मणी तथा चिचरी पटसीमल इन तीन कोयला एलाकों के आवंटन के लिए प्रारंभिक रूप से ₹ 125.00 करोड़ प्रत्येक के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से शामिल है। इस प्रकार कुल जमा ₹ 375.00 करोड़ होता है।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

	कम्प्यूटर सफ्टवेयर	अन्य	कुल
संबहन मूल्य			
01-04-2016 को	-	-	-
योग	-	-	-
पूंजीकरण / कमी	-	-	-
31-03-2017 को	-	-	-
01-04-2017 का	-	-	-
योग	-	-	-
पूंजीकरण / कमी	-	-	-
31-03-2018 का	-	-	-
प्रावधान तथा क्षति			
01-04-2016 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
कमी / समंजन	-	-	-
31-03-2017 को	-	-	-
01-04-2017 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
कमी / समंजन	-	-	-
31-03-2018 को	-	-	-
शुद्ध संबन्ध राशि			
31-03-2018 को	-	-	-
31-03-2017 को	-	-	-
01-04-2016 को	-	-	-
01.04.2015 को इंड ए एस तथा पिछले जीएपी के अनुसार संबहन मूल्य का समंजन :			
संबहन मूल्य का समंजन			
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-
संचित मूल्य हास तथा क्षति			
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-
शुद्ध संबहन राशि	-	-	-



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

प्रतिशत (%) होल्डिंग	शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	प्रति शेयर पर अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	31-03-2016 को पुनर्कथित	31-03-2017 को पुनर्कथित
गैर वर्तमान अन्य				
(कोआपरेटिव शेयरों के रूप में)				
i) कोल माइन्स आफिसर्स कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में बी क्लास शेयर	500	1000	0.05	0.05
ii) 1000 डी क्लास शेयर डिसरगढ़ कोलियरी वर्करस सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड	1000	100	0.01	0.01
iii) 4000 शेयर ₹ 25/- प्रत्येक का मुगमा कोलफाल्ड वर्कर्स सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड	4000	25	0.01	0.01
iv) बी क्लास शेयर सोदपुर कोलियरी इम्प्लाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में	500	100	0.005	0.005
v) बी क्लास शेयर धेमोमेन कोलियरी इम्प्लाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	500	100	0.005	0.005
कुल			0.08	0.08
गैर घोषित निवेश की कुल रकम			0.08	0.08
घोषित निवेश की कुल रकम			-	-
घोषित निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल रकम			--	--

टिप्पणी :

- 1) कर्मचारी ओपरेटिव सोसाइटी के शेयरों को परिशोधित लागत माना गया है।

--



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 : निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या वर्तमान वर्ष / (गत वर्ष)	एन ए वी (रु में)	31-03-2018 को	31-03-2017 को
वर्तमान				
म्युचुअल फंड में निवेश	-	-	-	-
यूटीआईम्युचुअल फंड	-	-	-	-
एलआई सी म्युचुअल फंड	-	-	-	-
एसबीआई म्युचुअल फंड	-	-	-	-
कनारा रिवेको म्युचुअल फंड	-	-	-	-
यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड	-	-	-	-
बैंक आफ इंडिया एएक्सए म्युचुअल फंड	-	-	-	-
8.5% कर मुक्त स्पेशल बांड (पूरी तरह पेड अप)				
अप	-	-	-	-
कुल		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
घोषित निवेश की कुल रकम	-	-	-	-
गैर घोषित निवेश की कुल रकम	-	-	-	-
घोषित रकम का बाजार मूल्य	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल रकम	-	-	-	-



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को (पुनर्कथित)	31-03-2017 को (पुनर्कथित)
गैर वर्तमान		
संबंधित पार्टियों का ऋण		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
संदिध	-	-
न्यून: संदिध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/>	<hr/>
कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
असुरक्षित, अच्छे माने गए	0.13	0.15
संदिध	-	-
न्यून: संदिध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/>	<hr/>
अन्य ऋण		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	013	0.15
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
संदिध	-	-
न्यून: संदिध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/>	<hr/>
कुल	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	0.13	0.15

वर्गीकरण

सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
असुरक्षित, अच्छे माने गए	0.13	0.15
संदिध	-	-

टिप्पणी 1:

उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है

शेष बकाया	31-03-2018	31-03-2017
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है

शेष बकाया	31-03-2018	31-03-2017
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : ८ : क्रण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को (पुनर्कथित)	31-03-2017 को (पुनर्कथित)
गैर वर्तमान		
संबंधित पार्टियों का क्रण		
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- संदिग्ध	-	-
न्यून: संदिग्ध क्रणों के लिए प्रावधान	-	-
कर्मचारियों को क्रण		
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- संदिग्ध	-	-
न्यून: संदिग्ध क्रणों के लिए प्रावधान	-	-
अन्य क्रण		
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
- संदिग्ध	-	-
न्यून: संदिग्ध क्रणों के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
	31-03-2018	31-03-2017
टिप्पणी 1:		
उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है		
शेष बकाया	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य
उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है		
शेष बकाया	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
गैर वर्तमान		
बैंक जमा *	24.83	24.83
निम्नलिखित में बैंक में जमा		
माइन क्लोजर योजना **	426.87	327.24
विस्थापन तथा पुनर्वास निधि योजना	-	-
माइन क्लोजर योजना के लिए		
इसको एकाउन्ट से प्राप्य	35.98	24.56
अन्य जमा	-	-
न्यून: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्तियाँ***	21.49	21.54
न्यून: प्रावधान	4.87	16.62
कुल	504.30	393.30

टिप्पणियाँ :

- *1. बैंक जमा में 12 महीनों से अधिक समय के लिए प्रारंभिक पूर्णता अवधि सहित बैंक में जमा शामिल है।
- **2. अवधि के दौरान माध्यन क्लोजर इसको एकाउन्ट के अंतर्गत यूनियन बैंक आफ इंडिया में ₹ 80.35 करोड़ (₹ 83.17 करोड़) जमा किया गया है।
- **3. अवधि के दौरान माइन क्लोजर इसको एकाउन्ट के अंतर्गत ब्याज के रूप में यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा ₹ 19.28 करोड़ (₹ 17.58 करोड़ क्रेडिट किया गया है)।
- ***4. अन्य प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार से विद्युत शुल्क के लिए वापसी प्राप्त है।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को (पुनर्कथित)	31-03-2017 को (पुनर्कथित)
वर्तमान		
कोल इंडिया लिमिटेड के पास अधिशेष निधि	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास शेष	504.39	73.30
चालू खाता		
सहायक कम्पनियों के साथ	-	-
आई आई सी एम के साथ	-	-
जमा व्याज		
निवेश पर	-	-
बैंक जमा पर	165.28	171.52
अन्य पर	<u>165.28</u>	<u>171.52</u>
अन्य जमा	22.18	22.18
न्यून : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	<u>22.18</u>	<u>22.18</u>
प्राप्य दावे		
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	<u>—</u>	<u>—</u>
अन्य प्राप्तियाँ	41.38	83.51
न्यून संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	3.26	83.51
कुल	<u>730.07</u>	<u>350.51</u>

टिप्पणियाँ :

	31-03-2018	31-03-2017
1. अन्य जमा में निम्नलिखित शामिल है :		
कस्टम ड्यूटी, पोर्ट चार्ज इत्यादि के लिए जमा	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-	-
रायल्टी, सेस तथा विक्रय कर	-	-
अन्य	22.28	22.18
न्यून प्रावधान	<u>22.28</u>	<u>22.18</u>
2. अन्य प्राप्तियों में शामिल है		
प्राप्य सहायता	35.53	79.44
विविध प्राप्तियाँ	5.85	4.07
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	<u>3.26</u>	<u>—</u>
	<u>38.12</u>	<u>83.51</u>



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 10 : अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
i. पूँजीगत अग्रिम		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	156.55	119.78
संदिधि	1.48	1.48
	<u>158.03</u>	<u>121.26</u>
न्यून: संदिधि अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.48	1.48
	<u>1.48</u>	<u>119.78</u>
ii. पूँजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
क) उपयोगिता के लिए सुरक्षा जमा		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	2.22	2.22
संदिधि	1.52	1.52
	<u>3.74</u>	<u>3.74</u>
न्यून: संदिधि जमा के लिए प्रावधान	1.52	2.22
	<u>1.52</u>	<u>2.22</u>
ख) अन्य जमा		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	0.42	0.35
संदिधि	0.13	0.13
	<u>0.55</u>	<u>0.48</u>
न्यून: संदिधि जमा के लिए प्रावधान	0.13	0.42
	<u>0.13</u>	<u>0.35</u>
ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
घ) राजस्व के लिए अग्रिम		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	-	-
संदिधि	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
न्यून: संदिधि अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
ड) अन्वेषण हेतु भूवेधन कार्य		
न्यून: प्रावधान	-	-
कुल	<u>159.19</u>	<u>122.35</u>

टिप्पणियाँ :

- सीआईएसएफ रिंग की शक्ति की वृद्धि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में आंतरिक मामला मंत्रालय को रु 2.22 करोड़ जमा दिया गया।
- डाक तथा तार एवं विद्युत के लिए अन्य जमा में रूपया जमा किया गया है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 11 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
राजस्व के लिए अग्रिम		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	66.15	67.53
संदिग्ध	<u>-</u>	<u>-</u>
	66.15	67.53
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	<u>-</u>	<u>66.15</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
संवैधानिक बकाया भुगतान के लिए अग्रिम	275.70	172.18
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	<u>-</u>	<u>275.70</u>
कर्मचारियों को अग्रिम	<u>-</u>	<u>-</u>
कर्मचारियों को अग्रिम	7.66	6.78
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	<u>0.15</u>	<u>7.51</u>
	<u>0.15</u>	<u>6.63</u>
अग्रिम - अन्य	8.21	3.89
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	<u>0.30</u>	<u>7.91</u>
	<u>0.30</u>	<u>3.59</u>
उपयोगिता के लिए जमा	<u>-</u>	<u>-</u>
न्यून: प्रावधान	<u>-</u>	<u>-</u>
जमा - अन्य	<u>-</u>	<u>-</u>
न्यून: प्रावधान	<u>-</u>	<u>46.13</u>
सीईएनवीएटी उधार प्राप्त	149.62	-
एमएटी उधार योग्यता	<u>-</u>	<u>-</u>
पूर्व ग्रस्त खर्च	3.22	2.64
कुल	<u>510.11</u>	<u>298.70</u>
	31-03-2018	31-03-2017

टिप्पणी 1:

उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है

शेष बकाया

निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है

शेष बकाया

निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 12 : सम्पत्ति सूची यथा प्रबंधन द्वारा संग्रहित, मूल्यांकित तथा प्रमाणित

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-04-2017 को
कोयला का स्टाक	334.96	414.79
न्यून: प्रावधान	1.08	1.76
कोयला का स्टाक (शुद्ध) (क)	<hr/> 333.88	<hr/> 413.03
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों का स्टाक (लागत पर)	226.95	207.58
योग : मार्गस्थ भंडार	1.78	8.94
न्यून: प्रावधान	44.49	42.84
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों का शुद्ध स्टाक (लागत पर) (ख)	<hr/> 184.24	<hr/> 173.68
सेन्ट्रल अस्पताल में दवा का स्टाक (ग)	0.77	0.90
कर्मशाला कार्य		
चालू कार्य प्रभति पर तथा तैयार माल	25.75	15.80
न्यून: प्रावधान	0.11	0.11
कार्यशाला कार्य का शुद्ध स्टाक (घ)	<hr/> 25.64	<hr/> 15.69
प्रेस कार्य		
चालू कार्य प्रगति पर तथा तैयार माल (ङ)	-	-
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	544.53	603.30

टिप्पणियाँ :

1. मूल्यांकन का तरीका

क) कोयला का स्टाक : कोयला / कोक के स्टाक की सूची न्यून लागत तथा वसूली योग मूल्य पर ली गई है। पहले ऑए पहले जाँए आधार पर वस्तुसूची की लागत की गणना की गई है। शुद्ध वसूली योग मूल्य, वस्तुसूची के लिए आकलित विक्रय मूल्य में समस्त पूर्णता लागत तथा विक्रय योग्य बनाने के लिए किए गए लागत को घटाकर तय किया गया है।

ख) भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे : केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडार में भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जों का स्टाक (जिसमें खुले औजार शामिल है) भंडार सामग्री के लेजर में उनके अंति मूल्य पर आधारित है तथा वेटेड औसत प्रणाली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया है।

ग) अन्य वस्तुसूची : कर्मशाला कार्य में लागत पर आधारित चालू कार्य प्रगति पर शामिल है। प्रेस कार्य का स्टाक (चालू कार्य प्रगति पर सहित) तथा मुद्रणालय में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय चिकिस्तालय में दवा का मूल्य लागत के आधार पर किया गया है।

2. केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडार में अंतिम शेष का मूल्यांकन वेटेड औसत मूल्य पर आधारित है। अवधि के अंत में ₹. 44.49 करोड़ (₹. 42.84 करोड़) के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है।

क) अनुपयोगी अतिग्रस्त तथा पुरानी भंडार सामग्री के लिए प्रावधान ₹. 10.47 करोड़ (₹. 10.47 करोड़)

ख) निष्क्रिय भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान: ₹. 34.02 करोड़ (32.37 करोड़)

3. चूंकि आदेश के परिणामल को अभी तक सूचित नहीं किया गया है इसलिए वर्ष के दौरान वर्तमान मामले भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोयला की 19.54 लाख टन मात्रा तथा तदनुसार ₹. 63.58 करोड़ के मूल्य को वर्ष 2007-08 की लेखा की सम्पत्ति सूची से कम कर दिया गया है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31.03.2018 को पुस्तकीय स्टॉक के साथ लेखा में अंगीकृत कोयला के अंतिम स्टॉक का सामंजस्य

संलग्नक टिप्पणी - 12(1) का

पुस्तकीय स्टॉक तथा मापे गए स्टॉक का सामंजस्य

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य करोड़ में)

	कुल स्टॉक मात्रा	विक्रय अयोग्य स्टॉक मात्रा	विक्रय योग्य स्टॉक मात्रा
	मूल्य	मूल्य	मूल्य
01.04.17 को आरंभिक स्टॉक योग/न्यून आरंभिक स्टॉक में समंजन	25.55	414.79	25.55
	-	-	414.79
01.04.2017 को समंजित प्रारंभिक स्टॉक	25.55	414.79	25.55
2. अवधि में उत्पादन	435.68	-	435.68
3. उप योग (1 + 2)	461.23	414.79	461.23
			414.79
4. अवधि में आफटेक :			
क. बाहरी प्रेषण	434.34	10626.01	434.34
ख. वासरी को कोयला आपूर्ति	-	-	-
ग. आंतरिक उपयोग	1.95	58.05	1.95
कुल	436.29	10684.06	436.29
			10684.06
5. प्राप्त स्टॉक	24.94	334.96	24.94
6. मापा गया स्टॉक	24.28	326.47	24.28
7. भिन्नता (5 - 6)	0.66	8.49	0.66
8. भिन्नता ब्रेक अप :			
क. 5% के भीतर भिन्नता	-	0.03	-
ख. 5% के भीतर कमी	0.66	8.52	0.66
c. 5% से अधिक अधिकता	-	-	-
d. 5% से अधिक कमी	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत अंतिम स्टॉक			
[6 - 8(क) + 8(ख)]	24.94	334.96	24.94
			334.96



कोयला के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कक्षा कोयला			धुला कोयला			अन्य उत्पादन			कुल	
	कोर्किंग	गैर कोर्किंग	कोर्किंग	गैर कोर्किंग	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
आंशिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	25.55	414.79	-	-	-	-	-	25.55	414.79
न्यू : विक्रय असेय कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समजन: प्रांथिक स्टॉक (विक्रय योग्य)	-	-	25.55	414.79	-	-	-	-	-	25.55	414.79
उत्पादन	-	-	435.68	-	-	-	-	-	-	435.68	-
आफेटर											
क) बाहरी प्रेषण	-	-	434.34	10626.01	-	-	-	-	-	434.34	10626.01
ख) वासरी कोयला आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अंतिम उपभोग	-	-	1.95	58.05	-	-	-	-	-	1.95	58.05
अंतिम स्टॉक	-	-	24.94	334.96	-	-	-	-	-	24.94	334.96
न्यू: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी-12)	-	-	24.94	334.96	-	-	-	-	-	24.94	334.96
न्यू : जब्त कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी-27)	-	-	24.94	334.96	-	-	-	-	-	24.94	334.96



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 13 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
वर्तमान		
व्यापारिक प्राप्तियाँ		
अच्छे माने गए सुरक्षित	-	-
अच्छे माने गए असुरक्षित	1,109.89	1,607.49
संदिध	<u>366.00</u>	<u>371.10</u>
	<u>1,475.89</u>	<u>1,978.59</u>
न्यून: बुरे तथा संदिध क्रणों के लिए प्रावधान	<u>321.42</u>	<u>1,154.47</u>
	<u><u>321.42</u></u>	<u><u>1,154.47</u></u>
Total	<u>1,154.47</u>	<u>1673.69</u>

31-03-2018 31-03-2017

टिप्पणी :

1. उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है

शेष बकाया	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

2. उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की सूचि है

शेष बकाया	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

3. प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है-

प्रारंभिक प्रावधान	371.10	518.17
--------------------	--------	--------

न्यून: प्रारंभिक क्रणदाताओं के लिए तय / बढ़े खाते डाले गए/समंजित	-	-
--	---	---

योग : वर्ष के दौरान नए प्रावधान	72.47	40.09
---------------------------------	-------	-------

न्यून: प्रारंभिक प्रावधान से वापस लिखित	77.57	187.16
---	-------	--------

अंतिम शेष	<u>366.00</u>	<u>371.10</u>
-----------	---------------	---------------

न्यून : कोयला गुणवत्ता में भिन्नता	44.58	66.20
------------------------------------	-------	-------

गुणवत्ता भिन्नता के समंजन के बाद अंतिम शेष	<u>321.42</u>	<u>304.90</u>
--	---------------	---------------

4. विविध क्रणदाताओं के लिए प्रावधान अपेक्षित उधार हानि मॉडल पर आधारित है।

5. अवधि के दौरान ग्रेड स्लीपेज के लिए ₹. 261.16 करोड़ (₹. 257.44 करोड़) की राशि का समंजन सामंजस्य / तयसुदा तथा पार्टियों का क्रेडिट नोट जारी कर दिया गया है।

6. टिप्पणी 21 प्रावधान में ₹ 44.58 करोड़ (₹. 66.20 करोड़) के प्रावधान को रेफरी सैंपलर्स से प्रतीक्षित सैंपलिंग परिणाम के लिए कोयला गुणवत्ता भिन्नता के रूप में पहचान की गई है।



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 14 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
बैंकों में जमा		
जमा खाते में	744.95	583.79
चालू खाते में	38.44	153.65
नगद आधार खाते में	-	-
भारत के बाहर बैंक में जमा	-	-
हस्तगत, चेक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प	-	-
हस्तगत नगद	-	-
हस्तगत नगद, भारत के बाहर	-	-
अन्य	-	-
कुल नगद तथा नगद समतुल्य	783.39	737.44
न्यून : बैंक ओवर ड्राफ्ट	-	-
कुल नगद तथा नगद समतुल्य (बैंक ओवर ड्राफ्ट का शुद्ध)	783.39	737.44

टिप्पणी 1: चालू खाता व्याज में सीएलटीडी स्वीप खाता, आरएलटीडी इत्यादि शामिल है।



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
बैंकों में जमा राशि		
जमा राशि	3,870.36	3,228.64
माइन क्लोजर योजना	-	-
स्थानांतरण तथा पुनर्वास निधि योजना	-	-
अनपेड डिविडेंट राशि	-	-
डिविडेंट राशि	-	-
कुल	3,870.36	3,228.64

टिप्पणी :

- बैंकों में जमा राशि 3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्ता के लिए है।

टिप्पणी : 16 : इकिटी तथा शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
अधिकृत		
25000000 इकिटी शेयर ₹. 1000/- प्रत्येक	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	2,500.00
जारी, अनुमोदन तथा प्रदत्त		
10390000 इकिटी शेयर ₹. 1000/- प्रत्येक नगद रूप में पूर्णतः प्रदत्त	1,039.00	1,039.00
11794500 इकिटी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक आवंटित तथा पूर्णतः प्रदत्त नगद के अतिरिक्त प्राप्त भुगतान	1,179.45	1,179.45
	2,218.45	2,218.45

टिप्पणी :

- प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा होल्डिंग में 5% से अधिक शेयर रखे गए कम्पनी में शेयरों की संख्या

शेयर होल्डर का नाम

रखे गए शेयरों की संख्या

(₹ 1000 प्रत्येक के अंकित कूल्य वाले)

कोल इंडिया लिमिटेड इकिटी शेयर

22184500

- अवधि के दौरान इकिटी शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

इक्विटी अंश	प्रीफरेंस शेयर पूँजी का संचय	अन्य संचय						कुल सुरक्षित आय
		पंजीगत पूर्णाभि	पंजीगत संचय	सीएसआर संचय	पोषणीय संचय	सामान्य संचय	सुरक्षित आय	
01-04-2016 को शेष	855.61	-	-	-	-	832.71	(2,826.30)	65.06 (1,072.92)
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वाधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2016 को पुनर्कथित शेष	855.61	-	-	-	-	832.71	(2,826.30)	65.06 (1,072.92)
सुरक्षित बचत को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय / सुरक्षित संचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंतर्गत कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	-	6.13	14.64 20.77
विनियोग								
सामान्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक डिविडेंट कर	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2017 को शेष	855.61	-	-	-	-	832.71	(2,820.17)	79.70 (1,052.15)
01.04.2017 को शेष	855.61	-	-	-	-	832.71	(2,820.17)	79.70 (1,052.15)
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समंजन	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वाधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 को पूर्वकिसित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित संचय को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय / सुरक्षित संचय से स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	-	(931.17)	107.00 (824.17)
विनियोग								
सामान्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिक डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक डिविडेंट कर	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2018 को शेष	855.61	-	-	-	-	832.71	(3,751.34)	186.70 (1,876.32)

Notes:

31-03-2018 31-03-2017 01.04.2016

- प्रीफरेंस शेयर पूँजी की अधिकृत शेयर पूँजी 6% अपरिवर्तनीय सकल, बिमोचन योग्य ₹ 1000/- प्रत्येक की 21000000
- वर्ष के दौरान प्रीफरेंस शेयर की संछया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
- वित्त वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी) को प्रीफरेंस शेयर जारी किया गया।
- प्रीफरेंस शेयर एर कम्पाउन्ड दस्तावेज इकिटी तथा लम्बी अवधि उधार में अलग अलग किया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर पूँजी नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष छूट दर लागू कर दी जाती है। नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना लम्बी अवधि के उधार (₹ 1195.36 करोड़ 26.12.2014 को) तथा वर्तमान प्रीफरेंस शेयर मूल्य एवं लम्बी अवधि के उधार (₹. 2050.97 करोड़ - ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ 855.61 करोड़) के अन्तर के नए को प्रीफरेंस शेयर 26.12.2014 को में लेकर किया गया है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
अवर्तमान		
सावधि ऋण	-	-
बैंक से	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-
निर्यात विकास कार्पोरेशन, कनाडा	155.01	161.01
कम्पाउन्ड वित्तीय दस्तावेज (प्रीफरेंस शेयर) की देयता	1,537.16	1,423.30
अन्य ऋण	-	-
कुल	1,692.17	1,584.31
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	1,692.17	1,584.31
वर्गीकरण 2		
निर्देशकों तथा अन्य द्वारा जमानती ऋण		

ऋण का विवरण

निर्यात विकास कार्पोरेशन, कनाडा

रकम (₹ करोड़)

155.01

Nature of Guarantee

भारत सरकार

टिप्पणी :

- निर्यात विकास कोर्पोरेशन कनाडा से असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में विनिमय दरी ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.55 करोड़) भिन्नता पर लाभ की असुरक्षित ऋण के मूल्य तथा अन्य आय (टिप्पणी-25) में तरसंबंधी प्रभाव में समंजित किया गया है।
- पुनर्भुगतान अनुसूची : ईडीसी कनाडा, से ऋण की किस्त का पुनर्भुगतान अर्धवार्षिक आधार यथा जनवरी 31 तथा जुलाई 31 पर किया गया है।
- अवधि के दौरान ₹ 6.04 करोड़ (₹ 6.39 करोड़) के विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- प्रीफरेंस शेयर एवं कम्पाउन्ड दस्तावेज इकिटी तथा लाम्बी अवधि उधार में अलग अलग किया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर पूंजी नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष छूट दर लागू कर दी जाती है। नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना लाम्बी अवधि के उधार (₹ 1195.36 करोड़ 26.12.2014 को) तथा वर्तमान प्रीफरेंस शेयर मूल्य एवं लाम्बी अवधि के उधार (₹ 2050.97 करोड़ - ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ 855.61 करोड़) के अन्तर के नए को प्रीफरेंस शेयर 26.12.2014 को में लेकर किया गया है।

वर्तमान

मांग पर पुनर्देय ऋण

बैंक से

अन्य पार्टियों से

अन्य ऋण

कुल

वर्गीकरण

सुरक्षित

असुरक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 19 : व्यापारिक देय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
वर्तमान		
माईक्रो, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को देय व्यापार	-	-
अन्य व्यापारिक देयतायें		
भंडार तथा पुर्जे	64.17	70.79
विद्युत तथा इंधन	27.00	34.28
अन्य	-	-
कुल	91.17	105.07

टिप्पणी : 20 : अन्य वित्तीय देयतायें

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
--	------------------	------------------

अवर्तमान		
सुरक्षित जमा	16.73	24.53
प्रारंभिक जमा	-	-
अन्य	1.38	1.38
कुल	18.11	25.91

टिप्पणी :

1. अन्य में शामिल हैं	31-03-2018	31.03.2017
सरकारी निधि से जमा	0.25	0.25
डीपीएससी (इंडिया पावर लिमिटेड) से अवरोधन मुद्रा	1.13	1.13
	1.38	1.38

वर्तमान		
सहायक अंगों से सरप्लस निधि	-	-
चालू खाता		
कोल इंडिया लिमिटेड से	-	-
आई आई सी एम से	-	-
लम्बी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्तता	6.19	6.19
अप्रदत्त लाभांश (डिविडेंट)	-	-
सुरक्षित जमा	179.55	126.73
प्रारंभिक जमा	85.39	63.30
	382.32	342.72
अन्य	-	-
कुल	653.45	538.94



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
अवर्तनीय		
कर्मचारियों की सुविधायें		
उपदान (ग्रैच्युइटी)	783.44	-
छुट्टी भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	94.11	258.29
कर्मचारी की अन्य सुविधायें	135.95	142.79
कार्य स्थल पुनःस्थापन प्रावधान	567.80	521.87
स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन	1,998.13	1,724.09
अन्य (सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधा)	125.88	142.88
कुल	<u>3,705.31</u>	<u>2,789.92</u>

टिप्पणी :

1. कार्य अवधि के अंत में कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रैच्युइटी) की देयता, छुट्टी भुनाना (लीव इनकैशमेंट) सेवा निवृति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा खान दुर्घटना में मृत्यु इत्यादि होने पर आश्रितों को क्षतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा भता (एलटीसी) समूह निजी दुर्घटना बीमा (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस) जैसी सुविधाओं का मूल्यांकन वास्तविक आधार पर किया जाता है।
2. लम्बी अवधि के उपदान (ग्रैच्युइटी) के लिए प्रावधान ग्रैच्युइटी ट्रस्ट निधि में शेष ₹ 2867.07 करोड़ (₹ 2354.55) करोड़ के समंजन के बाद है।
3. लम्बी अवधि की छुट्टी के भुगतान के लिए प्रावधान लीव इनकैशमेंट निधि में जीवन बीमा निगन में शेष ₹ 491.73 करोड़ (₹ 378.62 करोड़) के समंजन के बाद है।
4. अन्य (सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधा) के लिए प्रावधान के अंतर्गत सीपीआर एमएसई ट्रस्ट फंड के समंजन के बाद शेष ₹ 19.01 करोड़ (मूल) है।

5. कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं में शामिल है -		
जीवन रक्षा योजना (लाइफ कवर स्कीम)	16.78	18.11
एलटीसी / एलएलटीसी	44.84	44.64
सेटलमेंट भता	36.94	39.55
समूह दुर्घटना बीमा (ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस)	0.12	0.14
खानों में जानलेवा दुर्घटना सुविधा	37.27	40.35
	<u>135.95</u>	<u>142.79</u>



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
वर्तमान		
कर्मचारियों की सुविधायें		
उपदान (ग्रैच्युइटी)	514.17	9.83
छुट्टी भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	79.58	81.58
अनुग्रह राशि (एक्स ग्रैसिया)	351.75	354.28
पीआरपी (पारफार्मेस रिलेटेड पे)	39.77	144.26
कर्मचारियों की अन्य सुविधायें	326.67	269.84
एन सी डब्ल्यू ए -X	844.42	453.04
अधिकारियों के वेतन का संशोधन	126.03	12.51
कार्यस्थल का पुनः स्थापन प्रावधान	-	35.29
कोयला के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद कर	44.58	66.20
अन्य (जब्त कोयला) के लिए प्रावधान	1.08	1.47
कुल	2,328.05	1,428.30

टिप्पणी :

- लघु अवधि के ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान में ग्रैच्युइटी ट्रस्ट निधि के शेष रु शून्य (₹ 310.70 करोड़) के समंजन के बाद है।
- कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं में शामिल है

अधिकारियों के लिए पेंशन (3%)	70.38	63.12
अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति सुविधा (6.84%)	160.46	143.92
कोयला खान बोनस	74.37	50.70
प्रोत्साहन राशि	0.36	0.35
जीवन रक्षा योजना	9.28	7.69
आखिरी (टर्मिनल) सुविधा	0.09	0.09
एलटीसी / एलएलटीसी के लिए बकाया देयता	3.09	2.92
अन्य	8.64	1.05
326.67	269.84	
- गैर अधिकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्लूए-X) को अंतिम रूप 10 अक्टूबर 2017 को दे दिया गया जो 01.07.2016 से लागू है। उपरोक्त समझौता के पूरी तरह लागू करने के मामले को विचाराधीन रखते हुए 30.09.2017 को समाप्त वर्षाधि के लिए जिसमें 01.07.2016 से 30.07.2017 की अवधि शोभेत है, ₹. 524.46 करोड़ का आकलित आधार पर अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यह पहले से किए गए। वित्तीय विवरण में 30.06.2017 तक शामिल तक शामिल ₹. 601.56 करोड़ अस्थायी प्रावधान के अतिरिक्त है। अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए गैर अधिकारी कर्मचारियों को एनसीडब्लूए-X के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने अपने कार्यक्रम समवन (ओएस) सं. डब्लू-02-0028 / 2017 - डीपीई (डब्ल्यूसी) -जी एवं - XII-17 दिनांक 3 अगस्त 2017 के द्वारा 01.01.2017 से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के गैर संगठित पर्यवेशकों तथा बोर्ड स्तरीय एवं बोर्ड स्तर से निम्नस्तर के लोगों के लिए वेतन तथा भत्ता में संभोधन के लिए दिशानिर्देश गामी किया है। इस दिशानिर्देशों के विचाराधीन रहते हुए वित्तीय विवरणों में 01.01.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए ₹. 126.03 करोड़ का अधिकारी



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

कर्मचारियों के बेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकारियों के बेतन (नियोजकों द्वारा भविष्य निधि अंशदान सहित) के सभी तत्वों में वृद्धि के प्रभाव को आकलित आधार पर विचार अन्तर कर्मचारी सुविधायें तथा डीपाइ के दिशानिर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति की सभी सुविधायें शामिल हैं।

5. कोयला गुणवत्ता भिन्नता के रूप में ₹. 44.58 करोड़ (₹. 66.20 करोड़) के प्रावधान को रेफरी सैपकर्स से सैंपलिंग के परिणाम की प्रतीक्षा में किया गया है।
6. एनसीडब्ल्यूए - X के विचाराधीन रहने के कारण गैर अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए वसूली योग्य अग्रिम के लिए समंजन के बाद ₹. 281.60 करोड़ का प्रावधान एनसीडब्ल्यूए X के लिए किया गया है।

टिप्पणी : 22 : अन्य गैर वर्तमान देयतायें

(₹ करोड़ में)

31-03-2018
को

31-03-2017
को

स्थानांतरण तथा पुनर्वास निधि

(सिपिटिंग एन्ड रिहैबिलेशन फंड)

प्रारम्भिक शेष

योग: निधि के निवेश से व्याज (टीडीएस का शुद्ध)

योग : प्राप्त अंशदान

न्यून: वर्ष के दौरान अनुषंगी कम्पनियों को जारी राशि

-	-
-	-
-	-
-	-

स्वीकृत आय (डेफर्ड इनकम)

-	-
-	-

कुल

-	-
-	-



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 23 : अन्य वर्तमान देयतायें

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को	31-03-2017 को
पूंजीगत खर्च	19.29	61.29
संवैधानिक बकाया :		
सामग्री तथा सेवा कर	118.42	-
जीएसटी/क्षतिपूर्ति सेस	192.32	-
भविष्य निधि तथा अन्य	88.04	79.16
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2.49	6.08
कोयला पर रॉयलटी तथा सेस	5.86	5.94
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	0.32	0.52
जिला खनिज फाउंडेशन	5.15	4.38
स्टोइंग उत्पाद कर	0.03	11.14
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	264.01
अन्य संवैधानिक देयतायें (लेवी)	46.40	39.71
स्रोत पर आयकर की कटौती / संग्रह	20.78	22.73
कोयला निर्यात के लिए अग्रिम	764.69	342.68
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	1879.01	1627.86
सेस समानीकरण लेखा	851.21	802.27
अन्य देयतायें		
कुल	3994.01	3267.77

टीप्पणी 1:- कोयला धारित भूमि पर आधारित गत दो वर्षों के उत्पादन के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल को मूल्य दर के अनुसार कोयला प्रेषण पर प्रत्येक गत वर्ष 31 मार्च को कोयला के विक्रय मूल्य पर क्रेताओं के वसूली गए सेस का भुगतान किया जाता है। शेष उपलब्ध राशि ₹. 1879.01 करोड़ (₹ 1627.86 करोड़) उपकर समानीकरण लेखा (सेस इक्विलाइजेशन एकाउन्ट) में दिखाया गया है।

टिप्पणी 3. अन्य का विवरण

विलम्ब शुल्क	0.04	1.53
श्रमिकों को क्षतिपूर्ति	0.29	0.20
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1.65	1.56
सुरक्षा खर्च	9.80	11.67
अन्य वेतनपर्ची कटौती	36.44	33.44
ठेकेदार के लिए बकाया देयता	195.89	154.29
ठेकेदार के लिए बकाया देयता	318.49	303.75
मरम्मत के लिए देयता	87.54	92.29
पूंजी के लिए बकाया देयता	113.37	110.55
अनुपयुक्त अनुदान : पूंजीगत	28.15	27.83
जमा	2.34	1.95
सी आई एस पी ए	1.01	1.01
अन्य	56.20	62.20
कुल	851.21	802.27



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी : 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
I. कोयला का विक्रय		
न्यून : अन्य संवैधानिक वसूली		
वस्तु तथा सेवा कर	513.14	-
जी एस टी क्षतिपूर्ति सेस	1,355.43	-
रॉयल्टी	371.91	376.88
कोयला पर सेस	1,744.55	1,756.02
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	9.54	42.80
केन्द्रीय विक्रय कर	35.99	189.56
स्वच्छ ऊर्जा सेस	381.92	1,712.31
राज्य विक्रय पर / वैट	74.98	242.48
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	7.46	7.52
जिला खनिज फाउन्डेशन	111.55	234.79
अन्य वसूली	17.63	13.99
कुल	4,624.10	4,576.35
विक्रय (शुद्ध) (क)	10,626.01	10,141.18
II. अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात के लिए सरलीकरण प्रभार		
बालू स्टोइंग तथा प्रतिरक्षा कार्य के लिए सहायता	23.93	91.41
लदान तथा अतिरिक्त परिवहन प्रभार	245.03	236.90
न्यून अन्य संवैधानिक वसूली	11.15	7.12
रिक्तिकरण सुविधा प्रभार	60.60	-
न्यून : वसूली	2.87	57.43
अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)	315.24	321.19
संचालन से राजस्व (क + ख)	10,941.25	10,462.37

टिप्पणी:

- 1) ग्रेड स्लीपेज के लिए पार्टियों को जारी / जारी की जा रही क्रेडिट नोट के आधार पर ₹ 261.16 करोड़ (₹ 257.44 करोड़) के ग्रेड स्लीपेज हेड घटाकर शुद्ध विक्रय है।
- 2) विक्रय में ई आक्सन मात्रा 30.58 लाख ₹ (21.90 लाख टन) तथा ई-ऑक्सन लाभ ₹ 374.86 करोड़ (₹ 178.73 करोड़) शामिल है।
- 3) विक्रय में एम ओ यू मात्रा 30.58 लाख टन (16.74 लाख टन) तथा एम ओ यू लाभ ₹ 15.14 करोड़ (₹ 14.15 करोड़) शामिल है।
- 4) अवधि के दौरान बालूभरण तथा प्रति सकारात्मक कार्य के लिए हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम 1974 के पदों में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त ₹ 23.93 करोड़ (₹. 91.41 करोड़) की वालू भरण तथा प्रतिक्षात्मक कार्य के लिए सहायता।
- 5) कोयला के विक्रय में ₹ 146.14 करोड़ (₹. 626.06 करोड़) का उत्पाद शुल्क शामिल है। उत्पाद मूलत को छोड़कर कोयला का शुद्ध विक्रय ₹. ₹. 10479.87 करोड़ (₹. 9515.12 करोड़) है।



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
आंतरिक आय		
अन्य से आय		
बैंकों में जमा से	252.01	267.49
निवेश	0.01	0.07
समूहों में निहित निधि	8.61	-
अन्य	19.28	17.66
अन्य गैर संचालन आय		
परिसम्पत्ति के विक्रय पर आय	0.49	0.02
विदेशी विनियम लेनदेन पर लाभ	-	0.55
लीज किराया	0.04	-
बड़े के लिए प्रावधान / देयता	99.63	44.15
स्टॉक में कर्मी के पर उत्पाद शुल्क	-	28.67
विविध आय	146.34	107.33
कुल	526.41	465.94
टिप्पणी :		
1. विविध आय का विवरण		
रेलवे से दावा		
कर्मचारियों तथा अन्य से वसूली	0.42	0.39
कर्मचारियों से प्राप्त किराया	1.38	2.76
प्राप्त छूट	0.41	0.52
बाहरी लोगों से प्राप्त किराया	0.80	0.77
निविदा शुल्क	0.12	0.26
कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री	0.91	0.57
स्कूल बस के भाड़े की वसूली	0.33	0.52
तरलता (लिकिंडिटी) की हानि	5.14	5.95
दण्ड वसूली	5.81	6.48
एफ एस ए की अधीन क्षति पूर्ति	84.01	50.78
अन्य	15.68	6.72
साइलो प्रभार	31.33	31.61
कुल	146.34	107.33



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 26 : उपभुक्त वस्तुओं की लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
विस्फोटक	181.71	169.64
लकड़ी	5.43	5.96
तेल तथा चिकनाई	229.40	228.62
एछाइमएम पुरजे	82.04	108.19
अन्य उपभोग योग्य भंडार सामग्री	158.41	180.84
कुल	656.99	693.25

टिप्पणी : 27 : तैयार माल, चालू कार्य प्रगति पर तथा व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
कोयला का आरंभिक स्टॉक	414.79	570.74
योग : आरंभिक स्टॉक का समंजन	35.29	-
न्यून : कोयला की कमी	3.23	3.55
कुल (क)	376.27	567.19
कोयला का अंतिम स्टॉक	334.96	414.79
न्यून : कोयला की कमी	2.16	3.23
कुल (ख)	332.80	411.56
 कोयला की सूची में परिवर्तन (ग = क - ख)	 43.47	 155.86
कोयला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर का प्रारंभिक स्टॉक	15.81	17.29
योग : आरंभिक स्टॉक का समंजन	-	-
न्यून : प्रावधान	0.11	0.11
कुल (घ)	15.70	17.18
कर्मशाला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर का अंतिम स्टॉक	25.75	15.81
न्यून: प्रावधान	0.11	0.11
कुल (ड)	25.64	15.70
कर्मशाला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर की सूची में परिवर्तन (च=घ-ड)	(9.94)	1.48
प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक (छ) की सूची में परिवर्तन	-	-
 कोयला के स्टॉक तथा कर्मशाला में तैयार माल तथा चलू कार्य प्रगति पर की सूची में कुल परिवर्तन (ग + च + छ)	 33.53	 157.34



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 28 : कर्मचारी सुविधाओं पर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
वेतन, मजदूरी, भटा, बोनस इत्यादि	4,594.66	4,306.92
अनुग्रह राशि	333.51	362.56
पी आर पी	17.30	22.47
एन सी डब्ल्यू ए - X	672.98	453.04
अधिकारियों का वेतन संशोधन	113.52	12.51
भविष्यानिधि तथा अन्य निधि में अंशदान	533.74	503.49
उपदान (ग्रैच्युइटी)	1,739.37	180.29
छव्ही भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	73.70	274.36
कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति	4.55	5.64
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	53.95	51.01
सेवानिवृत् कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	2.53	18.62
विद्यालयों तथा संस्थानों को अनुदान	9.79	7.18
खेलकूद तथा मनोरंजन	1.87	1.48
जलपान गृह तथा शिशु गृह (कैन्टीन तथा क्रेच)	0.21	0.42
विद्युत - नगर क्षेत्र	141.57	119.30
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का किराया	8.40	7.70
अन्य कर्मचारी सुविधायें	114.24	109.59
कुल	8,415.89	6,436.58

टिप्पणी :

1. अन्य कर्मचारी सुविधाओं का विवरण

एलटीसी / एलएलटीसी		
क. अधिकारी	2.53	3.13
ख. गैर अधिकारी	40.79	16.45
जीवन रक्षा योजना	7.70	6.66
बीमांकिक समझौता, एलटीसी/एलएलटीसी, एलसीएस, जीपीएआईएस, तथा		
खान में जानलेवा दुर्घटना	(6.84)	4.75
वाहन भत्ता	10.60	11.45
प्रोत्साहन - नगद	1.26	4.74
अन्य भत्ता.	58.20	62.41
	114.24	109.59

2. वेतन, मजदूरी, भत्ता तथा सुविधाओं में अधिकारियों की सेवा निवृत्ति सुविधा के लिए ₹ 25.72 करोड़ (₹ 33.05 करोड़) की प्रावधान शामिल है।

3. गैर अधिशासी कर्मचारियों के लिए 01.07.2016 से लागू राष्ट्रीय कोयला सेतन समझौता एनसीडब्ल्यू-X को 10 अक्टूबर 2017 को अंतिम



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

रूप दिया गया। इस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन के विचाराधीन रहते हुए, 30.09.2017 को समाप्त वर्षार्ध के लिए जिसमें 01.07.2016 से 30.09.2017 की अवधि शामिल है, रु. 524.46 करोड़ का आकलित आधार पर अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यह पहले से किए गए वित्तीय विवरण में 30.03.2017 तक शामिल रु. 601.56 करोड़ के अस्थायी प्रावधान के अतिरिक्त है। अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए गैर अधिकारी कर्मचारियों को एनसीडब्लूए के अनुसार मजदूरी का भुजतान कर दिया गया है।

- 4) 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त एनसीडब्लूए-X में 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि से संबंधित रु. 222.57 करोड़ शामिल है।
- 5) गैच्युइटी (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार तथा इसके बाद सभी अधिदूचना के अनुसार गैच्युटी की अधिकतम सीआर 10 लाख से 20 लाख 29.03.2018 से कर दी गई है। उपरोक्त गैच्युइटी सीमा में परिवर्तन के प्रभाव के लिए 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 1534.76 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
- 6) अन्य (सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधा) के लिए प्रावधान के अंतर्गत सीपीआर एमएसई ट्रस्ट फंड के समंजन के बाद शेष रु. 19.01 करोड़ (मूल) है।



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 29 : सामूहिक सामाजिक दायित्व पर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
सी एस आर खर्च	12.69	21.62
कुल	12.69	21.62

टिप्पणी - 1: कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर पर खर्च पिछले वित्त वर्ष के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के शुरू औसत लाभ का 2% होना चाहिए।

	31-03-2018	31-03-2017
तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	1,044.31	1,459.56
औसत शुद्ध लाभ का 2%	20.89	29.19

टिप्पणी : 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त	31-03-2017 को समाप्त
	वर्ष के लिए	वर्ष के लिए
भवन	7.93	9.09
संयंत्र तथा मशीनरी	143.68	145.83
अन्य	1.80	2.02
कुल	153.41	156.94

टिप्पणी :

	31-03-2018	31-03-2017
1. अन्य में शामिल है		
वाहन	0.58	0.70
कार्यालय उपस्कर तथा उपकरण	0.32	0.35
अन्य	0.90	0.97
कुल	1.80	2.02



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 31 : ठेकेदारी खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन प्रभार		
बालू	52.56	53.07
कोयला	134.00	123.24
भंडार सामग्री तथा अन्य	49.50	56.40
वैगन लढ़ाई	26.06	22.23
संयंत्र तथा उपकरण भाड़ा	1,232.09	1,236.84
अन्य ठेकेदारी खर्च	93.18	100.02
कोल	1,587.39	1,591.80

टिप्पणी : 32 : वित्तीय कुल लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज खर्च		
उधार	-	-
छूट का खुलना	154.38	142.54
समूह के भीतर रखी निधि	-	-
अन्य	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	154.38	142.54
	31.03.2018	31.03.2017

टिप्पणी :

1) छूट की अनावृति में शामिल है :

i) भूमि पुनर्सुधार / स्थरानस सुधा लागत में छूट की अनावृति	40.52	37.11
ii) यौगिक वित्तीय उपकरण (प्रीफरेंसियल शेयर) के अवयव की देयता पर छूट की अनावृति	113.86	105.43
कुल	154.38	142.54



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 33 : प्रावधान (शुद्ध परिवर्तन)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋणों	41.75	40.09
संदिग्ध अग्रिमों तथा दावें	30.72	-
भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	3.26	0.37
अन्य	1.93	2.76
कुल (क)	0.02	0.04
	77.68	43.26
ख) परिवर्तन के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋणों	25.23	120.96
संदिग्ध अग्रिमों तथा दावें	52.34	66.20
भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	-	-
अन्य	0.28	0.32
ख (ख)	1.07	0.69
कुल (क - ख)	78.92	188.17
	(1.24)	(144.91)

टिप्पणी :

	31-03-2018	31-03-2017
टिप्पणी 1. किए गए अन्य प्रावधान में शामिल है		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान	0.02	0.04
वर्तमान परिसम्पत्तियों	-	-
परिसम्पत्तियों की हानि	-	-
	0.02	0.04
टिप्पणी 2. किए गए अन्य प्रावधान में शामिल है		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान	0.05	0.46
वर्तमान परिसम्पत्तियों	-	0.23
परिसम्पत्तियों की हानि	-	-
अन्य	1.02	-
	1.07	0.69
3) नमूना अनुमोदक से सैंपीलंग के लिए प्रतीक्षित परिणाम की पहचान की गई है तथा लागत गुणवत्ता में भिन्नता के लिए ₹. 30.72 करोड़ (शून्य) का प्रावधान है।		



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 34 : बटे खाते (पिछले प्रावधान का शुद्ध रूप)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध ऋण	-	-
न्यून: पिछला प्रावधान	—	—
उपयोग (क)	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
न्यून: पिछला प्रावधान	—	—
उपयोग (ख)	-	-
कोयला का स्टॉक	-	-
न्यून: पिछला प्रावधान	—	—
उपयोग (ग)	-	-
अन्य	-	-
न्यून: पिछला प्रावधान	—	—
उपयोग (घ)	-	-
कुल (क + ख + ग + घ)	—	—



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च		
क. स्वदेशी	9.11	9.60
ख. विदेशी	0.13	0.34
प्रशिक्षण खर्च	3.55	3.07
टेलीफोन तथा डाक खर्च	1.66	1.77
विज्ञापन तथा प्रचार	2.84	2.91
विलम्ब शुल्क	0.61	2.19
दान / चन्दा	0.03	0.07
सुरक्षा खर्च	88.17	98.43
कोल इंडिया लिमिटेड को सेवा शुल्क	43.61	20.46
भाड़ा शुल्क	32.20	29.67
सीएमपीडीआई शुल्क	31.36	14.70
विधिक व्यय	1.99	2.35
बैंक प्रभार	0.21	0.16
अतिथिगृह खर्च	2.76	2.86
सलाहकारी शुल्क	9.97	1.62
कम लदान प्रभार	47.03	26.21
विक्री / छाटाई / सर्वेक्षण सम्पत्ति की हानि लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा खर्च	-	-
क. लेखा परीक्षण फीस के लिए	0.41	0.57
ख. कराधान मामलों के लिए	0.05	0.05
ग. अन्य सेवाओं के लिए	-	0.02
घ. खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.21
अतिरिक्त लेखा परीक्षा फीस तथा खर्च	2.32	2.28
पुनर्वास प्रभार	26.17	25.79
रायल्टी तथा सेस	4.32	4.42
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	6.48
दर तथा कर	3.61	6.10
बीमा	0.03	0.11
विनियम दर भिन्नता पर हानि	0.04	-
सहायता / सुरक्षा खर्च	4.40	2.19
डेड रेट / सफेस रेट	9.03	4.25
साइडिंग रखरखाव प्रभार	3.48	3.81
भूमि / फसल क्षतिपूर्ति	0.09	0.03
अनुसंधान तथा विकास खर्च	0.23	0.14
पर्यावरण तथा वृक्षारोपण खर्च	4.38	1.90
विविध खर्च	217.22	179.32
कुल	551.12	454.31



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी		
1. विविध खर्च का विवरण		
कार्यालय आकस्मिक खर्च	0.84	0.75
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3.36	3.48
पेन्सन	0.05	0.08
वजनघर खर्च	0.75	0.73
कार तथा जीप का रख रखाव		
क. पेट्रोल तथा डीजल	11.66	10.54
ख. मरम्मत	0.14	0.22
ग. मार्ग कर (रोड टैक्स)	0.35	0.45
घ. बीमा	0.26	0.32
सम्मेलन तथा सेमीनार	0.54	0.57
पुस्तकें तथा पत्रिकायें	0.05	0.07
विश्लेषण तथा जाँच प्रभार	18.25	4.56
विक्रय खर्च	15.19	8.65
स्वच्छ ऊर्जा सेस	0.02	0.33
अंतरिक उपभोग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.04	0.11
उत्सव खर्च	0.02	0.01
छात्रवृत्ति (स्कालरशिप)	0.49	0.30
परमत तथा रखरखाव		
क. नगर क्षेत्र	125.95	109.99
ख. अन्य कल्याण भवन	6.09	6.74
ग. संयंत्र तथा मशीनरी	0.38	0.29
घ. अन्य	6.25	5.94
कल्याण वाहनों का रखरखाव		
क. पेट्रोल तथा डीजल	6.06	6.30
ख. मरम्मत	0.10	0.12
ग. मंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.17	0.12
घ. रोड टैक्स	0.05	0.08
ड. बीमा	0.04	0.04
वर्दी तथा / या सिलाई खर्च	0.87	0.87
पानी की खरीद	2.88	1.47
शिक्षा भटा तथा खर्च	1.33	1.90
कर्मचारी क्लव को दान	0.38	0.52
विविध खर्च	14.66	14.00
	217.22	179.55



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 36 : कर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	(12.96)	45.58
आस्थगित कर	(523.06)	(24.30)
एमएटी उधार अधिकार	-	(8.66)
पिछला वर्ष	0.46	(3.43)
कुल	<u>(535.56)</u>	<u>9.19</u>

टिप्पणी 1: वर्तमान वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान में अन्य व्यापक आय पर आयकर के समंजन के बाद है।

वर्तमान वर्ष के आयकर के लिए कुल प्रावधान	43.67	67.52
न्यून : अन्य व्यापक आय कर पर स्थानांतरित कर (टिप्पणी 37)	56.63	21.94
वर्तमान वर्ष के आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान	<u>(12.96)</u>	<u>45.58</u>
2. आस्थगित कर परिसम्पत्ति (देयता) निम्नलिखित से संबंधित		
अस्थगित कर देयता		
सम्पत्ति संयंत्र तथा उपकरण से संबंधित	(13.79)	7.10
कुल अस्थगित का देयता (क)	<u>(13.79)</u>	<u>7.10</u>
आस्थगित कर परिसम्पत्ति		
संदिध अग्रिम तथा व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	-
कर्मचारी सुविधायें	28.85	71.65
अन्य	654.19	109.22
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्ति (ख)	<u>683.04</u>	<u>180.87</u>
शुद्ध आस्थगित परिसम्पत्ति / (देयता) (ख - क)	<u>696.83</u>	<u>173.77</u>



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I. (i) लाभ अथवा क्षति के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मद		
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	163.63	36.58
ओसीआई द्वारा इक्कीटी उपकरण	-	-
एफबीटीपीएल पर अभिकल्पित वित्तीय देयता के निजी उधार जोखिम से सम्बन्धित		
स्पष्ट मूल्य परिवर्तन	-	-
संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
उपयोग (क)	<u><u>163.63</u></u>	<u><u>36.58</u></u>
(ii) लाभ तथा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मदों पर आयकर		
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	56.63	21.94
ओसीआई द्वारा इक्कीटी उपकरण	-	-
एफबीटीपीएल पर अभिकल्पित वित्तीय देयता के निजी उधार जोखिम से सम्बन्धित		
स्पष्ट मूल्य परिवर्तन	-	-
संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
उपयोग (ख)	<u><u>56.63</u></u>	<u><u>21.94</u></u>
कुल (ग = क - ख)	<u><u>107.00</u></u>	<u><u>14.64</u></u>
II. (i) लाभ तथा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने योग्य मदें		
विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण को अनुवादित करने में विनिमय भिन्नता	-	-
ओसीआई द्वारा क्रण उपकरण	-	-
नगद प्रवाह बचाव में बचाव उपकरण पर हानि तथा लाभ का प्रभावशाली अंश	-	-
संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
उपयोग (घ)	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
(ii) लाभ तथा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने योग्य मदों पर आयकर		
विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण को अनुवादित करने में विनिमय भिन्नता	-	-
ओसीआई द्वारा क्रण उपकरण	-	-
नगद प्रवाह बचाव में बचाव उपकरण पर हानि तथा लाभ का प्रभावशाली अंश	-	-
संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
उपयोग (ङ)	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
कुल (च = घ - ङ)	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
कुल योग (ग + च)	<u><u>107.00</u></u>	<u><u>14.64</u></u>



टिप्पणी - 38

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. स्पष्ट मूल्य माप

क) कैटेगरी द्वारा वित्तीय उपकरण :

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	एफबीटी पीएल	एफबीटी आसीआई	अधिकृत लागत	एफबीटी पीएल	एफबीटी आसीआई	अधिकृत लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ						
निवेश :						
को-आपरेटिव शेयर	-	-	0.08	-	-	0.08
ऋण	-	-	0.13	-	-	0.15
व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	-	1154.47	-	-	1673.69
नगद तथा नगद समतुल्य	-	-	783.39	-	-	737.44
अन्य बैंक शेष	-	-	3870.36	-	-	3228.64
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	-	-	730.07	-	-	350.51
कुल	-	-	6538.50	-	-	5990.51
वित्तीय देयताएँ						
उधार :						
ईडीसी ऋण	-	-	161.20	-	-	167.20
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	1537.16	-	-	1423.30
व्यापारिक देयताएँ	-	-	91.17	-	-	105.07
सुरक्षा जमा	-	-	196.28	-	-	151.26
प्रारंभिक जमा	-	-	85.39	-	-	63.30
अन्य वित्तीय देवताएँ	-	-	383.70	-	-	344.10
कुल	-	-	2454.90	-	-	2254.23

1.ख) स्वच्छ मूल्य वर्गीकरण

निम्नलिखित सारणी में वित्तीय उपकरण के स्वच्छ मूल्य के निर्धारण में धारणा तथा आकलन प्रदर्शित है।

I. स्वच्छ मूल्य पर मान्यता प्राप्त तथा नपा तुला एवं

II. परिशोधित लागत पर नपा तुला तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों में स्वच्छ मूल्य प्रकट किया गया है। स्वच्छ मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निवेश की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन स्तर के अधीन तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का एक स्पष्टीकरण सारणी में निम्नलिखित है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

मापी गई वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयतायें

I) ग) स्वच्छ मूल्य – आवर्ती स्वच्छ मूल्य माप

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीएल पर वित्तीय परिसम्पत्तियों						
निवेश						
को-आपरेटिव शेयर	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयतायें						
यदि कोई मद	-	-	-	-	-	-

मापी गई वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयतायें

II) घ) परिशोधन लागत जिसके लिए 31 मार्च 2018 को स्वच्छ मूल्य प्रकट किया गया

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	Level I	Level II	Level III	Level I	Level II	Level III
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ						
निवेश :						
को-आपरेटिव शेयर	-	-	0.08	-	-	0.08
क्रुण	-	-	0.13	-	-	0.15
व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	-	1154.47	-	-	1673.69
नगद तथा नगद समतुल्य	-	-	783.39	-	-	737.44
अन्य बैंक शेष	-	-	3870.36	-	-	3228.64
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों	-	-	730.07	-	-	350.51
कुल	-	-	6538.50	-	-	5990.51
वित्तीय देयतायें						
उधार :						
ईडीसी क्रुण	-	-	161.20	-	-	167.20
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	1537.16	-	-	1423.30
व्यापारिक देयतायें	-	-	91.17	-	-	105.07
सुरक्षा जमा	-	-	196.28	-	-	151.26
प्रारंभिक जमा	-	-	85.39	-	-	63.30
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	383.70	-	-	344.10
कुल	-	-	2454.90	-	-	2254.23



वित्तीय उपकरणों के शुद्ध मूल्य निर्धारण में कम्पनी आकलन तथा निर्णय का उपयोग करती है जो की शुद्ध मूल्य निर्धारण तथा निर्णय के लिए आते जाते हैं। शुद्ध मूल्य निर्धारण के लिए उपयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता को उपलब्ध करने के लिए कम्पनी ने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानदण्ड में तीन स्तर निर्धारित किए हैं। इनमें प्रत्येक का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है।

स्तर - I : स्तर 1 के वर्गीकरण में उल्लिखित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

स्तर - II : जिन वित्तीय उपकरणों का व्यापार सक्रिय बाजार में नहीं होता उनका स्वच्छ मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर तय किया जाता है जो प्रवेश विशिष्ट आकलन पर यथासम्भव छोट से छोटे उपलब्ध बाजार आंकड़े के अधिकतम उपयोग पर आधारित है। यदि सभी महत्वपूर्ण निवेश स्वच्छ मूल्य के लिए हैं तब एक उपकरण अवलोकन योग्य है, यह उपकरण स्तर II में शामिल किया गया है।

स्तर - III : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निवेश पर्यवेक्षण योग्य बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं हैं तब उसे स्तर III में शामिल किया गया है। टिप्पणी वित्तीय वर्ष में निजी स्तर पर स्वच्छ मूल्य वर्गीकरण परिवर्तन नहीं है।

1.अ.) स्वच्छ मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक -

वित्तीय उपकरणों के मूल्य के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त तकनीक में शामिल है।

- उपकरण के उल्लिखित बाजार मूल्य का उपयोग किया गया है।
- शेष वित्तीय उपकरणों के स्वच्छ मूल्य निर्धारण के लिए छूट आधारित नगद प्रवाह विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

विशिष्ट अवलोकनीय निवेश के उपयोग द्वारा स्वच्छ मूल्य की माप

वित्तीय उपकरणों के मूल्य मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त तकनीक में उपकरण के उल्लिखित बाजार मूल्य का उपयोग शामिल है।

1.ब.) स्वच्छ मूल्य की माप के लिए विशिष्ट अवलोकनीय निवेश वर्तमान समय में स्वच्छ मूल्य की माप के लिए कोई विशिष्ट अवलोकनीय निवेश नहीं है।

1.छ.) वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयताओं की परिशोधित लागत पर स्वच्छ मूल्य :

- व्यापारिक प्राप्तियों, लघु अवधि जमा, नगद तथा नगद समतुल्य व्यापारिक देयतायें की वहन की गई रकम उनकी लघु अवधि के कारण उनके स्वच्छ मूल्य के अनुसार है।

➤ कम्पनी यह मानती है कि सुरक्षा जमा विशिष्ट ती उपकरण नहीं है, मील का पत्थर भुजतान (सुत्रा जमा) कम्पनी की निष्पत्ति से मेल खाता है तथा वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त कारणों के लिए रकम रखलेना ठेके की आवश्यकता है। प्रत्येक मील का पत्थर भुजतान के विशिष्ट प्रतिशत के रोक लेना कम्पनी के हित को सुरक्षित करता है जो ठेकेदार ठेका के अधीन पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं हो। अतएव सुत्रा जमा को प्रारंभिक पहचान तथा संशोधित लागत पर बाद में मापी गई कार्य निष्पादन लागत का स्वच्छ मूल्य माना जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय उपकरण का स्वच्छ मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में लेनदेन नहीं किया जाता उसका मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में न्यायोचित तरीके से उपयुक्त धारणा के अनुसार चुनकर कम्पनी इसका उपयोग करती है।

2. वित्तीय खतरा प्रबंधन

वित्तीय खतरों के प्रबन्धन का उद्देश्य तथा नीतियाँ

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देयतायें शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं को मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन को वित्त उपलब्ध कराना है तथा इसके संचालन की गारंटी का समर्थन करना है। कम्पनी के मुख्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ तथा नगद एवं नगद समतुल्य शामिल हैं जो इसके संचालन से सीधे सम्बद्ध हैं। कम्पनी बाजारी खतरा, उधार खतरा तथा तरलता खतरा से सीधे अनावृत हैं।

कम्पनी के उच्च प्रबन्धन इन खतरों के प्रबन्धन का अवलोकन करता है। कम्पनी का वरिष्ठ प्रबंधन खतरा समर्थित है जो वित्तीय खतरों कथा कम्पनी के ढाँचे में इसे खतरों के प्रबन्धन में उपयुक्त सलाह देती है। यह खतरा सीमित कम्पनी के निदेशक मंडल को आश्वासन उपलब्ध कराती है जो कि कम्पनी के वित्तीय खतरे उपयुक्त नीतियों तथा तरीकों से प्रबन्धित है तथा वित्तीय खतरों की पहचान करके माप करके तथा कम्पनी की नीतियों तथा खतरों के उद्योग के अनुसार प्रबन्धित की जाती है। कम्पनी का निदेशक मंडल इन प्रत्येक खतरा के प्रबन्धन की समीक्षा करके नीतियों पर अपनी सहमति प्रकट करता है, इन्हें नीचे दिया गया है।



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

कम्पनी बाजार खतरा, उधार खतरा तथा तरलता खतरा के प्रति अनावृत है। यह टिप्पणी खतरे के स्रोत की व्याख्या करता है जो पूरी तरह अनावृत है तथा कम्पनी किस प्रकार इन खतरों का प्रबन्धन करती है तथा वित्तीय विवरण में एवं लेखांकन में इसका कितना प्रभाव है।

खतरा	अनावृत स्रोत	माप	प्रबन्धन
उधार खतरा	नगद तथा नगद समतुल्य व्यापारिक प्राप्तियाँ परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	पुरानी विश्लेषण	सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश) बैंक जमा की विविधता उधार सीमा, तथा अन्य प्रतिमूर्ति
तरलता खतरा	उधार तथा अन्य देयतायें	सावधि नगद प्रवाह	उपलब्ध उधार सुविधा तथा प्रतिवद्ध उधार मार्ग
बाजार खतरा विदेशी विनिवेश	भावी व्यापारिक लेनदेन, स्वीकृत वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा आईएनआर में गैर नामांकित देयतायें	नगद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	नियमित आकलन तथा लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा
बाजार खतरा ब्याज दर	नगद तथा नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्युचुअल फंड	नगद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश) नियमित आकलन तथा लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा

कम्पनी की खतरा प्रबन्धन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी डी पीई के दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अधिक तरलता के निवेश सहित नीतियाँ तथा समग्र खतरा प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित नीति बोर्ड उपलब्ध कराती है।

2.क) **उधार खतरा :** उधार खतरा नगद तथा नगद समतुल्य, परिशोधन लागत पर निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों ने जमा के साथ साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

2.क.अ. **उधार खतरा प्रबन्धन :** बृहद आर्थिक सूचना (जैसे नियंत्रक परिवर्तन) ई ऑक्सन के पदों तथा इंधन आपूर्ति सहमति के अंश पर लागू होतार है।

2.क.ब) इंधन आपूर्ति सहमति (एफएसए)

एनसीडीपी (न्यू को डिस्ट्रीब्यूशक पॉलिसी) के पदों की सहमति के अनुसार तथा इसपर विचार करते हुए कम्पनी अपने ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप लागू एफएसए करती है जो कि बाद में अंति ग्राहक के साथ उपयुक्त वितरण समझौते में बदल जाता है। यह एफएसए मुख्य रूप में निम्नलिखित में वर्णीकृत किया जा सकता है।

- राज्य विद्युत उपभोक्ता, निजी विद्युत उपभोक्ता (“पीपीयू” तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (“आईपीपी”) सहित ग्राहकों के साथ विद्युत उपयोग क्षेत्र में एफएसए।
- गैर विद्युत उद्योगों (निजी विद्युत संयंत्र (“सीपीयी”)) के ग्राहकों के साथ एफएसए)
- राज्य सरकार द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए।

2.क.स. ई-ऑक्सन योजना

जो ग्राहक विभिन्न कारणों से एसीडीपी के अधीन उपलब्ध संस्थागत तरीकों से द्वारा अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे उनके पास कोयला की पहुँच को बनाने के लिए ई-ऑक्सन योजना लागू की गई। जैसे एमसीडीपी के अधीप अपनी सामान्य आवश्यकता के आवंटन से कम आवश्यकता, जैसम के अनुसार कोयला की आवश्यकता तथा कोयला की सीमित आवश्यकता जिसके लिए लम्बी अवधि के लिंकेज की आवश्यकता नहीं होगी। ई-ऑक्सन के अंतर्गत उपलब्ध कराने योग्य कोयला की मात्रा की समीक्षा समय समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है।

2.क.द. अपेक्षित उदार हानि :

अपेक्षित उधार हानि के लिए प्रावधान कम्पनी संदिग्ध / उधार दुर्वल परिसम्पत्तियों द्वारा आजीवन अपेक्षित उधार हानि (सरलीकृत पद्धति) के माध्यम से अपेक्षित उधार खतरा हानि उपलब्ध कराती है।

i) 31.03.2018 को सरलीकृत पद्धति के अधीन अपेक्षित उधार हानि के लिए व्यापारिक प्राप्तियाँ

अवधि	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 वर्ष से से बकाया	2 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से अधिक से बकाया	कुल
कुल वहन राशि	480.31	129.46	92.79	219.77	275.65	277.92	1475.90
अपेक्षित हानि दर (%)	1.17%	2.24%	3.39%	4.74%	14.11%	93.70%	21.78%
अपेक्षित उधार हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	5.64	2.90	3.15	10.42	38.89	260.42	321.42

ii) 31.03.2017 को सरलीकृत पद्धति के अधीन अपेक्षित उधार हानि के लिए व्यापारिक प्राप्तियाँ

	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 वर्ष से से बकाया	2 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से अधिक से बकाया	कुल
कुल वहन राशि	360.96	148.40	402.56	685.46	158.48	222.73	1978.59
अपेक्षित हानि दर (%)	1.72%	3.61%	6.60%	3.65%	22.87%	96.26%	15.41%
अपेक्षित उधार हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	6.20	5.35	26.57	25.06	36.24	255.48	304.90

iii) हानि भत्ता प्रावधान का सामंजस्य-व्यापारिक प्राप्तियाँ

हानि भत्ता 01.04.2017 को	304.90
हानि भत्ता में परिवर्तन	16.52
हानि भत्ता 31.03.2018 को	321.42

	31.03.2018	31.03.2017
सकल वहन राशि (रु. करोड़ में)	1475.90	1978.59
अनुमानित हानि दर	21.78%	15.41%
अनुमानित उधार हानि भत्ता (रु. करोड़ में)	321.42	304.90

वित्तीय परिसम्पत्तियों की निर्णय दुर्बलता तथा विशिष्ट आकलन : वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए दुर्बलता प्रावधान जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है वह स्वतः और अनुमानित हानि दर के पुर्वानुमान पर आधारित है। कम्पनी इन निर्णयों को पूर्वानुमानों को बनाने तथा दुर्वल गणना इतिहास निवेश चुनने में करती है जो कम्पनी के विगत इतिहास वर्तमान बाजार स्थिति तथा प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के अंत में अग्रसेच पर आधारित है।

2.ख) तरलता खतरा

दूरदर्शी तरलता खतरा प्रबन्धन, पर्याप्त नगद तथा बेचने योग्य सिक्युरिटी रखने तथा प्रतिबद्ध उछार सुविधा सहित पर्याप्त मात्रा में निधि की उपलब्धता ताकि बकाया होने पर दायित्व पूरा करने योग्य स्थिति पर निर्भर है।

व्यापार की गतिशील प्रकृति के कारण कम्पनी का खजाना प्रतिबद्ध उधार की पद्धति के अधीन निधि की उपलब्ध में लचीलापन बनाए रखती है। प्रबन्धन कम्पनी की तरलता की स्थिति तथा नगद एवं नगद समतुल्य में अपेक्षित नगद प्रवाह के आधार पर भविष्य व्यापारी निम्नलिखित समाविष्ट उदार सुविधा। यह सामान्य तौर पर कम्पनी द्वारा तय सीमा तथा तरीके के साथ समूह में स्थानीर स्तर पर संचालन कम्पनियों द्वारा चलाया जाता है।



ग) बाराज में खतरे

क) विदेशी मुद्रा के खतरे

कम्पनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा विनियम खतरे से सम्मुखीन है। कम्पनी आयात भी करती है इसलिए खतरों की नियमित देखभाल करती है। कम्पनी की नीति है जिसे जब विदेशी मुद्रा से विशेष खतरा हो तब लागू करती है।

ख) नगद प्रवाह तथा स्वच्छ मूल्य व्याज दर खतरा :

कम्पनी का मुख्य व्याज दर खतरा बैंक जमा से उत्पन्न होता है जो कि व्याज दर में परिवर्तन से कम्पनी को नगद प्रवाह व्याजदर खतरे के सम्मुखीन कर देता है। कम्पनी की नीति अपने अधिकांश जमा को स्थिर दर पर रखने की है।

कम्पनी बैंक जमा उधार सीमा तथा अन्य प्रतिमूर्तियों की विविधता को सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का उपयोग कर खतरे का प्रबन्धन करती है।

पूँजीगत प्रबन्धन

कम्पनी चूंकि एक सरकारी हस्ती है इसलिए अपनी पूँजी का प्रबन्धन वित्त मंत्रालय के निवेश विभाग तथा सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कम्पनी की पूँजीगत संरचना निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
इकिटी शेयर पूँजी	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45
प्रीफरेंश शेयर पूँजी	855.61	855.61	855.61	855.61
लम्बी अवधि के क्रण				
ईडीसी क्रण - गैर वर्तमान	155.01	161.01	168.00	164.33
ईडीसी क्रण - वर्तमान	6.19	6.19	6.14	5.88
लम्बी अवधि का उधार (प्रीफ. शेयर)	1537.16	1423.30	1317.87	1220.25

इंडएएस 8 के पैराग्राफ 49 के अनुसार लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलन में परिवर्तन तथा भूलें :

विवरण	भूलों से संबंधित अवधि	तिमाही (जिसके लिए पीपीए लाभ समजित) करोड़ रु. में	अवधि (जिसके लिए पीपीए का लाभ समजित करोड़ रु. में)	वर्ष जिसके लिए पीपीए का लाभ समजित करोड़ रु. में
Total Comprehensive Income attributable to owners of the company reported earlier	0.00	0.00	0.00	0.00
Adjustment for prior period items	0.00	0.00	0.00	0.00
Each individual Head of expenditure adjusted for PPA (Prefer Name as written on face of P&L)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comprehensive income attributable to owners of the company(Restated)	0.00	0.00	0.00	0.00



3. कर्मचारी सुविधायें : पहचान तथा माप (इंड ए एस – 19)

3.क) भविष्य निधि :

कम्पनी कोयला खान भविष्य निधि (कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड) (सी एम पी एफ) नामक एक अतिरिक्त ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि तथा पेन्सन निधि के लिए निश्चित अंशदान करती है। जो कि निधि को अनुमति प्राप्त प्रतिमूर्तियों में निवेश करती है। वर्ष के दौरान निधि के रूप में अंशदान रु 389.00 करोड़ (रु 375.02 करोड़) था तथा इसे लाभ तथा हानि लेखा (टिप्पणी 28) में पहचान दिया गया है।

3.ख) कम्पनी निम्नलिखित कुछ मूर्त लाभदायक योजनाओं को भी संबंधित करती है जिसका मूल्यांकन वास्तविक आधार पर किया जाता है वित्तपोषित :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्रेच्युइटी ➤ जीवन रक्षा योजना ➤ समूह निजी दुर्घटना बीमा ➤ खान दुर्घटना के आश्रितों को क्षतिपूर्ति सुविधा | <ul style="list-style-type: none"> ➤ छुट्टी भुनाना ➤ स्थानांतरण भत्ता ➤ चिकित्सा सुविधा ➤ छुट्टी यात्रा सुविधा |
|--|--|

31.03.2018 को वास्तविक मूल्यांकन आधार पर जिसका विवरण निम्नलिखित है, कुल देयता रु 5016.88 करोड़ थी।

31.03.2018 को वास्तविक देयता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	01-04-2017 को वास्तविक प्रारंभिक देयता	वर्ष के दौरान बढ़ि आधारित देयता	अंतिम वास्तविक देयता 31-03-2018 को
i)	ग्रेच्युइटी	2,622.02	1467.20	4089.22
ii)	अर्जित अवकाश	621.19	-26.05	595.14
iii)	अर्ध वेतन अवकाश	76.89	-25.21	51.69
iv)	छुट्टी यात्रा सुविधा - अधिकारी	17.79	-0.14	17.65
v)	छुट्टी यात्रा सुविधा - गैर अधिकारी	26.84	0.34	27.18
vi)	जीवन रक्षा योजना - अधिकारी	0.53	-0.06	0.47
vii)	जीवन रक्षा योजना - गैर अधिकारी	17.58	-1.27	16.31
viii)	स्थानांतरण भत्ता - अधिकारी	8.84	-1.27	7.57
ix)	स्थानांतरण भत्ता - गैर अधिकारी	30.71	-1.33	29.38
x)	जानलेवा खान दुर्घटना	40.35	-3.09	37.26
xi)	समूह निजी दुर्घटना बीमा योजना	0.14	-0.02	0.12
xii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा - अधिकारी के लिए	133.52	-3.91	129.61
xiii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा - गैर अधिकारी के लिए	9.36	5.91	15.27
	कुल	3,605.76	1411.11	5016.88

3.ग) बीमांकिक के प्रमाणपत्र के अनुसार घोषणा :

ग्रेच्युइटी (वित्तपोषित) तथा छुट्टी भुनाने (वित्तपोषित) के लिए कर्मचारियों के प्रमाण पत्र की घोषणा निम्नलिखित है:



इंस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

31.03.2018 को ग्रैच्युइटी के वास्तविक मूल्यांकन की देयता

इंडएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

सारणी 1 : घोषणा मद्

(₹ करोड़ में)

क्रम	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31-03-2018	31-03-2017
1	पिछले मूल्यांकन दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,622.02	2,559.37
2	वर्तमान सेवा लागत	161.53	180.86
3	व्याज लागत	192.15	175.03
4	प्रतिभागी अंशदान	-	-
5	योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित अंश (विगत सेवा)	1,534.76	-
6	योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
7	वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	(180.27)	143.26
8	जन सांदिग्य की आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
9	अप्रत्याशित अनुभव के कारण देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	18.69	(146.24)
10	अन्य कारण से देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
11	विदेशी मुद्रा विनियम दर में परिवर्तन अप्रभाव	-	-
12	प्रदत्त सुविधा	259.66	290.26
13	अधिग्रहण समंजन	-	-
14	दायित्व का निर्वहन / स्थानांतरण	-	-
15	कटौती लागत	-	-
16	स्थायित्व लागत	-	-
17	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अन सुलझा दायित्व)	-	-
18	मूल्यांकन तिथि पर वर्तमान मूल्य	4,089.22	2,622.02

सारणी 2 : घोषणा मद्

(₹ करोड़ में)

क्रम	योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन पर स्वच्छ मूल्य	31-03-2018	31-03-2017
1	अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	2,665.25	2,570.54
2	व्याज आय	205.49	186.36
3	नियोक्ता का अंशदान	253.93	165.00
4	भागीदार का अंशदान	-	-
5	अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	-	-
6	स्थायित्व लागत	-	-
7	प्रदत्त सुविधायें	259.66	290.26
8	परिसम्पत्ति हृदर्दी का प्रभाव	-	-
9	विदेशी मुद्रा विनियम दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10	प्रशासनिक खर्च तथा बीमा प्रीमियम	-	-
11	व्याज आय छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर वापसी	2.06	33.61
12	मापी गई अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	2,867.07	2,665.25



सारणी 3 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	तुलनपत्र का सामंजस्य प्रदर्शन सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1	वित्तपोषित स्थिति	(1,222.15)	(43.23)
2	अमान्य गत सेवा लागत	-	-
3	अवधि के अंत में अमान्य वास्तविक लाभ / हानि	-	-
4	माप के बाद की तिथि पर नियोक्ता द्वारा अंशदान (अनुमाणित)	-	-
5	अवित्तपोषित जमा / पूर्व प्रदत्त पेन्दन लागत	-	-
6	निधि परिसम्पत्ति	2,867.07	2,665.25
7	निधि देयता	4,089.22	2,622.02

सारणी 4: घोषणा मद

क्रम	योजना परिकल्पना सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1.	छूट दर	7.71%	7.25 %
2.	योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानिक मुनाफा	7.71%	7.25 %
3.	क्षतिपूर्ति वृद्धि (वेतन मुद्रा स्फीति) की दर	9.00% आधिकारियों के लिए 6.25% गैर आधिकारियों के लिए	6.50% गैर आधिकारियों के लिए
4.	पेन्सन वृद्धि की दर	N/A	N/A
5.	औसत आनुमानित भावी सेवा (शेष कार्य काल)	12	12
6.	दायित्व की औसत अवधि	12	12
7.	मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम 2006-2008 अंतिमतः	
8.	सेवा निवृति की उम्र - पुरुष	60	60
9.	सेवा निवृति की उम्र - महिला	60	60
10.	शीघ्र सेवानिवृति तथा अक्षमता (सभी मामलों में संयुक्त)	0.30 %	1.00 %

सारणी 5 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	लाभ / हानि विवरण में स्वीकृत खर्च	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्तमान सेवा लागत	161.53	180.86
2	विगत सेवा लागत (निहित)	1534.76	-
3	विगत सेवा लागत (अविहित)	-	-
4	शुद्ध व्याज लागत	(13.34)	(11.33)
5	भुगतान पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
6	कटौती पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
7	गत वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
8	कर्मचारी अनुमानित अंशदान	-	-
9	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10	लागत लाभ (लाभ / हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च)	1,682.94	169.53



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

सारणी 6 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य विस्तृत आय	31-03-2018	31-03-2017
1	वित्तीय परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	(180.27)	143.26
2	जनसांख्यिकी परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
3	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	18.69	(146.24)
4	अन्य कारण से दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
5	कुल बीमांकिक लाभ/हानि	(161.57)	(2.98)
6	व्याज आय के अतिरिक्त योजना परिसम्पत्ति पर मुनाफा	2.06	33.61
7	परिसम्पत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
8	अवधि के अंत में शेष	(163.63)	(36.58)
9	ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए शुद्ध (आय)/खर्च	(163.63)	(36.58)

सारणी 7 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	आय अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति के आवंटन की सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1	नगद तथा नगद समतुल्य	-	-
2	निवेश निधि	-	-
3	अमौलिक (संज्ञात)	-	-
4	परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूति	-	-
5	संरचनाकृत ऋण	-	-
6	वास्तविक भूसम्पत्ति	-	-
7	विशेष जमा योजना	-	-
8	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
9	भारत सरकार की परिसम्पत्ति	-	-
10	सामूहिक प्रतिक्षापत्र (बान्ड)	-	-
11	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12	वार्षिकी ठेका / बीमा निधि	-	-
13	अन्य	-	-
	कुल	-	-

सारणी 8 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का कुल आवंटन में प्रतिशत सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1	नगद तथा नगद समतुल्य	-	-
2	निवेश निधि	-	-
3	अमौलिक (संज्ञात)	-	-
4	परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूति	-	-
5	संरचनाकृत ऋण	-	-
6	वास्तविक भूसम्पत्ति	-	-
7	विशेष जमा योजना	-	-
8	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
9	भारत सरकार की परिसम्पत्ति	-	-
10	सामूहिक प्रतिक्षापत्र (बान्ड)	-	-
11	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12	वार्षिकी ठेका / बीमा निधि	-	-
13	अन्य	-	-
	कुल	-	-



सारणी 9 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

मृत्यु संख्या सारणी	
उम्र	मृत्यु संख्या (प्रति वर्ष)
25	0.0009840
30	0.0010560
35	0.0012820
40	0.0018030
45	0.0028740
50	0.0049460
55	0.0078880
60	0.0115340
65	0.0170085
70	0.0258545

सारणी 10 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2017		31-03-2018	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि
2,522.65	2,722.18	छूट दर (-/+ 0.5%)	3,953.50
-3.79%	3.82%	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	-3.319%
2,646.67	2,598.69	वेतन में वृद्धि (-/+ 0.5%)	4,182.37
0.94%	-0.89%	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	2.278%
2,629.62	2,613.63	अपर्धर्षण दर (-/+ 0.5%)	4,092.49
0.29%	-0.32%	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	0.080%
2,642.74	2,602.62	मृत्यु की दर (-/+ 10%)	4,113.35
0.79%	-0.74%	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	-0.590%

सारणी 11 : घोषणा मद

नगद प्रवाह सूचना सारणी

	भारतीय रूपए (₹ करोड़ में)
आगामी वर्ष कुल (अनुमानित)	4158.06
न्यूनतम वित्तपोषण आवश्यकताएं	1518.06
कम्पनी की विवेकशीलता	शून्य



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

सारणी 12 : घोषणा मद

क्रम.	आकस्मित भावी भुगतान सूचना लाभ सारणी (विगत सेवा)	
	वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	1	454.01
2	2	465.05
3	3	452.30
4	4	444.37
5	5	429.02
6	6 से 10	2,209.91
7	10 वर्ष से अधिक	3,350.84
8	कुल बिना छूट भुगतान (विगत तथा भावी सेवा)	-
9	विगत सेवा से संबंधित कुल बिना छूट भुगतान	7,805.51
10	व्याज के लिए कम छूट	3,716.29
11	प्रस्तावित देयता लाभ	4,089.22

सारणी 13 : घोषणा मद

अगली अवधि में शुद्ध सावधि अगले वर्ष के घटकों पर लाभ लागत

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
1	वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि	163.75
2	अगली अवधि में व्याज लागत	297.78
3	योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानित लाभ	315.28
4	गत सेवा लागत अस्वीकृत	-
5	अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक लाभ हानि	-
6	व्यवस्थापन लागत	-
7	छूट / कमी लागत	-
8	अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	-
9	सुविधा लागत	146.24

सारणी 14 : घोषणा मद

माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानित लाभ की सारणी

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्तमान देयता	438.71	267.48
2	गैर वर्तमान देयता	3,803.72	2,354.55
3	शुद्ध देयता	4,089.22	2,622.02



**31.03.2018 को छुट्टी भुनाने के लाभ (अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश) का बीमांकन मूल्यांकन
इंडएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र**

वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आकलन अनुमान पर आधारित मूल्यांकन की एक झलक निम्नलिखित है।

परणी 1 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31-03-2018	31-03-2017
1	पिछले मूल्यांकन दायित्व का वर्तमान मूल्य	698.09	541.50
2	वर्तमान सेवा लागत	70.25	103.26
3	व्याज लागत	50.73	35.43
4	प्रतिभागी अंशदान	-	-
5	योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
6	योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
7	वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	(33.87)	68.60
8	जन संखियकी आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
9	अप्रत्याशित अनुभव के कारण देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	(58.10)	54.96
10	अन्य कारण से देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
11	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन अप्रभाव	-	-
12	प्रदत्त सुविधा	80.27	105.66
13	अधिग्रहण समंजन	-	-
14	दायित्व का निर्वहन / स्थानांतरण	-	-
15	कटौती लागत	-	-
16	स्थायित्व लागत	-	-
17	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अन सुलझा दायित्व)	-	-
18	मूल्यांकन तिथि पर वर्तमान मूल्य	646.83	698.09

पारणी 2 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन पर स्वच्छ मूल्य	31-03-2018	31-03-2017
1	अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	378.62	-
2	व्याज आय	29.19	15.17
3	नियोक्ता का अंशदान	160.02	470.02
4	भागीदार का अंशदान	-	-
5	अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	-	-
6	स्थायित्व लागत	-	-
7	प्रदत्त सुविधायें	80.27	105.66
8	परिसम्पत्ति हदबंदी का प्रभाव	-	-
9	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10	प्रशासनिक खर्च तथा बीमा प्रीमियम	-	-
11	व्याज आय छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर वापसी	4.17	(0.91)
12	मापी गई अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	491.73	378.62



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

सारणी 3 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	तुलनपत्र का सामंजस्य प्रदर्शन सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1	वित्तपोषित स्थिति	(155.10)	(319.47)
2	अमान्य गत सेवा लागत	-	-
3	अवधि के अंत में अमान्य वास्तविक लाभ / हानि	-	-
4	माप के बाद की तिथि पर नियोक्ता द्वारा अंशदान (अनुमाणित)	-	-
5	अवित्तपोषित जमा / पूर्व प्रदत्त पेन्सन लागत	-	-
6	निधि परिसम्पत्ति	491.73	378.62
7	निधि देयता	646.83	698.09

सारणी 4: घोषणा मद

क्रम	योजना परिकल्पना सारणी	31-03-2018	31-03-2017
1.	छूट दर	7.71%	7.25 %
2.	योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानिक मुनाफा	7.71%	7.25 %
3.	क्षतिपूर्ति वृद्धि (वेतन मुद्रा स्फीति) की दर	9.00% आधिकारियों के लिए 6.25% गैर आधिकारियों के लिए	6.50% गैर आधिकारियों के लिए
4.	पेन्सन वृद्धि की दर	N/A	N/A
5.	औसत आनुमानित भावी सेवा (शेष कार्य काल)	12	12
6.	दायित्व की औसत अवधि	12	12
7.	मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	
8.	सेवानिवृति की उम्र - पुरुष	60	60
9.	सेवानिवृति की उम्र - महिला	60	60
10.	शीघ्र सेवानिवृति तथा अक्षमता (सभी मामलों में संयुक्त)	0.30 %	1.00 %
11.	स्वैच्छिक सेवा निवृति	उपेक्षित	उपेक्षित

सारणी 5 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	लाभ / हानि विवरण में स्वीकृत खर्च	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्तमान सेवा लागत	70.25	103.26
2	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3	विगत सेवा लागत (अविहित)	-	-
4	शुद्ध व्याज लागत	21.54	20.25
5	भुगतान पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
6	कटौती पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
7	गत वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	(96.14)	124.47
8	कर्मचारी अनुमानित अंशदान	-	-
9	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10	लागत लाभ (लाभ / हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च)	(4.35)	247.99



सारणी 6 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य विस्तृत आय	31-03-2018	31-03-2017
1	वित्तीय परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
2	जनसांख्यिकी परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
3	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
4	अन्य कारण से दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
5	कुल बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
6	व्याज आय के अतिरिक्त योजना परिसम्पत्ति पर मुनाफा	-	-
7	परिसम्पत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
8	अवधि के अंत में शेष	-	-
9	ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए शुद्ध (आय)/खर्च	-	-

सारणी 7 : घोषणा मद

मृत्यु संख्या सारणी	
उम्र	मृत्यु संख्या (प्रति वर्ष)
25	0.0009840
30	0.0010560
35	0.0012820
40	0.0018030
45	0.0028740
50	0.0049460
55	0.0078880
60	0.0115340
65	0.0170085
70	0.0258545

सारणी 8 : घोषणा मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2017		31-03-2018	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि
672.82	723.78	छूट दर (-/+ 0.5%)	622.54
-3.62%	3.68%	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	-3.755%
723.64	675.12	वेतन में वृद्धि (-/+ 0.5%)	672.78
3.66%	-3.29%	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	4.013%
698.64	697.53	अपर्धर्षण दर (-/+ 0.5%)	647.47
0.08%	-0.08%	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	0.100%
701.02	695.22	मृत्यु की दर (-/+ 10%)	650.67
0.42%	-0.41%	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	0.595%



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

सारणी 9 : घोषणा मद

क्रम.	आकस्मित भावी भुगतान सूचना लाभ सारणी (विगत सेवा)	
	वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	1	63.11
2	2	67.74
3	3	63.75
4	4	65.91
5	5	64.73
6	6 से 10	342.02
7	10 वर्ष से अधिक	741.53
8	कुल बिना छूट भुगतान (विगत तथा भावी सेवा)	-
9	विगत सेवा से संबंधित कुल बिना छूट भुगतान	1408.79
10	व्याज के लिए कम छूट	761.97
11	प्रस्तावित देयता लाभ	646.83

सारणी 10 : घोषणा मद

माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानित लाभ की सारणी

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्तमान देयता	60.99	61.18
2	गैर वर्तमान देयता	585.84	636.91
3	शुद्ध देयता	646.83	698.09

4. मान्यताविहीन मद

4.क) आवश्यक देयतायें

कम्पनी का विरुद्ध अनभिस्वीकृत ऋण के दावे (व्याज सहित जहाँ लागू हो)

ऋण के रूप में कम्पनी के विरुद्ध अनभिस्वीकृत दावे

(₹ करोड़ में)

	31-03-2018	31-03-2017
1. केन्द्रीय सरकार रॉयलटी केन्द्रीय उत्पाद कर आय कर सेवा कर	- 777.55 804.19 51.47	- 652.36 393.18 36.54
2. राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारी विक्रय कर, आई सेस, पीई सेस	3347.72	1205.06
3. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम कम्पनी के विरुद्ध विवादाधीन मामले		
4. अन्य (कर्मचारी तथा ठेकेदार संबंधी इत्यादि)	713.29	705.29
कुल योग	5694.22	2992.43



4.ख) सारणी :

(₹ in Crore)

क्रम.	विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य देवतायें	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01-04-2017 को आरम्भ	1082.08	1205.06	0.00	705.29	2992.43
2	वर्ष के दौरान योग	587.67	2147.25	0.00	21.00	2755.92
3	वर्ष के दौरान सुलझाए गए दावे					
	क) प्रारंभिक शेष से	-36.54	-4.59	0.00	-13.00	-54.13
	ख) वर्ष के दौरान योग से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	31-03-2018 को अंतिम शेष	1633.21	3347.72	0.00	713.29	5694.22

4.ग) सारणी :

न्यायालय	31-03-2018 के मामलों की संख्या	31-03-2017 के मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	23	22
उच्च न्यायालय	548	480
जिला न्यायालय	402	377
सी जी आई टी	279	234
अन्य मंच	359	291

4.घ) सारणी :

क्रम.	विवरण	31-03-2018 को (₹ करोड़ में)	31-03-2017 को (₹ करोड़ में)
1	आयकर- आईटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दर्ज अपील	435.31	214.88
2	आयकर- सीआईटी (अपील) के समक्ष दर्ज अपील	320.26	129.69
3	आयकर- आईटीएटी के समक्ष दर्ज अपील	48.62	48.62
4	सेवाकर- सीईएसटीएटी के समक्ष विभिन्न मामलों में दर्ज अपील	51.47	36.54
5	केन्द्रीय उत्पाद कर सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष रायल्टी तथा अन्य पर उत्पाद कर से संबंधित दर्ज अपील	760.85	610.76
6	केन्द्रीय उत्पाद कर- सीसीई के समक्ष दर्ज अपील	16.71	41.60
7	प्रवेश कर, विक्री कर, सीएटी-उच्च न्यायालय/ट्रिब्यूनल के समक्ष दर्ज अपील	84.24	128.80
8	कम्पनी के विरुद्ध कर्मचारियों/ठेकेदारों तथा अन्य द्वारा मध्यस्थता, एएलसी, आरएसपी तथा विभिन्न न्यायालयों में दर्ज परिवाद	692.47	678.16
9	वन विभाग तथा अन्य भूमि मामे - मांग प्रस्तुत पर क्रण के रूप में स्वीकृत नहीं	20.81	20.86
10	अन्य (वैट, सीएसटी, आई, पीई सेस इत्यादि)	1083.47	1082.52
11	झारखण्ड राज्य तथा धनबाद जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अधीन अवैध खनिज के खनन के लिए अर्थदण्ड की मांग	2178.14	0.00
12		1.87	0.00
	कुल	5694.22	2992.43



इंस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड

झारखण्ड संकार ने खान तथा खनिज (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1957 के अधीन अवैध तथा गैर कानूनी तरीके से खनन किए गए खनिज के लिए रु. 2178.4 करोड़ का अर्थदण्ड लागाया है। झारखण्ड राज्य तथा जिला खनन पदाधिकारी धनबाद के राजमहल क्षेत्र संथाल परगणा खनि समूह तथा मुगमा क्षेत्र को उपरोक्त अर्थदण्ड का उल्लेख करते हुए एक माँग पत्र जारी किया है। इसीएलके मु.म.प्र. (मुख्य प्रभारी), राजमहल, एस पी मार्ईन्स, मुगमा क्षेत्र ने रिविजनल अर्थोरिटी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष 11 पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें झारखण्ड राज्य द्वारा आरोपित उल्लंघन के विरुद्ध जारी किए गए दावे को चुनौती दी गई है।

कोयला मंत्रालय द्वारा उपरोक्त पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है तथा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ पढ़े जाने पर खनिज छूट नियमावली 1960 (मिनरल कमसेसेन रूल 1960) के नियम 55 के अधीन प्रदत्त अधिकार को लागू करते हुए इन 11 उपरोक्त वर्जित सूचनाओं के निष्पादन पर रोक लगा दी गई है।

कोयला मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि आवेदक के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा मांगपत्र के लिए कोई अवपीड़क करवाइ नहीं की जानी चाहिए। झारखण्ड सरकार के निर्देश दिया गया है कि पुनर्विचार आवेदन के बारे में पुनर्विचार आवेदन की प्रतिलिपि गामी किए गाने की तिथि से तीन महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए। पुनर्विचार आवेदन का जवाब झारखण्ड सरकार द्वारा भी तक आवेदक आपत्ति इसीएल के राजमहल क्षेत्र को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए अप्रसारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में इसीएल के राजमहल, संथाल परगणा खनि समूह, मुगमा क्षेत्र ने प्रथम दृष्टया एक मामला बानाया है तथा सुविधा का शेष पुनर्विचार आवेदन के निर्ण के बावजूद उनके पक्ष में है।

4.ड) प्रावधान :

कर्मचारी सुविधा से संबंधित को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों को स्थिति तथा गतिविधि जो 31.03.2017 को बीमांकिक मूल्यांकित किए गए निम्नलिखित हैं :

प्रावधान	01-04-2017 को आर्थिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान समंजित वट्टे खाते	खुलती हुई ^{छूट}	31-03-2018 को अंतिम शेष
टिप्पणी 3:-सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण परिसम्पत्ति का मूल्य हास परिसम्पत्ति की दुर्वलता	419.55 33.31	380.27 59.02	8.92 -	- -	808.74 92.33
टिप्पणी 4- पूंजीगत चालू कार्य : सी डब्ल्यू आई पी के विरुद्ध	0.64	4.70	(0. 25)	-	5.08
टिप्पणी 5:- परिसम्पत्ति का अन्वेषण तथा मूल्यांकन प्रावधान तथा मूल्य हास	-	-	-	-	-
टिप्पणी 8:- क्रण : अन्य क्रण	-	-	-	-	-
टिप्पणी 9:- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ अनुषंगी कम्पनियों में चालू खाता : प्राप्य दावे अन्य प्राप्तियाँ	- - 3.26	- -	- -	- -	- 3.26
टिप्पणी 10: अन्य अवर्तमान परिसम्पत्तियाँ अन्वेषणीय भूवेधन कार्य सुरक्षा जमा के विरुद्ध उपयोगिता के लिए	- 1.52	- -	- -	- -	- 1.52
टिप्पणी 11: अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ अग्रिम तथा राजस्व : संवैधानिक बकाया के विरुद्ध अग्रिम भुगतान	0.15	-	-	-	0.15



अन्य जमा अन्य प्राप्तियाँ	- 0.30	- -	- (0.68)	- -	- 0.30
टिप्पणी 12: सम्पत्ति सूची : कोयला का स्टॉक भंडार (सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक)	1.76 42.84	- 1.65	(0.68) -	- -	1.08 321.42
टिप्पणी 13: व्यापारिक : बुरे तथा संदिग्ध क्रठों के लिए प्रावधान	304.90	16.52	-	-	321.42
टिप्पणी 21 :- गैर वर्तमान तथा वर्तमान प्रावधान परफार्मेंस रिलेटेड पे एनसीडब्ल्यूए - X स्थल पुनःस्थापन अन्य	144.26 453.04 521.87 3099.05	- 391.38 45.93 1482.32	(104.49) - - -	- - - -	39.77 844.42 567.80 4581.37

4.च) वचनबद्धता :

ठेके की आकलित राशि जो पूँजीगत खाते में कार्यान्वित लिए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए :

- पूँजीगत खाते में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराई गई राशि रु 250.57 करोड़ (रु 254.07 करोड़) है।
- राजस्व खाते में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराई गई राशि रु 1257.31 करोड़ (रु 3081.96 करोड़) है।

4.छ) उधार पत्र :

31.03.2018 को बकाया उधार पत्र (एलओसी) रु 25.88 करोड़ (रु 131.39 करोड़) तथा बैंक प्रतिभूति रु 37.64 करोड़ (रु. 40.97 करोड़) है।

4.ज) सरकारी सहायता

इंड ए एस - 20 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन तथा सरकारी सहायता का प्रकटीकरण : 31 मार्च 2018 को समाप्त नौ महीनों की अवधि के लिए ली गई बालू भरण (स्टोइंग) तथा प्रतिरक्षण (प्रोटेक्टिव) कार्य के लिए सहायता रु 23.93 करोड़ (रु 91.41 करोड़) को टिप्पणी 23 में “संचालन से राजस्व” में अन्य संचालन राजस्व के अंतर्गत दिखाया गया है। उसी के लिए प्राप्त रु 35.53 करोड़ (रु 79.44 करोड़) की सहायता को प्राप्त सहायता शीर्ष के अंतर्गत “अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति” के रूप में टिप्पणी 9 में दिखाया गया है।

5. अन्य सूचनायें

5.क) भाग प्रतिवेदन :

इंड ए एस - 108/11 के प्रावधान की सहमति में “संचालन भाग”, संचालन भाग का उपयोग जो सूचना की पहचान पर आधारित है उसका आंतरिक प्रतिवेदन बीओडी द्वारा भाग के स्रोत के आवंटन कार्य निष्पत्ति के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। इंड एएस 108 की परिभाषा कम्पनी के मुख्य संचालन के निर्णय कर्ता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल मानते हैं कि वर्तमान समय में कोयला का विक्रय एकमात्र प्रतिवेदन योग्य भाग है जो इस व्यापार का विशिष्ट उत्पाद है।

क्रम सं.	विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
i)	इक्टिटी शेयर धारकों को आरोपणीय करोपरांत शुद्ध लाभ	-931.17	6.13
ii)	बकाया इक्टिटी शेयर की भारित औसत संख्या	22184500	22184500
iii)	मूल्य तथा तनुकृत रूपयों में मूल तथा तथा तनुकृत प्रति शेयर शेयर आय	-419.74	2.76



<p>ड) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :</p> <p>मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक</p> <p>1) श्री ए के सिंह 2) श्री एस चक्रवर्ती 3) श्री आर आर मिश्रा 4) श्री के एस पात्र 5) श्री ए एम मराठे 6) श्री बी एन शुक्ला 7) श्री एस के झा</p> <p>अंशकालिक सरकारी निदेशक :</p> <p>1) श्री सी के डे 2) श्री विवेक भरद्वाज 3) श्री एन के सुधांसु</p> <p>स्वतंत्र निदाशक</p> <p>1) डा० (प्रो.) इंदिरा चक्रवर्ती</p> <p>कम्पनी सचिव</p> <p>1) श्री वी आर रेड्डी</p>	<p>अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार) (01.04.2018 से) अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार) 15.06.17 से 31.03.18 तक अ.प्र.नि. (23.11.2016 से 14.06.2017 तक) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त) (31.03.2018 तक) निदेशक संचालन (17.08.2016 से 16.08.2017 तक) निदेशक तकनीकी यो. परि./संचालन (19.12.2017 से)</p> <p>निदेशक (वित्त) कोल इंडिया लि. संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय (09.06.2017 से 30.10.2017 तक) संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय (30.10.2017 से)</p>
---	---

मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक का पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अप्रनि, पूर्णकालिक निदेशक तथा कम्पनी सचिव	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
i)	अल्प अवधि कर्मचारी सुविधा : कुल वेतन चिकित्सा सुविधा	1.08 0.02 0.45	0.85 0.00 0.08
ii)	नियोजन पश्चात सुविधा : भविष्य निधि तथा अन्य निधि में अंशदान	0.15	0.15
iii)	समापन सुविधा (अलग होने पर देय) छुट्टी का भुगतान ग्रैच्युइटी	0.33 0.40	0.00 0.00
	कुल बीमांकिक अनुग्रह राशि (ग्रैच्युइटी) तथा छुट्टी	2.43 0.96	1.18 1.37



टिप्पणी (i) बीमांकिक मूल्यांकन की परिभाषित सुविधाओं के आधार पर निदेशकों के उपरोक्त पारिश्रमिक में प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।
(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000.00 प्रतिमाह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए (सरकारी) कार को उपयोग की अनुमति है।

(₹ करोड़ में)

5.क.iii) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

क्रम		31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	पदस्थापन शुल्क	0.04	0.05

5.ख.iv) 31-03-2018 को शेष बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018 को	31-03-2017 को
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

5.ख.v) संबंधित पार्टी लेनदेन 31.03.2018 को कोल इंडिया लिमिटेड होल्डिंग कम्पनी के पास शेष ₹ 5,04,39,25,069.98 (देय) है।

5.ख.vi) संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन की प्रकृति :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों से लेनदेन में प्रविष्ट है जिसमें एपेक्स प्रभार, पुनर्वास प्रभार, सीएमपीडीआईएल खर्च, अनुसंधान तथा विकास खर्च, आईआईसीएम प्रभार तथा अन्य खर्च जो चालू खाता के माध्यम से ईसीएल की ओर से कोल इंडिया खर्च करती है शामिल है।

इंड एसस 24 के अनुसार विशिष्ट लेनदेन की राशि तथा प्रकृति के बारे में निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत है।

5.ग) करारोपण :

- स्थगित कर की गणना
- पिछली लेखांकन अवधि की तुलना में लागू कर की दर में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण।
- लेखांकन लाभ तथा कर खर्च (आय) के बीच सम्बन्ध।

(₹ करोड़ में)

	31-3-2018 को	31-3-2017 को
स्थगित कर :		
स्थिर परिसम्पत्ति से संबंधित	-13.79	7.10
स्थगित कर परिसम्पत्ति :		
संदिधि ऋणों दावों इत्यादि के लिए प्रावधान		
कर्मचारी विच्छेद तथा सेवा निवृत्ति	28.85	71.65
अन्य	654.19	109.22
कुल स्थगित कर परिसम्पत्ति	683.04	180.87
शुद्ध स्थगित कर परिसम्पत्ति/(स्थगित कर देयता) :	696.83	173.77



5.घ) लेखा में किए गए प्रावधान

धीमी गति / पुनः की हुई / अनुपयोगी भंडार सामग्री के लिए लेखा में प्रावधान, प्राप्य दावे, अग्रिम, संदिग्ध ऋण तथा संभावित हानि को पूरा करने हेतु पर्याप्त किए गए हैं।

5.इ) वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम इत्यादि प्रवन्धन की राय में, स्थिर परिसम्पत्ति के अतिरिक्त परिसम्पत्ति तथा गैर वर्तमान निवेश, व्यापार के सामान्य मामले में वसूली पर मूल्य रखता हैं। जो कि उस रकम के बराबर जिसे कहा गया है।

5.ज्ञ) वर्तमान देयताये

जहाँ वास्तविक देयता की माप सम्भव नहीं थी वहाँ आकलित देयता दी गई है।

5.ज) शेष का प्रमाणीकरण

शेष का प्रमाणीकरण / समंजन नगद तथा बैंक शेष, ऋण तथा अग्रिमों लम्बी अवधि की देयताओं तथा वर्तमान देयताओं के लिए किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

5.ज) सीआई एफ आधार पर आयात का मूल्य

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
i)	कच्चा माल	0.00	0.00
ii)	पूंजीगत माल	0.00	2.30
iii)	भंडार सामग्री, अतिरिक्त पुरजे तथा अन्य घटक	0.00	2.82

5.झ) विदेशी मुद्रा में खर्च :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
i)	यात्रा खर्च	0.13	0.34
ii)	प्रशिक्षण खर्च	0.00	0.00
iii)	सलाह प्रभार	0.00	0.00
iv)	व्याज	0.00	0.00
v)	भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	0.00	4.75
vi)	पूंजीगत सामग्री	0.00	151.89
vii)	अन्य	0.00	0.00



5.अ.) विदेशी मुद्रा में लाभ

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
i)	यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
ii)	प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
iii)	सलाह प्रभार	शून्य	शून्य

5.ट) भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों का उपभोग :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष		31-03-2017 को समाप्त वर्ष	
		मूल्य	% of total consumption	मूल्य	% of total consumption
i)	आयतित सामग्री	6.35	0.97%	3.15	0.45%
ii)	स्वदेशी	650.64	99.03%	690.10	99.55%
	कुल योग	656.99	100.00%	693.25	100.00%

5.ठ) कोयला तथा प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, क्रय, व्यापार तथा कोला का अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में तथा मात्रा लाख टन में)

विवरण	31-03-2018 को समाप्त वर्ष		31-03-2017 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक	25.55	414.79	50.54	570.74
उत्पादन	435.68	-	405.17	-
विक्रय	434.34	10626.01	428.08	9515.12
निजी उपभोग	1.95	58.05	2.08	63.34
बढ़े खाते डाले गए	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	24.94	334.96	25.55	414.79

5.ड) विशिष्ट लेखांकन नीति :

गत वर्ष के विरुद्ध विशिष्ट लेखांकन नीति (टिप्पणी - 2) में उपयुक्त रूप से संशोधित/पुनरेखित की गई है क्योंकि कम्पनी (भारतीय लेखांकन स्तर) नियमावली 2015 के अधीन सामूहिक मामला मंत्रालय (एमजीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन स्तर (इंडियन एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड्स-एएसएस की सहमति में कम्पनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति को स्पष्ट करना आवश्यक माना गया।



6. कोल इंडिया लिमिटेड की पुनःस्थापन तथा पुनर्वास नीति

परियोजना प्रभावित व्यक्तियो (पीएपी) की बदलती आकांक्षाओं तथा भूमि के तीव्र अधिग्रहण के लिए 2012 में कोल इंडिया लिमिटेड की पुनःस्थापना तथा पुनर्वास नीति संशोधित की गई। इसे उदार तथा पैप सहायक एवं अनुषंगी कम्पनियों के निदेशक मंडल के लिए अधिक लचीला बनाया गया। इस नीति में सामाजिक, आर्थिक सवेक्षण के लिए आधारभूत संरचना है ताकि सूचीबद्ध पैप की पहचान की जा सके एवं राज्य सरकार तथा पैप की सहमति से पुनर्वास किया योजना (आरएपी) के साथ साथ आर तथा आर सुविधा प्राप्त की जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड की आर तथा आर नीति में भूमि क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा, नियोजन या एकमुश्त आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वार्षिक वृत्ति, बासभूमि के लिए क्षतिपूर्ति घर की जगह के बदले मे -एकमुश्त भुगतान, सभी प्रभावित विस्थापित परिवार के लिए निर्वाह भक्ता इत्यादि उपलब्ध है।

7. पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण (ईआईए) / पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएसपी)

वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 14 सितम्बर 2006 के ईआईए अधिसूचना एसओ 1533 के अनुसार सभी नई तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएसपी अधिकतम तथा सामान्य क्षमता पर तैयार किया जाता है तथा पर्यावरणीय सहमति प्राप्त की जाती है। वर्ष 2017-18 में सीएमपीडीआईएल ने कुल 2 फार्म 1 तथा 2 ईआईए/ईएसपी की प्रारूप तैयार किए। वर्ष 2016-17 के अंतर्गत इसीएल की विभिन्न खानों/परियोजनाओं के लिए वन तथा पर्यावरण मंत्रालय से 5 पर्यावरणीय सहमतियाँ प्राप्त की गईं।

12) सीएसआर खर्च :

- क) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने के लिए सकल आवश्यक राशि रु 20.89 करोड़ (रु 29.19 करोड़) है।
ख) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि।

(₹ करोड़ में)

क्रम	वर्ष	31.03.2018			31.03.2017		
		नगद/ बैंक में	नगद/बैंक के असीसी देय	कुल	नगद/ बैंक में	नगद/बैंक के असीसी देय	कुल
1	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उपरोक्त (1) के अतिरिक्त उद्येश्य पर	11.81	0.88	12.69	20.56	1.06	21.62

- 13) अन्य : इंड एए के अनुसार जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पिछली अवधि के आंकड़े को पुनः एकत्रित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया ताकि वर्तमान वर्ष से एकरूपता बनी रहे। तुलनपत्र की टिप्पणियों / अतिरिक्त टिप्पणियों तथा लाभ एवं हानि के विवरण में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली अवधि से संबंधित हैं।